CENTER FOR
CIVIL SERVICES
DEDICATED TO UPSC CSE

करेन्ट अफेयर्स मैगजीन

SEPTEMBER 2024

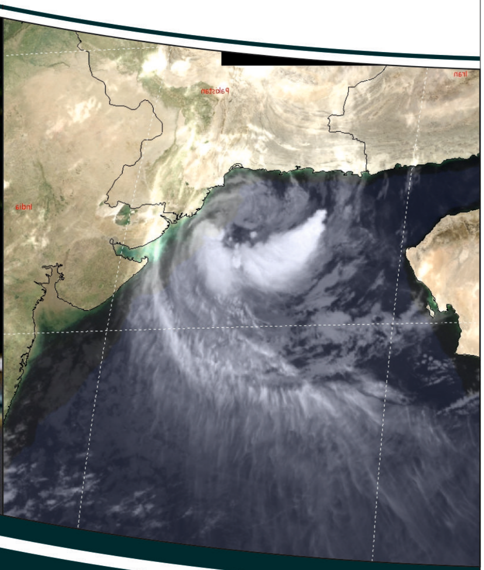

CENTER FOR
CIVIL SERVICES
DEDICATED TO UPSC CSE

Address: Police Line Road, Daltonganj, Palamu, Jharkhand
Contact: 7909017633
email: contact@ccsupsc.com Website: ccsupsc.com

CCS UPSC & JPSC
@ccsupsc
CCS UPSC
Filter Courses
Live Courses
Recorded Courses
Recently Added Courses
See All
[DLP] Target JPSC 2023-24
₹ 8,999
[DLP] Target UPSC 2024
₹ 9,999
[Test Series] UPSC 2024
₹ 2,000
Featured Courses
अब करें तैयारी
UPSC/JPSC/BPSC की
कहीं से!
• Live + Recorded क्लास
• विशेष रूप से तैयार समग्र पाठ्यसमग्री
• अखिल भारतीय टेस्ट सीरीज
• निःशुल्क पाठ्यसमग्री
• निःशुल्क टेस्ट सीरीज
• करेंट अफेयर्स
• 24*7 डाउट समाधान
• बेहद किफायती फीस
• उच्च गुणवत्ता की तैयारी
GET IT ON
Google Play
Download: ccsupsc.com/get-app

CCS UPSC & JPSC
@ccsupsc
CCS UPSC
Filter Courses
Live Courses
Recorded Courses
Recently Added Courses
See All
[DLP] Target JPSC 2023-24
₹ 8,999
[DLP] Target UPSC 2024
₹ 9,999
[Test Series] UPSC 2024
₹ 2,000
Featured Courses
Now prepare for
UPSC/JPSC/BPSC
from Anywhere!
• Live + Recorded Classes
• Study Materials
• All India Test Series
• Free Study Materials
• Free Test Series
• Current Affairs
• 24*7 Doubt Support
• Highly Affordable Fee
• Highly Effective Prepration
GET IT ON
Google Play
Download: ccsupsc.com/get-app

सितम्बर- 2024

करेन्ट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
इतिहास	**1-2**
मौक्सी गांव में नवपाषाणकालीन खोजें	
हम्पी का विरुपाक्ष मंदिर	
राजव्यवस्था	**3-30**
कैबिनेट सचिव	
साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय का नया परिसर	
लखपति दीदी सम्मेलन	
प्ली बार्गेनिंग	
जन पोषण केंद्र	
शी-बॉक्स	
जेंडर बजट	
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 वर्ष	
शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को परिभाषित किया	
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता	
सुभद्रा योजना	
आदर्श आचार संहिता	
वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (VDPV)	
भारत में नए पालन-पोषण नियम	
भारतीय नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश	
भारत में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा	
संशोधित मॉडल फ़ॉस्टर केयर दिशा-निर्देश	
डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया	
भारत AI मिशन और ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU)	
AUKUS नई डील	
ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल, 2024	
पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में बाधाएं आ रही हैं	
तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024	
धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता	
जमानत नियम है और जेल अपवाद है': सुप्रीम कोर्ट	
स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों पर केंद्रीय कानून	
SC ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित किया है	
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0	
'पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत 'मॉडल सोलर विलेज'	

नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 20 अफ़गान सिखों को नागरिकता मिली
प्रधानमंत्री जीवन वन योजना में बदलाव
SC और ST पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू नहीं: SC
रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
पूर्वी राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाली आठ रेलवे परियोजनाएँ
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
संसदीय सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित
उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

भूगोल 31-35
चक्रवात असना
भारत के मौसम पूर्वानुमान को अपग्रेड करने की आवश्यकता है
A23 'घूम रहा है'
माउंट किलिमंजारो
नानकाई गर्त
विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल
उड़ती नदियाँ
ला नीना

पर्यावरण 36-44
जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023
भारत के पर्यावरण की स्थिति
वैश्विक मृदा भागीदारी (GSP)
नए रामसर स्थल: नागी और नकटी वेटलैंड्स
'एंथ्रोपोसीन की हवा' पहल
IUCN प्रमुख ने उच्च समुद्र जैव विविधता संधि के लिए प्रयास करने का आग्रह किया
जंगली सूअर
भू-संरक्षण भारत की कमी
PM2.5 एक्सपोजर से संबंधित असामयिक मौतें
गांधी सागर अभयारण्य

विज्ञान और तकनीक 45-54
234 नए शहरों में निजी FM रेडियो चैनल
सोलर पैराबोलॉइड तकनीक
ब्लू ओरिजिन
सोनोलुमिनेसेंस
टैनेजर-1 उपग्रह
टेराहर्ट्ज़
सेमीकंडक्टर विनिर्माण नीति के दूसरे चरण के लिए 15 बिलियन डॉलर का प्रोत्साहन
नैनो प्रौद्योगिकी के साथ प्रभावी दवा वितरण
हेफ़्लिक सीमा
क्वांटम नॉनलोकैलिटी
लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)
साइनाइड सेंसर
कैलिफोर्नियम तत्व
जीन-संपादन कीटनाशक
दबाव का भौतिकी

अगले सौर चक्र के आयाम की भविष्यवाणी करने की नई विधि
साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 55-67

प्रतिरोध की धुरी
आपात स्थितियों से निपटने के लिए भारत और रूस की कार्य योजना
यूक्रेन ने ICC में शामिल होने के लिए मतदान किया
इस्लामाबाद में SCO की बैठक
प्रशांत द्वीप समूह फोरम (PIF)
भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी
बलूचिस्तान क्षेत्र में अशांति
फिलाडेल्फिया (सलाहद्दीन) कॉरिडोर
बोत्सवाना ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा
रेल फोर्स वन: लौह कूटनीति का प्रतीक
प्रधानमंत्री की पोलैंड की राजकीय यात्रा
थर्ड वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट
भारत और जापान द्वारा इंडो-पैसिफिक पर केंद्रित '2+2' संवाद
विदेश मंत्री का मालदीव दौरा
बांग्लादेश संकट और शरणार्थियों पर भारत की नीति
भारत-श्रीलंका मछुआरा मुद्दा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

पीआईबी 68-83

भारत में जनजातीय शिक्षा: समस्याएँ, नीतियाँ और परिप्रेक्ष्य
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान सूर्य के धब्बों के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार
भारत में कृषि परिवर्तन के लिए अंतरिक्ष-संचालित समाधान
कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि-DSS)
ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP)
फ्लडवॉच इंडिया 2.0
बायोफोर्टिफाइड फसलें
विश्व शेर दिवस
उदार शक्ति अभ्यास
नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत पूरी की गई परियोजनाएँ
भारत छोड़ो आंदोलन
भूतापीय ऊर्जा की खोज
बॉयलर बिल, 2024
विक्रम साराभाई
सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक नेता बनने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता
जैव-अर्थव्यवस्था संचालित औद्योगिक क्रांति
'पीएम-सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना' के तहत 'मॉडल सोलर विलेज'
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024
लिम्फेटिक फाइलेरियासिस
उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति
QCI सुराज्य मान्यता और रैंकिंग रूपरेखा

अर्थव्यस्था 84-107

जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (CAF)
भुगतान पासकी सेवा
द्वितीयक बाजार व्यापार के लिए UPI ब्लॉक तंत्र सुविधा
ग्रीन शूट्स
वित्तीय क्षेत्र में FPI द्वारा 23,000 करोड़ रुपये निकाले गए
भारत का LNG आयात बढ़ा
सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024
हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय
प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अंतरिक्ष क्षेत्र का योगदान
बांग्लादेश में अशांति के कारण भारत में इंजीनियरिंग शिपमेंट प्रभावित
वित्तीय बाजारों में स्व-नियामक संगठनों की मान्यता के लिए रूपरेखा
भारत में ई-कॉमर्स: चिंता का विषय?
भारत को करीब 8 मिलियन नई नौकरियाँ सृजित करने की आवश्यकता है
युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2024
भारत में हीरा क्षेत्र
भारत में कोयला क्षेत्र और चिंताएँ
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
स्वच्छ पौधा कार्यक्रम
RBI ने कर भुगतान के लिए UPI लेनदेन सीमा बढ़ाई
Google के विरुद्ध अविश्वास शिकायत
स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पर बहस
येन कैरी ट्रेड
जैव-अर्थव्यवस्था संचालित औद्योगिक क्रांति
सेबी प्रमुख पर हिंडनबर्ग द्वारा नवीनतम खुलासा
उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति
बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 'स्वच्छ पौधा कार्यक्रम'

योजना सितम्बर 2024 108-114

अध्याय 1- सेलुलर जेल- प्रतिरोध की गाथा
अध्याय 2- जम्बू द्वीप उद्घोषणा
अध्याय 3- पूर्वोत्तर भारत से स्वतंत्रता संग्राम की अनकही कहानियाँ
अध्याय 4- स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय भाषाओं का योगदान
अध्याय 5- बंगाल में भारतीय स्वतंत्रता के लिए युवा चेतना

1 इतिहास

मौक्सी गांव में नवपाषाणकालीन खोजें

पाठ्यक्रम: GS1/प्राचीन इतिहास

संदर्भ

- गोवा के सत्तारी तालुका में मौक्सी (मौस) गांव नवपाषाणकालीन खोजों का केंद्र बनकर उभरा है।
- सांस्कृतिक और विरासत वॉक का 11वां संस्करण, जिसे परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है, रावलनाथ मंदिर के अंदर आयोजित किया गया।
- भगवान शिव हिंदुओं द्वारा पूजे जाने वाले सार्वभौमिक देवता का एक रूप हैं। उन्हें श्रद्धा के प्रतीक के रूप में कोंकणी में शिवनाथ रावलनाथ भी कहा जाता है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने पुष्टि की है कि लगभग दो दशक पहले ज़र्मे नदी के सूखे नदी तल के किनारे मेटा बेसाल्ट चट्टान में उकेरी गई प्राचीन चट्टान की नक्काशी नवपाषाण काल की है।
- नक्काशी की खोज स्थानीय निवासियों ने लगभग 20 साल पहले की थी और यह इस क्षेत्र के शुरुआती निवासियों के बारे में बहुत कुछ बताती है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)

– ASI संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है।

– राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव एएसआई की मुख्य चिंता है।

– यह प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 को भी नियंत्रित करता है।

प्रमुख खोजें

- नक्काशी में ज़ेबरा, बैल और मृग जैसे जानवरों के पैरों के निशान और कप्यूल हैं।
- चट्टान की सतह पर गोलाकार गुहाएँ ऐतिहासिक कलाकृतियों की खोज में सामुदायिक भागीदारी को दर्शाती हैं।
- इस क्षेत्र में चोट पहुँचाने की तकनीक के उपयोग को प्रदर्शित करने वाली लगभग 20 रॉक नक्काशी की पहचान की गई है, जिसमें नदी के किनारे उसी अवधि के उपकरण पाए गए हैं। यह साइट के ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करता है।
- एक और उल्लेखनीय विशेषता है, पुरावती मंदिर के बाहर प्रतिष्ठित एक चट्टान जिस पर कप्यूल लगे हैं।
- शुरू में इसे 27 कप्यूल वाले तारामंडल के रूप में माना गया था, आगे के शोध में 31 कप्यूल सामने आए, जिससे लोगों को उनके महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, लेकिन इनका सटीक उद्देश्य अज्ञात है।

महत्व

- एएसआई ने इसकी नवपाषाण उत्पत्ति की पुष्टि की है, क्योंकि यह अवधि एक महत्वपूर्ण अवधि को दर्शाती है जब मनुष्यों ने मवेशियों को पालना शुरू किया था।
- मौक्सी में एक नक्काशी जिसमें एक त्रिशूल दर्शाया गया है - लौह युग से जुड़ा एक प्रतीक - विभिन्न ऐतिहासिक युगों के माध्यम से साइट के स्थायी महत्व का सुझाव देता है।
- धवड़ समुदाय, शुरुआती बसने वालों और लोहारों की उपस्थिति ऐतिहासिक कथा में एक और परत जोड़ती है, हालांकि अंततः नए बसने वालों द्वारा विस्थापित कर दिया गया।

पाषाण युग

- पाषाण युग एक प्रागैतिहासिक काल है जिसकी विशेषता पत्थर के औजारों का उपयोग है। तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक विकास और मानव समाजों में बदलाव के आधार पर इसे आम तौर पर तीन प्रमुख अवधियों में विभाजित किया जाता है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक।

a. पैलियोलिथिक युग: पुराने पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है, यह अवधि लगभग 2.6 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस जैसे होमिनिड्स द्वारा सबसे पहले ज्ञात पत्थर के औजार के उपयोग के साथ शुरू हुई थी। यह लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इस समय के दौरान, मनुष्य मुख्य रूप से शिकारी थे, जो शिकार, कसाई और भोजन प्रसंस्करण जैसे कार्यों के लिए पत्थर के औजारों पर निर्भर थे।

b. मेसोलिथिक युग: यह संक्रमणकालीन अवधि क्षेत्र के आधार पर लगभग 10,000 ईसा पूर्व और 5,000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। नवपाषाण युग: नव पाषाण युग लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ और 4500 ईसा पूर्व और 2000 ईसा पूर्व के बीच दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समाप्त हुआ। यह कृषि को व्यापक रूप से अपनाने और जानवरों को पालतू बनाने के लिए जाना जाता है, जिससे स्थायी समुदाय, मिट्टी के बर्तनों का विकास, बुनाई और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास हुआ।

c. कृषि में परिवर्तन ने मानव समाज में क्रांति ला दी, जिससे सभ्यताओं का उदय हुआ।

हम्पी का विरुपाक्ष मंदिर

पाठ्यक्रम: GS1/कला और वास्तुकला

संदर्भ

- हम्पी के विरुपाक्ष मंदिर में मंडप को सहारा देने वाले स्तंभों का एक भाग हाल ही में भारी बारिश के कारण ढह गया।

हम्पी के विरुपाक्ष मंदिर के बारे में

- यह भारत के कर्नाटक के हम्पी में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है।
- यह अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और हम्पी में स्मारकों के समूह का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है।

ऐतिहासिक महत्व

- यह 7वीं शताब्दी ई. का है। कुछ इतिहासकारों का सुझाव है कि यह विजयनगर साम्राज्य द्वारा हम्पी में अपनी राजधानी स्थापित करने से भी पहले अस्तित्व में था।
- 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान, विजयनगर शासकों के अधीन, मंदिर का व्यापक विस्तार हुआ और यह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ।
- विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजवंश के हरिहर प्रथम ने की थी, यह तुंगभद्रा नदी के तट पर एक रणनीतिक स्थिति से विस्तारित होकर अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया।

वास्तुकला के चमत्कार

- विजयनगर साम्राज्य (1336 से 1646), जो अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है, ने हम्पी में द्रविड़ शैली के मंदिर और महल बनवाए, जिनमें विरुपाक्ष मंदिर भी शामिल है।
- उल्लेखनीय विशेषताओं में विशाल गोपुरम (प्रवेश द्वार), स्तंभों वाले हॉल और विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिर शामिल हैं।
- परिसर के भीतर विठ्ठल मंदिर अपनी उत्कृष्ट अलंकृत संरचना के लिए जाना जाता है, जो विजयनगर मंदिर वास्तुकला के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसमें एक भव्य बाज़ार सड़क, एक सीढ़ीदार तालाब और सुंदर नक्काशीदार मंडप हैं।

धार्मिक महत्व

- यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप भगवान विरुपाक्ष को समर्पित है।
- यह स्थानीय देवी पंपादेवी से जुड़ा हुआ है, जो तुंगभद्रा नदी से जुड़ी हुई हैं।
- विरुपाक्ष मंदिर में पूजा सदियों से जारी है, यहाँ तक कि 1565 में शहर के विनाश के बाद भी।

2 राजव्यवस्था

कैबिनेट सचिव

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

- हाल ही में, डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने अपने पूर्ववर्ती श्री राजीव गौबा की सेवानिवृत्ति के बाद कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला।

कैबिनेट सचिव के बारे में

- वे कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं, जो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी हैं, और भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।
- वे उच्चतम स्तर पर नीति कार्यान्वयन, अंतर-मंत्रालयी संचार और प्रशासनिक मामलों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भूमिकाएँ और कार्य

- कैबिनेट बैठकों का समन्वय: यह कैबिनेट बैठकों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है, जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इन बैठकों में नीतिगत मामलों, विधायी प्रस्तावों और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा होती है।
- अंतर-मंत्रालयी समन्वय: यह संचार की सुविधा प्रदान करके, विवादों को हल करके और सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच एक सेतु का काम करता है।
- प्रधानमंत्री को सलाह देना: यह प्रशासनिक मामलों, नीति निर्माण और शासन पर प्रधानमंत्री को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है। देश की दिशा को आकार देने में इसकी अंतर्दृष्टि अमूल्य है।
- प्रशासनिक नेतृत्व: सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक के रूप में, कैबिनेट सचिव नौकरशाही का नेतृत्व करता है। उसके निर्णय पूरे प्रशासनिक तंत्र के कामकाज को प्रभावित करते हैं।

कैबिनेट सचिवालय

- यह भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 और भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, जो सरकार के मंत्रालयों/विभागों में व्यवसाय के सुचारू संचालन की सुविधा प्रदान करता है।

- यह कैबिनेट और इसकी समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करता है, और अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करके, मंत्रालयों/विभागों के बीच मतभेदों को दूर करके और सचिवों की स्थायी/तदर्थ समितियों के माध्यम से आम सहमति विकसित करके सरकार में निर्णय लेने में भी सहायता करता है।

– यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को उनकी गतिविधियों के मासिक सारांश के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों की प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराया जाए।

देश में प्रमुख संकट स्थितियों का प्रबंधन और ऐसी स्थिति में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों का समन्वय करना भी कैबिनेट सचिवालय के कार्यों में से एक है।

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय का नया परिसर

पाठ्यक्रम: GS 2/शिक्षा

खबरों में

- साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय (UK) को गुड़गांव में एक व्यापक परिसर स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है।

के बारे में

- परिसर गुरुग्राम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्थित होगा।
- जुलाई 2025 में कार्यक्रमों की पेशकश शुरू होने की उम्मीद है।
- यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के शैक्षिक मानकों को बढ़ाना और घरेलू स्तर पर विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है।
- प्रस्तावित पाठ्यक्रम: परिसर व्यवसाय और प्रबंधन, कंप्यूटिंग, कानून, इंजीनियरिंग, कला और डिजाइन, जैव विज्ञान और जीवन विज्ञान में कार्यक्रम प्रदान करेगा।
- भारतीय परिसर द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री यूके में साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री के बराबर होगी।
- विनियामक ढांचा: भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विनियम नवंबर 2023 में अधिसूचित किए गए थे।

पहल का महत्व

- विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों के लिए वीजा प्रतिबंध और नौकरी की अनिश्चितता जैसी चुनौतियों का समाधान करता है।
- भारत से बाहर जाए बिना शीर्ष अंतरराष्ट्रीय शिक्षा तक पहुँच प्रदान करता है।
- इस पहल का उद्देश्य विश्व स्तरीय, काम के लिए तैयार स्नातकों को विकसित करना और भारत की बढ़ती ज्ञान अर्थव्यवस्था में योगदान देना है।

लखपति दीदी सम्मेलन

पाठ्यक्रम: GS1/सामाजिक न्याय; GS2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप

संदर्भ

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जलगाँव में 'लखपति दीदी सम्मेलन' में भाग लिया।

लखपति दीदी सम्मेलन के बारे में

- यह एक प्रेरणादायक सभा है जो उन महिलाओं की उपलब्धियों को पहचानती है और उनका जश्न मनाती है जो 'लखपति दीदी' बन गई हैं – वे जो कम से कम ₹1 लाख (लगभग $1,350) की वार्षिक स्थायी आय अर्जित करती हैं।
- इस आय की गणना कम से कम चार कृषि मौसमों और/या व्यावसायिक चक्रों के लिए की जाती है, जिसमें औसत मासिक आय दस हज़ार रुपये (10,000 रुपये) से अधिक होती है, ताकि यह टिकाऊ हो।

लखपति दीदी योजना

- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका उत्थान करना है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) योजना के तहत आयोजित किया जाता है।
- यह सभी सरकारी विभागों/मंत्रालयों, निजी क्षेत्र और बाज़ार के खिलाड़ियों के बीच अभिसरण सुनिश्चित करके विविध आजीविका गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है। रणनीति में सभी स्तरों पर केंद्रित योजना, कार्यान्वयन और निगरानी शामिल है।
- सरकार एक परिक्रामी निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को धन वितरित करती है।
- लखपति दीदी योजना की शुरुआत से लेकर अब तक एक करोड़ महिलाएँ लखपति का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, और सरकार ने तीन करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य रखा है, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्ली बार्गेनिंग

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति और शासन

संदर्भ

- विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार, 2022 में केवल 0.11% मामलों का समाधान प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से किया गया।

प्ली बार्गेनिंग के बारे में

- "प्ली बार्गेनिंग" एक ऐसी प्रथा है, जिसके तहत अभियुक्त अपने आप को निर्दोष मानने और पूर्ण सुनवाई की माँग करने के अपने अधिकार को त्याग देता है और इसके बजाय लाभ के लिए सौदेबाजी करने के अधिकार का उपयोग करता है।
- प्ली बार्गेनिंग को 2005 में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में इस उम्मीद के साथ शामिल किया गया था कि यह अभियुक्त व्यक्तियों को सजा में नरमी के बदले में अपराध स्वीकार करने की अनुमति देकर न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा।
- यह केवल सात साल तक की सजा वाले अपराधों पर लागू होता है, जिसमें महिलाओं, बच्चों या सामाजिक-आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों को छोड़कर अन्य प्रतिबंध शामिल हैं।

जन पोषण केंद्र

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

संदर्भ

- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 4 राज्यों में 60 राशन की दुकानों को "जन पोषण केंद्र" के रूप में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की
- इस अवसर पर, उन्होंने एफपीएस सहाय एप्लीकेशन और मेरा राशन ऐप 2.0 भी लॉन्च किया।
- जन पोषण केंद्र पूरे भारत में उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों की आय के स्तर को बढ़ाने के लिए उनकी मांग का समाधान प्रदान करता है।
- केंद्र उपभोक्ताओं को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों की एक विविध रेंज प्रदान करेंगे और साथ ही एफपीएस डीलरों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी प्रदान करेंगे।
- जन पोषण केंद्र में पोषण श्रेणी के तहत 50% उत्पादों को संग्रहीत करने की व्यवस्था होगी, जबकि बाकी में अन्य घरेलू सामान रखने की व्यवस्था होगी।

FPS-सहाय और मेरा राशन ऐप 2.0

- FPS-सहाय, एक ऑन-डिमांड इनवॉइस आधारित वित्तपोषण (IBF) एप्लिकेशन है, जिसे एफपीएस डीलरों को पूरी तरह से कागज रहित, उपस्थिति-रहित, संपार्श्विक-मुक्त, नकदी प्रवाह-आधारित वित्तपोषण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- मेरा राशन ऐप 2.0 मोबाइल ऐप को देश भर के लाभार्थियों के लिए अधिक मूल्य वर्धित सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया है।

शी-बॉक्स

पाठ्यक्रम: जीएस2/ शासन

संदर्भ

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल शी-बॉक्स लॉन्च किया है।

इसके बारे में

- यह सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाओं के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है।
- यह शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति पर नज़र रखने और आईसी द्वारा शिकायतों का समयबद्ध प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।
- यह शिकायतों का सुनिश्चित निवारण और सभी हितधारकों के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया भी प्रदान करता है।
- एक नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से पोर्टल शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी करने में सक्षम होगा।

जेंडर बजट

पाठ्यक्रम: जीएस2/गवर्नेंस

संदर्भ

- पहली बार 2024-25 में जेंडर बजट जीडीपी अनुमानों के 1% तक पहुँच गया।

के बारे में

- इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री (FM) द्वारा की गई घोषणाओं के मूल में महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास बना हुआ है।
- वर्तमान में महिला-समर्थक कार्यक्रमों के लिए कुल आवंटन ₹3 लाख करोड़ से अधिक है।
- वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 25 तक महिला कल्याण के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय 218.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जेंडर बजट क्या है?

- जेंडर बजटिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें बजट प्रक्रिया में जेंडर संबंधी विचार शामिल होते हैं।
- इसे पहली बार 2005-06 में पेश किया गया था।
- इसमें बजट संसाधनों का विश्लेषण और आवंटन इस तरह से किया जाता है कि महिलाओं और लड़कियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को संबोधित किया जा सके और जेंडर-संवेदनशील नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके।

जेंडर बजट 2023-24

- पिछले जेंडर बजट में लगातार कुल बजटीय आवंटन का औसतन 5% हिस्सा दर्ज किया गया था।
- इस साल महिला-समर्थक योजनाओं के लिए आवंटन का हिस्सा 2024-25 के कुल बजट व्यय का लगभग 6.8% है, जो सामान्य रुझानों से कहीं ज़्यादा है।
- जेंडर बजट को तीन भागों में विभाजित किया गया है।
- भाग ए में महिलाओं के लिए 100% प्रावधान वाली योजनाएँ शामिल हैं, जबकि भाग बी में महिलाओं के लिए 30-99% आवंटन वाली योजनाएँ शामिल हैं।
- पहली बार, पार्ट सी में महिलाओं के लिए 30% तक के आवंटन वाली योजनाएं शामिल हैं।

महत्व

- आर्थिक सर्वेक्षण में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा से शुरू होने वाले महिला-नेतृत्व वाले विकास के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
- प्रमुख संकेतक इस क्षेत्र में प्रगति दिखाते हैं, जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात (एसआरबी) 918 से बढ़कर 930 हो गया है, और मातृ मृत्यु दर 130 से घटकर 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है।
- कौशल विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत, यह वित्त वर्ष 16 में 42.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 52.3 प्रतिशत हो गई।

- जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना में 82 प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2016 में 9.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 13.3 प्रतिशत हो गई।
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) में, यह वित्त वर्ष 17 में 7.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 20.8 प्रतिशत हो गई।

सरकारी पहल

- मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा 2021-2025 की अवधि के लिए शुरू किया गया एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है, जिससे महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाया जा सके।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और पीएम मातृ वंदना योजना जैसी पहलों ने भी महिलाओं और लड़कियों के कल्याण और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण सुधार लाने में योगदान दिया है।
- मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम केवल कैलोरी सेवन से परे महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उचित सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ समग्र स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ-किरण (WISE KIRAN) कार्यक्रम ने 2018 से 2023 तक लगभग 1,962 महिला वैज्ञानिकों का समर्थन किया है।

निष्कर्ष

- जीबीएस में आवंटन के लिए स्पष्टीकरण शामिल करने से न केवल लेखांकन सटीकता सुनिश्चित होगी, बल्कि लिंग ऑडिट में मदद मिलेगी और सरकारी कार्यक्रमों में बेहतर लिंग परिणामों के लिए मार्ग प्रदान किया जाएगा।
- जीबीएस में विशेषज्ञों द्वारा बेहतर रिपोर्टिंग के लिए कई वर्षों की वकालत तीसरे भाग को शामिल करने में परिलक्षित होती है।
- लिंग संवेदनशील बजट अर्थव्यवस्था में लिंग अंतर को कम करने का एक शक्तिशाली उपकरण है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 वर्ष

पाठ्यक्रम: जीएस2/शासन

संदर्भ

- वित्त मंत्रालय के तहत 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने सफल कार्यान्वयन का एक दशक पूरा कर लिया है।

के बारे में

- PMJDY अपने वित्तीय समावेशन हस्तक्षेपों के माध्यम से हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है।
- PMJDY प्रत्येक बिना बैंक खाते वाले वयस्क के लिए एक बुनियादी बैंक खाता प्रदान करता है।

जन धन योजना की मुख्य विशेषताएं

- PMJDY के तहत, व्यक्ति किसी भी बैंक शाखा में या किसी व्यवसाय संवाददाता ('बैंक मित्र') के माध्यम से एक बुनियादी बचत बैंक जमा (BSBD) खाता खोल सकते हैं।

योजना के प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

- PMJDY खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं;
- PMJDY खातों में जमा राशि पर अर्जित ब्याज;
- खाताधारकों को RuPay डेबिट कार्ड का प्रावधान;
- RuPay कार्ड के साथ 100,000 रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए नए खातों के लिए 200,000 रुपये तक बढ़ाया गया);
- पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा;
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना के लिए पात्रता।

महत्व

- पीएमजेडीवाई बिना किसी बिचौलिए के, सरकार द्वारा इच्छित लाभार्थी को परेशानी मुक्त सब्सिडी/भुगतान, निर्बाध लेनदेन और बचत संचय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- जन सुरक्षा योजनाओं (सूक्ष्म बीमा योजनाओं) के माध्यम से लाखों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जीवन और दुर्घटना बीमा प्रदान करने में वे महत्वपूर्ण रहे हैं।

योजना का सफल कार्यान्वयन

- इस पहल की सफलता जन धन खाते खोलने के माध्यम से 53 करोड़ लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाने में परिलक्षित होती है।
- इन बैंक खातों में 2018-19 में 50 लाख रुपये की जमा राशि जमा हुई है। 2.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 36 करोड़ से अधिक नि:शुल्क RuPay कार्ड जारी किए गए, जो 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करते हैं।
- 67% खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, और 55% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं।

निष्कर्ष

- PMJDY की सफलता इसके मिशन-मोड दृष्टिकोण, विनियामक समर्थन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बायोमेट्रिक पहचान के लिए आधार जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के महत्व को उजागर करती है।
- खाताधारक अब बचत पैटर्न दिखा सकते हैं, जो उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए पात्र बनाता है।
- PMJDY दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, इसकी परिवर्तनकारी शक्ति और इसके डिजिटल नवाचारों ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है।

शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को परिभाषित किया

पाठ्यक्रम: GS2/ शिक्षा

संदर्भ

- सभी राज्यों को लिखे पत्र में शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने 'साक्षरता' को परिभाषित किया है, और न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (NILP) के तहत वयस्क साक्षरता के लिए नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के मद्देनजर 'पूर्ण साक्षरता' को प्राप्त करने का क्या मतलब है, इस पर प्रकाश डाला है।

साक्षरता और पूर्ण साक्षरता क्या है?

- शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने कहा है कि साक्षरता को पढ़ने, लिखने और समझ के साथ गणना करने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है, यानी डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के साथ-साथ पहचानना, समझना, व्याख्या करना और बनाना।
- पूर्ण साक्षरता, जिसे 100% साक्षरता के बराबर माना जाएगा, वह किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 95% साक्षरता प्राप्त करना होगा जिसे पूर्ण साक्षर के बराबर माना जा सकता है।

न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (NILP)

– यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक पांच वर्षों के दौरान 1037.90 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

1. केन्द्रीय अंश 700.00 करोड़ रुपये तथा राज्य अंश 337.90 करोड़ रुपये है।

- इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के 5.00 करोड़ निरक्षरों को कवर करना है।
- इस योजना के पांच घटक हैं; जैसे कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा।

योजना के तहत लाभार्थी

- लाभार्थियों की पहचान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा मोबाइल ऐप पर डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के माध्यम से की जाती है।

1. निरक्षर लोग भी मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी भी स्थान से सीधे पंजीकरण के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं।

- शिक्षण अधिगम सामग्री और संसाधन एनसीईआरटी के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं और इन्हें मोबाइल-ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

1. इसके अलावा, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के प्रसार के लिए टीवी, रेडियो, सामाजिक चेतना केंद्र आदि जैसे अन्य साधनों का भी उपयोग किया जाना है।

भारत में साक्षरता की चुनौतियाँ

- जनगणना 2011 के अनुसार, देश में साक्षरता दर 2001 में 64.8% की तुलना में 2011 में 74% थी।
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में 25.76 करोड़ निरक्षर व्यक्ति हैं, जिनमें 9.08 करोड़ पुरुष और 16.68 करोड़ महिलाएँ शामिल हैं।
- साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत की गई प्रगति के बावजूद, जिसने 2009-10 और 2017-18 के बीच 7.64 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर के रूप में प्रमाणित किया, भारत में अनुमानित 18.12 करोड़ वयस्क निरक्षर बने हुए हैं।

भारत में कम साक्षरता के कारण

- शैक्षिक उपयोगिता: ग्रामीण क्षेत्रों में, सीमित आर्थिक अवसरों के कारण शिक्षा को मूल्यवान नहीं माना जा सकता है, जिससे नामांकन दर कम होती है।

- इसके अतिरिक्त, आस-पास के स्कूलों की उपलब्धता अक्सर सीमित होती है, जिससे शिक्षा तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- जातिगत असमानताएँ: निचली जातियों के खिलाफ भेदभाव के परिणामस्वरूप उच्च ड्रॉपआउट दर और कम नामांकन दर हुई है।
- महिला साक्षरता: भारत में निरक्षर व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण अनुपात महिलाएँ हैं, जो समग्र कम साक्षरता दर में योगदान करती हैं।
- बुनियादी सुविधाओं की कमी: स्कूलों में पीने के पानी, शौचालय और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं की अनुपस्थिति, विशेष रूप से लड़कियों के लिए उपस्थिति को कम करती है।

अशिक्षित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- अशिक्षित व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके समुदायों में आत्म-सम्मान कम हो सकता है और उन्हें हाशिए पर धकेला जा सकता है।
- संचार, शिक्षा और सेवाओं के लिए डिजिटल तकनीक पर बढ़ती निर्भरता अशिक्षित व्यक्तियों को बाहर कर देती है।
- अशिक्षित व्यक्तियों को उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों से बाहर रखा जाता है, जिनमें तकनीकी कौशल या औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी आर्थिक गतिशीलता सीमित हो जाती है और वे गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं।
- निरक्षरता का चक्र पीढ़ियों तक जारी रह सकता है, क्योंकि अशिक्षित माता-पिता के बच्चों के स्कूल छोड़ने या उन्हें आवश्यक शैक्षिक सहायता न मिलने का जोखिम अधिक हो सकता है।

सरकारी पहल

- निपुण भारत: इसे 2026-27 तक कक्षा 3 के बच्चों के लिए सार्वभौमिक साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- इसमें केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तत्वावधान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-स्कूल स्तर पर स्थापित पांच-स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र की परिकल्पना की गई है।
- समग्र शिक्षा अभियान: स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना, जिसमें प्री-स्कूल से कक्षा XII तक शामिल है। इसका उद्देश्य समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020: इसमें सभी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन के प्रावधान हैं।
- इसका उद्देश्य 2025 तक प्राप्त किए जाने वाले राज्यवार लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान करना भी है।
- जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस): ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, गैर-साक्षर और नव-साक्षर व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करता है।

समापन टिप्पणी

- ये पहल भारत भर में साक्षरता और शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें समावेशिता और समानता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- शिक्षा को अधिक सुलभ, संवादात्मक और विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर भारत में साक्षरता दर में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता

पाठ्यक्रम: GS2/ स्वास्थ्य/GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राज्यों से कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और किसान स्तर पर कीटनाशकों को विनियमित करने के लिए रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति स्थापित करने का आग्रह किया है।

कीटनाशकों के लाभ

- फसल की पैदावार में वृद्धि: फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करके, कीटनाशक किसानों को अधिक पैदावार और अधिक विश्वसनीय फसल प्राप्त करने में मदद करते हैं।
- आर्थिक दक्षता: कीटनाशक फसल के नुकसान को कम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य कीमतें कम होती हैं और खेती की लाभप्रदता बढ़ जाती है।
- रोग की रोकथाम: कुछ कीटनाशक मच्छरों जैसे रोगवाहकों को नियंत्रित करते हैं, जो मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- खरपतवार नियंत्रण: शाकनाशी, एक प्रकार का कीटनाशक, खरपतवार आबादी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है जो पोषक तत्वों और पानी के लिए फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

मुद्दे

- पारिस्थितिकीय प्रभाव: कीटनाशक गैर-लक्षित प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें मधुमक्खियों, तितलियों जैसे लाभकारी कीट और शिकारी कीट शामिल हैं जो प्राकृतिक रूप से कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

- मृदा स्वास्थ्य: कीटनाशकों का लंबे समय तक उपयोग मिट्टी की उर्वरता के लिए आवश्यक सूक्ष्मजीवों को मारकर मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है।
- जल संदूषण: कीटनाशक भूजल में घुल सकते हैं या सतही जल निकायों में बह सकते हैं, जिससे संदूषण हो सकता है।
- मानव स्वास्थ्य जोखिम: कीटनाशकों का अत्यधिक या अनुचित तरीके से उपयोग किए जाने पर, वे खाद्य उत्पादों में हानिकारक अवशेष छोड़ सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं।
- इन जोखिमों में तीव्र विषाक्तता, अंत:स्रावी व्यवधान और कैंसर और तंत्रिका संबंधी विकार जैसे दीर्घकालिक प्रभाव शामिल हैं

सरकार के कदम

- व्हील्स पर खाद्य सुरक्षा: कीटनाशकों के उपयोग को विनियमित करने पर FSSAI का जोर इन जोखिमों को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप है।
- FSSAI ने राज्यों के भीतर प्रमुख स्थानों की पहचान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जहाँ मोबाइल लैब, जिन्हें "व्हील्स पर खाद्य सुरक्षा" के रूप में जाना जाता है, तैनात किया जा सकता है।
- ये मोबाइल लैब उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।
- कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा (MRL): कीटनाशकों की MRL उनके जोखिम आकलन के आधार पर विभिन्न खाद्य वस्तुओं के लिए अलग-अलग तय की जाती है।
- कीटनाशक अधिनियम, 1968: कीटनाशकों को कृषि मंत्रालय द्वारा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत गठित केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB & RC) के माध्यम से विनियमित किया जाता है।
- CIB & RC कीटनाशकों के विनिर्माण, आयात, परिवहन, भंडारण को विनियमित करते हैं और तदनुसार कीटनाशकों को CIB & RC द्वारा पंजीकृत/प्रतिबंधित/प्रतिबंधित किया जाता है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने जड़ी-बूटियों और मसालों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) को 0.01 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम (mg/kg) से बढ़ाकर 0.1 mg/kg कर दिया है।
- मसालों और पाक जड़ी-बूटियों के लिए CODEX द्वारा निर्धारित MRLs 0.1 से 80 mg/kg तक हैं।
- FSSAI कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (WHO और UN के FAO द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक स्थापित करने वाला निकाय) और यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित MRL के अद्यतन मानकों के साथ संरेखित करता है।
- अनुपम वर्मा समिति: इसका गठन कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा 66 कीटनाशकों की समीक्षा करने के लिए किया गया था, जो अन्य देशों में प्रतिबंधित/प्रतिबंधित हैं, लेकिन भारत में उपयोग के लिए पंजीकृत हैं।
- जैविक खेती: जैविक खेती में कीटनाशकों के उपयोग से बचा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य उत्पाद हानिकारक रासायनिक अवशेषों से मुक्त होते हैं और उनमें आवश्यक पोषक तत्वों का उच्च स्तर होता है।
- सरकार जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, जो आम तौर पर रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं।
- FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को फलों और सब्जियों में कीटनाशकों/कीटनाशकों के अवशेषों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कहा है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- कीटनाशक आधुनिक कृषि में एक महत्वपूर्ण उपकरण बने हुए हैं, जो खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में योगदान करते हैं।
- हालांकि, कृषि उत्पादकता को पर्यावरणीय स्थिरता और मानव स्वास्थ्य के साथ संतुलित करने के लिए उनके उपयोग को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए।

सुभद्रा योजना

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

- ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने सुभद्रा योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की।
- इस योजना के तहत, 21 से 60 वर्ष की आयु की एक करोड़ गरीब महिलाओं को पाँच वर्षों में ₹50,000 प्रदान किए जाएँगे।
- राखी पूर्णिमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर ₹5,000 की दो किस्तों में कुल ₹10,000 प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा।
- ऐसी महिलाएँ जो किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ₹1,500 या उससे अधिक प्रति माह या ₹18,000 या उससे अधिक प्रति वर्ष सहायता प्राप्त कर रही हैं, वे सुभद्रा के तहत शामिल होने के लिए अपात्र होंगी।
- यह पैसा सीधे लाभार्थी के आधार-सक्षम एकल-धारक बैंक खाते में जमा किया जाएगा; उन्हें सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा।

आदर्श आचार संहिता

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

- हाल ही में, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने हरियाणा सरकार से विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक राज्य में चल रहे अपने भर्ती अभियान के परिणाम घोषित न करने को कहा।

आदर्श आचार संहिता के बारे में

- यह भारत में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नियम पुस्तिका की तरह है। यह भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशों का एक सेट है।
- चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।
- यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा लागू करने योग्य कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है।
- हालाँकि, एमसीसी में सूचीबद्ध कुछ कार्यों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत "चुनावी अपराध" और "भ्रष्ट आचरण" भी माना जाता है।

MCC क्या कवर करता है?

- चुनाव अभियान और मतदान व्यवहार: यह मानक निर्धारित करता है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव अभियान और मतदान के दौरान कैसा आचरण करना चाहिए।
- शिकायत तंत्र: यह बताता है कि विवाद की स्थिति में पार्टियाँ चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के पास शिकायत कैसे दर्ज करा सकती हैं।
- सत्ता में मंत्री: जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है, तो यह सत्ताधारी दलों के मंत्रियों को भी बताती है कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए।
- चुनाव घोषणापत्र: पार्टियों को ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो हमारे संविधान के आदर्शों के खिलाफ हों।

वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (VDPV)

पाठ्यक्रम: GS 2/ स्वास्थ्य

समाचार में

- वरिष्ठ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि मेघालय में पोलियो का मामला वैक्सीन-व्युत्पन्न है।
- वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (VDPV) मौखिक पोलियो वैक्सीन (OPV) में कमजोर जीवित पोलियोवायरस से संबंधित एक स्ट्रेन है।
- यदि VDPV कम या बिना टीकाकरण वाली आबादी में फैलता है या किसी प्रतिरक्षाविहीन व्यक्ति में प्रतिकृति बनाता है, तो यह एक ऐसे रूप में वापस आ सकता है जो बीमारी और पक्षाघात का कारण बनता है।
- VDPV कम टीकाकरण वाली आबादी में उत्पन्न होते हैं जहाँ OPV से कमजोर वायरस फैल सकता है और उत्परिवर्तित हो सकता है।

पोलियो

- यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है, जिसके कारण 200 में से लगभग 1 संक्रमण में स्थायी पक्षाघात होता है या पक्षाघात से पीड़ित 5-10% लोगों की मृत्यु हो जाती है।
- संचरण: वायरस मुख्य रूप से मल-मौखिक मार्ग से या कभी-कभी दूषित पानी या भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
- लक्षण: प्रारंभिक लक्षणों में बुखार, थकान, सिरदर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़न और अंगों में दर्द शामिल हैं। पक्षाघात कुछ प्रतिशत मामलों में होता है और अक्सर स्थायी होता है।
- टीका और रोकथाम: पोलियो का कोई इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण के माध्यम से इसे रोका जा सकता है।

भारत में नए पालन-पोषण नियम

पाठ्यक्रम: GS 2 / शासन

समाचार में

- भारत में महिला और बाल विकास (WCD) मंत्रालय अब वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना एकल व्यक्तियों को बच्चों को पालने की अनुमति देता है, जिसमें दो साल बाद गोद लेने का विकल्प भी शामिल है।

भारत में पालन-पोषण संबंधी नियमों के बारे में

- पात्रता: 35 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति बच्चों का पालन-पोषण कर सकते हैं।
- एकल महिलाएँ किसी भी लिंग के बच्चों का पालन-पोषण और गोद ले सकती हैं, जबकि एकल पुरुष केवल पुरुष बच्चों का पालन-पोषण और गोद ले सकते हैं।

- पहले, पालन-पोषण की देखभाल विवाहित जोड़ों तक ही सीमित थी, जिसमें गोद लेने से पहले पाँच साल की पालन-पोषण अवधि अनिवार्य थी।
- गोद लेने से पहले पालन-पोषण की अनिवार्य अवधि अब घटाकर दो साल कर दी गई है।
- पालन-पोषण के लिए विवाहित जोड़ों का कम से कम दो साल का स्थिर वैवाहिक संबंध होना चाहिए।
- आयु मानदंड: विवाहित जोड़ों के लिए, 6-12 या 12-18 वर्ष की आयु के बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए संयुक्त आयु कम से कम 70 वर्ष होनी चाहिए।
- 6-12 वर्ष की आयु के बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए एकल व्यक्तियों की आयु 35-55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और 12-18 वर्ष की आयु के बच्चों का पालन-पोषण करने वालों की आयु 35-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पंजीकरण: भावी पालक माता-पिता अब चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम (CARINGS) और एक नए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
- कानूनों के साथ संरेखण: संशोधित दिशानिर्देश किशोर न्याय अधिनियम में 2021 के संशोधनों और जून 2024 में राज्यों को वितरित किए गए 2022 मॉडल नियमों के साथ संरेखित हैं।

भारतीय नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश

पाठ्यक्रम: GS2/लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका

संदर्भ

- संघ सेवा लोक आयोग के तत्वावधान में पदों पर 45 सदस्यों की पार्श्व भर्ती के लिए हाल ही में एक विज्ञापन ने विवाद को जन्म दिया है।

पार्श्व प्रवेश के बारे में

- यह सरकारी मंत्रालयों और विभागों में वरिष्ठ और मध्य-स्तरीय पदों को भरने के लिए पारंपरिक सिविल सेवाओं (जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा) के बाहर से व्यक्तियों की भर्ती करने की प्रथा को संदर्भित करता है।
- नियुक्तियाँ मुख्य रूप से निदेशक, संयुक्त सचिव और उप सचिव के पदों के लिए की जाती हैं।
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा नियुक्त संयुक्त सचिव, किसी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव के बाद तीसरा सर्वोच्च पद होता है, और विभाग में एक विंग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है।
- निदेशक संयुक्त सचिव से एक रैंक नीचे होते हैं।
- ये भर्तियाँ आम तौर पर विविध पृष्ठभूमि से आती हैं - निजी क्षेत्र, शिक्षा, या अन्य विशिष्ट क्षेत्र - और नौकरशाही में नए दृष्टिकोण, डोमेन विशेषज्ञता और दक्षता को शामिल करने के लिए लाई जाती हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ

- कांग्रेस के नेतृत्व वाला शासन: पार्श्व प्रवेश की अवधारणा पूरी तरह से नई नहीं है। पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान, पार्श्व नियुक्तियाँ की जाती थीं।
- उदाहरण के लिए, डॉ. मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधान मंत्री बने, को पार्श्व प्रवेश के माध्यम से वित्तीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।
- इसी तरह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने उसी मार्ग से योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- एनडीए का दृष्टिकोण: प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेटरल एंट्री की प्रक्रिया को व्यवस्थित और अधिक पारदर्शी बनाया गया। प्रासंगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को अब यूपीएससी के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाता है, जिसका उद्देश्य दक्षता को बढ़ाना और नौकरशाही में विशेष कौशल लाना है।

UPSC की भूमिका

- लेटरल एंट्री में यूपीएससी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
- संविदा नियुक्तियाँ शुरू में तीन साल के लिए होती हैं, जिन्हें प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

पक्ष में तर्क

- विशिष्ट प्रतिभा और विशेषज्ञता: समर्थकों का तर्क है कि लेटरल एंट्री नए दृष्टिकोण और विशेष कौशल लाती है।
- विविध क्षेत्रों- जैसे प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र या प्रबंधन- से प्रतिभाओं का उपयोग करके सरकार अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया और सेवा वितरण को बढ़ा सकती है।
- दक्षता और नवाचार: पार्श्व प्रवेशकर्ता नए विचारों को शामिल कर सकते हैं, दक्षता में सुधार कर सकते हैं और नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं।
- निजी क्षेत्र या शिक्षा जगत में उनके अनुभव से अधिक प्रभावी नीति कार्यान्वयन और प्रशासनिक सुधार हो सकते हैं।
- पारदर्शिता और योग्यता: जब पारदर्शी तरीके से किया जाता है, तो पार्श्व प्रवेश सुनिश्चित करता है कि योग्य व्यक्तियों का चयन केवल परीक्षा के अंकों के बजाय योग्यता के आधार पर किया जाता है। यह नौकरशाही के योग्यता आधारित सिद्धांतों को मजबूत कर सकता है।

- भर्तियों की संख्या में कमी: भारत में 24 राज्य संवर्गों में IAS अधिकारियों की लगभग 20% कमी है। (बसवान समिति)
- नियुक्तियों की संख्या इस अंतर को पाटने के लिए नगण्य है, खासकर तब जब भारत में सिविल सेवकों की कमी है।
- आरक्षण संबंधी चिंताएँ: आलोचकों को चिंता है कि पार्श्व प्रवेश अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण नीतियों को दरकिनार कर देता है।
- उन्हें डर है कि यह हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व को असंगत रूप से प्रभावित कर सकता है।
- संस्थागत स्मृति का अभाव: पारंपरिक सिविल सेवकों को नौकरशाही प्रक्रियाओं और संस्थागत स्मृति की गहरी समझ होती है।
- पार्श्व प्रवेशकों में इस संदर्भ की कमी हो सकती है, जिससे जटिल प्रशासनिक प्रणालियों को नेविगेट करने में संभावित चुनौतियाँ हो सकती हैं।
- राजनीतिक प्रभाव का जोखिम: एक जोखिम है कि पार्श्व प्रवेशकों को राजनीतिक रूप से प्रभावित किया जा सकता है या विशिष्ट एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- विशेषज्ञता और तटस्थता के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

पार्श्व प्रवेश आरक्षण को क्यों दरकिनार करता है?

- एकल-पद वर्गीकरण: जब कोई मंत्रालय पार्श्व प्रवेश के लिए किसी पद का विज्ञापन करता है, तो वह इसे एकल रिक्ति के रूप में मानता है।
- यूपीएससी के माध्यम से नियमित भर्ती के विपरीत, जहां एक कैडर के लिए कई उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, पार्श्व प्रवेश विशिष्ट भूमिकाओं को भरने पर केंद्रित है।
- परिणामस्वरूप, एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य कोटा लागू नहीं होता है।
- सकारात्मक पक्ष: समर्थकों का तर्क है कि पार्श्व प्रवेश नए दृष्टिकोण, डोमेन विशेषज्ञता और दक्षता लाता है। आखिरकार, कभी-कभी आपको नौकरशाही की करी को मसाला देने के लिए एक अनुभवी शेफ की आवश्यकता होती है।
- नकारात्मक पक्ष: आलोचकों को चिंता है कि यह दृष्टिकोण यूपीएससी परीक्षाओं में कड़ी मेहनत करने वाले योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर सकता है।
- उन्हें डर है कि इससे पारंपरिक सिविल सेवाओं से प्रतिभा का पलायन हो सकता है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

- सरकार को सबसे पहले इन-हाउस विशेषज्ञता और सरकार से बाहर काम करने वाले प्रतिनियुक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- विशेष तकनीकी उन्नयन के लिए, जहाँ कोई सिविल सेवक पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है, लेटरल एंट्री द्वारा एक अर्ध-स्थायी टीम बनाई जा सकती है।
- इन-हाउस टीमों को अपस्किल करने पर ध्यान देने के साथ सीमित लेटरल एंट्री, संवैधानिक तंत्र के सुचारू संचालन के साथ-साथ बहुत आवश्यक अनुभव और तकनीकी उन्नयन के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगी।
- लेटरल एंट्री एक विवादास्पद लेकिन आवश्यक सुधार बना हुआ है। एक कुशल और उत्तरदायी नौकरशाही के लिए परंपरा और नवाचार के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे भारत विकसित होता जा रहा है, वैसे-वैसे इसकी प्रशासनिक मशीनरी भी विकसित होनी चाहिए।

भारत में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

- स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा भारत में एक परेशान करने वाली आम घटना है।
- सांख्यिकी बढ़ती आक्रामकता के पैटर्न को दर्शाती है, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में।
- ये घटनाएँ इस कठोर वास्तविकता को उजागर करती हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में हिंसा अधिक प्रचलित है और युवा और महिला पेशेवरों को असमान रूप से प्रभावित करती है।

स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को किस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है?

- नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया में 2016 में प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार, डॉक्टरों के खिलाफ 75% हिंसा मौखिक होती है, जिसमें धमकी और डराना-धमकाना भी शामिल है।
- कार्यस्थल पर हिंसा ज़्यादातर जूनियर डॉक्टरों और रेजीडेंट्स के खिलाफ़ होती है।
- अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कम अनुभव वाली महिला चिकित्सा पेशेवरों को कार्यस्थल पर शारीरिक और मौखिक हिंसा का शिकार होने का ज़्यादा जोखिम होता है।
- हिंसा अक्सर उच्च-दांव वाली सेटिंग्स में भी होती है, जैसे कि आपातकालीन विंग और गहन देखभाल इकाइयों में।

हिंसा के कारण क्या हैं?

- 2020 में PLoS ONE में प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार, 82.2% मामलों में हिंसा के अपराधी मरीज़ के परिवार के सदस्य या रिश्तेदार होते हैं।

- अक्सर, मरीज़ या उनके रिश्तेदार हिंसा का सहारा लेते हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है।
- कुछ अपराधी मरीज़ की स्थिति को लेकर चिंता में हिंसक हो जाते हैं, जैसे कि उनकी स्थिति में वास्तविक या कथित गिरावट या गलत उपचार दिए जाने के बारे में संदेह।
- कुछ अन्य लोग उच्च भुगतान बकाया और लंबे समय तक प्रतीक्षा करने जैसे मुद्दों के कारण हिंसक हो जाते हैं। डॉक्टर इनमें से किसी के लिए भी ज़िम्मेदार नहीं हैं।

हिंसा का प्रभाव

- मनोवैज्ञानिक प्रभाव: मौखिक या शारीरिक हिंसा का शिकार होने से मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है।
- कुछ अध्ययनों में डॉक्टरों में पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, चिंता और अवसाद के लक्षणों की सूचना दी गई है, जिन्हें मरीजों या उनके रिश्तेदारों से हिंसा का सामना करना पड़ा है।
- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर प्रभाव: भारत में डॉक्टर-रोगी अनुपात विषम है, डॉक्टर अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए संसाधन-प्रचुर सेटिंग्स में काम करने का फैसला करते हैं। यह बदले में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित करता है।
- स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता का प्रभाव: हिंसा का सामना करने के बाद, डॉक्टर आपातकालीन सेवाएँ देना बंद कर देते हैं, मरीजों को जल्दी से जल्दी अधिक विशेषज्ञों के पास रेफर कर देते हैं, और लक्षणों की अधिक जाँच करते हैं और अधिक परीक्षण लिखते हैं।

स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को कानूनी सुरक्षा का वर्तमान परिदृश्य

- देश भर में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए कोई केंद्रीय कानून मौजूद नहीं था।
- 2020 तक, 19 राज्यों ने अपने क़ानून लागू किए थे, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग प्रावधान थे। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई कानून नहीं था।
- एकरूपता की कमी का मतलब है कि सुरक्षा असंगत है।
- राज्यों में, केरल और कर्नाटक अब अपने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को भारत में सबसे मज़बूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- केंद्रीय कानून बनाने में चुनौतियाँ: सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, और VAHCW मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है, इसलिए कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया है।
- जबकि समवर्ती सूची में केंद्रीय कानून बनाने की अनुमति है, केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी है, इसे राज्यों पर छोड़ दिया है।

आगे की राह

- सिस्टम को मजबूत करें: इस 'खतरे' को खत्म करने के लिए, हमें जमीनी स्तर से सिस्टम को मजबूत करने के लिए अधिक धन खर्च करना चाहिए, जैसे कि इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि को कम करना।
- ज़रूरतमंद लोगों के लिए दवाओं, परीक्षणों और वित्तीय सहायता की उपलब्धता और पहुँच उनके तनाव को बहुत कम कर देगी, बजाय इसके कि उन्हें इसके लिए अपने चिकित्सकों को ज़िम्मेदार ठहराना पड़े।
- नीति और संस्थागत उपाय: रिश्तेदारों को हथियार ले जाने से रोकने के लिए अस्पताल के प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगाना कारगर है, लेकिन उन्हें निजी स्थानों पर लागू करना अभी आसान है, न कि सार्वजनिक सुविधाओं पर।
- यह सुनिश्चित करना कि उच्च भावनात्मक संकट के समय में रोगियों और रिश्तेदारों की मदद करने के लिए परामर्शदाता हों, रोगी की स्थिति और उपचार के बारे में किसी भी गलतफहमी को दूर कर सकता है।
- इसके अलावा, एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली और रोगी के बिस्तर के पास कुछ रिश्तेदारों से ज़्यादा लोगों को न आने देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
- पश्चिम बंगाल की घटना के बाद, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अधिनियम बनाने के लिए संसद में पेश किए गए 2019 के विधेयक की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगी।
- जब तक कोई केंद्रीय कानून वास्तविकता नहीं बन जाता, तब तक ये राज्य-स्तरीय सुधार उन लोगों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो दूसरों की देखभाल के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं।

संशोधित मॉडल फ़ॉस्टर केयर दिशा-निर्देश

पाठ्यक्रम: GS2/गवर्नेंस

संदर्भ

- महिला और बाल विकास (WCD) मंत्रालय ने संशोधित मॉडल फ़ॉस्टर केयर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

संशोधित दिशा-निर्देश

- इसने भारत में पालन-पोषण देखभाल के दायरे को व्यापक बनाया है, जिसमें एकल व्यक्तियों को - चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो - बच्चों को पालने की अनुमति दी गई है, जिसमें दो साल बाद गोद लेने का विकल्प भी शामिल है।
- यह परिवर्तन पिछले विनियमों से एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है, जो पालन-पोषण देखभाल को विवाहित जोड़ों तक सीमित करता था।
- 25 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति अब अपनी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना बच्चों को पाल सकते हैं।

- इसमें वे लोग शामिल हैं जो अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हो चुके हैं।
- एकल महिलाएँ किसी भी लिंग के बच्चों को पाल सकती हैं और गोद ले सकती हैं, जबकि एकल पुरुषों को केवल पुरुष बच्चों को पालने और गोद लेने तक ही सीमित रखा गया है।
- विवाहित जोड़ों के लिए, अब बच्चे को पालने से पहले कम से कम दो साल का स्थिर वैवाहिक संबंध होना आवश्यक है

पालक देखभाल

- पालन-पोषण देखभाल में बच्चे को अस्थायी रूप से विस्तारित परिवार के सदस्यों या असंबंधित व्यक्तियों के साथ रखना शामिल है।
- भारत में पालन-पोषण देखभाल के लिए पात्र बच्चे आमतौर पर छह वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं, जो बाल देखभाल संस्थानों में रहते हैं और जिनके पास उपयुक्त अभिभावक नहीं होते हैं।

डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया

पाठ्यक्रम: GS2/ राजनीति और शासन

संदर्भ

- सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए वरिष्ठ चिकित्सा पेशेवरों का एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) गठित किया।

राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) के बारे में

- NTF को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें लिंग आधारित हिंसा को रोकने और इंटर्न, रेजिडेंट डॉक्टरों और गैर-निवासी डॉक्टरों के लिए सम्मानजनक कार्य स्थिति बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- कार्य योजना कई प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करेगी, जिनमें शामिल हैं:
- आपातकालीन कक्षों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाना;
- चिकित्सा कर्मचारियों के लिए शौचालय और लिंग-तटस्थ स्थान प्रदान करना;
- बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान प्रणाली शुरू करना, प्रकाश व्यवस्था में सुधार करना और सभी अस्पताल क्षेत्रों में CCTV लगाना।
- संस्थागत सुरक्षा उपायों का त्रैमासिक ऑडिट करना;
- यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम को चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर लागू करना, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन सुनिश्चित करना।

स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ

- कार्यभार और बर्नआउट: उच्च रोगी-से-कर्मचारी अनुपात के परिणामस्वरूप कार्यभार बहुत अधिक हो जाता है। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को लंबे समय तक काम करने, उच्च तनाव और आराम करने के लिए अपर्याप्त समय के कारण बर्नआउट का अनुभव होता है।
- हिंसा और दुर्व्यवहार: स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा के मामले, जिसमें मौखिक दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले शामिल हैं, कई मामलों में रिपोर्ट किए गए हैं।
- अपर्याप्त मुआवजा: स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मियों का वेतन, जीवन यापन की लागत और नौकरी की माँगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
- बुनियादी ढाँचे के मुद्दे: स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में खराब बुनियादी ढाँचा जैसे उचित स्वच्छता की कमी, अविश्वसनीय बिजली और अपर्याप्त चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन रोगी देखभाल और कार्यकर्ता सुरक्षा से समझौता करते हैं।
- स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम: स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसमें संक्रामक रोगों के संपर्क में आना भी शामिल है, विशेष रूप से कम संसाधनों वाली जगहों पर जहाँ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) और संक्रमण नियंत्रण उपाय अपर्याप्त हैं।

स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को कानूनी सुरक्षा का वर्तमान परिदृश्य

- वर्तमान में देश भर में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए कोई केंद्रीय कानून मौजूद नहीं है।
- 2020 तक, 19 राज्यों ने अपने क़ानून लागू किए थे, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग प्रावधान थे। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई कानून नहीं था।
- एकरूपता की कमी का मतलब है कि सुरक्षा असंगत है।
- राज्यों में, केरल और कर्नाटक अपने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को भारत में सबसे मज़बूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

केंद्रीय कानून बनाने में चुनौतियाँ

- कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है, और VAHCW मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है।
- जबकि समवर्ती सूची केंद्रीय कानून की अनुमति देती है, केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी है, इसे राज्यों के प्रबंधन के लिए छोड़ दिया है।

आगे की राह

- घटना रिपोर्टिंग: हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करें जो रिपोर्ट करने वालों के लिए गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- कार्यस्थल सुरक्षा नीतियाँ: स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकने और उसका जवाब देने के लिए व्यापक कार्यस्थल सुरक्षा नीतियाँ और प्रक्रियाएँ विकसित करें और उन्हें लागू करें।

भारत AI मिशन और ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU)

पाठ्यक्रम: GS2/सरकारी नीति; GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- हाल ही में, भारत ने अपने महत्वाकांक्षी IndiaAI मिशन के हिस्से के रूप में 1,000 ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) खरीदने और भारतीय स्टार्ट-अप, शोधकर्ताओं, सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों और सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थाओं को कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करने के लिए एक निविदा दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया है।

IndiaAI मिशन के बारे में

- यह 'भारत में AI बनाने' के दृष्टिकोण पर आधारित है और यह सुनिश्चित करता है कि AI वास्तव में भारत के लिए काम करे। AI की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में AI विकास, अनुसंधान और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए हैं।

मुख्य घटक

- कंप्यूट क्षमता: इंडियाएआई मिशन के केंद्र में अत्याधुनिक कंप्यूट क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य निहित है। इसमें रणनीतिक सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से 10,000 से अधिक ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) तैनात करना शामिल है।
- शक्तिशाली कंप्यूट संसाधनों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाकर, मिशन का उद्देश्य 'AI विभाजन' को पाटना और स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाना है।

ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU)

- ये विशेष चिप्स या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जिन्हें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ग्राफ़िक्स और विज़ुअल सामग्री प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उत्पत्ति और उद्देश्य

- शुरुआत में, GPU को जटिल 3D दृश्यों और वस्तुओं को संभालने के लिए बनाया गया था, जैसे कि वीडियो गेम और कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर में पाए जाने वाले।

1. उनकी समानांतर प्रसंस्करण वास्तुकला ने उन्हें बड़ी मात्रा में ग्राफ़िकल डेटा को कुशलतापूर्वक क्रंच करने की अनुमति दी।

- समय के साथ, GPU वीडियो स्ट्रीम डीकंप्रेसन और वैज्ञानिक सिमुलेशन सहित अतिरिक्त कार्यों को संभालने के लिए विकसित हुए।

समानांतर प्रसंस्करण शक्ति

- सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) के विपरीत, जो अधिकांश कंप्यूटरों के 'दिमाग' के रूप में कार्य करता है, जीपीयू समानांतर प्रसंस्करण में उत्कृष्ट है। वे एक साथ कई गणनाएँ कर सकते हैं, जिससे वे उन कार्यों के लिए आदर्श बन जाते हैं जिनमें बड़े डेटा सेट या दोहराव वाली गणनाएँ शामिल होती हैं।
- यह समानांतरता मशीन लर्निंग जैसे अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है, जहाँ तंत्रिका नेटवर्क को व्यापक मैट्रिक्स संचालन की आवश्यकता होती है।

AI और मशीन लर्निंग

- हाल ही में एआई बूम ने जीपीयू को सुर्खियों में ला दिया है। शोधकर्ताओं और डेटा वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि जीपीयू डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण को गति दे सकता है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि तंत्रिका नेटवर्क के प्रशिक्षण में मैट्रिक्स गुणन शामिल है, जीपीयू इन मैट्रिक्स संचालन को समानांतर रूप से संभालने में असाधारण रूप से अच्छे हैं।
- परिणामस्वरूप, जीपीयू एआई सफलताओं के पीछे कार्यकर्ता बन गए हैं, जो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण से लेकर कंप्यूटर विज़न तक सब कुछ शक्ति प्रदान करते हैं।

नवाचार और अनुप्रयोग विकास

- एआई मिशन स्वदेशी बड़े मल्टीमॉडल मॉडल (LMM) और डोमेन-विशिष्ट आधारभूत मॉडल विकसित करने और उन्हें लागू करने पर केंद्रित नवाचार केंद्र स्थापित करता है।
- ये मॉडल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और स्मार्ट शहरों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुप्रयोग पाएंगे।
- AI-संचालित समाधानों की कल्पना करें जो फसल की उपज की भविष्यवाणी में सुधार करते हैं, चिकित्सा निदान को बढ़ाते हैं, या हमारे शहरों में यातायात प्रबंधन को अनुकूलित करते हैं।

डेटा प्लेटफ़ॉर्म

- IndiaAI डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म AI नवाचार के लिए गुणवत्ता वाले गैर-व्यक्तिगत डेटासेट तक पहुँच को सुव्यवस्थित करता है।
- शोधकर्ता और स्टार्टअप एकीकृत डेटा प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जिससे प्रयोग करना, मॉडल को प्रशिक्षित करना और प्रभावशाली AI एप्लिकेशन बनाना आसान हो जाता है।

FutureSkills

- IndiaAI FutureSkills का उद्देश्य AI कार्यक्रमों में प्रवेश की बाधाओं को कम करना है। यह स्नातक, परास्नातक और पीएचडी स्तरों पर AI पाठ्यक्रमों की उपलब्धता बढ़ाएगा।
- एक कुशल कार्यबल का पोषण करके, मिशन यह सुनिश्चित करता है कि भारत वैश्विक AI परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बना रहे।

सुरक्षित और विश्वसनीय AI

- जिम्मेदार AI विकास महत्वपूर्ण है। मिशन सुरक्षित, नैतिक और पारदर्शी AI के लिए उपकरण और अभ्यास बनाने पर जोर देता है।
- जैसे-जैसे AI सिस्टम अधिक व्यापक होते जा रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

वैश्विक संदर्भ

- अन्य देशों ने भी AI के महत्व को पहचाना है। यूरोपीय संघ (EU) ने हाल ही में AI अधिनियम पारित किया है, जो जोखिम के आधार पर AI सिस्टम को वर्गीकृत करता है और उनकी तैनाती के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
- चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच AI विकास को प्राथमिकता देते हैं।
- भारत का मिशन इसे AI नेतृत्व की वैश्विक दौड़ में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।

आगे की चुनौतियाँ

- जबकि 10,372 करोड़ रुपये का आवंटन महत्वपूर्ण है, निष्पादन और प्रभावी उपयोग महत्वपूर्ण हैं।
- नैतिक विचारों, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ नवाचार को संतुलित करना एक चुनौती बनी हुई है।
- सफलता के लिए शिक्षाविदों, उद्योग और स्टार्टअप के बीच सहयोग महत्वपूर्ण होगा।

AUKUS नई डील

पाठ्यक्रम: GS2/क्षेत्रीय समूह

संदर्भ

- ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परमाणु रहस्यों और सामग्री के आदान-प्रदान की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- यह अपनी नौसेना को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों से लैस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह तीनों देशों को त्रिपक्षीय 2021 AUKUS सुरक्षा समझौते के हिस्से के रूप में संवेदनशील यू.एस. और यू.के. परमाणु सामग्री और जानकारी के हस्तांतरण के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाध्य करता है।

प्रमुख हाइलाइट्स

- यह निर्दिष्ट करता है कि समझौता 31 दिसंबर, 2075 तक लागू रहेगा, लेकिन कोई भी पक्ष एक साल के लिखित नोटिस के साथ इससे बाहर निकल सकता है।
- उल्लंघन या समाप्ति की स्थिति में, शेष देश किसी भी आदान-प्रदान की गई जानकारी, सामग्री या उपकरण की वापसी या विनाश की मांग कर सकते हैं।
- पूर्ण, वेल्डेड पावर यूनिट में स्थानांतरित की जाने वाली सामग्री का उपयोग केवल नौसेना प्रणोदन के लिए किया जाना चाहिए।
- यह संधि अमेरिका और ब्रिटेन को सहयोग बंद करने और ऑस्ट्रेलिया द्वारा परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन करने या परमाणु उपकरण विस्फोट करने पर सामग्री वापस करने की मांग करने की भी अनुमति देती है।
- ऑस्ट्रेलिया किसी भी परमाणु सुरक्षा जोखिम के लिए जिम्मेदार होगा और परमाणु सामग्री और उपकरण से संबंधित देनदारियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन को क्षतिपूर्ति करेगा।
- संधि में एक गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ शामिल है जो अतिरिक्त राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली सैन्य कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए कोई दायित्व निर्दिष्ट नहीं करता है।

AUKUS क्या है?

- AUKUS ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय रक्षा और सुरक्षा साझेदारी है।
- इसे 2021 में इंडो-पैसिफिक में अपने सहयोगी निरोध और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया था।
- त्रिपक्षीय साझेदारी के दो स्तंभ हैं।
- स्तंभ I रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए पारंपरिक रूप से सशस्त्र परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के अधिग्रहण और विकास के इर्द-गिर्द घूमता है;
- स्तंभ 2 आठ उन्नत सैन्य क्षमता क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित है: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम प्रौद्योगिकी, नवाचार, सूचना साझाकरण, और साइबर, अंडरसी, हाइपरसोनिक और काउंटर-हाइपरसोनिक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध डोमेन।

AUKUS का गठन क्यों किया गया?

- चीन की बढ़ती उपस्थिति: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जिसमें क्षेत्रीय विवाद, सैन्य निर्माण और चीन का मुखर व्यवहार शामिल है।
- भाग लेने वाले देश क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नेविगेशन की स्वतंत्रता बनाए रखने के बारे में चिंता साझा करते हैं।
- तकनीकी सहयोग: AUKUS का उद्देश्य तकनीकी सहयोग को बढ़ाना है, विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में।
- गठबंधन को मजबूत करना: AUKUS ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सुरक्षा संबंधों को गहरा करने का प्रतिनिधित्व करता है।
- क्षेत्रीय गतिशीलता की प्रतिक्रिया: AUKUS के गठन को इंडो-पैसिफिक में क्षेत्रीय गतिशीलता और उभरती सुरक्षा चुनौतियों को बदलने की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है।
- यह क्षेत्र के देशों की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है जो साझा चिंताओं को दूर करने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए घनिष्ठ सुरक्षा साझेदारी और गठबंधन बनाने की मांग कर रहे हैं।

आगे की राह

- मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में वर्षों लगेंगे, स्तंभ I के लिए संभवतः दशकों की आवश्यकता होगी, भले ही सभी राज्य पूरी गति से आगे बढ़ रहे हों।
- इसके बावजूद, AUKUS अभी भी भाग लेने वाले देशों के लिए तत्काल वादा करता है।
- महत्वपूर्ण रूप से, यह तकनीकी नवाचार को उत्प्रेरित करने और प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने, रक्षा संबंधों को मजबूत करने और इंडो-पैसिफिक में तीन देशों की उपस्थिति को गहरा करने के लिए आवश्यक उभरती क्षमताओं के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ाने में मदद करेगा।

ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल, 2024

पाठ्यक्रम: GS2/गवर्नेंस

संदर्भ

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल, 2024 का प्रस्ताव रखा है।

के बारे में

- सरकार 30 साल पुराने केबल टीवी नेटवर्क एक्ट 1995 को बिल के साथ बदलने के लिए तैयार है।
- सरकार ने ओटीटी कंटेंट और डिजिटल न्यूज से अपने दायरे का विस्तार करके सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर्स को भी इसमें शामिल किया है।
- बिल की जरूरत: ऐसे कई उदाहरण थे जहां क्रिएटर्स ने करंट अफेयर्स पर वीडियो बनाए, जिसमें चुनाव से पहले सरकार और उसके वरिष्ठ नेताओं के बारे में कुछ सनसनीखेज दावे किए गए।
- तभी यह निर्णय लिया गया कि मुख्यधारा के प्रेस और स्वतंत्र रचनाकारों के बीच समान अवसर बनाने के लिए इन रचनाकारों के लिए भी जवाबदेही का उपाय होना चाहिए।

ऑनलाइन स्वतंत्र समाचार रचनाकारों की परिभाषा

- मसौदे के 2023 संस्करण में, विधेयक ने समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों को इस प्रकार परिभाषित किया:
- हाल ही में प्राप्त या उल्लेखनीय ऑडियो, विज़ुअल या ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रम या लाइव कार्यक्रम, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक--राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रकृति की हाल की घटनाओं के बारे में विश्लेषण शामिल है, या
- प्रसारण नेटवर्क पर प्रसारित या पुनः प्रसारित कोई भी कार्यक्रम, जहाँ ऐसे कार्यक्रमों का संदर्भ, उद्देश्य, आयात और अर्थ ऐसा दर्शाता है।
- 2024 के मसौदे में "डिजिटल समाचार प्रसारक" या "समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री का प्रकाशक" नामक एक नई श्रेणी है।
- इसे ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यवस्थित व्यवसाय, पेशेवर या वाणिज्यिक गतिविधि के हिस्से के रूप में ऑनलाइन पेपर, समाचार पोर्टल, वेबसाइट, सोशल मीडिया मध्यस्थ या अन्य समान माध्यम के माध्यम से समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रम प्रसारित करता है, लेकिन प्रतिकृति ई-पेपर को छोड़कर।
- 'व्यवस्थित गतिविधि' शब्द को किसी भी संरचित या संगठित गतिविधि के रूप में भी परिभाषित किया गया है जिसमें नियोजन, विधि, निरंतरता या दृढ़ता का तत्व शामिल है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- व्यक्तिगत निर्माता: विधेयक में विशेष रूप से डिजिटल समाचार प्रसारकों की परिभाषा में व्यक्तिगत रचनाकारों को शामिल किया गया है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में परिभाषा में व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है।
- रचनाकारों के लिए दायित्व: यदि किसी रचनाकार को डिजिटल समाचार प्रसारक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उन्हें अपने काम और अस्तित्व के बारे में MIB को 'सूचित' करना होगा।

- उन्हें अपने खर्च पर एक या एक से अधिक विषय-वस्तु मूल्यांकन समितियाँ (सी.ई.सी.) भी बनानी होंगी - और विभिन्न सामाजिक समूहों, महिलाओं, बाल कल्याण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को शामिल करके समिति को विविधतापूर्ण बनाने का प्रयास करना होगा।
- सी.ई.सी. में शामिल लोगों के नाम भी सरकार के साथ साझा करने होंगे।
- जुर्माना: जो समाचार निर्माता केंद्र सरकार को अपने सी.ई.सी. के सदस्यों के नाम, परिचय और अन्य विवरण नहीं बताते हैं, उन पर पहले उल्लंघन में 50 लाख रुपये और अगले तीन वर्षों में बाद के उल्लंघन के लिए 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- छूट: मसौदा विधेयक सरकार को "वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए खिलाड़ियों के एक अलग वर्ग या समूह को छूट देने" की अनुमति देता है।
- सोशल मीडिया कंपनियाँ: फ़ेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसी ऑनलाइन मध्यस्थ कंपनियों को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए दायित्व से छूट दी गई है, यदि:
- मध्यस्थ का कार्य संचार प्रणाली तक पहुँच प्रदान करने तक सीमित है, जिस पर तीसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी प्रसारित या अस्थायी रूप से संग्रहीत या होस्ट की जाती है;

मध्यस्थ प्रसारण शुरू नहीं करता है;

- मध्यस्थ सरकारी आदेशों के अनुपालन को छोड़कर, जानकारी का चयन या संशोधन नहीं करता है;
- मध्यस्थ इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित परिश्रम करता है और अन्य निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करता है।
- विधेयक में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए आपराधिक दायित्व प्रावधान भी हैं, यदि वे अनुपालन के लिए अपने प्लेटफ़ॉर्म पर "ओटीटी ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स से संबंधित" जानकारी प्रदान नहीं करते हैं।
- चिंताएँ: इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स के कंटेंट क्रिएटर्स पर प्रस्तावित विनियमनों ने पहले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसे विनियमित करने की सरकार की शक्तियों के बारे में चिंताएँ जताई हैं।

निष्कर्ष

- सिंगापुर में, पारंपरिक प्रसारक और ओवर द टॉप (OTT) सामग्री प्रदाता दोनों ही देश के प्रसारण कानून के अंतर्गत आते हैं।
- देश के कॉपीराइट कानून के तहत, OTT प्लेटफ़ॉर्म विनियमित होते हैं और उन्हें नियामक से लाइसेंस की आवश्यकता होती है, हालाँकि लाइसेंसधारियों के पास अन्य टेलीविज़न सेवाओं के समान दायित्व नहीं होते हैं।
- बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों ने आईटी नियम 2021 के नियम 9(1) और 9 (3) पर रोक लगा दी थी, जो समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों को आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य करता है, इसका हवाला देते हुए कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ये अदालती आदेश एक मिसाल के रूप में काम कर सकते हैं यदि डिजिटल समाचार प्रसारक प्रसारण विधेयक के प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग करते हैं, यदि इसे अपने वर्तमान स्वरूप में प्रकाशित किया जाना है।

पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में बाधाएं आ रही हैं

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

- थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एक रिपोर्ट के अनुसार, PM KUSUM योजना छह साल बाद अपने लक्ष्यों का केवल 30 प्रतिशत ही हासिल कर पाई है।

PM KUSUM योजना

- PM KUSUM का मतलब है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान।
- यह योजना 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना, उनकी आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को डी-डीज़लाइज़ करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है।

योजना के विभिन्न भाग

- घटक-A: किसान अपनी ज़मीन पर 2MW की क्षमता तक के विकेंद्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।
- इन बिजली संयंत्रों से उत्पन्न नवीकरणीय बिजली को DISCOMs द्वारा पूर्व-निर्धारित स्तरीकृत टैरिफ़ पर खरीदा जाता है।
- घटक-बी: किसान सिंचाई के लिए स्टैंड-अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा सकते हैं। सरकार स्टैंड-अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप के लिए 30% (या उत्तर पूर्वी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/द्वीपों के लिए 50%) की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करती है।
- घटक-सी: यह घटक अपने व्यक्तिगत पंप सोलराइजेशन (आईपीएस) मोड के तहत ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन और कृषि भार के फीडर लेवल सोलराइजेशन (एफएलएस) को भी सक्षम बनाता है।
- सरकार आईपीएस और एफएलएस दोनों के लिए 30% (या उत्तर पूर्वी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/द्वीपों के लिए 50%) की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान करती है।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ क्या हैं?

- रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रगति धीमी रही है, अधिकांश प्रयास घटक बी पर केंद्रित हैं, जबकि घटक ए और सी में न्यूनतम प्रगति देखी गई है।
- इस योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों के लिए सस्ती बिजली की उपलब्धता है, जो बिजली से चलने वाले पानी के पंपों से सौर जल पंपों पर जाने के प्रोत्साहन को कम करती है।
- योजना का कार्यान्वयन मॉडल: पंजाब में, योजना के कार्यान्वयन की देखरेख पंजाब अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा की जाती है, जबकि राजस्थान में प्रत्येक घटक के लिए अलग-अलग कार्यान्वयन एजेंसी है।
- एक समान दृष्टिकोण: किसानों को अक्सर अपनी ज़मीन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बड़े आकार के पंप चुनने के लिए मजबूर किया जाता है।

आगे की राह

- योजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
- पंप का आकार पूरे देश में एक समान रखने के बजाय अलग-अलग क्षेत्रों की ज़मीन के आकार और पानी की ज़रूरतों के आधार पर होना चाहिए।
- योजना की क्षमता का एहसास करने के लिए एक विकेंद्रीकृत मॉडल महत्वपूर्ण है। साथ ही किसानों को किश्तों में सौर पंपों के लिए भुगतान करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो उनके लिए इसे वित्तीय रूप से अधिक व्यवहार्य बनाएगा।
- केंद्र सरकार को राज्यों को वित्तीय सहायता बढ़ानी चाहिए, खासकर सौर मॉड्यूल की बढ़ती लागत को कवर करने के लिए।

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024

पाठ्यक्रम: GS2 / शासन

संदर्भ

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया।

के बारे में

- विधेयक तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन करता है।
- अधिनियम प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निष्कर्षण को नियंत्रित करता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार: अधिनियम खनिज तेलों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को शामिल करने के लिए परिभाषित करता है। इसमें कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं होंगे। विधेयक परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें शामिल करता है:
- कोई भी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन,
- कोल बेड मीथेन,
- शेल गैस/तेल।
- पेट्रोलियम पट्टे की शुरूआत: अधिनियम में खनन पट्टे का प्रावधान है। पट्टे में खनिज तेलों की खोज, पूर्वेक्षण, उत्पादन, व्यापार योग्य बनाना और निपटान जैसी विभिन्न गतिविधियों का प्रावधान है।
- विधेयक खनन पट्टे की जगह पेट्रोलियम पट्टे को लाता है, जिसमें भी इसी तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं। अधिनियम के तहत दिए गए मौजूदा खनन पट्टे वैध बने रहेंगे।
- केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ: अधिनियम केंद्र सरकार को कई मामलों पर नियम बनाने का अधिकार देता है।
- इनमें पट्टे देने, खनिज तेलों के संरक्षण और विकास, तेल उत्पादन के तरीके और रॉयल्टी, शुल्क और करों के संग्रह के तरीके को विनियमित करना शामिल है।
- केंद्र सरकार पेट्रोलियम पट्टों के विलय और संयोजन, उत्पादन और प्रसंस्करण सुविधाओं के बंटवारे, पर्यावरण की रक्षा और उत्सर्जन को कम करने के लिए पट्टेदारों के दायित्वों, पेट्रोलियम पट्टों के अनुदान के संबंध में विवादों को हल करने के लिए वैकल्पिक तंत्र पर भी नियम बना सकती है।

विधेयक में निम्नलिखित अपराध जोड़े गए हैं:

- वैध पट्टे के बिना खनिज तेलों से संबंधित गतिविधियाँ जैसे खोज, पूर्वेक्षण और उत्पादन करना, और
- रॉयल्टी का भुगतान न करना।
- दंड का निर्णय: केंद्र सरकार दंड के निर्णय के लिए संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को नियुक्त करेगी।
- न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ अपील पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 में निर्दिष्ट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

- 2006 अधिनियम विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत गठित विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में नामित करता है।

धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता

पाठ्यक्रम: GS2/ राजनीति और शासन

संदर्भ

- अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, पीएम मोदी ने एक समान नागरिक संहिता (UCC) का आह्वान किया, इसे मौजूदा "सांप्रदायिक नागरिक संहिता" से अलग "धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता" के रूप में तैयार किया।

समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है?

- समान नागरिक संहिता का तात्पर्य पूरे देश के लिए एक कानून के प्रावधान से है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है, उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना आदि में।
- वर्तमान में, विभिन्न प्रमुख धर्मों के सदस्यों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में गोवा को एक ऐसे भारतीय राज्य का “चमकदार उदाहरण” बताया, जिसमें एक कार्यशील समान नागरिक संहिता है।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के भाग IV में निहित अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य “नागरिकों के लिए पूरे भारत क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा”।
- संविधान का भाग IV राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को रेखांकित करता है, जो कानून की अदालत में लागू करने योग्य या न्यायोचित नहीं होते हुए भी देश के शासन के लिए मौलिक हैं।

भारत में समान नागरिक संहिता

- गोवा में समान नागरिक संहिता: यह 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है कि गोवा में सभी धर्मों के लोग विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर समान कानूनों के अधीन हैं।
- गोवा दमन और दीव प्रशासन अधिनियम 1962, जिसे 1961 में गोवा के संघ में एक क्षेत्र के रूप में शामिल होने के बाद पारित किया गया था, ने गोवा को नागरिक संहिता लागू करने की अनुमति दी।
- गुजरात, मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्यों ने यूसीसी का पालन करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन किसी ने भी इसे आधिकारिक रूप से नहीं अपनाया है।

UCC के पक्ष में तर्क

- शासन में एकरूपता: कानूनों का एक समान सेट होने से शासन और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सुव्यवस्थित होंगी, जिससे राज्य के लिए न्याय करना और अपने नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा।
- महिलाओं के अधिकार: विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रावधान हो सकते हैं, खासकर महिलाओं के खिलाफ, और एक समान संहिता अधिक समतावादी कानूनी ढांचा प्रदान करेगी।
- धर्मनिरपेक्षता: एक समान नागरिक संहिता को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जिसमें सभी नागरिकों के साथ उनकी धार्मिक संबद्धता के बावजूद समान व्यवहार किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय छवि: समान नागरिक संहिता को लागू करने से समानता, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बढ़ावा मिल सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 के मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम निर्णय सहित विभिन्न निर्णयों में समान नागरिक संहिता को लागू करने का आह्वान किया है।
- राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना: समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से विविध समुदायों के लिए एक साझा मंच की स्थापना करके भारत के एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

समान नागरिक संहिता के विरुद्ध तर्क

- मौजूदा कानूनों में बहुलता: विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि पहले से ही संहिताबद्ध नागरिक और आपराधिक कानूनों में बहुलता है, तो 'एक राष्ट्र, एक कानून' की अवधारणा को विभिन्न समुदायों के विविध व्यक्तिगत कानूनों पर कैसे लागू किया जा सकता है।
- कार्यान्वयन के साथ समस्याएँ: संहिता का कार्यान्वयन कठिन रहा है क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ विभिन्न धार्मिक समुदाय अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं।
- यह तर्क दिया गया है कि आदिवासी समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले विवाह और मृत्यु संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों से भिन्न हैं, और चिंता है कि इन प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लग सकता है।
- कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती: यह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा और जब इसे लागू किया जाएगा तो देश में बहुत अशांति पैदा हो सकती है।
- संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध: समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 तथा छठी अनुसूची में दिए गए अपने चुने हुए धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।

- अल्पसंख्यकों में भय: एक तर्क यह है कि समान नागरिक संहिता संभावित रूप से एक ऐसी संहिता लागू कर सकती है जो सभी समुदायों में हिंदू प्रथाओं से प्रभावित हो।
- भारत के विधि आयोग ने कहा कि समान नागरिक संहिता "इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है"। इसने सिफारिश की कि किसी विशेष धर्म और उसके व्यक्तिगत कानूनों के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं, पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों का अध्ययन किया जाना चाहिए और उनमें संशोधन किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- अधिकारियों को समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले समाज के विभिन्न वर्गों से परामर्श करना चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया के दौरान समावेशिता, पारदर्शिता और विविध दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान का माहौल बनाया जा सके।
- विधि आयोग ने "समुदायों के बीच समानता" के बजाय "समुदायों के भीतर समानता" प्राप्त करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

जमानत नियम है और जेल अपवाद है': सुप्रीम कोर्ट

पाठ्यक्रम: GS 2/शासन

समाचार में

- सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है," यहां तक कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) जैसे विशेष क़ानूनों के तहत अपराधों के लिए भी।

मुख्य अवलोकन

- एक बार जमानत के लिए मामला बनने के बाद, अगर कानूनी शर्तें पूरी होती हैं तो अदालतों को जमानत दे देनी चाहिए। गंभीर आरोप स्वतः ही जमानत से इनकार करने को उचित नहीं ठहराते हैं।
- योग्य मामलों में जमानत से इनकार करना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

जमानत के बारे में

- जमानत भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का एक मूलभूत पहलू है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि किसी आरोपी व्यक्ति को मुकदमे की प्रतीक्षा करते समय अनावश्यक रूप से उसकी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें जमानत मांगने का अधिकार भी शामिल है।

जमानत के प्रकार

- नियमित जमानत: आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 437 और 439 के तहत हिरासत में लिए गए आरोपी के लिए दी जाती है।
- नियमित जमानत देने में आम तौर पर निम्नलिखित का मूल्यांकन करना शामिल होता है: (ए) आरोपी के भागने का जोखिम, (बी) सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना, और (सी) गवाहों को प्रभावित करने की संभावना। अपराध की गंभीरता पर भी विचार किया जा सकता है।
- अंतरिम जमानत: नियमित या अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर निर्णय होने तक अस्थायी जमानत दी जाती है।
- अग्रिम जमानत: सीआरपीसी की धारा 438 के तहत प्रदान की गई, गैर-जमानती अपराधों के लिए गिरफ्तारी से पहले आरोपी को सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से जमानत लेने की अनुमति देती है।

निर्दोषता की धारणा:

- भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र में मूलभूत सिद्धांत यह है कि किसी आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे दोषी साबित न कर दिया जाए, जिसके कारण जांच और मुकदमे के दौरान जमानत देना एक आम बात है।
- कुछ अपराधों के लिए अपवाद: विशेष क़ानूनों जैसे कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराधों पर ज़मानत की सख़्त शर्तें लागू होती हैं।
- सीआरपीसी की धारा 436 (ज़मानती अपराध) और 437 (गैर-ज़मानती अपराध) ज़मानत को नियम और जेल को अपवाद बनाने के विधायी इरादे को दर्शाती हैं।

न्यायिक घोषणाएँ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ज़मानत नियम है और जेल अपवाद है।
- राजस्थान राज्य बनाम बालचंद के ऐतिहासिक मामले में, न्यायालय ने माना कि मूल सिद्धांत यह है कि किसी अभियुक्त को तब तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि बिल्कुल ज़रूरी न हो
- सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि लंबे समय तक परीक्षण-पूर्व हिरासत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
- न्यायालय ने त्वरित सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और ज़मानत प्रावधानों के दुरुपयोग के प्रति आगाह किया।

चुनौतियाँ

- जेलों में भीड़भाड़: विचाराधीन कैदियों की एक बड़ी संख्या जेलों में भीड़भाड़ का कारण बनती है।
- जमानत देने में न्यायाधीशों की विवेकाधीन शक्ति विसंगतियों को जन्म दे सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों के बावजूद, कभी-कभी विसंगतियाँ और मनमाने निर्णय होते हैं, जो अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करते हैं।
- कई आरोपी व्यक्तियों के पास कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुँच नहीं है, जिससे उनकी ज़मानत हासिल करने की क्षमता प्रभावित होती है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

- भारत में ज़मानत का प्रावधान न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।
- ज़मानत का प्रावधान व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को मुकदमे में उसकी उपस्थिति और समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करता है।
- कानूनी ढाँचा मजबूत दिशा-निर्देश प्रदान करता है, निरंतर सुधार और सतर्क न्यायिक निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि जमानत के अधिकार का निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाए।
- जमानत देना, विशेष रूप से गैर-जमानती अपराधों के लिए, न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है और इसे तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए, न कि जनता की भावनाओं के आधार पर।
- जमानत के लिए न्यायिक आदेश तर्कसंगत होने चाहिए और गूढ़ नहीं होने चाहिए।

स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों पर केंद्रीय कानून

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति और शासन

संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों के लिए आयोग (NCAHP) अधिनियम, 2021 के गैर-कार्यान्वयन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों के लिए आयोग (NCAHP) अधिनियम, 2021 के गैर-कार्यान्वयन को लेकर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
- यह देखा गया कि तीन साल बाद भी, संघ और राज्य अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 14 राज्यों ने अधिनियम के तहत राज्य परिषदों का गठन किया है। यह आग्रह किया गया है कि उपरोक्त राज्य परिषदें भी कार्यात्मक नहीं हैं।
- न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 12 अक्टूबर तक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

NCAHP अधिनियम के बारे में

- अधिनियम का उद्देश्य "सहयोगी और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों का विनियमन और रखरखाव" करना है, जिसमें चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान, फिजियोथेरेपी, आघात देखभाल और अन्य क्षेत्रों में शामिल हैं।
- सहबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर: यह 'सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवर' को किसी बीमारी, रोग, चोट या दुर्बलता के निदान और उपचार में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित सहयोगी, तकनीशियन या प्रौद्योगिकीविद् के रूप में परिभाषित करता है।
- ऐसे पेशेवर को इस विधेयक के तहत डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करनी चाहिए।
- डिग्री/डिप्लोमा की अवधि कम से कम 2,000 घंटे (दो से चार साल की अवधि में) होनी चाहिए।
- स्वास्थ्य सेवा पेशेवर: 'स्वास्थ्य सेवा पेशेवर' में वैज्ञानिक, चिकित्सक या कोई अन्य पेशेवर शामिल है जो निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास, उपचारात्मक या प्रचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन, सलाह, शोध, पर्यवेक्षण या प्रदान करता है।
- ऐसे पेशेवर को इस विधेयक के तहत डिग्री प्राप्त करनी चाहिए।
- डिग्री की अवधि कम से कम 3,600 घंटे (तीन से छह साल की अवधि में) होनी चाहिए।
- संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय आयोग: आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा;
- शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के लिए नीतियां और मानक तैयार करना,
- सभी पंजीकृत पेशेवरों का एक ऑनलाइन केंद्रीय रजिस्टर बनाना और बनाए रखना, शिक्षा, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, कर्मचारियों की योग्यता, परीक्षा, प्रशिक्षण, विभिन्न श्रेणियों के लिए देय अधिकतम शुल्क के बुनियादी मानक प्रदान करना, और
- अन्य के अलावा एक समान प्रवेश और निकास परीक्षा प्रदान करना।
- व्यावसायिक परिषद: आयोग संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों की प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी के लिए एक व्यावसायिक परिषद का गठन करेगा।
- राज्य परिषदें: राज्य सरकारें राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा परिषदों का गठन करेंगी। यह;
- संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और आचार संहिता को लागू करेगा,

- संबंधित राज्य रजिस्टर बनाए रखेगा,
- संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों का निरीक्षण करेगा, और
- एक समान प्रवेश और निकास परीक्षा सुनिश्चित करेगा।

SC ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित किया है

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति

संदर्भ

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 10 महिलाओं सहित 39 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता

- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 में अधिवक्ताओं के दो अलग-अलग वर्ग निर्धारित किए गए हैं: वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता।
- वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम उन अधिवक्ताओं के लिए उत्कृष्टता का प्रतीक है जिन्होंने खुद को प्रतिष्ठित किया है और कानूनी पेशे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- यह उन अधिवक्ताओं की पहचान करता है जिनकी प्रतिष्ठा और उपलब्धियाँ इस उम्मीद को सही ठहराती हैं कि वे न्याय प्रशासन के सर्वोत्तम हित में अधिवक्ता के रूप में उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
- धारा 16 में यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- उन्हें वकालतनामा दाखिल करने, जूनियर या एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के बिना अदालत में पेश होने, ड्राफ्टिंग का काम करने या मुवक्किलों से सीधे मामलों के लिए ब्रीफ स्वीकार करने से रोक दिया गया है।
- सिफ़ारिश: भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी अन्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के साथ, पदनाम के लिए किसी अधिवक्ता के नाम की लिखित रूप से सिफ़ारिश कर सकते हैं।
- नए दिशा-निर्देशों में 'वरिष्ठ अधिवक्ता' पदनाम के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
- हालाँकि, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए समिति, CJI या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा इस आयु सीमा में छूट दी जा सकती है, यदि उन्होंने किसी अधिवक्ता के नाम की सिफ़ारिश की है।
- ग्रेडिंग: पदनाम के लिए आवेदकों को 100 अंकों में से ग्रेड दिया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0

पाठ्यक्रम: जीएस2/शासन

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंजूरी दे दी है।

PMAY-U

- सभी के लिए आवास की सुविधा प्रदान करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुसरण में, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओ-एचयूए), 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) - 'सभी के लिए आवास' मिशन को लागू कर रहा है।
- मूल मिशन अवधि 2022 तक थी जिसे 2022 तक स्वीकृत घरों के पूरा होने के लिए 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के बारे में

- इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों का निर्माण करना है, साथ ही आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच समानता पर भी ध्यान केंद्रित करना है।
- यह योजना मध्यम वर्ग के साथ-साथ गरीब शहरी परिवारों को उचित मूल्य पर शहरी घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- लाभार्थी: झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विधवा, विकलांग व्यक्ति और समाज के अन्य वंचित वर्गों सहित हाशिए पर पड़े समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले, कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और झुग्गी-झोपड़ियों/चॉलों में रहने वाले लोगों को इस योजना के तहत केंद्रित सहायता मिलेगी।
- पात्रता: इसका लाभ वे परिवार उठा सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) से संबंधित हैं और जिनके पास वर्तमान में पूरे देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है।

पात्र आय मानदंड इस प्रकार हैं:

- EWS परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक है।
- LIG परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹3-6 लाख के बीच है।
- MIG परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹6-9 लाख के बीच है।

योजना के अंतर्गत कार्यक्षेत्र:

- लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC): इस कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर नए घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भूमिहीन लाभार्थियों के मामले में, भूमि अधिकार (पट्टे) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।
- भागीदारी में किफायती आवास (AHP): एएचपी के तहत, ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/शहरों/सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा विभिन्न साझेदारियों के साथ बनाए जा रहे घरों के मालिक होने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- निजी परियोजनाओं से घर खरीदने वाले लाभार्थियों को रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर दिए जाएंगे।
- नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली AHP परियोजनाओं को प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (TIG) के रूप में ₹1000 प्रति वर्गमीटर/इकाई की दर से अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा
- किफायती किराये के आवास (ARH): यह वर्टिकल कामकाजी महिलाओं/औद्योगिक श्रमिकों/शहरी प्रवासियों/बेघर/निराश्रित/छात्रों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास बनाएगा।
- ARH उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेगा जो घर नहीं खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अल्पावधि के लिए आवास की आवश्यकता है या जिनके पास घर बनाने/खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है।
- ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): पहले ₹8 लाख के ऋण पर अधिकतम 12 वर्षों की अवधि के लिए 4% तक की ब्याज सब्सिडी उन प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो ₹35 लाख तक की संपत्ति के साथ ₹25 लाख तक का ऋण ले सकते हैं।
- पात्र लाभार्थियों को अधिकतम ₹1.80 लाख की सब्सिडी मिलेगी, जिसका भुगतान पांच साल की किस्तों में किया जाएगा।

'पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत 'मॉडल सोलर विलेज'

पाठ्यक्रम:जीएस2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप; जीएस3/नवीकरणीय ऊर्जा

संदर्भ

- हाल ही में, पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 'मॉडल सोलर विलेज' के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

मॉडल सोलर विलेज के बारे में

- योजना के एक घटक, एक मॉडल सोलर विलेज का लक्ष्य देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करना है, जिसका लक्ष्य सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना है।
- इस घटक के लिए कुल ₹800 करोड़ का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसमें प्रत्येक चयनित मॉडल सोलर विलेज के लिए ₹1 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- एक आदर्श सौर गांव एक राजस्व गांव होना चाहिए जिसकी आबादी 5,000 (या विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,000) से अधिक हो।
- इन आदर्श गांवों में, परिवार अपनी छतों पर सौर पैनल लगाएंगे। ये पैनल सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदल देते हैं, जिसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था, उपकरणों और अन्य ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।

लाभ

- ऊर्जा स्वतंत्रता: अपनी खुद की बिजली पैदा करके, परिवार पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम कर देते हैं। इससे न केवल पैसे की बचत होती है, बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में भी योगदान मिलता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: सौर ऊर्जा स्वच्छ और हरित है। इसे अपनाकर, गांव अपने कार्बन पदचिह्न को कम करते हैं और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करते हैं।
- आर्थिक सशक्तीकरण: कम बिजली बिल का मतलब है परिवारों के लिए अधिक डिस्पोजेबल आय। इसके अतिरिक्त, अधिशेष ऊर्जा बिक्री एक अतिरिक्त राजस्व धारा प्रदान कर सकती है।
- यह अनुमान है कि इस योजना से विनिर्माण, रसद, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में

- इसका उद्देश्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है, जो सतत विकास और लोगों की भलाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इसका उद्देश्य सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है।
- सब्सिडी सौर पैनलों की लागत का 40% तक कवर करेगी। शेष लागत इच्छुक उपभोक्ता को वहन करनी होगी।
- केंद्र 2 किलोवाट (किलोवाट) सिस्टम स्थापित करने की लागत का 60% और 2-3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 40% वित्तपोषित करेगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 20 अफ़गान सिखों को नागरिकता मिली

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

संदर्भ

- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के तहत अफ़गानिस्तान के बीस सिखों को नागरिकता प्रदान की गई है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

- इसने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1955 में संशोधन किया, जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से छह गैर-मुस्लिम समुदायों - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई से संबंधित अनिर्दिष्ट प्रवासियों को नागरिकता की सुविधा देने के लिए दो प्रमुख परिवर्तन किए, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया।
- इसने नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने की अवधि को 11 साल के निरंतर रहने की मौजूदा आवश्यकता से घटाकर पाँच साल कर दिया।
- हालाँकि, पाकिस्तानी हिंदू वैसे भी नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और धारा 6 (1) के तहत नागरिकता के लिए पात्र थे।

CAA ने केवल आवेदन प्रक्रिया को तेज़ करने में मदद की।

- नियम, जनगणना संचालन निदेशक की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति को नागरिकता प्रदान करने का अंतिम अधिकार प्रदान करते हैं, जबकि पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए गए आवेदनों की जांच डाक विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा की जाती है।
- दस्तावेजों के सफल सत्यापन पर, डीएलसी ने आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई।

अधिनियम के साथ चुनौतियाँ

- समानता का अधिकार: सीएए को चुनौती इस आधार पर दी गई है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि "राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा"।
- धर्मनिरपेक्षता: यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि क्या नागरिकता के लिए पात्रता के लिए धर्म को आधार बनाना धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A और असम: 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद नागरिकता अधिनियम में धारा 6A पेश की गई थी, जो यह निर्धारित करती है कि असम राज्य में कौन विदेशी है और 24 मार्च, 1971 को कट ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है, जो CAA 2019 में दी गई कट ऑफ तिथि के विपरीत है।

नागरिकता

- संविधान के तहत नागरिकता संघ सूची में सूचीबद्ध है और इस प्रकार यह संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में है।
- संविधान में 'नागरिक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन नागरिकता के हकदार व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) में दिया गया है।

भारतीय नागरिकता प्राप्त करना

- नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीके बताए गए हैं:

1. जन्म से प्राप्त नागरिकता
2. वंश के माध्यम से नागरिकता
3. पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता
4. प्राकृतिककरण से नागरिकता प्राप्त होती है।
5. प्रादेशिक समावेशन (भारत सरकार द्वारा) - भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत, भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास कभी भारतीय पासपोर्ट रहा है और उसने किसी दूसरे देश का पासपोर्ट प्राप्त किया है, तो उसे तुरंत अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।

भारतीय नागरिकता की समाप्ति

- त्याग: कोई भी भारतीय नागरिक जो किसी दूसरे देश का नागरिक भी है, जो निर्धारित तरीके से घोषणा के माध्यम से अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है।
- समाप्ति: यदि कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर या स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनाता है, तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है।
- वंचित करना: कुछ मामलों में, भारतीय सरकार किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। हालाँकि, यह सभी नागरिकों पर लागू नहीं होता है।

वंचित करने की शर्तें हैं:

1. धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की।
2. नागरिकों ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई।
3. नागरिकों ने युद्ध के समय में अवैध रूप से व्यापार या संचार किया।
4. नागरिक बनने के 5 साल के भीतर, उक्त नागरिक को दो साल की अवधि के लिए कारावास की सज़ा दी जाती है।
5. नागरिक 7 साल की अवधि के लिए भारत से बाहर सामान्य रूप से निवासी रहा हो।

प्रधानमंत्री जीवन वन योजना में बदलाव

पाठ्यक्रम: GS2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित प्रधानमंत्री जीवन वन योजना को मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री जीवन वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण) योजना का उद्देश्य लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG) के तत्वावधान में एक तकनीकी निकाय, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (CHT), इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
- प्रधानमंत्री जी-वन योजना में गैर-खाद्य बायोमास फीडस्टॉक्स और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक्स पर आधारित 12 वाणिज्यिक पैमाने की दूसरी पीढ़ी (2जी) बायोएथेनॉल परियोजनाओं और 10 प्रदर्शन पैमाने की 2जी बायोएथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
- अन्य प्रमुख उद्देश्यों में किसानों के लिए लाभकारी आय, पर्यावरण प्रदूषण शमन, स्थानीय रोजगार के अवसर, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, 2070 तक नेट-जीरो जीएचजी उत्सर्जन और 2जी इथेनॉल उत्पादन आदि के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं की स्थापना करके इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) शामिल हैं।
- दो चरणों में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता:
  - चरण- I (2018-19 से 2022-23): जिसमें छह वाणिज्यिक परियोजनाओं और पांच प्रदर्शन परियोजनाओं का समर्थन किया जाएगा।
  - चरण- II (2020-21 से 2023-24): जिसमें शेष छह वाणिज्यिक परियोजनाओं और पांच प्रदर्शन परियोजनाओं का समर्थन किया जाएगा।

हाल ही में हुए बदलाव

- कार्यान्वयन विस्तार: संशोधित योजना अब अपने कार्यान्वयन की अवधि को पाँच वर्ष तक बढ़ा देती है, जो 2028-29 तक चलेगी।
- कार्यक्षेत्र विस्तार: संशोधित JI-VAN योजना ने अपने दायरे को व्यापक बनाते हुए लिग्नोसेल्यूलोसिक फीडस्टॉक्स से उत्पादित उन्नत जैव ईंधन को शामिल किया है, जिसमें कृषि और वानिकी अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट, संश्लेषण गैस (सिनगैस) और यहाँ तक कि शैवाल जैसी विभिन्न सामग्रियाँ शामिल हैं।
- मौजूदा संयंत्रों के लिए पात्रता: संशोधित योजना के तहत, 'बोल्ट-ऑन' संयंत्र (जो मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाते हैं) और 'ब्राउनफील्ड परियोजनाएँ' (मौजूदा सुविधाओं को नया रूप देना) दोनों अब भाग लेने के लिए पात्र हैं।
- यह मौजूदा खिलाड़ियों को अपने अनुभव का लाभ उठाने और अपने संचालन की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

SC और ST पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू नहीं: SC

पाठ्यक्रम: जीएस2/राजनीति

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण पर लागू नहीं होता है।
- एससी निर्णय: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 बहुमत के फैसले में फैसला सुनाया था कि राज्य सरकारों को अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर एससी सूची के भीतर समुदायों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति है, ताकि अधिक वंचित जातियों से संबंधित लोगों के उत्थान के लिए आरक्षित श्रेणी के भीतर कोटा दिया जा सके।
- एक अलग लेकिन सहमत निर्णय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि राज्यों को एससी और एसटी श्रेणियों के बीच भी 'क्रीमी लेयर' की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।
- सरकार की प्रतिक्रिया: कानून मंत्री ने लोकसभा को बताया कि 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत एससी कोटे के भीतर उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हिस्सा नहीं था।

भारत में आरक्षण

- मौजूदा निर्देशों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% की दर से आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती में, एससी के लिए निर्धारित प्रतिशत 16.66%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 25.84% है।
- संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 राज्य (यानी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

- 1992 के आदेश के बाद से, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने 50% की सीमा का उल्लंघन करने वाले कानून पारित किए हैं।
- इनमें से कई राज्यों द्वारा बनाए गए कानून या तो स्थगित कर दिए गए हैं या कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

50% नियम क्या है?

- सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से यह माना है कि नौकरियों या शिक्षा में आरक्षण कुल सीटों/पदों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- मंडल आयोग मामला: 1992 में, इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
1. जैसे कि देश के दूरदराज के इलाकों से आने वाले समुदायों को आरक्षण प्रदान करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से बाहर रखा गया है। यह भौगोलिक परीक्षण नहीं बल्कि सामाजिक परीक्षण है।
- EWS निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा जो EWS को 10% अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करता है।
- इसका मतलब है कि फिलहाल 50% की सीमा केवल गैर-ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर लागू होती है, और राज्यों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण सहित कुल 60% सीटें/पद आरक्षित करने की अनुमति है।

क्रीमी लेयर सिद्धांत

- यह एक अवधारणा है जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण उन लोगों तक बढ़ाया जाए जो एक निश्चित समूह के भीतर आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित हैं।
- इसका उद्देश्य आरक्षित श्रेणी के अधिक संपन्न या सुविधा प्राप्त सदस्यों को इन लाभों का लाभ उठाने से रोकना है।
- उत्पत्ति: इस अवधारणा को पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी मामले (1992) में व्यक्त किया था, जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है।
- न्यायालय के फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी के भीतर, जो लोग अपेक्षाकृत अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- मानदंड: "क्रीमी लेयर" का निर्धारण आय और शिक्षा के स्तर सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर किया जाता है।
- प्रभाव: क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करके, सरकार का लक्ष्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाना है, यह सुनिश्चित करना है कि जिन लोगों को सबसे अधिक ज़रूरत है उन्हें उनके लिए इच्छित सहायता मिले।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 16: यह सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है, लेकिन अपवाद के रूप में राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, जिसका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 16 (4ए): यह प्रावधान करता है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है, यदि उनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 335: यह मानता है कि सेवाओं और पदों पर एससी और एसटी के दावों पर विचार करने के लिए विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें समान स्तर पर लाया जा सके।
- भारतीय संविधान का 103वाँ संशोधन: संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करके समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई।

आरक्षण के पक्ष में तर्क

- ऐतिहासिक अन्याय: इसे कुछ समुदायों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव को दूर करने के लिए एक सुधारात्मक उपाय के रूप में देखा जाता है।
- सामाजिक समानता: इसे शिक्षा, रोज़गार और प्रतिनिधित्व के अवसर प्रदान करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और असमानताओं को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- संवैधानिक जनादेश: भारत का संविधान, अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत, राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
- सामाजिक उत्थान: आरक्षण को हाशिए पर पड़े समुदायों के सामाजिक उत्थान के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, जो उन्हें गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक बहिष्कार के चक्र से मुक्त होने के अवसर प्रदान करता है।

आरक्षण के विरुद्ध तर्क

- योग्यता: आलोचकों का तर्क है कि व्यक्तियों को उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के बजाय उनकी योग्यता, कौशल और योग्यता के आधार पर शैक्षिक और नौकरी के अवसरों के लिए चुना जाना चाहिए।
- विपरीत भेदभाव: आरक्षण नीतियों से विपरीत भेदभाव होता है, क्योंकि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के व्यक्तियों को शैक्षिक और रोजगार के अवसरों के मामले में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
- क्रीमी लेयर: "क्रीमी लेयर" की अवधारणा आरक्षित श्रेणियों के भीतर आर्थिक रूप से बेहतर व्यक्तियों को संदर्भित करती है।
- लाभ उन लोगों को लक्षित किया जाना चाहिए जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, और पात्रता निर्धारित करने के मानदंडों पर पुनर्विचार होना चाहिए।

- समाज में विभाजन: कुछ लोग तर्क देते हैं कि आरक्षण नीतियाँ लोगों को उनकी जाति या समुदाय के आधार पर वर्गीकृत करके सामाजिक विभाजन को मजबूत करती हैं।

निष्कर्ष

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रावधान स्थापित किया है कि राज्यों को सेवा के किसी विशेष संवर्ग में एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करना चाहिए और उस डेटा के आधार पर प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में निर्णय लेना चाहिए।
- सकारात्मक भेदभाव के रूप में प्रस्तुत किए जाने से समाज में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है, साथ ही गहरी सामाजिक असमानताओं को भी दूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसी प्रणालियों की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए और उन्हें फिर से डिजाइन किया जाना चाहिए।
- सबसे स्पष्ट सुधार अपेक्षाकृत धनी लाभार्थियों की संख्या को कम करना होगा।

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

संदर्भ

- केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया,

पृष्ठभूमि

- रेलवे नेटवर्क की स्थापना स्वतंत्रता से पहले लोक निर्माण विभाग की एक शाखा के रूप में की गई थी।
- जब नेटवर्क का विस्तार हुआ, तो विभिन्न रेलवे संस्थाओं के समुचित कामकाज को सक्षम करने के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 लागू किया गया।
- रेलवे को लोक निर्माण विभाग से अलग कर दिया गया और 1905 में रेलवे बोर्ड अधिनियम बनाया गया।
- रेलवे अधिनियम, 1989 को भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 को निरस्त करके अधिनियमित किया गया।
- हालांकि, रेलवे बोर्ड बिना किसी वैधानिक मंजूरी के कार्यकारी निर्णय के माध्यम से कार्य करना जारी रखता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के सभी प्रावधानों को इस विधेयक के माध्यम से रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है।
- विधेयक रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करने और निकाय के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- रेलवे बोर्ड का व्यय भारतीय रेलवे के राजस्व बजट के तहत वार्षिक बजटीय प्रावधान से पूरा किया जाता रहेगा, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है।
- विधेयक में कोई नया बोर्ड या निकाय बनाने का प्रस्ताव नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ हों।
- विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 में धारा 24A प्रस्तुत करता है। यह धारा केंद्र सरकार को थावे जंक्शन के माध्यम से सुपरफास्ट ट्रेनों के संचालन, विस्तार या मार्ग परिवर्तन को मंजूरी देने की अनुमति देती है।
- बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और नियमों से संबंधित प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं और प्रस्तावित विधेयक में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है।

महत्व

- वर्तमान विधेयक कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव करता है और इससे दो कानूनों का संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- यह विधेयक रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन करने का प्रयास करता है, ताकि उत्तर-पूर्वी रेलवे के प्रस्ताव को लागू किया जा सके, ताकि उपेक्षित थावे जंक्शन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रेन सेवाओं को बढ़ाया जा सके, जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के विभिन्न जिलों की मांग है।

पूर्वी राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाली आठ रेलवे परियोजनाएँ

पाठ्यक्रम: जीएस2/ शासन, जीएस3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,657 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली आठ नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी।
- इसने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAYU) 2.0 को भी मंजूरी दी।

रेलवे परियोजना के बारे में

- रेलवे परियोजनाएँ कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, यात्रा को आसान बनाएँगी, रसद लागत को कम करेंगी, तेल आयात को कम करेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेंगी।
- पूर्वोदय योजना के तहत पूर्वी राज्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, परियोजनाएँ ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के सात राज्यों के 14 जिलों को कवर करती हैं।
- 2030-31 तक पूरा होने की उम्मीद है, यह परियोजना रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAYU) 2.0

- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाईयू) 2.0 के तहत एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती कीमत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत कुल 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसमें कुल 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा।
- पीएमएवाई-यू के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जबकि 85.5 लाख से अधिक घरों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

PMAY-U क्या है?

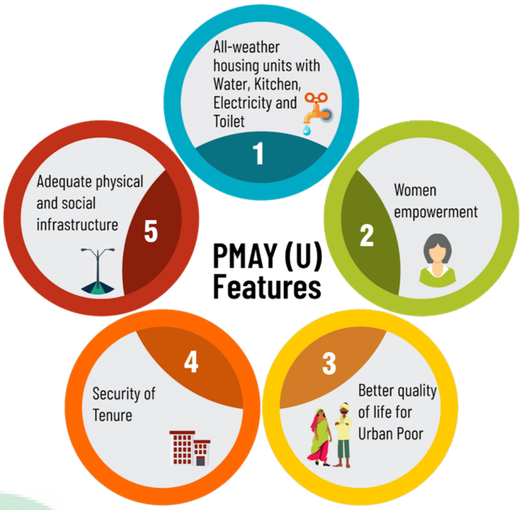

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने भारत सरकार के एक प्रमुख मिशन के रूप में 2015 में प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY--U) शुरू की।
- उद्देश्य: यह पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/निम्न आय समूह (LIG) श्रेणी के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करता है।
- योजना के घटक इस प्रकार हैं;
  - इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR)
  - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)
  - भागीदारी में किफायती आवास (AHP)
  - लाभार्थी-नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण/संवर्द्धन (BLC-N/BLC-E)
- कार्यान्वयन अवधि: यह योजना पहले 25.06.2015 से 31.03.2022 तक थी। अब इसे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) वर्टिकल को छोड़कर 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि योजना के तहत स्वीकृत सभी घरों को पूरा किया जा सके।

PMAY की स्थिति

- PMAY-U के तहत बनाए जाने वाले लगभग 83% घर शहरी भूमिहीन गरीबों के लिए नहीं हैं, बल्कि उन परिवारों के लिए हैं जिनके पास पूंजी और जमीन तक पहुँच है।
- PMAY-U के भीतर स्लम पुनर्वास योजना ने केवल 2.96 लाख घरों को मंजूरी दी है।
- पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पात्र लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से अधिक घर पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और 01.02.2024 तक 2.55 करोड़ से अधिक घर पहले ही पूरे हो चुके हैं।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति

संदर्भ

- सरकार ने संसद को बताया कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में आदिवासियों को हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के रूप में शामिल किया गया है।
- मंत्री की प्रतिक्रिया इस बात पर चल रही बहस के बीच आई है कि क्या देश के आदिवासियों या जनजातीय लोगों को हिंदू धर्म का पालन करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

- इसे भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि एससी और एसटी समान उपचार और अवसरों का आनंद ले सकें।
- भेदभाव का निषेध: अधिनियम ने सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों, रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुँच शामिल है, में जाति के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करना अवैध बना दिया।
- दंड: इसने उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए दंड निर्दिष्ट किया जो भेदभावपूर्ण व्यवहार या अधिनियम के उल्लंघन में शामिल थे। इसमें दोषी पाए जाने वालों के लिए जुर्माना और कारावास शामिल था।
- प्रवर्तन: अधिनियम ने राज्य को अपने प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया, जिसमें शिकायतों को दूर करने और कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए विशेष प्राधिकरण या अधिकारियों की स्थापना शामिल है।
- संशोधन: समय के साथ, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करने और उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया है और अन्य कानूनों द्वारा पूरक बनाया गया है।
- इनमें से सबसे उल्लेखनीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है, जो भेदभाव और हिंसा के खिलाफ प्रावधानों को और मजबूत करता है।

संसदीय सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति

संदर्भ

- लोकसभा को सत्र के निर्धारित समापन से एक बैठक पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

के बारे में

- संसद का मौजूदा सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी।
- इसी तरह, राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।
- इस सत्र के दौरान वित्त विधेयक पारित किया गया और वक्फ कानून में संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया गया और विरोध के बीच इसे संयुक्त समिति को भेज दिया गया।
- सदन की उत्पादकता 130 प्रतिशत से अधिक रही।
- मानसून सत्र में कुल बारह सरकारी विधेयक पेश किए गए और चार विधेयक पारित किए गए।
- पारित किए गए विधेयक इस प्रकार हैं: वित्त विधेयक, 2024, विनियोग विधेयक, 2024, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024; और भारतीय वायुयान विधेयक, 2024।
- संसद एक वर्ष में तीन सत्र आयोजित करती है:
  - बजट सत्र-फरवरी-मई;
  - मानसून सत्र-जुलाई-सितंबर; और
  - शीतकालीन सत्र-नवंबर-दिसंबर।

उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

पाठ्यक्रम: GS 2/राजनीति और शासन

खबरों में

- 50 विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं
- विपक्ष ने सभापति पर सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है, जो राज्यसभा के नियम 238(2) का उल्लंघन है, जो सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत आरोपों को प्रतिबंधित करता है।
- संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(B) के तहत प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67(B) राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने की अनुमति देता है, और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति व्यक्त की जाती है।
- अनुच्छेद 67(B) के तहत प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले कम से कम चौदह दिन की सूचना की आवश्यकता होती है।
- ऐतिहासिक महत्व: यदि यह प्रस्ताव सफल होता है, तो यह भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक होगा।
- वर्तमान उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक असाधारण कदम है, जो वर्तमान राजनीतिक कलह की गहराई को दर्शाता है।
- ऐतिहासिक रूप से, ऐसे प्रस्ताव दुर्लभ रहे हैं और आमतौर पर प्रधानमंत्री या अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों से संबंधित होते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव के बारे में

- यह एक संसदीय प्रस्ताव है जो दर्शाता है कि निर्वाचित सरकार को अब भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास नहीं है।
- अविश्वास प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य सत्तारूढ़ सरकार की ताकत और स्थिरता का परीक्षण करना है।
- यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि सरकार ने बहुमत का समर्थन खो दिया है और उसे इस्तीफा दे देना चाहिए।
- वे स्वतंत्रता के बाद से भारत के संसदीय इतिहास का हिस्सा रहे हैं।
- वे शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।
- प्रक्रिया: लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। चर्चा के लिए इसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

3 भूगोल

चक्रवात असना

संदर्भ

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, गुजरात के कच्छ तट और पाकिस्तान के आस-पास के इलाकों में चक्रवात असना बना है।
- अगस्त में अरब सागर में 1976 के बाद यह पहला चक्रवाती तूफान है।
- असना नाम, जिसका अर्थ है "प्रशंसित या प्रशंसित व्यक्ति", पाकिस्तान द्वारा दिया गया है।
- 1891 से 2023 के बीच, अगस्त में अरब सागर में केवल तीन चक्रवाती तूफान बने (1976, 1964 और 1944 में)।

चक्रवात क्या हैं?

- चक्रवात शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ है साँप की कुंडलियाँ। इसे हेनरी पेडिंगटन ने गढ़ा था क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित साँपों की तरह दिखाई देते हैं।
- चक्रवात कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय गड़बड़ी के कारण होते हैं, जो तेज और अक्सर विनाशकारी वायु परिसंचरण द्वारा पहचाने जाते हैं। हवा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में अंदर की ओर घूमती है।

विश्वव्यापी शब्दावली: चक्रवातों को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कई नाम दिए गए हैं:

- उन्हें चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून के रूप में जाना जाता है; कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में वेस्ट इंडियन द्वीपों में तूफान; पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के गिनी भूमि में बवंडर; उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विली और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात।

चक्रवात कैसे बनता है?

- परिस्थितियाँ: चक्रवात आमतौर पर गर्म समुद्री जल पर बनते हैं, गर्मी चक्रवात को ईंधन देने के लिए आवश्यक गर्मी और नमी प्रदान करती है।
- गर्म पानी के कारण समुद्र वाष्पित हो जाता है, जिससे गर्म, नम हवा बनती है। यह नम हवा समुद्र की सतह से ऊपर उठती है, जिससे सतह पर हवा का दबाव कम हो जाता है।
- कम दबाव प्रणाली का निर्माण: जब हवा समुद्र की सतह से ऊपर और दूर उठती है, तो यह नीचे कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है।
- यह उच्च दबाव वाले आस-पास के क्षेत्रों से हवा को कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर ले जाता है, जिससे हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है।
- चक्रवाती परिसंचरण: पृथ्वी के घूमने (कोरिओलिस प्रभाव) के कारण ऊपर उठती हवा कम दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमने लगती है। इस घूमने वाली गति से चक्रवाती परिसंचरण का विकास होता है।
- जैसे-जैसे हवा प्रणाली बढ़ती गति से घूमती है, बीच में एक आँख बनती है।
- चक्रवात का केंद्र बहुत शांत और साफ होता है और हवा का दबाव बहुत कम होता है। गर्म, बढ़ते और ठंडे वातावरण के बीच तापमान का अंतर हवा को ऊपर उठाता है और उछाल देता है।
- अपव्यय: जब चक्रवात ठंडे पानी के ऊपर से गुज़रता है, शुष्क हवा का सामना करता है, या ज़मीन से टकराता है, तो वह अंततः कमज़ोर हो जाता है और समाप्त हो जाता है, जिससे सिस्टम की गर्म, नम हवा की आपूर्ति बाधित होती है।

नामकरण

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक अंतरराष्ट्रीय समिति द्वारा नामों को बनाए रखा और अद्यतन किया जाता है।
- उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों का नाम भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका में क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्रों (RSMC) द्वारा रखा जाता है।
- प्रत्येक देश एक सूची में नामों का योगदान देता है जिसका उपयोग घूर्णन आधार पर किया जाता है।
- चक्रवातों के नामकरण का प्राथमिक कारण संचार को आसान और अधिक कुशल बनाना है।
- नाम एक ही समय में होने वाले कई तूफानों के बीच अंतर करने में मदद करते हैं और चेतावनियों को जनता के लिए अधिक समझने योग्य बनाते हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- इसकी स्थापना 1875 में हुई थी।
- यह मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
– यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन है।

भारत के मौसम पूर्वानुमान को अपग्रेड करने की आवश्यकता है

पाठ्यक्रम: GS1/ भूगोल

संदर्भ

- हाल ही में हुई चरम मौसम की घटनाओं ने देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं और उन्हें बेहतर बनाने के तरीकों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है।

भारत में मौसम की भविष्यवाणी

- भारत, वर्तमान में, मौसम की भविष्यवाणी के लिए उपग्रह डेटा और कंप्यूटर मॉडल पर निर्भर करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) उपग्रहों और सुपर कंप्यूटरों की INSAT श्रृंखला का उपयोग करता है।
- भारत में तीन उपग्रह, INSAT-3D, INSAT-3DR और INSAT-3DS का उपयोग मुख्य रूप से मौसम संबंधी अवलोकन के लिए किया जाता है।
- पूर्वानुमानकर्ता बादलों की गति, बादलों के शीर्ष तापमान और जल वाष्प सामग्री के बारे में उपग्रह डेटा का उपयोग करते हैं जो वर्षा का अनुमान लगाने, मौसम की भविष्यवाणी करने और चक्रवातों पर नज़र रखने में मदद करते हैं।

दक्षता में सुधार के लिए की गई पहल

- वर्ष 2012 में 'राष्ट्रीय मानसून मिशन' की शुरुआत की गई थी, ताकि देश को ऐसी प्रणाली की ओर ले जाया जा सके जो वास्तविक समय पर, ज़मीनी स्तर पर डेटा एकत्र करने पर अधिक निर्भर करती है।
- पूर्वानुमानों में दक्षता में सुधार के लिए आईएमडी डॉपलर रडार का भी तेजी से उपयोग कर रहा है। डॉपलर रडार की संख्या 2013 में 15 से बढ़कर 2023 में 37 हो गई है।
- डॉपलर रडार का उपयोग आस-पास के क्षेत्र में वर्षा की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, जिससे पूर्वानुमान अधिक समय पर और सटीक हो जाते हैं।
- मौसम एजेंसी अब वायुमंडलीय तापमान, दबाव आर्द्रता, हवा की गति और दिशा और समुद्र की सतह के तापमान के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए मानवयुक्त और स्वचालित मौसम स्टेशनों, विमानों, जहाजों, मौसम के गुब्बारों, समुद्री बुआ और उपग्रहों का उपयोग कर रही है।
- इसके बाद डेटा को पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के सुपर कंप्यूटर में डाला जाता है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम (WINDS) शुरू किया है, जिसके तहत 200,000 से अधिक ग्राउंड स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ताकि दीर्घकालिक, हाइपर-लोकल मौसम डेटा तैयार किया जा सके।

चुनौतियाँ

- मौसम निगरानी ग्राउंड स्टेशनों की कमी: वर्तमान में, IMD लगभग 800 स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS), 1,500 स्वचालित वर्षा गेज (ARG) और 37 डॉपलर मौसम रडार (DWR) संचालित करता है।
- यह 3,00,000 से अधिक ग्राउंड स्टेशनों (AWS/ARG) और लगभग 70 DWR की कुल आवश्यकताओं के विरुद्ध है।
- समन्वय की कमी: कई भारतीय राज्य सरकारें और निजी कंपनियाँ ग्राउंड स्टेशनों (20,000 से अधिक) का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क संचालित करती हैं, जिनमें से कई का उपयोग वर्तमान में IMD द्वारा डेटा की पहुंच और/या विश्वसनीयता की कमी के कारण नहीं किया जाता है।
- चरम मौसम की घटनाएँ: जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएँ अधिक बार होने लगी हैं। ये घटनाएँ अत्यधिक स्थानीयकृत और अनिश्चित हैं, जिससे मौजूदा मौसम सिमुलेशन मॉडल के साथ उनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो जाता है।
- पुराने पूर्वानुमान मॉडल: वर्तमान में, पूर्वानुमान में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश पूर्वानुमान सॉफ़्टवेयर वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली और मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान मॉडल पर आधारित हैं, जो दोनों ही सबसे आधुनिक नहीं हैं।
- उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौसम का पूर्वानुमान लगाना भूमध्य रेखा से दूर के क्षेत्रों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मौसम की घटनाओं में अधिक परिवर्तनशीलता होती है।
- मानसून, चक्रवात या गर्मी की लहरों जैसी बड़े पैमाने की प्रणालियों का पूर्वानुमान लगाना उनकी व्यापक प्रकृति के कारण आसान है। हालांकि बादल फटने और अचानक, अप्रत्याशित मौसमी घटनाओं जैसी स्थानीय घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन है।
- सटीकता की आवश्यकता: IMD के पास वर्तमान में 12 किमी x 12 किमी क्षेत्र में मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है। यह ग्रिड अधिकांश भारतीय शहरों से बड़ा है।
- हाइपर-लोकल पूर्वानुमानों के लिए 1 किमी x 1 किमी पूर्वानुमान की आवश्यकता है।

आगे की राह

- जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे संवेदनशील देशों में से एक भारत में उच्च स्तर की सटीकता के साथ मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।
- डेटा अंतराल को भरने के लिए एक एकीकृत प्रणाली की तत्काल आवश्यकता है। नए ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने होंगे और उपलब्ध डेटा को सहजता से साझा करना होगा।
- अधिक सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए मौसम पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (AI/ML) के अधिक एकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है।
- यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है।
- यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।

A23 'घूम रहा है'

पाठ्यक्रम: GS1/भूगोल

संदर्भ

- दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23, एक समुद्री पर्वत के ऊपर भंवर में फंस गया है।
- हिमखंड अंटार्कटिक प्रायद्वीप से लगभग 375 मील उत्तर-पूर्व में दक्षिण ऑर्कनी द्वीप समूह के पास घूम रहा है।
- A23 उन तीन हिमखंडों में से एक था जो 1986 में फिल्चनर आइस शेल्फ से टूटकर अलग हो गए थे।
- विखंडन के समय, A23 सोवियत संघ के एक शोध केंद्र का घर था और शोधकर्ताओं को अंततः इस बेस को छोड़ना पड़ा।

अंटार्कटिका

- अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे दक्षिणी और पाँचवाँ सबसे बड़ा महाद्वीप। इसका भूभाग लगभग पूरी तरह से एक विशाल बर्फ की चादर से ढका हुआ है।
- महाद्वीपीय क्षेत्र में दुनिया की लगभग 90 प्रतिशत बर्फ और 80 प्रतिशत ताजा पानी है।
- बर्फ की अलमारियां, या समुद्र पर तैरती बर्फ की चादरें, रॉस और वेडेल समुद्र के कई हिस्सों को कवर करती हैं।
- ये अलमारियां - रॉस आइस शेल्फ और फिल्चनर-रोने आइस शेल्फ - महाद्वीपीय मार्जिन के आसपास की अन्य अलमारियों के साथ मिलकर अंटार्कटिका के लगभग 45 प्रतिशत हिस्से को घेरती हैं।
- बर्फ की शेल्फ बर्फ की एक विशाल चादर होती है, जो जमीन से जुड़ी होती है, लेकिन समुद्र में फैली होती है।
- बर्फ की अलमारियां मुख्य रूप से ग्लेशियरों से विकसित होती हैं जो धीरे-धीरे समुद्र की ओर नीचे की ओर बहती हैं।
- "अपस्ट्रीम" में, बर्फ की शेल्फ जमीन पर टिकी होती है, लेकिन "डाउनस्ट्रीम" में, बर्फ की शेल्फ समुद्र में और समुद्र तल से नीचे तक फैली होती है।

माउंट किलिमंजारो

खबरों में

- रक्षा मंत्रालय के एक अभियान दल ने, जिसका नेतृत्व 'दिव्यांग' उदय कुमार ने किया, माउंट किलिमंजारो पर सबसे बड़ा भारतीय झंडा फहराकर इतिहास रच दिया।

माउंट किलिमंजारो के बारे में

- यह पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है।
- यह अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी (5,895 मीटर) का खिताब रखता है।
- यह पर्वत दुनिया का सबसे ऊँचा स्वतंत्र पर्वत भी है, जिसका अर्थ है कि यह किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है।
- किलिमंजारो तीन अलग-अलग ज्वालामुखी शंकुओं से बना है: शिरा, किबो और मावेंज़ी। किबो सबसे ऊँचा है और इसमें शिखर, उहुरू पीक स्थित है।
- यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल 'किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान' का एक हिस्सा है।

नानकाई गर्त

संदर्भ

- हाल ही में, जापान ने नानकाई गर्त, एक सबडक्शन क्षेत्र पर मजबूत झटकों और बड़ी सुनामी की अपनी पहली 'महाभूकंप सलाह' जारी की।

नानकाई गर्त के बारे में

- यह एक पानी के नीचे का सबडक्शन क्षेत्र है, जो जापान के दक्षिण-पश्चिम में यूरेशियन प्लेट के नीचे फिलीपीन सागर प्लेट (क्यूशू-पलाऊ रिज, शिकोकू बेसिन, किनान सीमाउंट चेन और इज़ु-बोनिन आर्क) की कई भूवैज्ञानिक इकाइयों के सबडक्शन द्वारा विशेषता है।
- यह टेक्टोनिक तनाव जमा करता है जो एक मेगाक्वेक का कारण बन सकता है - 8 से अधिक परिमाण वाला भूकंप।
- यह मध्य जापान में सुरुगा खाड़ी और दक्षिण में क्यूशू में ह्युगानाडा सागर के बीच स्थित है।
- नानकाई गर्त में लगभग हर 100 से 150 साल में ऐसे मेगाक्वेक उत्पन्न करने का इतिहास है। वे अक्सर जोड़े में आते हैं।
- पहले के बाद दूसरा भूकंप, अगले दो वर्षों में टूट जाता है। आखिरी 'जुड़वां' भूकंप 1944 और 1946 में हुआ था।
- जापान एक ऐसा देश है जो भूकंपों का आदी है। यह रिंग ऑफ फायर पर स्थित है और इसके परिणामस्वरूप, हर साल लगभग 1,500 भूकंप आते हैं।

विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

संदर्भ

- विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है।
- इस दिन को 1982 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की स्वदेशी आबादी की पहली बैठक के सम्मान में चुना गया था।
- यह दिन स्वदेशी लोगों की अनूठी संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के साथ-साथ वैश्विक विविधता और सतत विकास में उनके योगदान को मान्यता देता है।
- इसके अलावा, यह दिन सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों के लिए स्वदेशी लोगों के अधिकारों को बनाए रखने, उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और न्याय, समानता और सामंजस्य प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान करता है।

स्वदेशी लोगों के बारे में

- स्वदेशी लोग अनूठी संस्कृतियों और लोगों और पर्यावरण से जुड़ने के तरीकों के उत्तराधिकारी और अभ्यासी हैं।
- वे बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और वेनेजुएला में प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध दूरदराज के जंगलों में रहते हैं।
- दुनिया में 90 देशों में रहने वाले अनुमानित 476 मिलियन स्वदेशी लोग हैं। वे दुनिया की आबादी का 6 प्रतिशत से भी कम हिस्सा बनाते हैं, लेकिन सबसे गरीब लोगों में कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा उनका है।

पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल

पाठ्यक्रम: GS 1/भूगोल

समाचार में

- अमेरिका और कनाडा में जंगल की आग इतनी तीव्र हो गई है कि वे 'पाइरोक्यूमुलोनिम्बस' बादल पैदा कर रहे हैं, जो गरज के साथ बारिश कर सकते हैं और अतिरिक्त आग को प्रज्वलित कर सकते हैं।

पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल

- वे अत्यधिक गर्म जंगल की आग या ज्वालामुखी विस्फोट से बनते हैं।
- वैश्विक तापमान में वृद्धि से अधिक तीव्र और लगातार जंगल की आग लग सकती है, जिससे पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों की घटना बढ़ सकती है।
- प्रक्रिया: आग से निकलने वाली तीव्र गर्मी आस-पास की हवा को गर्म करती है, जो फिर ऊपर उठती है, फैलती है और ठंडी हो जाती है। जल वाष्प राख पर संघनित होकर पाइरोक्यूम्यलस बादल बनाती है।
- पर्याप्त जल वाष्प और तीव्र ऊपर की ओर गति के साथ, ये बादल पाइरोक्यूम्यलोनिम्बस बादलों में विकसित हो सकते हैं, जो 50,000 फीट तक पहुँच सकते हैं और अपने स्वयं के गरज के साथ तूफान पैदा कर सकते हैं।
- प्रभाव: वे बिजली पैदा कर सकते हैं, वे बहुत अधिक वर्षा नहीं करते हैं।
- वे मुख्य आग से दूर नई जंगली आग को भड़का सकते हैं और तेज़ हवाओं को ट्रिगर कर सकते हैं जो आग को तेज़ी से फैलाती हैं।
- डेटा: 2023 से पहले, प्रति वर्ष दुनिया भर में लगभग 102 पाइरोक्यूम्यलोनिम्बस बादल दर्ज किए गए थे, जिनमें से 50 कनाडा में थे।
- 2023 में, अकेले कनाडा में 140 पाइरोक्यूम्यलोनिम्बस बादल दर्ज किए गए थे।

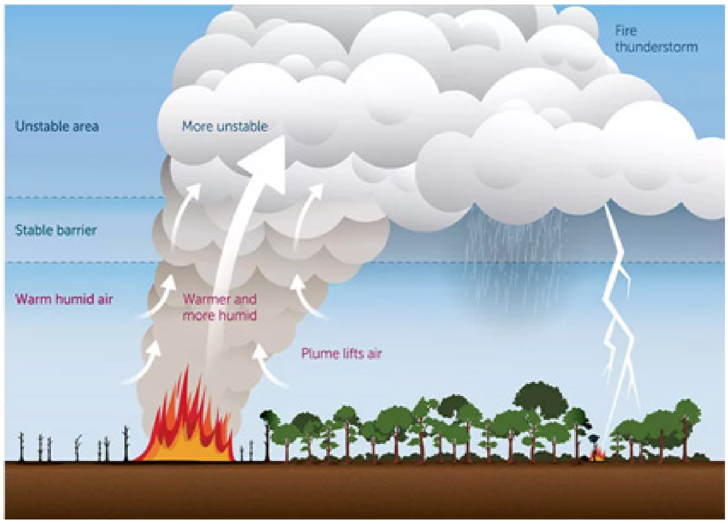

उड़ती नदियाँ

पाठ्यक्रम: GS1/भूगोल

संदर्भ

- हिंद महासागर के गर्म होने से उड़ती या वायुमंडलीय नदियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो भारत में विनाशकारी बाढ़ का कारण बन रही हैं।

के बारे में

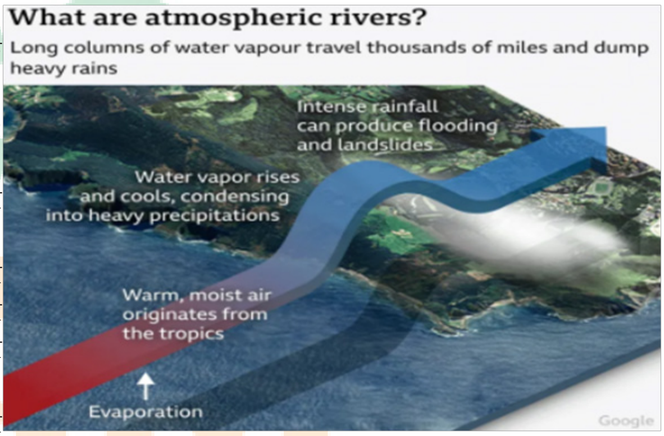

- उड़ती नदियाँ वे तूफान हैं जो जल वाष्प के विशाल, अदृश्य रिबन के रूप में यात्रा करते हैं और भारी बारिश करते हैं।
- एक औसत वायुमंडलीय नदी लगभग 2,000 किमी लंबी, 500 किमी चौड़ी और लगभग 3 किमी गहरी होती है।
- ये "आसमान में बहने वाली नदियाँ" पृथ्वी के मध्य अक्षांशों में बहने वाले कुल जल वाष्प का लगभग 90% ले जाती हैं।
- जल वाष्प वायुमंडल के निचले हिस्से में एक बैंड या स्तंभ बनाता है जो उष्णकटिबंधीय से ठंडे अक्षांशों की ओर बढ़ता है और बारिश या बर्फ के रूप में नीचे आता है, जो बाढ़ या घातक हिमस्खलन का कारण बनने के लिए पर्याप्त विनाशकारी होता है।
- जैसे-जैसे पृथ्वी तेजी से गर्म होती जा रही है, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वायुमंडलीय नदियाँ लंबी, चौड़ी और अधिक तीव्र हो गई हैं, जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग बाढ़ के खतरे में हैं।

ला नीना

पाठ्यक्रम: GS1/ भूगोल

संदर्भ

- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने प्रशांत महासागर में 'ला नीना' मौसम की स्थिति की संभावना के लिए दृष्टिकोण को संशोधित किया है।
- ला नीना का विकास सितंबर से जनवरी (50-70%) में अधिक होने की संभावना है, जबकि नवंबर (70%) में इसके चरम पर पहुंचने की संभावना है।

ला नीना क्या है?

- ला नीना, एल नीनो के विपरीत है। ला नीना के दौरान भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान औसत से कम (SST) होता है।
- व्यापारिक हवाएँ सामान्य से अधिक तेज़ होती हैं, जो गर्म पानी को एशिया की ओर धकेलती हैं।
- प्रभाव: इससे दक्षिणी अमेरिका में शुष्क परिस्थितियाँ बनती हैं, और कनाडा में भारी वर्षा होती है। यह ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ से भी जुड़ा हुआ है।

यह भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है?

- अल नीनो वर्षों में, भारत को गर्म तापमान और कम वर्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है।
- इससे कृषि, जल संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं।
- अल नीनो घटना के कारण 2023-24 (जुलाई-जून) फसल वर्ष के लिए खाद्यान्न उत्पादन में 1.4% की कमी आई है।
- ला नीना समुद्र की सतह के तापमान को ठंडा करता है, जिससे भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा बढ़ जाती है।

4 पर्यावरण

जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

संदर्भ

- भारत के 2002 के जैविक विविधता अधिनियम में 2023 के संशोधनों ने जैव विविधता संरक्षण और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ढांचे पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की जिम्मेदारियों के बारे में बहस को जन्म दिया है।

पृष्ठभूमि

- 2022 में, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में, दुनिया भर के देशों ने जैव विविधता संरक्षण और संरक्षण को बढ़ाने के लिए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ढांचे को अपनाया।
- देशों ने 2030 तक सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों के 30 प्रतिशत की रक्षा करने, जैव विविधता और आनुवंशिक विविधता की रक्षा करने और इस ज्ञान को संभालने वाले स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के साथ पारंपरिक ज्ञान के लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए आह्वान किया।

जांच के दायरे में संशोधन

- मूल 2002 अधिनियम के तहत, जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के लिए आवेदन करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) से मंजूरी लेना आवश्यक था।
- 2023 के संशोधनों ने इस आवश्यकता को आसान बना दिया है, अब आईपीआर के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं है, बल्कि मंजूरी देने से पहले उन्हें प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है - जिससे संसाधनों के अत्यधिक दोहन की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
- लाभ-साझाकरण तंत्र और सख्त नियामक निगरानी से संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान को छूट देने से भी और चिंताएं बढ़ गई हैं।
- ये परिवर्तन निष्पक्ष और न्यायसंगत लाभ-साझाकरण के सिद्धांत को कमजोर करते हैं, जो मूल अधिनियम और नागोया प्रोटोकॉल दोनों के लिए केंद्रीय है।
- आयुष चिकित्सकों और संबंधित उद्योगों को बिना पूर्व अनुमोदन के जैविक संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देकर, संशोधन पारंपरिक ज्ञान रखने वाले स्थानीय समुदायों को पर्याप्त मुआवजे के बिना वाणिज्यिक दोहन का द्वार खोलते हैं।
- अपराधों का गैर-अपराधीकरण: पहले, उल्लंघन के परिणामस्वरूप कारावास और जुर्माना हो सकता था, हालाँकि संशोधन अब कारावास की जगह नागरिक दंड का प्रावधान करते हैं।

नागोया प्रोटोकॉल

– आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे (ABS) पर नागोया प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) का एक पूरक समझौता है।
- यह CBD के तीन उद्देश्यों में से एक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी कानूनी ढाँचा प्रदान करता है: आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।
- इसे 2010 में नागोया, जापान में अपनाया गया था और 2014 में लागू हुआ।

चिंताएँ क्या हैं?

- संशोधनों से जैव-संसाधनों की खेती और व्यवसायों द्वारा संभावित हेरफेर के बारे में झूठे दावे हो सकते हैं।
- यह तर्क दिया जाता है कि कठोर निगरानी के बिना, स्थानीय संसाधनों का व्यापक दुरुपयोग और शोषण हो सकता है, जिससे जैव विविधता और इन संसाधनों पर निर्भर स्थानीय समुदायों की आजीविका दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- उत्तर पूर्व में, जहाँ औषधीय पौधों और पारिस्थितिकी प्रबंधन के बारे में पारंपरिक ज्ञान बहुत अधिक है, यह परिवर्तन मौजूदा सामाजिक--आर्थिक विषमताओं को बढ़ा सकता है और सांस्कृतिक क्षरण में योगदान दे सकता है।

निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना

- संशोधन जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की भूमिका को उनके कार्यों को स्पष्ट करके और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उनकी स्थापना को अनिवार्य बनाकर मजबूत करते हैं।
- नए प्रावधान विदेशी देशों से प्राप्त जैविक संसाधनों की निगरानी पर भी अधिक जोर देते हैं, जिससे नागोया प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

आगे की राह

- यह महत्वपूर्ण है कि नियामक परिवर्तनों को मजबूत सुरक्षा उपायों, मजबूत निगरानी और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ लागू किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास साथ-साथ चलें।
- आर्थिक विकास को संरक्षण और समान लाभ-साझाकरण के साथ संतुलित करना भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारत की समृद्ध जैविक विरासत की रक्षा करने के लिए आवश्यक होगा।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002

– यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी), 1992 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पेश किया गया था।

– यह जैविक संसाधनों तक पहुँच और इस तरह की पहुँच और उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को साझा करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह पहुँच और लाभ साझा करने पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुरूप है।

– इस अधिनियम में जैविक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने के लिए एक त्रि-स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी)।

– राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)

a. यह भारत के जैविक विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए 2003 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

b. यह जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।

c. यह राज्य सरकारों को विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के चयन तथा ऐसे विरासत स्थलों के प्रबंधन के उपायों के संबंध में भी सलाह देता है।

d. यह अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 में निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा अनुरोधों पर विचार करता है।

- राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB)

क. वे अधिनियम की धारा 22 के तहत स्थापित किए गए हैं और जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देश के अधीन राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

ख. एसबीबी भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के अनुरोधों पर अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा विनियमित भी करते हैं।

- जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC)

क. अधिनियम के अनुसार, स्थानीय निकाय जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और दस्तावेज़ीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर बीएमसी का गठन करते हैं।

भारत के पर्यावरण की स्थिति

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

संदर्भ

- हाल ही में, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) ने 2024 के लिए भारत के पर्यावरण की स्थिति के आंकड़े जारी किए।

2023 और 2024 में भारत के जलवायु रुझानों के बारे में

- दूसरा सबसे गर्म वर्ष: भारत ने 2023 में रिकॉर्ड पर अपना दूसरा सबसे गर्म वर्ष अनुभव किया।
- रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान: देश भर में कम से कम 102 मौसम केंद्रों ने 122 वर्षों में अपने मासिक उच्चतम 24-घंटे के अधिकतम तापमान को तोड़ दिया।
- इनमें से दस स्टेशन दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में थे।
- रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान वाले 27 मौसम केंद्र आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में थे।
- देश ने 2023 के दौरान 122 वर्षों में अपना सबसे गर्म न्यूनतम तापमान दर्ज किया।
- न्यूनतम तापमान: अक्टूबर को छोड़कर, अन्य पाँच महीनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा।
- जुलाई में 0.57 डिग्री सेल्सियस से दिसंबर में 1.71 डिग्री सेल्सियस तक विसंगतियां बढ़ गई।
- दिसंबर में 122 वर्षों में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान विसंगति देखी गई (सामान्य से 1.71 डिग्री सेल्सियस अधिक)।
- लगातार गर्मी: दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में औसत न्यूनतम तापमान सभी चार महीनों के दौरान सामान्य से ऊपर रहा।
- इस क्षेत्र ने लगातार 122 वर्षों में अपना दूसरा सबसे अधिक न्यूनतम तापमान अनुभव किया।
- न्यूनतम तापमान के लिए नया सामान्य: यह प्रवृत्ति न्यूनतम तापमान के लिए एक नए सामान्य का संकेत देती है, जो गर्म रातों का संकेत देती है।
- दिल्ली और अन्य राज्यों से दर्ज किए गए अधिकतम तापमान और रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान में वृद्धि चिंताजनक है।
- न्यूनतम तापमान के लिए चल रही प्रवृत्ति गर्म रातों की ओर बदलाव को उजागर करती है।

वैश्विक मृदा भागीदारी (GSP)

पाठ्यक्रम: जीएस3/पर्यावरण

संदर्भ

- खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा आयोजित अपनी 12वीं पूर्ण सभा में वैश्विक मृदा भागीदारी (जीएसपी) ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।

के बारे में

- वैश्विक मृदा भागीदारी (GSP) की स्थापना 2012 में संधारणीय मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- यह मृदा संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाता है।
- जीएसपी का लक्ष्य 1982 के विश्व मृदा चार्टर के प्रावधानों को लागू करना और 2030 तक दुनिया की कम से कम 50 प्रतिशत मृदाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखना है।

भागीदारी की उपलब्धियों में शामिल हैं:

- मृदा संबंधी विभिन्न मामलों के लिए मृदा और संबंधित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर एक अंतर-सरकारी तकनीकी पैनल की स्थापना;
- संयुक्त राष्ट्र विश्व मृदा दिवस (5 दिसंबर) और मृदा वर्ष 2015 के लिए प्रस्ताव और वार्षिक उत्सव;
- विश्व मृदा संसाधन 2015 की स्थिति पर रिपोर्ट का उत्पादन।

नए रामसर स्थल: नागी और नकटी वेटलैंड्स

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

संदर्भ

- हाल ही में, बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स के रूप में मान्यता दी गई है।

नागी और नकटी वेटलैंड्स के बारे में

- ये मानव निर्मित वेटलैंड्स बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं, जो झाझा वन रेंज में बसे हैं।
- इनको 1984 में कई प्रवासी प्रजातियों के लिए शीतकालीन आवास के रूप में उनके महत्व के लिए पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था।
- सर्दियों के महीनों में यहाँ 20,000 से अधिक पक्षी एकत्रित होते हैं, जिनमें से एक इंडो-गंगा के मैदान पर लाल-क्रेस्टेड पोचर्ड (नेट्टा रूफिना) का सबसे बड़ा समूह शामिल है।
- नागी पक्षी अभयारण्य इंडो-गंगा के मैदान पर बार-हेडेड गीज़ (एंसर इंडिकस) के सबसे बड़े समूहों में से एक की मेजबानी करता है।
- आर्द्रभूमि और उनके किनारे 75 से अधिक पक्षी प्रजातियों, 33 मछलियों और 12 जलीय पौधों के लिए आवास प्रदान करते हैं, और वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का समर्थन करते हैं, जिनमें लुप्तप्राय भारतीय हाथी (एलिफस मैक्सिमस इंडिकस) और एक कमजोर देशी कैटफ़िश (वालगो अट्टू) शामिल हैं।

रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता

- रामसर कन्वेंशन (ईरानी शहर रामसर में 1971 में अपनाया गया) आर्द्रभूमि के संरक्षण के उद्देश्य से एक अंतराष्ट्रीय संधि है।
- यह भारत सहित अपने 172 सदस्य देशों में आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। - वर्तमान में, ऐसे स्थलों की सबसे अधिक संख्या यूके (175) में है, उसके बाद मैक्सिको (144) का स्थान है।

a. यह ऐसे 'रामसर स्थलों' की संख्या के मामले में भारत को चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखता है।

ख. नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को शामिल करने के साथ, भारत में ऐसे आद्रभूमियों की कुल संख्या बढ़कर 82 हो गई है।

क्या आप जानते हैं?

- ये आर्द्रभूमि मूल रूप से नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित की गई थी, और तब से यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के लिए एक समृद्ध आवास में बदल गई है।
- नागी पक्षी अभयारण्य नागी नदी पर बांध बनाने के बाद बनाया गया था, जिससे धीरे-धीरे साफ पानी और जलीय वनस्पति वाले जल निकायों का निर्माण संभव हुआ।

'एंथ्रोपोसीन की हवा' पहल

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

संदर्भ

- हाल ही में, शोधकर्ताओं और कलाकारों ने भारत में अदृश्य वायु प्रदूषण को दृश्यमान बनाने के लिए तथाकथित 'प्रकाश से पेंटिंग' अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के लिए हाथ मिलाया, जिसमें आबादी के लिए उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों को प्रदर्शित किया गया।

'एंथ्रोपोसीन की हवा' पहल के बारे में

- कलाकार रॉबिन प्राइस और बर्मिंघम विश्वविद्यालय के एक पर्यावरण वैज्ञानिक द्वारा फोटोग्राफी के माध्यम से दुनिया भर में वायु प्रदूषण के स्तर का दस्तावेजीकरण करने के लिए बनाया गया।
- यह अदृश्य को दृश्यमान बनाने के लिए 'लाइट पेंटिंग' नामक एक अनूठी विधि का उपयोग करता है।
- डिजिटल लाइट पेंटिंग तकनीक और कम लागत वाले वायु प्रदूषण सेंसर का उपयोग करके, शोधकर्ताओं और कलाकारों ने प्रदूषण के स्तर के फोटोग्राफिक साक्ष्य तैयार करने के लिए सहयोग किया है।
- यह तीन देशों - भारत, इथियोपिया और यूके के शहरों में प्रदूषण के स्तर को कैप्चर करने में सफल रहा है।
- पीएम 10 और पीएम 2.5 सहित पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), परियोजना का एक प्रमुख फोकस है, जिसमें सेंसर का उपयोग करके वास्तविक समय में पीएम सांद्रता को मापा जाता है और एक चलती एलईडी सरणी के माध्यम से देखा जाता है।

IUCN प्रमुख ने उच्च समुद्र जैव विविधता संधि के लिए प्रयास करने का आग्रह किया

पाठ्यक्रम: जीएस 3/पर्यावरण

संदर्भ में

- प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) के महानिदेशक ने विश्व महासागर दिवस 2024 (8 जून) पर दुनिया भर के देशों से "पूरी तरह कार्यात्मक उच्च समुद्र जैव विविधता संधि के लिए प्रयास करने" का आग्रह किया।

क्या आप जानते हैं?

– अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उच्च समुद्र को महासागर के उन सभी भागों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र या किसी देश के आंतरिक जल या किसी द्वीपसमूह देश के द्वीपसमूह जल में शामिल नहीं हैं।

- इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि उच्च समुद्र और संबंधित संसाधन किसी भी देश के सीधे स्वामित्व या विनियमन के अधीन नहीं हैं।

संधि के बारे में

- जून 2023 में, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र समझौता या BBNJ समझौता, जिसे उच्च समुद्र संधि के रूप में भी जाना जाता है, को औपचारिक रूप से सरकारों द्वारा अपनाया गया था।
- यह 1994 में लागू हुए समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए एक अद्यतन रूपरेखा प्रदान करता है।
- यह एक वित्तपोषण तंत्र स्थापित करता है और पार्टियों के सम्मेलन और विभिन्न सहायक निकायों सहित संस्थागत व्यवस्था स्थापित करता है।
- सदस्य: गठबंधन के अनुसार, भारत के पड़ोसी नेपाल और बांग्लादेश सहित 90 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत ने न तो संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसकी पुष्टि की है।
- हालाँकि, केवल सात देशों - बेलीज़, चिली, मॉरीशस, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, मोनाको, पलाऊ और सेशेल्स - ने संधि की पुष्टि की है।

यह संधि चार मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है:

- समुद्री आनुवंशिक संसाधन, जिसमें लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा शामिल है;
- समुद्री संरक्षित क्षेत्रों सहित क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण जैसे उपाय;
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन; और
- क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- कार्यान्वयन की स्थिति: यह 20 सितंबर 2023 से 20 सितंबर 2025 तक सभी राज्यों और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठनों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुला है, और अनुसमर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति या परिग्रहण के साठवें साधन के जमा होने की तारीख के 120 दिन बाद लागू होगा।

मुख्य प्रावधान:

- क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण (ABMT): जैव विविधता हॉटस्पॉट और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) और अन्य क्षेत्र-आधारित उपायों का निर्माण।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): संभावित पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करने और उसे कम करने के लिए उच्च समुद्र में गतिविधियों के लिए अनिवार्य EIA.
- समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGR): विकासशील देशों के साथ साझा किए जाने वाले मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लाभों की क्षमता सहित MGR की पहुँच, साझाकरण और लाभ-साझाकरण के लिए नियम स्थापित करना।
- क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: विकासशील देशों को उच्च समुद्र संरक्षण में भाग लेने और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँचने के लिए उनकी क्षमता के निर्माण में सहायता करने के प्रावधान।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- कार्यान्वयन: संधि के प्रावधानों को ज़मीन पर प्रभावी कार्रवाई में बदलना एक बड़ी चुनौती होगी। यह संधि 20 से अधिक वर्षों की लंबी बातचीत का परिणाम है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, आनुवंशिक संसाधनों से लाभ साझा करना और संरक्षण गतिविधियों के लिए धन जुटाना सहित सभी प्रमुख विवादास्पद प्रावधानों का विवरण अभी भी तैयार किया जाना है।
- अनुपालन: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि सभी देश संधि के नियमों और विनियमों का पालन करें।
- वित्तपोषण: क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुरक्षित करना विकासशील देशों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।
- कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, जिनमें संरक्षित क्षेत्रों की निगरानी के लिए तंत्र, उन परियोजनाओं का भाग्य जो अत्यधिक प्रदूषणकारी मानी जाती हैं, और विवादों का समाधान शामिल हैं।

महत्व

- वैश्विक शासन: अंतर्राष्ट्रीय महासागर शासन में एक बड़ी कमी को पूरा करता है।
- जैव विविधता संरक्षण: ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण विशाल क्षेत्रों में समुद्री जीवन की रक्षा करता है।
- सतत विकास: आर्थिक हितों के साथ संरक्षण को संतुलित करते हुए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है।
- समानता: समुद्री संसाधनों तक पहुँच और लाभ-साझाकरण के बारे में विकासशील देशों की चिंताओं को संबोधित करता है।

भारत के लिए उच्च समुद्र संधि क्यों महत्वपूर्ण है?

- समुद्री जैव विविधता: भारत की तटरेखा लंबी है और खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए समुद्री संसाधनों पर निर्भर है। यह संधि उच्च समुद्र की जैव विविधता की रक्षा करने में मदद करती है, जो भारत के अपने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई है।
- नीली अर्थव्यवस्था: यह संधि उभरती हुई नीली अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी को सुगम बना सकती है, जिसमें गहरे समुद्र में खनन और जैव-पूर्वेक्षण जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- वैश्विक नेतृत्व: भारत संधि के कार्यान्वयन को आकार देने और संधारणीय महासागर शासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

- संधि में समन्वयकारी भूमिका निभाकर और मौजूदा कानूनी साधनों और ढाँचों तथा प्रासंगिक वैश्विक, क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय निकायों के बीच सहयोग को मजबूत, बढ़ाने और बढ़ावा देकर समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग में योगदान करने की क्षमता है।
- इससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रदान करने की इसकी क्षमता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- इसलिए सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को इस संधि को लागू करने के लिए अनुसमर्थन प्रक्रिया में समर्थन दिया जाना चाहिए, जिससे ग्रह की सतह का लगभग आधा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से बेहतर विनियमन में आ सके।
- अस्थिर मत्स्य पालन प्रथाओं और सब्सिडी पर वैश्विक समझौते के लिए अनुसमर्थन करने वाले देशों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, ताकि दुनिया के मछली भंडार का अत्यधिक दोहन न हो।

UNCLOS (समुद्र के कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) के बारे में

- UNCLOS, जिसे 1982 में अपनाया गया था और जो 1994 से प्रभावी है, एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो महासागरों और समुद्रों में सभी गतिविधियों के लिए कानूनी रूपरेखा निर्धारित करती है। इसने 1958 की पुरानी, कम व्यापक चतुर्भुज संधि की जगह ली। भारत 1995 में UNCLOS का एक पक्ष बन गया।

मुख्य विशेषताएँ:

- समुद्री क्षेत्र: UNCLOS समुद्री क्षेत्रों को पाँच मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक में राष्ट्रीय नियंत्रण और अधिकारों की अलग-अलग डिग्री होती है:

a. आंतरिक जल: पूरी तरह से राष्ट्रीय संप्रभुता के अधीन, भूमि क्षेत्र की तरह।

b. प्रादेशिक समुद्र: आधार रेखा (तट) से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तटीय राज्यों के पास संप्रभुता है, लेकिन उन्हें विदेशी जहाजों के "निर्दोष मार्ग" की अनुमति देनी चाहिए।

c. सन्निहित क्षेत्र: आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। राज्यों के पास सीमा शुल्क, राजकोषीय, आव्रजन या स्वच्छता कानूनों के उल्लंघन को रोकने या दंडित करने के लिए सीमित नियंत्रण है।

d. अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड): आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तटीय राज्यों के पास संसाधनों (मत्स्य पालन, तेल, गैस, आदि) और कुछ आर्थिक गतिविधियों पर संप्रभु अधिकार हैं।

ई. महाद्वीपीय शेल्फ: यदि समुद्र तल भूमि क्षेत्र का प्राकृतिक विस्तार है तो 200 समुद्री मील से अधिक तक विस्तारित हो सकता है। तटीय राज्यों के पास शेल्फ के गैर-जीवित संसाधनों (खनिज, आदि) पर अधिकार हैं।

एफ. उच्च समुद्र (एबीएनजे): राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र। सभी राज्यों के लिए खुला है, लेकिन नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, मछली पकड़ने आदि की स्वतंत्रता पर यूएनसीएलओएस नियमों के अधीन है।

जंगली सूअर

पाठ्यक्रम: जीएस3/ समाचार में प्रजातियाँ

समाचार में

- केरल में जंगली सूअरों का खतरा बढ़ रहा है, जानवर फसलों को नष्ट कर रहे हैं, किसानों पर हमला कर रहे हैं और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।

जंगली सूअरों के कारण होने वाली समस्या

- यह राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है।
- 2016 से अब तक मानव-पशु संघर्ष ने 990 लोगों की जान ले ली है और 7,500 लोगों को घायल किया है। राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

जंगली सूअरों के बारे में

- वैज्ञानिक नाम: एस. स्क्रोफा
- यह अब तक सभी सूअरों में सबसे बड़ा है।
- इसे कभी-कभी यूरोपीय जंगली सूअर भी कहा जाता है।
- जानवर तेज़, निशाचर और सर्वाहारी होते हैं और अच्छे तैराक होते हैं।
- उनके पास तीखे दाँत होते हैं और, हालाँकि वे आम तौर पर आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन वे खतरनाक हो सकते हैं।
- निवास और वितरण: यह अर्ध-रेगिस्तान से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, समशीतोष्ण वुडलैंड्स, घास के मैदानों और ईख के जंगलों तक समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय आवासों की एक विस्तृत विविधता में रहता है; अक्सर चारागाह के लिए कृषि भूमि पर जाता है। यह विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जाता है।
- यह जंगली सूअरों में सबसे बड़ा है और पश्चिमी और उत्तरी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से लेकर भारत, अंडमान द्वीप समूह और चीन तक के जंगलों में पाया जाता है।
- IUCN स्थिति: कम से कम चिंताजनक।

आगे की राह

- वन्यजीवों को मानव आवासों के पास जाने से रोकने के लिए खाई बनाने, बिजली की बाड़ लगाने और जंगलों के अंदर चारा और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे अतिरिक्त उपायों की खोज करना। केरल ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को राज्य-विशिष्ट आपदा भी घोषित किया है।

भू-संरक्षण भारत की कमी

पाठ्यक्रम: GS3/जैव विविधता और संरक्षण

संदर्भ

- भू-संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति के बावजूद भारत ने भू-संरक्षण के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया है।

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने 34 भूवैज्ञानिक स्मारकों को अधिसूचित किया है, इसमें संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए नियामक शक्तियों का अभाव है।

भू-संरक्षण क्या है?

- भू-संरक्षण भूवैज्ञानिक विशेषताओं, प्रक्रियाओं और वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक या सौंदर्य मूल्य के स्थलों को संरक्षित और संरक्षित करने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों और प्रथाओं को संदर्भित करता है।
- इसमें भूवैज्ञानिक विविधता का संरक्षण और प्रबंधन शामिल है, जिस तरह जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करना है।

भारत में भू-संरक्षण की आवश्यकता?

- समृद्ध भूवैज्ञानिक विविधता: भारत भूवैज्ञानिक रूप से विविधतापूर्ण है, जिसमें भूवैज्ञानिक संरचनाओं, परिदृश्यों और खनिज संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला है।
- इन संसाधनों की सुरक्षा करने से अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं का संरक्षण सुनिश्चित होता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और पृथ्वी के इतिहास की समझ में योगदान करते हैं।
- सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व: भारत में कई भूवैज्ञानिक स्थल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं।
- उदाहरण के लिए, शिवालिक पहाड़ियों में जीवाश्म बिस्तरों ने भारत के प्रागैतिहासिक अतीत में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। ऐसे स्थलों की सुरक्षा करने से सांस्कृतिक विरासत और भूविज्ञान से संबंधित स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने में मदद मिलती है।
- प्राकृतिक खतरों का प्रबंधन: भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसे प्राकृतिक खतरों के प्रबंधन के लिए भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और परिदृश्यों को समझना महत्वपूर्ण है।
- पर्यटन और मनोरंजन: भारत की भूवैज्ञानिक विविधता अद्वितीय परिदृश्यों, चट्टान संरचनाओं, गुफाओं और खनिज स्थलों की खोज में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है।
- पर्यावरणीय स्थिरता: भूजल और खनिज जैसे कई भूवैज्ञानिक संसाधन सतत विकास के लिए आवश्यक हैं।
- भू-संरक्षण इन संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन को बढ़ावा देता है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

भू-विरासत स्थल

- भू-विरासत स्थल शैक्षणिक स्थान हैं जहाँ लोग बहुत ज़रूरी भूवैज्ञानिक साक्षरता प्राप्त करते हैं।
- हमारे ग्रह की साझा भूवैज्ञानिक विरासत के महत्व को पहली बार 1991 में यूनेस्को द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, 'हमारी भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी' में पहचाना गया था।
- कनाडा, चीन, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे कई देशों में भू-विरासत स्थलों को राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में विकसित किया गया है।
- आज, 44 देशों में 169 वैश्विक भू-पार्क हैं। थाईलैंड और वियतनाम ने भी अपनी भूवैज्ञानिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कानून लागू किए हैं।
- हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद, भारत के पास भू-विरासत संरक्षण के लिए ऐसा कोई कानून या नीति नहीं है।
- भू-विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रयास
- 2009 में, राज्यसभा में पेश किए गए एक विधेयक के माध्यम से विरासत स्थलों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रयास किया गया था।
- हालाँकि इसे अंततः स्थायी समिति को भेजा गया था, लेकिन सरकार ने कुछ अघोषित कारणों से इस पर अपना कदम पीछे खींच लिया और विधेयक को वापस ले लिया गया।
- इस विधेयक का उद्देश्य यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन 1972 की शर्तों को लागू करने और विरासत स्थलों की एक राष्ट्रीय सूची बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना था।
- हाल ही में, 2022 में, खान मंत्रालय ने संरक्षण और रखरखाव के लिए एक मसौदा विधेयक तैयार किया है, लेकिन इस पर आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

आगे की राह

- भारत को जल्द से जल्द निम्नलिखित की आवश्यकता है:
- देश में सभी संभावित भू-स्थलों की एक सूची बनाएं (जीएसआई द्वारा पहचाने गए 34 स्थलों के अलावा);
- देश के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 की तर्ज पर भू-संरक्षण कानून बनाना;
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की तर्ज पर स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के साथ एक 'राष्ट्रीय भू-संरक्षण प्राधिकरण' बनाना, यह सुनिश्चित करना कि यह संस्था शोधकर्ताओं की स्वायत्तता का अतिक्रमण नहीं करेगी।
- भूवैज्ञानिक स्थलों और संसाधनों का संरक्षण करके, भारत अपने प्राकृतिक पर्यावरण का बेहतर प्रबंधन कर सकता है और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में वैश्विक प्रयासों में योगदान दे सकता है।

PM2.5 एक्सपोजर से संबंधित असामयिक मौतें

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण प्रदूषण

संदर्भ

- एक नए अध्ययन (जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित) में पाया गया है कि महीन पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5) के कारण 1980 से 2020 के बीच दुनिया भर में 135 मिलियन असामयिक मौतें हुई।

पार्टिकुलेट मैटर

- यह हवा में पाए जाने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों के मिश्रण के लिए एक शब्द है जो कई आकारों और आकृतियों में आते हैं और सैकड़ों अलग-अलग रसायनों से बने हो सकते हैं।
- कुछ कण, जिन्हें प्राथमिक कण के रूप में जाना जाता है, सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, जैसे निर्माण स्थल, कच्ची सड़कें, खेत, धुआँ या आग।
- अन्य पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायनों के वातावरण में जटिल प्रतिक्रियाओं के कारण बनते हैं, जो बिजली संयंत्रों, उद्योगों और ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित होते हैं।

पार्टिकुलेट मैटर का आकार

- कण जो व्यास में 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटे होते हैं क्योंकि ये कण आमतौर पर गले और नाक से गुजरते हैं और फेफड़ों में प्रवेश करते हैं।
- कणों का आकार सीधे तौर पर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनने की उनकी क्षमता से जुड़ा हुआ है।
- PM10: साँस के द्वारा अंदर जाने वाले कण, जिनका व्यास आम तौर पर 10 माइक्रोमीटर और उससे भी छोटा होता है।
- PM2.5: साँस के द्वारा अंदर जाने वाले महीन कण, जिनका व्यास आम तौर पर 2.5 माइक्रोमीटर और उससे भी छोटा होता है।

PM2.5 और स्वास्थ्य पर प्रभाव

- साँस के द्वारा अंदर जाने पर, पार्टिकुलेट मैटर कई तरह की श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इनके लगातार संपर्क में रहने से अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और किसी भी तरह की ब्रोंकाइटिस हो सकती है।
- पार्टिकुलेट मैटर फेफड़ों के अंदर तक घुसकर उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- कोई भी बैक्टीरिया या वायरस फेफड़ों पर हमला कर सकता है और इससे गंभीर जानलेवा संक्रमण भी हो सकता है।
- पार्टिकुलेट मैटर सीने में जकड़न, आँखों से पानी आना, छींक आना और नाक बहना भी पैदा कर सकता है।
- पार्टिकुलेट मैटर फेफड़ों में गहराई तक जाकर उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है।
- कोई भी बैक्टीरिया या वायरस फेफड़ों पर हमला कर सकता है और इससे गंभीर जानलेवा संक्रमण भी हो सकता है।
- पार्टिकुलेट मैटर सीने में जकड़न, आँखों से पानी आना, छींक आना और नाक बहना भी पैदा कर सकता है।
- पार्टिकुलेट मैटर के कारण छाती में जकड़न, आंखों से पानी आना, छींक आना और नाक बहना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

समय से पहले होने वाली मौतों का विवरण

- 1980 से 2020 तक, समय से पहले होने वाली मौतों में से एक तिहाई स्ट्रोक (33.3%) से जुड़ी थीं, एक तिहाई इस्केमिक हृदय रोग (32.7%) से जुड़ी थीं और शेष मौतें क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन और फेफड़ों के कैंसर के कारण हुई थीं।

क्या आप जानते हैं?

WHO के अनुसार, हर साल लगभग 3.7 मिलियन समय से पहले होने वाली मौतों का कारण बाहरी वायु प्रदूषण है। इनमें से लगभग 80% मौतें हृदय रोग और स्ट्रोक के कारण होती हैं, जबकि अन्य 20% PM2.5 के संपर्क में आने से होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियों और कैंसर से होती हैं।

वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों में भौगोलिक असमानता

- एशिया सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ 1980 से 2020 के बीच अनुमानित 98.1 मिलियन समय से पहले मौतें PM2.5 प्रदूषण के कारण हुई हैं।
- चीन और भारत क्रमशः 49 मिलियन और 26.1 मिलियन मौतों के साथ सबसे आगे हैं।
- पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और जापान जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों को भी PM2.5 के संपर्क में आने से काफी नुकसान हुआ।

भारतीय परिदृश्य

- दुनिया की 18% आबादी वाले भारत में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली वैश्विक असामयिक मौतों और बीमारियों का अनुपातहीन रूप से 26% है।
- 2019 में भारत में प्रदूषण के कारण 23 लाख से अधिक लोगों की असामयिक मृत्यु हुई।
- इनमें से 73% मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई, जो वैश्विक स्तर पर ऐसी मौतों की सबसे बड़ी संख्या है।

- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, 2019 में PM2.5 के कारण होने वाली मौतों की संख्या 1,00,000 लोगों में से 106 थी, जो वैश्विक औसत 58 प्रति 1,00,000 लोगों से अधिक है।

जलवायु परिवर्तनशीलता की भूमिका

- शोध में एल नीनो-दक्षिणी दोलन, हिंद महासागर द्विध्रुव और उत्तरी अटलांटिक दोलन जैसी जलवायु परिवर्तनशीलता की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, जो PM2.5 प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है, और सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष लगभग 7,000 अतिरिक्त अकाल मृत्यु का कारण बनता है।
- हिंद महासागर द्विध्रुव का मौतों की संख्या पर सबसे बड़ा प्रभाव था, उसके बाद उत्तरी अटलांटिक दोलन और फिर एल नीनो का स्थान था।

मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

- जलवायु पैटर्न में परिवर्तन वायु प्रदूषण को बदतर बना सकते हैं।
- मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के प्रभाव जीनोमिक्स और जीवनशैली पैटर्न से कम नहीं हैं और पिछले दशकों में वे बढ़ रहे हैं।

भारत द्वारा संबंधित प्रयास

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): वर्ष 2019 में शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक पीएम10 और पीएम 2.5 की सांद्रता में 20% से 30% की कमी लाना है, सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष माना गया है।
- डीकार्बोनाइजेशन प्रयास: एक रिपोर्ट बताती है कि तेजी से डीकार्बोनाइजेशन करने से भारत में पार्टिकुलेट मैटर से होने वाली 200,000 मौतों को बचाया जा सकता है।
- रिपोर्ट में पेरिस समझौते 2015 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न नीतिगत मार्गों के तहत पार्टिकुलेट मैटर के संपर्क में आने से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।
- ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर: शहर हरे-भरे गलियारों और पेड़ों से सजी सड़कों के साथ शहरी परिदृश्य को फिर से कल्पित कर रहे हैं, जिससे हरियाली शहरी ताने-बाने में सहज रूप से समाहित हो गई है।
- कुछ खास प्रजातियों के पौधे लगाने से प्राकृतिक वायु-शोधक अवरोध पैदा हो सकता है, जो हाइड्रोकार्बन और सुगंधित यौगिकों जैसे हानिकारक पदार्थों को अवशोषित कर सकता है।
- वाहन स्क्रैपेज नीति: इसका उद्देश्य भारतीय सड़कों पर पुराने वाहनों को आधुनिक और नए वाहनों से बदलना है, और इससे प्रदूषण कम होने, रोजगार के अवसर पैदा होने और नए वाहनों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- (हाइब्रिड) और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण करना (FAME) योजना: इसका उद्देश्य डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना है।
- FAME चरण II योजना को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि इस योजना को अधिक से अधिक अपनाया जा सके।

गांधी सागर अभयारण्य

पाठ्यक्रम: GS 3/पर्यावरण

समाचार में

- मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में अपनी महत्वाकांक्षी चीता पुनरुत्पादन परियोजना के लिए तैयारियाँ पूरी कर ली हैं, जिसे कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों के लिए दूसरा घर माना जाता है

गांधी सागर अभयारण्य के बारे में

- गांधी सागर अभयारण्य मालवा पठार की पश्चिमी सीमा पर विशाल चंबल नदी के किनारे स्थित है।
- गांधी सागर अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 368.62 वर्ग किमी है
- यह दो जिलों मंदसौर और नीमच में फैला हुआ है
- इसकी उत्तरी सीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है।
- यह जंगली कुत्तों (ढोल), चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव, मगर मगरमच्छ जैसी कुछ दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों के लिए जाना जाता है।

5 विज्ञान और तकनीक

234 नए शहरों में निजी FM रेडियो चैनल

पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी FM रेडियो चरण III नीति के तहत 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आरक्षित मूल्य के साथ 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए आरोही ई-नीलामी के तीसरे बैच के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- मंत्रिमंडल ने एफएम चैनलों के वार्षिक लाइसेंस शुल्क (ALF) को माल और सेवा कर (GST) को छोड़कर सकल राजस्व का 4% चार्ज करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। यह 234 नए शहरों / कस्बों के लिए लागू होगा।
- इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और 'वोकल फॉर लोकल' पहल को बढ़ावा मिलेगा।
- इनमें से कई शहर और कस्बे आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं।

FM रेडियो चरण-III नीति

- एफएम रेडियो नीति के चरण III को निजी एफएम रेडियो प्रसारण का विस्तार करने के लिए पेश किया गया था ताकि अधिक शहरों को कवर किया जा सके, विशेष रूप से वे जो पिछले चरणों में शामिल नहीं थे।
- पहले दो बैचों की नीलामी क्रमशः 2015 और 2016 में की गई थी।
- चरण III के तहत, निजी एफएम रेडियो कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) की सीमा 20% से बढ़ाकर 26% कर दी गई थी।

सोलर पैराबोलॉइड तकनीक

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- जैसे-जैसे दुनिया अक्षय ऊर्जा में बदलाव की तत्काल आवश्यकता से जूझ रही है, सोलर पैराबोलॉइड तकनीक संभावित रूप से परिवर्तनकारी समाधान के रूप में उभर रही है।

सोलर पैराबोलॉइड तकनीक

- सोलर पैराबोलॉइड एक पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर (PTC) सिस्टम का उपयोग करके काम करते हैं।
- इन प्रणालियों में लंबे, पैराबोलिक दर्पण होते हैं जो दर्पण की फोकल लाइन पर रखे गए रिसीवर ट्यूब पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करते हैं।
- संकेन्द्रित सौर ऊर्जा रिसीवर के भीतर एक तरल पदार्थ को गर्म करती है, जिसका उपयोग तब बिजली उत्पन्न करने या औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए प्रत्यक्ष गर्मी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।
- यह डिज़ाइन पारंपरिक पीवी पैनलों की तुलना में कई लाभ प्रदान करता है, जो अर्धचालकों का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं।
- लाभ: सौर पैराबोलॉइड तकनीक का एक प्रमुख लाभ इसकी उच्च तापमान, 300 डिग्री सेल्सियस तक, पर काम करने की क्षमता है, जो थर्मल दक्षता को काफी हद तक बढ़ाता है।
- सौर पैराबोलॉइड सौर ऊर्जा को संकेन्द्रित करने में अत्यधिक कुशल हैं, जिसका अर्थ है कि समान मात्रा में सूर्य के प्रकाश से अधिक बिजली उत्पन्न की जा सकती है।
- यह दक्षता उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट लागत को कम कर सकती है, जिससे सौर ऊर्जा पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकती है।
- चुनौतियाँ: इस तकनीक के लिए सटीक निर्माण, विशेष सामग्री और जटिल ट्रैकिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो सभी उच्च अग्रिम लागत में योगदान करते हैं।

ब्लू ओरिजिन

पाठ्यक्रम: GS 3/ विज्ञान और तकनीक

संदर्भ

- जेफ बेजोस का एयरोस्पेस उद्यम ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड रॉकेट का उपयोग करके उप-कक्षीय अंतरिक्ष में अपना आठवां पर्यटक मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है।

- उड़ान छह लोगों को करमन रेखा (अंतरिक्ष की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा) के ऊपर 11 मिनट की सवारी के लिए ले जाएगी, जो ब्लू ओरिजिन के लिए एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो पहले से ही 37 लोगों को अंतरिक्ष में ले जा चुका है।
- इसके अतिरिक्त, ब्लू ओरिजिन ESCAPADE (एस्केप एंड प्लाज़्मा एक्सेलेरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर्स) मिशन पर NASA के साथ भी सहयोग कर रहा है, जो सौर हवा और मंगल के मैग्नेटोस्फीयर की परस्पर क्रिया की जांच करेगा। यह मिशन अक्टूबर 2024 में ब्लू ओरिजिन के पुन: प्रयोज्य न्यू ग्लेन रॉकेट पर लॉन्च होगा।

सोनोलुमिनेसेंस

पाठ्यक्रम: GS3/ S&T

संदर्भ में

- पिस्टल झींगा (परिवार अल्फीडे) में एक विशेष पंजा होता है जो अविश्वसनीय गति से बंद हो सकता है जिससे सोनोलुमिनेसेंस होता है।

के बारे में

- मानव आँख प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, जो कि सबसे कम चमक को भी पहचान सकती है, लेकिन प्रकाश प्रदूषण अक्सर इस क्षमता को बाधित करता है। प्रकाश के प्रति इस आकर्षण ने 1934 में सोनार का अध्ययन करने वाले दो जर्मन इंजीनियरों द्वारा सोनोलुमिनेसेंस की खोज की।
- उन्होंने देखा कि तरल में एक छोटा बुलबुला, जब शक्तिशाली ध्वनि तरंगों से टकराता है, तो प्रकाश की एक संक्षिप्त चमक उत्सर्जित करता है।
- ऐसा तब होता है जब ध्वनि तरंगों के कारण बुलबुला तेज़ी से फैलता और सिकुड़ता है, जिससे अत्यधिक तापमान पैदा होता है जो अंदर की गैसों को आयनित करता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है।
- ध्वनि तरंगों के उच्च और निम्न दबाव के कारण बुलबुले का तेज़ी से विस्तार और संकुचन होता है।

टैनेजर-1 उपग्रह

पाठ्यक्रम: GS 3 / विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- नासा ने हाल ही में मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए टैनेजर-1 उपग्रह लॉन्च किया है।

टैनेजर-1 उपग्रह उत्सर्जन को कैसे ट्रैक करेगा?

- उपग्रह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक का उपयोग करेगा।
- यह पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाले प्रकाश की सैकड़ों तरंगदैर्घ्यों को मापकर ऐसा करेगा।
- ग्रह के वायुमंडल में विभिन्न यौगिक - जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं - प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्यों को अवशोषित करते हैं, जिससे वर्णक्रमीय "फिंगरप्रिंट" निकलते हैं जिन्हें इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर पहचान सकता है।
- ये अवरक्त फिंगरप्रिंट शोधकर्ताओं को मजबूत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को ठीक से पहचानने और मापने में सक्षम बना सकते हैं।

शोधकर्ता मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक क्यों करना चाहते हैं?

- मीथेन एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ग्लोबल वार्मिंग में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापन के 30 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, 20 वर्षों की अवधि में, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली है।
- यह ग्राउंड-लेवल ओजोन के निर्माण में भी योगदान देता है जो सालाना लगभग दस लाख लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बनता है।

टेराहर्ट्ज़

पाठ्यक्रम: GS 3 / विज्ञान और प्रौद्योगिकी

समाचार में

- TRAI ने 95 GHz - 3 THz आवृत्ति बैंड में अनुसंधान और विकास के लिए टेराहर्ट्ज़ प्रायोगिक प्राधिकरण (THEA) स्थापित करने की सिफारिश की।
- शिक्षाविदों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, सरकारी निकायों, दूरसंचार प्रदाताओं और निर्माताओं सहित भारतीय संस्थाएँ THEA के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- THEA का उद्देश्य अगली पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए क्षमता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है।

टेराहर्ट्ज़ (THz) के बारे में

- टेराहर्ट्ज़ (THz) तरंगें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में माइक्रोवेव और अवरक्त क्षेत्रों के बीच होती हैं।

- THz तकनीक ने बायोमेडिकल अनुप्रयोगों के लिए आशाजनक क्षमता का प्रदर्शन किया है।
- अनुप्रयोग THz तरंगों के जैविक प्रभावों की खोज जीवन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण नए क्षेत्र के रूप में उभरी है। THz प्रौद्योगिकी विकास और भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए जटिल जैविक प्रणालियों पर THz तरंगों के प्रभावों को उजागर करना महत्वपूर्ण है।
- विशेष रूप से, THz विकिरण तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसमें तंत्रिका कोशिका झिल्ली की संरचना, जीन अभिव्यक्तियाँ और साइटोकाइन्स स्तर शामिल हैं।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण नीति के दूसरे चरण के लिए 15 बिलियन डॉलर का प्रोत्साहन

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- भारत ने अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया के नक्शेकदम पर चलते हुए वैश्विक चिप हब के रूप में उभरने के लिए 15 बिलियन डॉलर के प्रोत्साहन के साथ अपनी सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया।

के बारे में

- संशोधित ब्लूप्रिंट चिप निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल, गैसों और रसायनों के लिए पूंजी समर्थन पर केंद्रित है।
- हालांकि, असेंबली और परीक्षण संयंत्रों के लिए पूंजीगत व्यय सब्सिडी, जिसे 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था, नई योजना के तहत कम की जा सकती है।
- मार्च 2024 में, सरकार ने 1.26 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ गुजरात और असम में तीन सेमीकंडक्टर इकाइयाँ स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- अब सरकार उन्नत निर्माण प्रौद्योगिकियों और माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले पर विचार कर रही है, जो चिप पारिस्थितिकी तंत्र के अधिक जटिल तत्वों की ओर बदलाव का संकेत है।

सेमीकंडक्टर क्या है?

- सेमीकंडक्टर जिन्हें 'चिप्स' भी कहा जाता है, डिजाइन और निर्माण के लिए अत्यधिक जटिल उत्पाद हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डेटा को संसाधित करने, संग्रहीत करने और संचारित करने के लिए आवश्यक कार्यक्षमता प्रदान करते हैं।
- चिप में ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर और प्रतिरोधकों के अंतर्संबंध शामिल हैं, जो सिलिकॉन की वेफर शीट पर परतदार होते हैं।

पूर्व नीति

- प्रोत्साहन नीति के पहले पुनरावृत्ति में, जिसे 2021 में जारी किया गया था, केंद्र सरकार ने चिप पैकेजिंग और परीक्षण संयंत्रों के लिए 30 प्रतिशत पूंजीगत व्यय सब्सिडी की पेशकश की थी।
- हालांकि, 2022 में, इसने ऐसे संयंत्रों के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था।

चिप निर्माण में वैश्विक परिदृश्य

- वर्तमान वैश्विक विनिर्माण क्षमता का लगभग 70% दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन तक ही सीमित है, जबकि अमेरिका और जापान बाकी का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं।
- ताइवान और दक्षिण कोरिया चिप्स के लिए वैश्विक फाउंड्री बेस का लगभग 80% हिस्सा बनाते हैं।
- केवल एक कंपनी, नीदरलैंड स्थित ASML, EUV (एक्सट्रीम अल्ट्रावॉयलेट लिथोग्राफी) डिवाइस बनाती है, जिसके बिना उन्नत चिप बनाना संभव नहीं है।

भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने चुनौतियाँ

- भारत के करीबी सहयोगी, जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय संघ, भी सेमीकंडक्टर के अवसर को समझते हैं और उन्होंने भारत की तुलना में अधिक आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की हैं।
- प्रतिभा पूल: जबकि भारत सभी प्रमुख चिप कंपनियों के डिज़ाइन इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ा बैक ऑफिस है, फिर भी कुशल प्रतिभाएँ जो फ़ैब्रिकेशन प्लांट के फ़ैक्टरी फ़्लोर पर काम कर सकती हैं, मिलना मुश्किल है।
- गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी का ATMP प्लांट 133 दिन पीछे चल रहा है, क्योंकि कंपनी पर्याप्त निर्माण कर्मचारियों को नियुक्त करने में असमर्थ है।
- अनुसंधान और विकास: भारत में वर्तमान में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में मूल शोध का अभाव है, जहाँ चिप का भविष्य तय होता है।
- बिजली आपूर्ति: बिजली की निर्बाध आपूर्ति इस प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा है, जिसमें कुछ सेकंड के उतार-चढ़ाव या स्पाइक से लाखों का नुकसान होता है।
- पानी की अधिक खपत: चिप बनाने के लिए एक दिन में कई गैलन अल्ट्राप्योर पानी की आवश्यकता होती है।

परियोजना का महत्व

- रोजगार सृजन: भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाएँ कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेंगी।
- आयात पर निर्भरता कम होगी: भारत वर्तमान में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आयातित सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर करता है।

- घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना भू-राजनीतिक तनाव या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के समय में देश की आत्मनिर्भरता और लचीलापन बढ़ाएगी।
- निर्यात के अवसर: एक प्रतिस्पर्धी अर्धचालक उद्योग के साथ, भारत चिप्स और संबंधित उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात कर सकता है, राजस्व पैदा कर सकता है और अपने व्यापार संतुलन में सुधार कर सकता है।
- रणनीतिक महत्व: सेमीकंडक्टर चिप्स रक्षा, एयरोस्पेस और दूरसंचार जैसे विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घटक हैं।
- घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग होने से आपूर्ति श्रृंखला पर अधिक नियंत्रण सुनिश्चित होता है और व्यवधानों या बाहरी दबावों की कमज़ोरियों को कम करता है।

सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए अन्य पहल

- भारत सेमीकंडक्टर मिशन: इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें सेमीकंडक्टर विकसित करने और विनिर्माण सुविधाओं और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए भारत की दीर्घकालिक रणनीतियों को तैयार करने और चलाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता है।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना: सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और पैकेजिंग के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।
- क्वाड सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पहल: क्षमता का आकलन करना, कमज़ोरियों को इंगित करना और सेमीकंडक्टर और इसके महत्वपूर्ण घटकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को बढ़ाना।

आगे की राह

- सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करके, भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है।
- भारत विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर सकता है, नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर सकता है। एक मजबूत उद्योग भारत की जीडीपी वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

नैनो प्रौद्योगिकी के साथ प्रभावी दवा वितरण

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- पॉलिमरिक नैनोकणों के उपयोग से दवा वितरण की एक अनूठी विधि विकसित की गई है।
- वैज्ञानिकों की एक टीम ने निकोमाइसिन लोडेड पॉलिमरिक नैनोकणों को विकसित करने के लिए एक चिटिन संश्लेषण कवकनाशी, निकोमाइसिन का उपयोग किया है।
- चिटिन कवक कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है और मानव शरीर में अनुपस्थित है।
- दवा से भरे नैनोकण फफूंद एस्परगिलस फ्लेवस और एस्परगिलस फ्यूमिगेटस के कारण होने वाले एस्परगिलोसिस नामक फंगल संक्रमण के खिलाफ प्रभावी पाए गए।
- विकसित नैनोफ़ॉर्मूलेशन साइटोटॉक्सिक और हेमोलिटिक प्रभावों से मुक्त पाया गया।
- यह विधि अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस या पिछली फेफड़ों की बीमारी, मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी), कैंसर से पीड़ित रोगियों या लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं के संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी है।

नैनोटेक्नोलॉजी क्या है?

- नैनोटेक्नोलॉजी विज्ञान और इंजीनियरिंग की उस शाखा को संदर्भित करती है जो नैनोस्केल पर परमाणुओं और अणुओं में हेरफेर करके संरचनाओं, उपकरणों और प्रणालियों को डिजाइन करने, उत्पादन करने और उपयोग करने के लिए समर्पित है, यानी 100 नैनोमीटर (मिलीमीटर का 100 मिलियनवां हिस्सा) या उससे कम के क्रम के एक या अधिक आयाम हैं।

चिकित्सा क्षेत्र में नैनोटेक्नोलॉजी के लाभ

- लक्षित दवा वितरण: नैनोकण सीधे विशिष्ट कोशिकाओं तक दवा पहुँचाने के लिए उपयोगी होते हैं, स्वस्थ ऊतकों को होने वाले नुकसान को कम करते हैं और दुष्प्रभावों को कम करते हैं।
- इमेजिंग: नैनोकण एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी इमेजिंग तकनीकों में कंट्रास्ट को बढ़ाते हैं, जिससे बीमारियों का अधिक सटीक निदान संभव होता है।
- ऊतक इंजीनियरिंग: नैनो तकनीक का उपयोग ऐसे ढांचे बनाने के लिए किया जाता है जो ऊतकों के विकास और पुनर्जनन का समर्थन करते हैं, जिसका उपयोग क्षतिग्रस्त अंगों या ऊतकों की मरम्मत में किया जा सकता है, जैसे कि हड्डी और उपास्थि की मरम्मत में।
- वैक्सीन निर्माण: नैनोकणों का उपयोग टीकों में सहायक के रूप में किया जा सकता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढ़ती है और वैक्सीन की प्रभावकारिता में सुधार होता है।
- घाव ड्रेसिंग में नैनोफाइबर: नैनो तकनीक का उपयोग उन्नत घाव ड्रेसिंग बनाने के लिए किया जाता है जो तेजी से उपचार को बढ़ावा देता है और संक्रमण के जोखिम को कम करता है।

नैनो तकनीक की चिंताएँ

- स्वास्थ्य जोखिम: नैनोमटेरियल के संपर्क में आने के दीर्घकालिक प्रभावों को अभी भी ठीक से नहीं समझा गया है। नैनोकणों की

जैविक झिल्लियों को भेदने की क्षमता संभावित विषाक्तता और अप्रत्याशित स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में चिंताएँ पैदा करती है, खासकर खाद्य उत्पादों में।

- नैतिक जोखिम: नैनो तकनीक के उपयोग को लेकर नैतिक चिंताएँ हैं। स्वास्थ्य सेवा उद्योग में, नैनो तकनीक की शुरुआत हानिकारक दुष्प्रभावों को जन्म दे सकती है और डेटा गोपनीयता के बारे में भी सवाल उठाती है।
- मानकों की कमी: नैनो प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास ने विनियामक ढांचे के निर्माण को पीछे छोड़ दिया है। इस बात की चिंता है कि वर्तमान विनियम नैनोमटेरियल द्वारा उत्पन्न अद्वितीय जोखिमों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर सकते हैं।

आगे की राह

- शोधकर्ताओं और कंपनियों को अपने निष्कर्षों के बारे में पारदर्शी होना चाहिए, विशेष रूप से नैनो प्रौद्योगिकी के संभावित जोखिमों के बारे में।
- विनियामक एजेंसियों को नैनो प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनियाँ सुरक्षा मानकों का अनुपालन करें।
- अनुसंधान और विकास को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल नैनोमटेरियल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डेटा और सहकर्मी-समीक्षित प्रकाशनों तक खुली पहुँच सार्वजनिक विश्वास बनाने में मदद कर सकती है।

हेफ़्लिक सीमा

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- हाल ही में, बायोमेडिकल शोधकर्ता लियोनार्ड हेफ़्लिक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्होंने हेफ़्लिक सीमा की खोज की थी।

हेफ़्लिक सीमा के बारे में

- यह एक अवधारणा है कि मौलिक रूप से उम्र बढ़ने की हमारी समझ को बदलकर यह दिखाते हुए कि सामान्य दैहिक कोशिकाएं केवल एक निश्चित संख्या में केवल एक निश्चित संख्या में विभाजित (और इस प्रकार प्रजनन) को विभाजित कर सकती हैं।
- इसका नाम डॉ. लियोनार्ड हेफ्लिक के नाम पर रखा गया है, जो एक बायोमेडिकल शोधकर्ता थे, जिन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण खोज की थी।

यह कैसे काम करता है?

- हमारे शरीर (और अन्य जीवों में) के भीतर एक अंतर्निहित सेलुलर घड़ी होती है जो यह निर्धारित करती है कि हम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं।
- जब ये कोशिकाएँ अपनी विभाजन सीमा तक पहुँच जाती हैं, तो वे जीर्ण हो जाती हैं - अनिवार्य रूप से आगे की प्रतिकृति से सेवानिवृत्त हो जाती हैं।
- जैसे-जैसे ये जीर्ण कोशिकाएँ जमा होती जाती हैं, हमारे शरीर की उम्र बढ़ने लगती है और वे कमज़ोर होने लगते हैं।
- मनुष्यों के लिए हेफ्लिक की अंतिम सीमा लगभग 125 वर्ष होने का अनुमान है।
- सीमा से परे: कोई भी आहार, व्यायाम या आनुवंशिक संशोधन इस सीमा से परे जीवन को नहीं बढ़ा सकता है।
- सीमा से परे: कोई भी आहार, व्यायाम या आनुवंशिक संशोधन इस सीमा से परे जीवन को नहीं बढ़ा सकता है।

टेलोमेरेस: बुढ़ापे से बचाव

- हेफ्लिक की खोज को और भी बल तब मिला जब 1970 के दशक में शोधकर्ताओं को टेलोमेरेस का पता चला।
- जैसे-जैसे कोशिकाएँ विभाजित होती हैं, वे डीएनए की प्रतियाँ बनाती हैं, लेकिन प्रत्येक विभाजन के साथ, टेलोमेरेस थोड़े छोटे होते जाते हैं। अंततः, वे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुँच जाते हैं जहाँ कोशिका विभाजन पूरी तरह से बंद हो जाता है।
- वैज्ञानिक यह पता लगाना जारी रखते हैं कि टेलोमेरेस का नुकसान और हेफ्लिक सीमा केवल बुढ़ापे के लक्षण हैं या वास्तविक सीमाएँ हैं।

भविष्य के शोध निर्देश

- चल रहे अध्ययनों का उद्देश्य हेफ्लिक सीमा के पीछे के तंत्र और स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए इसके निहितार्थों का पता लगाना है। शोधकर्ता सेलुलर सेनेसेंस के प्रभावों को कम करने और स्वस्थ जीवनकाल को बढ़ाने के तरीकों की जाँच कर रहे हैं।

क्वांटम नॉनलोकैलिटी

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- नए अध्ययन ने प्रदर्शित किया कि क्वांटम नॉनलोकैलिटी को मापने के लिए एक सार्वभौमिक मानक असंभव है।

के बारे में

- क्वांटम नॉनलोकैलिटी दूर की भौतिक वस्तुओं के बीच एक अजीब संबंध का वर्णन करती है, जो प्रकाश से भी तेज संचार की अनुमति नहीं देती है।

- यह एक ऐसी स्थिति का वर्णन करती है, जहाँ उलझे हुए कण एक-दूसरे को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं, चाहे उन्हें अलग करने वाली दूरी कितनी भी हो।
- यह घटना शास्त्रीय विचार का उल्लंघन करती प्रतीत होती है कि सूचना या प्रभाव प्रकाश की गति से अधिक तेज़ गति से यात्रा नहीं कर सकते।
- नया शोध क्वांटम नॉन-लोकैलिटी के संभावित अनुप्रयोगों को व्यापक बनाता है, जिसका उपयोग पहले से ही सुरक्षित संचार, यादृच्छिक संख्या पीढ़ी और क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजी निर्माण में किया जाता है।
- यह खोज क्वांटम यांत्रिकी की समझ में एक नई परत जोड़ती है, जो एक मूल्यवान और विविध संसाधन के रूप में क्वांटम नॉनलोकलिटी की जटिलता और विशिष्टता को उजागर करती है।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) की तीसरी विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

के बारे में

- SSLV-D3 ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया।
- यह इसरो/अंतरिक्ष विभाग के SSLV विकास परियोजना के पूरा होने का भी प्रतीक है।
- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), इसरो की वाणिज्यिक शाखा, और भारत का निजी अंतरिक्ष उद्योग अब वाणिज्यिक मिशनों के लिए SSLV का उत्पादन कर सकता है।

SSLV क्या है?

- यह तीन-चरणीय प्रक्षेपण यान है जिसे तीन ठोस प्रणोदन चरणों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है।
- इसमें टर्मिनल चरण के रूप में एक तरल प्रणोदन-आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल (VTM) भी है, जो उपग्रह को स्थापित करने की तैयारी के दौरान वेग को समायोजित करने में मदद कर सकता है।
- महत्व: अनिवार्य रूप से, SSLV के पीछे का उद्देश्य कम लागत वाले प्रक्षेपण यान का उत्पादन करना है, जिसमें कम समय और न्यूनतम अवसंरचनात्मक आवश्यकताएँ हों।
- SSLV 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को लॉन्च कर सकता है और कई उपग्रहों को समायोजित कर सकता है।
- SSLV से पहले, छोटे पेलोड को कई बड़े उपग्रहों को ले जाने वाले अन्य लॉन्च वाहनों का उपयोग करके अंतरिक्ष में भेजा जाना था। वे उन उपग्रहों के लॉन्च शेड्यूल पर निर्भर थे।

प्रक्षेपण वाहन

- अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए लॉन्चर या लॉन्च वाहनों का उपयोग किया जाता है।
- भारत के पास तीन सक्रिय परिचालन प्रक्षेपण वाहन हैं: पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV), जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV), जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk-III (LVM3)।
- PSLV: PSLV एक बहुमुखी प्रक्षेपण वाहन रहा है जिसे तीनों प्रकार के पेलोड अर्थात पृथ्वी अवलोकन, भू-स्थिर और नेविगेशन को लॉन्च करने के लिए तैनात किया गया है। इसकी सफलता दर सबसे अधिक है और इसे इसरो का कार्य घोड़ा माना जाता है।
- स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज वाले GSLV ने 2 टन वर्ग तक के संचार उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम बनाया है।
- LVM3 अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है जो 4 टन वर्ग के संचार उपग्रहों और 10 टन वर्ग के पेलोड को LEOs में प्रक्षेपित करने में सक्षम है।
- वाहन को C25 क्रायो चरण सहित पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकों के साथ विकसित किया गया था।
- प्रक्षेपण यान के पास पहली विकास उड़ान से लेकर अब तक सभी सफल प्रक्षेपणों का ट्रैक रिकॉर्ड है।
- मानव रेटेड LVM3 को गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण यान के रूप में पहचाना जाता है, जिसे HRLV नाम दिया गया है।

साइनाइड सेंसर

पाठ्यक्रम: GS 3/विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉ. रवि कुमार कनपार्थी के नेतृत्व में एक टीम ने एक अत्यधिक संवेदनशील और चयनात्मक साइनाइड सेंसर विकसित किया है।

सेंसर के बारे में

- साइनाइड पौधों, फलों और सूक्ष्मजीवों में पाया जाने वाला एक शक्तिशाली विष है, जिसमें सख्त जो दिशानिर्देश हैं कि इसके घातक प्रभावों के कारण पीने योग्य पानी में इसकी एकाग्रता को 0.19 मिलीग्राम/एल से नीचे तक सीमित कर दिया जाता है।

- नए सेंसर का उद्देश्य पीने के पानी और खाद्य उत्पादों में कम सांद्रता में विषैले साइनाइड का पता लगाकर सुरक्षा को बढ़ाना है।
- नए सेंसर की सामग्री साइनाइड का पता लगाने पर पीले से रंगहीन हो जाती है, जो इसकी उपस्थिति का स्पष्ट दृश्य संकेत प्रदान करती है।
- सेंसर विशेष रूप से अन्य आयनों के हस्तक्षेप के बिना साइनाइड का पता लगाता है, जिससे सटीकता सुनिश्चित होती है।
- महत्व: सेंसर की प्रासंगिकता इडुक्की जिले में हाल ही में हुई साइनाइड विषाक्तता की घटना से रेखांकित होती है, जहाँ टैपिओका के छिलके खाने के बाद साइनाइड विषाक्तता से 13 गायों की मौत हो गई थी।
- सेंसर से साइनाइड से संबंधित मौतों को रोकने और वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

कैलिफोर्नियम तत्व

पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम के 50 ग्राम जब्त किए।
- कैलिफोर्नियम एक चांदी-सफेद सिंथेटिक रेडियोधर्मी धातु है जिसका आवर्त सारणी पर परमाणु क्रमांक 98 है।
- इसे पहली बार 1950 में बर्कले, कैलिफ़ोर्निया में संश्लेषित किया गया था, जहाँ से इसका नाम पड़ा, अल्फा कणों के साथ क्यूरियम पर बमबारी करके।
- कैलिफोर्नियम एक बहुत मजबूत न्यूट्रॉन उत्सर्जक है और इसका उपयोग पोर्टेबल मेटल डिटेक्टरों में सोने और चांदी के अयस्कों की पहचान करने, तेल के कुओं में पानी और तेल की परतों की पहचान करने और हवाई जहाज में धातु की थकान और तनाव का पता लगाने में मदद करने के लिए किया जाता है।

जीन-संपादन कीटनाशक

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- अनुसंधान में पाया गया है कि जीन-संपादन कीटनाशकों के कारण मनुष्यों, जानवरों और पौधों के जीन को भी जोखिम हो सकता है।
- CRISPR जैसी जीन-संपादन तकनीकों को नए प्रकार के कीटनाशकों को विकसित करने के तरीके के रूप में खोजा जा रहा है।
- विचार यह है कि इन तकनीकों का उपयोग कीटों या फसलों को इस तरह से संशोधित करने के लिए किया जाए जिससे पारंपरिक रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो।
- महत्व: ये अनुप्रयोग पारंपरिक रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करके और उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके कृषि को अधिक टिकाऊ बना सकते हैं।
- आनुवंशिक कीटनाशकों को रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है।
- चिंताएँ: वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वे पर्यावरण में लोगों, जानवरों और कीड़ों के जीन को संपादित करने में सक्षम हो सकते हैं जहाँ कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा।
- सबसे अधिक संभावित प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है, जो महत्वपूर्ण जैविक परिणामों का अनुभव कर सकते हैं।
- यह जोखिम संपर्क, साँस लेने या अंतर्ग्रहण के माध्यम से हो सकता है।

दबाव का भौतिकी

पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- हवा में हमारे चारों ओर अरबों परमाणु और अणु हैं और वे हर समय लगातार हमसे टकराते रहते हैं, जिसे हम वायु दाब कहते हैं।

दबाव

- दबाव एक वस्तु की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में लंबवत लगाया गया बल है, जिस पर वह बल वितरित होता है।
- इसलिए दबाव किसी भी क्षेत्र में फैला औसत बल है।
- दबाव एक अदिश राशि है और दबाव की SI इकाई पास्कल (Pa) है।

दैनिक जीवन में दबाव के अनुप्रयोग

- कार ब्रेक: हाइड्रोलिक ब्रेक वाहनों को रोकने के लिए तरल पदार्थ के दबाव का उपयोग करते हैं।
- प्रेशर कुकर: भोजन को तेज़ी से और अधिक कुशलता से पकाने के लिए भाप के दबाव का उपयोग करें।
- रक्तचाप की निगरानी: रक्तचाप को मापने से स्वास्थ्य स्थितियों का निदान और निगरानी करने में मदद मिलती है।
- मौसम का पूर्वानुमान: बैरोमीटर मौसम का पूर्वानुमान लगाने में मदद करने के लिए वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं।
- वैक्यूम क्लीनर: फर्श और सतहों से गंदगी और मलबे को चूसने के लिए कम दबाव वाला क्षेत्र बनाते हैं।

अगले सौर चक्र के आयाम की भविष्यवाणी करने की नई विधि

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के खगोलविदों ने आगामी सौर चक्र के आयाम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नई विधि खोजी है।
- खगोलविदों ने IIA के कोडाईकनाल सौर वेधशाला से 100 वर्षों के सौर डेटा का उपयोग करके एक नया सहसंबंध खोजा है।
- सौर चक्र की पेचीदगियाँ और अंतरिक्ष मौसम का पूर्वानुमान भारत सहित वर्तमान शोध के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
- उनका शोध अंतरिक्ष मौसम के पूर्वानुमान में मदद कर सकता है।

सौर चक्र

- सौर चक्र वह चक्र है जिससे सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र लगभग हर 11 साल में गुजरता है।
- सूर्य विद्युत-आवेशित गर्म गैस का एक विशाल गोला है। यह आवेशित गैस गति करती है, जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
- लगभग हर 11 वर्ष में, सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से पलट जाता है। इसका मतलब है कि सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपनी जगह बदल लेते हैं।
- फिर सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को फिर से पलटने में लगभग 11 वर्ष लगते हैं।
- सौर चक्र सूर्य की सतह पर गतिविधि को प्रभावित करता है, जैसे कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होने वाले सनस्पॉट।
- जैसे-जैसे चुंबकीय क्षेत्र बदलते हैं, वैसे-वैसे सूर्य की सतह पर गतिविधि की मात्रा भी बदलती है।
- सौर चक्र की ट्रैकिंग: सौर चक्र को ट्रैक करने का एक तरीका सनस्पॉट की संख्या गिनना है।
- सौर चक्र की शुरुआत एक सौर न्यूनतम होती है, या जब सूर्य पर सबसे कम सनस्पॉट होते हैं।
- समय के साथ, सौर गतिविधि—और सनस्पॉट की संख्या—बढ़ती है।
- सौर चक्र का मध्य सौर अधिकतम होता है, या जब सूर्य में सबसे अधिक सनस्पॉट होते हैं।
- जैसे ही चक्र समाप्त होता है, यह वापस सौर न्यूनतम पर आ जाता है और फिर एक नया चक्र शुरू होता है।
- पूर्वानुमान: खगोलविद अगले सौर चक्र की ताकत का पूर्वानुमान लगाने के लिए कई अलग-अलग तरीकों का उपयोग करते हैं।
- इसमें डायनेमो मॉडल, एक्सट्रपलेशन, पूर्ववर्ती विधियों आदि पर आधारित सैद्धांतिक गणनाएँ शामिल हैं।
- पूर्ववर्ती विधि अगले सौर अधिकतम की ताकत का अनुमान लगाने के लिए निर्दिष्ट समय पर सौर गतिविधि के कुछ माप के मूल्य का उपयोग करती है।

अंतरिक्ष मौसम क्या है?

- अंतरिक्ष के मौसम के मुख्य घटक सौर हवा, कोरोनल मास इजेक्शन और सौर फ्लेयर हैं।
- अंतरिक्ष मौसम का संबंध सौर मंडल के भीतर अलग -अलग स्थितियों और सूर्य और सौर हवा से प्रभावित होने वाले हेलिओस्फीयर से है।
- प्रभाव: वे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को संपीड़ित कर सकते हैं और जियोमैग्नेटिक तूफानों को ट्रिगर कर सकते हैं, जो संचार और बिजली संचरण को प्रभावित कर सकते हैं, अंतरिक्ष यान इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं।
- इस प्रकार, अंतरिक्ष मौसम का आधुनिक सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

पाठ्यक्रम: GS3/साइबर सुरक्षा

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने साइबर अपराध के खिलाफ एक नए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को अंतिम रूप दिया है।
- मसौदा सम्मेलन को इस वर्ष के अंत में महासभा द्वारा अपनाए जाने की उम्मीद है, इस प्रकार यह साइबर अपराध पर पहला वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन बन जाएगा।
- पृष्ठभूमि: इस सम्मेलन की राह पांच साल से भी पहले शुरू हुई थी जब संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और आपराधिक कानून के लिए नई चुनौतियों को पहचाना था।
- एड हॉक समिति की स्थापना 2019 में की गई थी और मसौदा सम्मेलन को अंततः अगस्त 2024 में अंतिम रूप दिया गया था।

सम्मेलन के बारे में

- उद्देश्य: साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, कानून प्रवर्तन प्रयासों का समन्वय करना और सदस्य राज्यों में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।
- उपकरण: यह राज्यों को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकियों द्वारा सुगम अन्य आपराधिक गतिविधियों जैसे अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई उपकरण प्रदान करता है।

- यह तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के माध्यम से विकासशील देशों का समर्थन कर रहा है।
- इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन में राष्ट्रीय अधिकारियों की क्षमताओं में सुधार करना है।
- सम्मेलन में सूचना प्रणालियों तक अवैध पहुंच, अवैध अवरोधन, डेटा हेरफेर और सिस्टम हस्तक्षेप जैसे आपराधिक अपराधों की परिभाषा शामिल है।
- यह कानूनी व्यक्तियों के आपराधिक दायित्व, अपराध की आय की जब्ती और जब्ती और आपराधिक अभियोजन और साक्ष्य के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित है।

साइबर अपराध क्या है?

- साइबर अपराध से तात्पर्य उन आपराधिक गतिविधियों से है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क और डिजिटल तकनीकों का उपयोग शामिल है।
- इसमें वर्चुअल स्पेस में की जाने वाली कई तरह की अवैध गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अक्सर कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा से समझौता करना, उसे नुकसान पहुँचाना या उस तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करना होता है।
- साइबर अपराधी नेटवर्क में कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने के लिए कई तरह की तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और वे व्यक्तियों, संगठनों या यहाँ तक कि सरकारों को भी निशाना बना सकते हैं।

साइबर अपराध के सामान्य प्रकारों में शामिल हैं:

- हैकिंग: डेटा चुराने, बदलने या नष्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुँच।
- फ़िशिंग: भरोसेमंद इकाई के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और वित्तीय विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी हासिल करने का भ्रामक प्रयास।
- मैलवेयर: कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, नुकसान पहुँचाने या उस तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर। इसमें वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, रैनसमवेयर और स्पाइवेयर शामिल हैं।
- पहचान की चोरी: किसी की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा नंबर या क्रेडिट कार्ड विवरण, को धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए चुराना और उसका उपयोग करना।
- साइबर जासूसी: राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य उद्देश्यों के लिए संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के उद्देश्य से गुप्त गतिविधियाँ।
- साइबरबुलिंग: व्यक्तियों को परेशान करने, धमकाने या डराने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना।
- ऑनलाइन धोखाधड़ी: पीड़ितों को धोखा देने और उनका शोषण करने के लिए ऑनलाइन घोटाले और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होना।

भारत में साइबर अपराध

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि देश में हर दिन औसतन 5,000 साइबर शिकायतें दर्ज की जाती हैं और लगभग 40-50% देश के बाहर से आती हैं।
- सबसे ज़्यादा साइबर अपराध हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा से रिपोर्ट किए गए। केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे ज़्यादा शिकायतें दिल्ली से आईं, उसके बाद चंडीगढ़ और पुडुचेरी से।

साइबर अपराधों का प्रभाव

- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा: साइबर अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं जब राज्य प्रायोजित अभिनेता या आपराधिक संगठन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सरकारी संस्थानों या सैन्य प्रणालियों को निशाना बनाते हैं।
- वित्तीय हानि: इसमें व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और रैंसमवेयर हमले शामिल हैं।
- डेटा उल्लंघनों: डेटा उल्लंघनों से व्यक्तिगत जानकारी, व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा और अन्य गोपनीय डेटा के संपर्क में आने का कारण बन सकता है, जिससे प्रभावित संस्थाओं को गंभीर नुकसान होता है।
- सेवाओं में व्यवधान: साइबर हमले बिजली ग्रिड, संचार नेटवर्क और परिवहन प्रणालियों जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं।

साइबर अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल

- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In): CERT-In साइबर सुरक्षा घटनाओं का जवाब देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
- यह सक्रिय और प्रतिक्रियाशील साइबर सुरक्षा सहायता प्रदान करता है और देश के साइबर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC): यह साइबर खतरों से महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
- यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करता है और उन्हें नामित करता है और इन क्षेत्रों में संगठनों को उनके साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए सलाह देता है।

- साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन (CCPWC) स्कीम: होम अफेयर्स मंत्रालय ने साइबर फोरेंसिक-कम-ट्रेनिंग लेबोरेटरीज, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अपने प्रयासों का समर्थन करने के लिए योजना के तहत सभी राज्यों और यूटीएस को वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): सरकार ने व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAS) के लिए एक रूपरेखा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए I4C की स्थापना की है।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: सरकार ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जनता को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है।
- CYBER SWACHHTA KENDRA (बोटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर): यह पहल बॉटनेट और मैलवेयर संक्रमण के बारे में जागरूकता पैदा करने और पता लगाने और सफाई के लिए उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से है।

साइबर अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- साइबर अपराध पर बुडापेस्ट सम्मेलन (साइबर अपराध पर यूरोप परिषद सम्मेलन): बुडापेस्ट सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, यह पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विशेष रूप से इंटरनेट और अन्य कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किए गए अपराधों को संबोधित करती है।

1. इसमें अवैध पहुँच, डेटा हस्तक्षेप, सिस्टम हस्तक्षेप और सामग्री से संबंधित अपराधों जैसे अपराधों पर प्रावधान शामिल हैं।

- इंटरनेट गवर्नेंस फ़ोरम: संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फ़ोरम (IGF) डिजिटल सार्वजनिक नीति पर चर्चा में विभिन्न हितधारक समूहों के लोगों को समान रूप से एक साथ लाने का काम करता है।
- साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा पर अफ्रीकी संघ सम्मेलन (मालाबो सम्मेलन): यह सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा पर केंद्रित है।
- अमेरिकी राज्यों का संगठन (OAS) साइबर अपराध सम्मेलन: यह सम्मेलन, जिसे "साइबर अपराध पर OAS मॉडल कानून" के रूप में भी जाना जाता है, सदस्य राज्यों को साइबर अपराध से निपटने के लिए एक मॉडल कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

निष्कर्ष

- साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केवल एक कानूनी साधन से कहीं अधिक है।
- यह एक ऐसी दुनिया में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता का प्रतीक है जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही हैं और साथ ही साथ नए जोखिम और खतरे भी पैदा कर रही हैं।
- वैश्विक समुदाय के सामने अब इस कन्वेंशन को व्यवहार में लाने और यह सुनिश्चित करने का कार्य है कि यह न केवल साइबर अपराध से निपटने में मदद करे बल्कि डिजिटल युग में मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा भी करे।

विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार

पाठ्यक्रम: GS 3/विज्ञान और तकनीक

खबरों में

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (DST) ने यूनेस्को कलिंग पुरस्कार में अपना वार्षिक योगदान वापस ले लिया है।
- ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वापसी का विरोध किया है और समर्थन बहाल करने का अनुरोध किया है।

विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार के बारे में

- इसकी स्थापना 1951 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष श्री बिजॉयानंद पटनायक के दान के बाद की गई थी।
- यह यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार है।
- पुरस्कार विजेता का चयन यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा पांच सदस्यीय निर्णायक मंडल की सिफारिश पर किया जाता है।
- यह पुरस्कार बुडापेस्ट में विश्व विज्ञान दिवस समारोह के दौरान भारत के साथ बारी-बारी से प्रदान किया जाता है।
- पात्रता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति, संस्थान, गैर सरकारी संगठन या संस्थाएँ।
- दानकर्ता: कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट, उड़ीसा राज्य सरकार, भारत सरकार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)।
- पुरस्कार: 40,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार और अतिरिक्त 5,000 अमेरिकी डॉलर के साथ कलिंग चेयर, यूनेस्को-अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक।
- उद्देश्य: यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लोकप्रियकरण में योगदान के लिए पुरस्कृत करता है।
- इसका उद्देश्य विज्ञान और समाज के बीच की खाई को पाटना है।
- इसमें विज्ञान के लोकप्रियकरण में मीडिया संचार के विभिन्न रूप शामिल हैं।

6 अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

प्रतिरोध की धुरी

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनीयाह और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के बाद प्रतिरोध की धुरी चर्चा में थी।

प्रतिरोध की धुरी

- यह ईरान समर्थित समूहों का गठबंधन है जो खुद को मध्य पूर्व में इजरायल और अमेरिकी प्रभाव के लिए "प्रतिरोध की धुरी" के रूप में वर्णित करता है।
- फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद (PIJ), हिजबुल्लाह, हमास और हौथी गठबंधन में कुछ प्रमुख समूह हैं।

गठबंधन कैसे बना?

- 'प्रतिरोध की धुरी' की जड़ें 1979 की ईरानी क्रांति में वापस जाती हैं, जिसने कट्टरपंथी शिया मुस्लिम मौलवियों के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया।
- ऐसे क्षेत्र में अपने राजनीतिक और सैन्य प्रभाव का विस्तार करने के लिए जहां अधिकांश शक्तियां (जैसे कि अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब) सुन्नी-बहुल राष्ट्र हैं, ईरान के नए शासन ने गैर-राज्य अभिनेताओं का समर्थन करना शुरू कर दिया।
- इसका एक और कारण इजरायल और अमेरिका से खतरों को रोकना था क्योंकि ईरान ने 1948 में इजरायल के निर्माण को अमेरिका (और पश्चिम) द्वारा अपने रणनीतिक हितों के लिए इस क्षेत्र को प्रभावित करने के साधन के रूप में देखा है।

आपात स्थितियों से निपटने के लिए भारत और रूस की कार्य योजना

पाठ्यक्रम: GS 2/IR

समाचार में

- आपातकालीन प्रबंधन पर संयुक्त रूसी-भारतीय आयोग की दूसरी बैठक मास्को में आयोजित की गई।

संयुक्त रूसी-भारतीय आयोग की कार्य योजना

- भारत और रूस ने 2025-2026 के लिए आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी-भारतीय आयोग की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए।
- बैठक भारत और रूस के बीच पिछले समझौतों को निष्पादित करने के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि दिसंबर, 2010 में आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) और इंडो-रूसी संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए विनियमन आपातकालीन स्थितियों के परिणामों की रोकथाम और उन्मूलन में सहयोग (2013) के लिए।
- दोनों देशों ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।
- चर्चा के बिंदु: जोखिम पूर्वानुमान और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष निगरानी तकनीकें।
- बड़े पैमाने पर आपदाओं का जवाब देने में अनुभवों का आदान-प्रदान।
- अग्नि और बचाव विशेषज्ञों के प्रशिक्षण में सहयोग।
- उद्देश्य: प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को बढ़ाना।
- आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया में आपसी क्षमता का निर्माण करना।
- सेंडाई फ्रेमवर्क और भारत के आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडे के साथ संरेखित करना
- भविष्य की कार्रवाई: आपातकालीन प्रबंधन में संयुक्त प्रयासों को तेज करना।
- आपदा प्रबंधन और प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना।
- शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाना।
- अगली बैठक 2026 में भारत में आयोजित की जाएगी।

यूक्रेन ने ICC में शामिल होने के लिए मतदान किया

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- यूक्रेन की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल होने के लिए मतदान किया, क्योंकि यह रूस को युद्ध अपराधों के आरोपों में लाना चाहता है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

- ICC जाँच करता है और जहाँ आवश्यक हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है: नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध।
- अंतिम उपाय के न्यायालय के रूप में, यह राष्ट्रीय न्यायालयों की जगह नहीं, बल्कि उनका पूरक बनना चाहता है।
- इतिहास: न्यायालय के लिए प्रेरणा 1990 के दशक में पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा में किए गए अत्याचार अपराधों को संबोधित करने के लिए स्थापित तदर्थ अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों से मिली।
- रोम संविधि ने 2002 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की नींव रखी।
- रोम संविधि: रोम संविधि को 1998 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था।
- यह अपने सदस्यों के क्षेत्र में या उनके नागरिकों द्वारा कथित अपराधों की जाँच करने का कानूनी अधिकार देता है, जब घरेलू अधिकारी ऐसा करने के लिए "अनिच्छुक या असमर्थ" हों।
- सदस्य: 124 देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि के पक्षकार हैं।
- हालाँकि कई देशों ने कभी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिनमें चीन, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब और तुर्की शामिल हैं।
- जिन देशों ने संविधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं की, वे हैं मिस्र, ईरान, इज़राइल, रूस, सूडान, सीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- फरवरी 2024 में, आर्मेनिया 2023 में रोम संविधि की पुष्टि करने के बाद ICC में शामिल होने वाला नवीनतम देश बन गया।

इस्लामाबाद में SCO की बैठक

पाठ्यक्रम: GS 2/IR

खबरों में

- पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की सरकार के प्रमुखों की परिषद की बैठक में आमंत्रित किया है, जो अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में होने वाली है।

SCO की पिछली बैठकें:

- भारत ने पिछले साल SCO शिखर सम्मेलन की वर्चुअल मेज़बानी की थी, जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने वीडियो लिंक के ज़रिए भाग लिया था।
- मई 2023 में, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में SCO विदेश मंत्रियों की परिषद की व्यक्तिगत बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए, जो लगभग 12 वर्षों में इस तरह की पहली यात्रा थी।
- पाकिस्तान वर्तमान में SCO सरकार प्रमुखों की परिषद (CHG) की घूर्णन अध्यक्षता करता है और दो दिवसीय व्यक्तिगत बैठक की मेजबानी करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, मुख्य रूप से कश्मीर मुद्दे और सीमा पार आतंकवाद के कारण।
- भारत ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है, बशर्ते कि पाकिस्तान आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त माहौल बनाए।
1. 5 अगस्त, 2019 को भारतीय संसद द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने संबंधों को कमतर कर दिया।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- यह 15 जून, 2001 को शंघाई (PRC) में स्थापित एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- संस्थापक सदस्य: कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान

वर्तमान सदस्य देश:

आधिकारिक भाषाएँ: रूसी और चीनी

- निर्णय लेने वाली संस्थाएँ: राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (CHS): प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सालाना बैठक करती है।
- शासनाध्यक्षों की परिषद (CHG): बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और बजट को मंजूरी देने के लिए सालाना बैठक करती है।
- लक्ष्य: सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और अच्छे पड़ोसी की भावना को मजबूत करना।
- राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना और बनाए रखना।
- एक निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना।

प्रशांत द्वीप समूह फोरम (PIF)

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय समूह

संदर्भ

- प्रशांत द्वीप समूह फोरम (PIF) की वार्षिक बैठक टोंगा की राजधानी नुकूआलोफा में शुरू हो गई है।
- इस कार्यक्रम में लगभग 40 देशों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
- इस वर्ष की वार्षिक बैठक में, जलवायु परिवर्तन एजेंडे में सबसे ऊपर है - कई PIF सदस्य दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में से हैं, खासकर बढ़ते समुद्र के स्तर के कारण।

प्रशांत द्वीप समूह फोरम

- PIF 1971 में गठित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसमें प्रशांत क्षेत्र में स्थित 18 सदस्य देश शामिल हैं।
- ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल द्वीप गणराज्य, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु और वानुअतु।
- पीआईएफ का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्र के लिए राजनीतिक शासन और सुरक्षा को बढ़ाना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है।
- वार्षिक फोरम बैठकों की अध्यक्षता मेजबान देश के सरकार के प्रमुख द्वारा की जाती है, जो अगली बैठक तक फोरम के अध्यक्ष के रूप में बने रहते हैं।
- संगठन अपनी वार्षिक बैठक में प्राथमिकता वाले मुद्दों पर चर्चा करता है, जहाँ सदस्य राज्यों द्वारा लिए गए निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
- निर्णयों को प्रशांत द्वीप समूह फोरम सचिवालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने ब्राजील के समकक्ष मौरो विएरा के साथ 9वें भारत-ब्राजील संयुक्त आयोग की सह-अध्यक्षता की।
- भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में "गहरी और विविधतापूर्ण" हुई है। इसमें रक्षा, अंतरिक्ष, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों को शामिल किया गया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूती मिली है।
- भारत ने ब्राजील के G20 प्रेसीडेंसी को अपना पूर्ण समर्थन दोहराया क्योंकि वह वर्तमान में ब्लॉक का अध्यक्ष है।
- पिछले साल भारत द्वारा G20 प्रेसीडेंसी को ब्राजील को सौंप दिया गया था।

भारत और ब्राजील संबंधों की प्रमुख विशेषताएं

- रणनीतिक साझेदारी: संबंध 1948 में स्थापित हुए थे और दोनों देश 2006 से रणनीतिक साझेदार हैं।
- दोनों पक्षों के पास क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई संयुक्त कार्य समूह भी हैं।
- व्यापार संबंध: 2022 में, द्विपक्षीय व्यापार में 32% का विस्तार 32% US $ 15.2 बिलियन (भारत का निर्यात US $ 8.8 बिलियन और आयात - US $ 6.4 बिलियन) है।
- भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय व्यापार में बाधाओं की निगरानी और पहचान करने तथा उन्हें दूर करने के लिए उचित उपाय करने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में व्यापार निगरानी तंत्र की स्थापना की है।
- रक्षा और सुरक्षा सहयोग: भारत और ब्राजील ने रक्षा में सहयोग के लिए 2003 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- सुरक्षा सहयोग: भारत और ब्राजील ने आपसी चिंता के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को कवर करने के लिए 2006 में एक रणनीतिक वार्ता तंत्र की स्थापना की।
- दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण का समझौता है।
- अंतरिक्ष सहयोग: भारत और ब्राजील ने 2004 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, साथ ही अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच अंतर-संस्थागत सहयोग के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।
- दोनों देश भारतीय उपग्रहों के डेटा साझाकरण और उपग्रह ट्रैकिंग में सहयोग कर रहे हैं।
- बहु-मंच संबंध: भारत और ब्राजील द्विपक्षीय स्तर पर और साथ ही बहुपक्षीय मंचों जैसे ब्रिक्स, बेसिक (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का एक समूह), जी-20, जी-4, आईबीएसए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, साथ ही संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को और डब्ल्यूआईपीओ जैसे बड़े बहुपक्षीय निकायों में बहुत करीबी और बहुआयामी संबंध साझा करते हैं।

संबंधों में चुनौतियाँ

- भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: भारत और ब्राज़ील दोनों ही उभरती हुई शक्तियाँ हैं जो वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभाव की आकांक्षा रखती हैं। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, जहाँ दोनों देश अधिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव चाहते हैं।
- व्यापार बाधाएँ: भारत और ब्राज़ील के बीच व्यापार अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच पाया है, आंशिक रूप से दोनों देशों में विभिन्न व्यापार बाधाओं और संरक्षणवादी उपायों के कारण। ये बाधाएँ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विकास में बाधा डालती हैं।
- बुनियादी ढाँचा और संपर्क: दोनों देशों के बीच बुनियादी ढाँचा और संपर्क में सुधार एक चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

- चुनौतियों पर काबू पाने के लिए निरंतर कूटनीतिक प्रयासों, बढ़े हुए आर्थिक सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर आम ज़मीन खोजने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
- बाधाओं के बावजूद, एक मजबूत भारत-ब्राज़ील साझेदारी के संभावित लाभ इन चुनौतियों पर काबू पाने को एक सार्थक प्रयास बनाते हैं।

बलूचिस्तान क्षेत्र में अशांति

पाठ्यक्रम: GS 2 /IR

समाचार में

- बलूचिस्तान में हाल ही में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में शासन और गहरे जातीय तनाव के मुद्दों को रेखांकित करते हैं।

के बारे में

- बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है जो अब तीन देशों पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच विभाजित है।
- बलूचिस्तान में हाल ही में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन बलूच यकजेहती समिति (BYC) द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन, संसाधनों के दोहन और अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं को संबोधित करने के लिए आयोजित किए गए थे।
- महिलाओं की भागीदारी: महरंग बलूच सहित महिलाओं ने विरोध प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो सरकार की कार्रवाइयों के प्रति उनके गहरे असंतोष को उजागर करती है।

अशांति के कारण

- बलूचिस्तान के राजनीतिक इतिहास में 1947 में स्वतंत्रता के लिए एक असफल प्रयास, 1948 में पाकिस्तान में जबरन शामिल होना और सत्ता के केंद्रीकरण के कारण महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असंतोष शामिल है।
- आर्थिक असमानताएँ: संसाधन-समृद्ध होने के बावजूद, बलूचिस्तान आर्थिक रूप से अविकसित बना हुआ है।
- संसाधनों के दोहन से स्थानीय आबादी को कोई लाभ नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्रीय शिकायतें बढ़ी हैं।
- मानवाधिकार मुद्दे: इस क्षेत्र में जबरन गायब किए जाने और न्यायेतर हत्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे असंतोष गहरा रहा है और अशांति को बढ़ावा मिल रहा है।

चीन की भूमिका

- चीन बलूचिस्तान में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है और उसने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के हिस्से के रूप में खनन, ऊर्जा, हवाई अड्डों और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में निवेश किया है। CPEC चीन के काशगर से शुरू होकर पाकिस्तान की पूरी लंबाई से होकर ग्वादर में समाप्त होता है
- CPEC परियोजनाओं के माध्यम से बलूचिस्तान में चीन के निवेश ने सैन्यीकरण, स्थानीय समुदायों के विस्थापन और बलूच लोगों के लिए ठोस लाभों की कमी के बारे में चिंताएँ पैदा की हैं।
- उग्रवाद और सुरक्षा प्रतिक्रिया: सुरक्षा बलों और CPEC परियोजनाओं के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह तेज हो गया है, जिसके कारण पाकिस्तानी सरकार की ओर से सुरक्षा प्रतिक्रिया और भी सख्त हो गई है।

प्रभाव

- विरोध प्रदर्शनों के कारण सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुई, जिसके परिणामस्वरूप मौतें हुई, हिरासत में लिए गए और प्रमुख शहरों में नाकाबंदी के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई।
- ग्वादर, हब, मस्तंग और क्वेटा जैसे कई शहरों और कस्बों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई और प्रमुख मार्गों की नाकाबंदी के परिणामस्वरूप भोजन, दवा और पेट्रोल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि हुई।

सुझाव और आगे का रास्ता

- बलूचिस्तान की स्थिति पाकिस्तान के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में व्यापक चुनौतियों को दर्शाती है, विशेष रूप से जातीय और धार्मिक पहचान को संतुलित करने और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने में।
- बलूचिस्तान के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिक दयालु दृष्टिकोण की मांग की जा रही है, जिसमें स्थानीय हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर किया गया है।

फिलाडेल्फिया (सलाहद्दीन) कॉरिडोर

पाठ्यक्रम: जीएस 2/आईआर

समाचार में

- मिस्र के साथ गाजा पट्टी की सीमा पर भूमि का एक संकीर्ण खंड वार्ता में मुख्य बाधा के रूप में उभरा है।

कॉरिडोर के बारे में

- यह मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर 14 किलोमीटर का खंड है, और यह इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता का केंद्र है।
- इसे इजरायली सेना ने तब बनाया था जब 1967 और 2005 के बीच गाजा पर उसका सीधा कब्जा था।
- अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किया गया 1979 का समझौता इजरायल और किसी अरब देश के बीच पहली शांति संधि थी।
- इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास को फिर से हथियारबंद होने से रोकने के लिए कॉरिडोर पर स्थायी इजरायली नियंत्रण पर जोर देते हैं।
- हमास कॉरिडोर सहित गाजा से पूरी तरह इजरायली वापसी की मांग करता है।
- 2005 में इजरायल और मिस्र के बीच हुए एक समझौते ने इस गलियारे को गाजा की आवाजाही और तस्करी को प्रबंधित करने के लिए एक बफर जोन के रूप में स्थापित किया।
- 2005 में इजरायल के हटने के बाद, मिस्र और फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इस क्षेत्र का प्रबंधन किया, लेकिन 2007 में हमास ने इस पर नियंत्रण कर लिया।
- इस गलियारे का इस्तेमाल कई सुरंगों के ज़रिए हथियारों और सामानों सहित तस्करी के लिए किया जाता रहा है।
- मिस्र ने कई सुरंगों को नष्ट कर दिया है और इजरायल के नियंत्रण को समझौतों का उल्लंघन मानता है।

बोत्सवाना ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा

पाठ्यक्रम: GS 2/IR

समाचार में

- दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 2,492 कैरेट का हीरा बोत्सवाना में एक कनाडाई कंपनी लुकारा डायमंड की खदान में खोजा गया है।
- सबसे बड़ा हीरा - 3,106 कैरेट - 1905 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, जिसे कलिनन डायमंड के नाम से भी जाना जाता है।

बोत्सवाना

- यह दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र में स्थित है।
- यह एक स्थल-रुद्ध देश है, जिस पर भौगोलिक दृष्टि से कालाहारी रेगिस्तान का प्रभुत्व है।
- यह उत्तर-पूर्व में जाम्बिया और जिम्बाब्वे, उत्तर और पश्चिम में नामीबिया और दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में दक्षिण अफ्रीका से घिरा है।

राजधानी शहर: गैबोरोन

- बोत्सवाना की जलवायु अर्ध-शुष्क है, हालांकि यह वर्ष के अधिकांश समय गर्म और शुष्क रहता है।
- बोत्सवाना का सबसे ऊँचा स्थान त्सोडिलो हिल्स है।
- प्रमुख नदियाँ: महत्वपूर्ण नदियों में लिम्पोपो, ओकावांगो और शाशे शामिल हैं, जबकि मोलोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच भौगोलिक सीमा बनाती है।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी का घर है

रेल फोर्स वन: लौह कूटनीति का प्रतीक

पाठ्यक्रम: जीएस 2/आईआर

संदर्भ

- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा के लिए पोलैंड से 'ट्रेन फोर्स वन' में सवार हुए।

के बारे में

- फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिए जाने के बाद से कीव आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्ति ट्रेन का उपयोग कर रहे हैं।

रेल फोर्स वन

- ट्रेन की विशेषताएँ: यूक्रेनी रेलवे (उक्रज़ालिज़्नित्सिया) द्वारा संचालित इस ट्रेन को नीले और पीले रंग से रंगा गया है और इसमें लकड़ी के पैनल, क्रीम और नीले रंग के पर्दे, चमड़े के सोफे, किंग-साइज़ बेड और दीवार पर लगे फ्लैटस्क्रीन टीवी जैसी लक्जरी सुविधाएँ हैं।
- यात्रा विवरण: ट्रेन पोलैंड के प्रेज़ेमिस्ल ग्लोनी स्टेशन से कीव तक लगभग 700 किमी की यात्रा करती है, जिसमें लगभग 10 घंटे लगते हैं।
- ऐतिहासिक उपयोग: 2014 में रूस के कब्जे से पहले ट्रेन का इस्तेमाल शुरू में क्रीमिया आने वाले अमीर पर्यटकों के लिए किया जाता था।
- कूटनीति का प्रतीक: यह ट्रेन "आयरन डिप्लोमेसी" का प्रतीक बन गई है, जो यूक्रेन के सामरिक उद्योग मंत्री अलेक्जेंडर कामिशिन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।
- यूक्रेन के लिए महत्व: ट्रेन नेटवर्क यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है, युद्ध प्रयासों में सहायता करता है और सहायता और निकासी दोनों को ले जाता है। इसने संघर्ष के दौरान मनोबल बढ़ाने और जनसंपर्क संपत्ति के रूप में भी काम किया है।

प्रधानमंत्री की पोलैंड की राजकीय यात्रा

पाठ्यक्रम: GS2/IR

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की राजकीय यात्रा की, यह 45 वर्षों में पोलैंड की पहली भारतीय प्रधानमंत्री यात्रा है।
- यह यात्रा पोलैंड और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है, जो लंबे समय से चले आ रहे संबंधों में एक मील का पत्थर है।
- दोनों देशों के बीच वार्ता में कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिसमें अंतरिक्ष उद्योग में भारत की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- यह यात्रा राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने का प्रतीक है और अंतरराष्ट्रीय महत्व रखती है।

भारत-पोलैंड संबंधों का अवलोकन

- 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, दोनों देशों ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरोध के आधार पर समान वैचारिक धारणाएँ साझा कीं।
- ऐतिहासिक संबंध: दोनों देशों के बीच इतिहास के कई अध्याय हैं।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जामनगर के महाराजा ने पश्चिम पहुँचने की कोशिश कर रहे कई सौ पोलिश महिलाओं और बच्चों को शरण दी। वारसॉ में एक सड़क और एक जूनियर हाई स्कूल का नाम उनके सम्मान में रखा गया है।
- 1944 में, पोलिश और भारतीयों ने मोंटे कैसिनो की पहाड़ी और मठ को वापस लेने के लिए सेना में शामिल हो गए, जर्मन सेनाओं को खदेड़ दिया और रोम के लिए मित्र राष्ट्रों का रास्ता खोल दिया।
- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध: पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार बना हुआ है।
- 2013-2023 की अवधि में, पोलैंड के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार में 192% की वृद्धि देखी गई है, यानी 2013 में 1.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2023 में 5.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। 2023 में व्यापार संतुलन काफी हद तक भारत के पक्ष में बना रहेगा।
- पर्यटन और व्यापार दोनों दिशाओं में बढ़ रहे हैं, भारतीय कंपनियाँ पोलैंड में निवेश कर रही हैं, खासकर आईटी, जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पैकेजिंग क्षेत्रों में।
- 2023 में, इन कंपनियों ने लगभग 10,000 पोलिश श्रमिकों को रोजगार दिया और 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया।
- संबंधों का महत्व: भारत अब दुनिया की पाँचवीं और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि पोलैंड यूरोपीय संघ में छठे और वैश्विक स्तर पर 21वें स्थान पर है।
- भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहा है, जहाँ दो महाशक्तियों: चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के बीच एक व्यवस्थित प्रतिद्वंद्विता मौजूद है।
- पोलैंड यूक्रेन में पश्चिम के संचालन के लिए केंद्र के रूप में स्थित है, नाटो के पूर्वी भाग में अग्रणी देश है, और रूस के खिलाफ यूरोपीय सुरक्षा के लिए एक नई वास्तुकला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इन बदलावों को पहचानते हुए, दोनों देश बेहतर राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाने के लिए पहले से कहीं अधिक प्रयास कर रहे हैं।

आगे की राह

- द्विपक्षीय पोलैंड-भारत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र अनुसंधान और विकास हो सकते हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रोमोबिलिटी में।
- नई दिल्ली, मुंबई और वारसॉ के बीच सीधे हवाई संपर्क से व्यापार, वैज्ञानिक और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी।
- यूरोप के मध्य में एक नया विमानन केंद्र बनाने की पोलैंड की आकांक्षाएं भारत के विस्तारित विमानन बुनियादी ढांचे के साथ अच्छी तरह से संरेखित हो सकती हैं, जहां यात्री यातायात सालाना 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।
- यूरोप में सबसे बड़े जहाज डिजाइन कार्यालय और इलेक्ट्रिक और एलएनजी प्रणोदन द्वारा संचालित आधुनिक कार्गो और यात्री जहाजों का निर्माण करने में सक्षम शिपयार्ड के साथ, पोलैंड एक प्रमुख भागीदार हो सकता है।

- पोलैंड को अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख विश्व शक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त एक समृद्ध वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत पर एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

थर्ड वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- पीएम मोदी ने तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (VOGSS) के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

पृष्ठभूमि

- भारत ने जनवरी 2023 में उद्घाटन वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (VOGSS) और नवंबर 2023 में दूसरे संस्करण की मेजबानी की।
- दोनों सत्र वर्चुअली आयोजित किए गए।
- तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का विषय है "एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ"।

ग्लोबल साउथ क्या है?

- "ग्लोबल साउथ" शब्द 1969 में एक अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेसबी द्वारा गढ़ा गया था।
- उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल ग्लोबल नॉर्थ के विकसित देशों द्वारा राजनीतिक और आर्थिक शोषण से पीड़ित देशों का वर्णन करने के लिए किया था।
- सरलतम अर्थ में, ग्लोबल साउथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के देशों को संदर्भित करता है।
- इनमें से अधिकांश देश, जहाँ दुनिया की 88 प्रतिशत आबादी रहती है, ने औपनिवेशिक शासन का अनुभव किया और ऐतिहासिक रूप से औद्योगीकरण के पर्याप्त स्तर को प्राप्त करने में पिछड़ गए।
- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार, ग्लोबल साउथ देश आम तौर पर विकास के निम्न स्तर, उच्च आय असमानता, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था, जीवन की निम्न गुणवत्ता, कम जीवन प्रत्याशा और महत्वपूर्ण बाहरी निर्भरता प्रदर्शित करते हैं।
- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, "दक्षिण का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), जो 1970 के दशक की शुरुआत और 1990 के दशक के अंत के बीच विश्व जीडीपी का लगभग 20 प्रतिशत था, 2012 तक दोगुना होकर लगभग 40 प्रतिशत हो गया।"

वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में भारत

- शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन और जी77 में अग्रणी भूमिका निभाने के अपने इतिहास के साथ, वैश्विक दक्षिण देशों के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करने और नेतृत्व की भूमिका निभाने में भारत ने काफ़ी बढ़त हासिल की है।
- 2023 में दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत अफ्रीकी संघ को प्रमुख आर्थिक ब्लॉक के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के अपने प्रयासों में सफल रहा।
- 1999 में जी20 के गठन के बाद से यह पहला विस्तार है, जो अफ्रीकी देशों को दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों के सामने सीधे अपनी आर्थिक चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने जनवरी 2021 और फरवरी 2022 के बीच 'वैक्सीन मैत्री' मानवीय अभियान के तहत 96 देशों में लगभग 163 मिलियन खुराक वितरित की।
- यूपीआई, रुपे और इंडिया स्टैक जैसी भारत की डिजिटल सार्वजनिक संपत्तियाँ, जो भारतीय आबादी के इतने बड़े हिस्से का समर्थन कर रही हैं, अन्य विकासशील और उभरते देशों के डिजिटल परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकती हैं।

चुनौतियाँ

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन और समूह-77 विकासशील देशों के साथ भारत का अपना पिछला अनुभव साझा लक्ष्यों की खोज में वैश्विक दक्षिण को एकजुट करने की वास्तविक कठिनाई की ओर इशारा करता है।
- कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में रूसी युद्ध से उत्पन्न दोहरे संकटों का वैश्विक दक्षिण पर विनाशकारी और असंगत प्रभाव पड़ा है।
- अफ्रीका की संभावित उपेक्षा: एशिया के उदय में, अफ्रीका की निरंतर उपेक्षा पर भी सवाल उठाए गए हैं।
- ग्लोबल नॉर्थ के कई विकसित देशों ने चीन और भारत को उनके बढ़ते औद्योगीकरण के कारण ग्लोबल साउथ से बाहर रखे जाने पर आपत्ति जताई है।

निष्कर्ष

- ग्लोबल साउथ का हालिया पुनरुत्थान विकासशील भू-राजनीतिक परिदृश्य और वैश्विक मामलों में विकासशील देशों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

- यह उन लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को आवाज़ देने का एक मंच है, जिनकी आवाज़ अब तक अनसुनी रही है, ऐसे समय में जब पिछली सदी में गठित वैश्विक शासन और वित्तीय संस्थाएँ इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रही हैं।
- दुनिया को ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वैश्विक चुनौतियों के लिए साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियों के सिद्धांत को पहचानना चाहिए, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार करना चाहिए।

भारत और जापान द्वारा इंडो-पैसिफिक पर केंद्रित '2+2' संवाद

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जुड़ाव में, भारत और जापान ने हाल ही में अपने विदेश और रक्षा मंत्रियों को एक साथ लाते हुए अपना तीसरा "2+2" संवाद आयोजित किया।

भारत-जापान 2+2 वार्ता (2024) के बारे में

- यह दो देशों के विदेश मामलों और रक्षा मंत्रियों (या सचिवों) के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक को संदर्भित करता है।
- यह एक ऐसा प्रारूप है जो रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संरेखण सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की अनुमति देता है।
- इसमें रक्षा सहयोग और एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के महत्व पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, विशेष रूप से चीन की मुखरता के मद्देनजर।
- भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी इंडो-पैसिफिक से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। भारत के लिए, यह स्वाभाविक रूप से इसकी एक्ट ईस्ट नीति के साथ संरेखित है।
- दोनों देश एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के महत्व को पहचानते हैं, जहाँ समुद्री सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

रणनीतिक संदर्भ

- यह संवाद एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक की पृष्ठभूमि में हुआ। दोनों राष्ट्र इस क्षेत्र के महत्व को पहचानते हैं, विशेष रूप से इस क्षेत्र में चीन की मुखर सैन्य कार्रवाइयों को देखते हुए।
- भारत और जापान एक "विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" साझा करते हैं। यह संबंध लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे सामान्य मूल्यों पर आधारित है। इस साझेदारी के भीतर रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है।

आपसी सहयोग

- पिछले दशक में भारत-जापान संबंध एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में बदल गए हैं। यह विकास हितों और सहयोगात्मक प्रयासों के विस्तार से उपजा है।

"2+2" वार्ता के हालिया उदाहरण

- भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता (2023): इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करना था, जिसमें रक्षा औद्योगिक संबंधों, इंडो-पैसिफिक जुड़ाव और उच्च प्रौद्योगिकी और खनिजों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता (2023): चर्चाएँ रक्षा सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित थीं, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।

"2+2" वार्ता का महत्व

- व्यापक जुड़ाव: "2+2" प्रारूप एक समग्र चर्चा की अनुमति देता है जो कूटनीतिक और रक्षा दृष्टिकोणों को जोड़ती है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों मंत्रालय अपनी रणनीतियों और नीतियों को संरेखित करें।
- रणनीतिक संरेखण: तेजी से जटिल होते भू-राजनीतिक परिदृश्य में, देश ऐसे विश्वसनीय भागीदारों की तलाश करते हैं, जिनके हित समान हों। संवाद रणनीतिक संरेखण और आपसी समझ को मजबूत करने में मदद करता है।
- इंडो-पैसिफिक फोकस: इनमें से कई संवाद इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर जोर देते हैं - वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र। प्रतिभागी समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा करते हैं।

आर्थिक और तकनीकी सहयोग

- बुनियादी ढांचे का विकास: जापान भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है, जिसमें दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना शामिल है।
- व्यापार और निवेश: दोनों देश सक्रिय रूप से व्यापार और निवेश को बढ़ावा देते हैं। जापान भारत में एक प्रमुख निवेशक है, खासकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में।
- तकनीकी सहयोग: भारत और जापान रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। भारत-जापान डिजिटल साझेदारी जैसी पहल का उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी और नवाचार को बढ़ाना है।

सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान: भारत और जापान कला प्रदर्शनियों, फिल्म समारोहों और शैक्षणिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न आदान-प्रदानों के माध्यम से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं।
- पर्यटन: जापान भारतीय पर्यटकों के लिए एक तेजी से लोकप्रिय गंतव्य है, और इसके विपरीत भी। विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान आपसी समझ में योगदान देता है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

- भारत ने जोर देकर कहा कि “2+2” वार्ता को आगे की राह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दो साल पहले टोक्यो में उनकी पिछली बैठक के बाद से, वैश्विक विकास और क्षमताओं में बदलाव ने उनके संबंधों को फिर से मापने की आवश्यकता पैदा कर दी है।
- इसने भावना को प्रतिध्वनित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत-जापान साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन के पालन पर टिकी हुई है।
- भारत और जापान अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना जारी रखते हैं, विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में। इंडो-पैसिफिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, और दोनों देश भू-राजनीतिक जटिलताओं के बावजूद एक स्थिर और खुला वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विदेश मंत्री का मालदीव दौरा

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मालदीव की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की है।

बैठक की मुख्य बातें

- दोनों देशों ने क्षमता निर्माण पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और छह उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) का उद्घाटन किया।
- दोनों देशों की बैठक के दौरान मालदीव के 28 द्वीपों में जल और सीवरेज नेटवर्क की भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC)-सहायता प्राप्त परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया।
- भारत में अतिरिक्त 1,000 मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण और मालदीव में UPI की शुरूआत पर समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।

भारत के लिए मालदीव का महत्व

- व्यापार मार्ग: अदन की खाड़ी और मलक्का जलडमरूमध्य के बीच महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित, मालदीव भारत के लगभग आधे बाहरी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात के लिए "टोल गेट" के रूप में कार्य करता है।
- रणनीतिक स्थान: मालदीव रणनीतिक रूप से हिंद महासागर में स्थित है, और इसकी स्थिरता और सुरक्षा भारत के लिए रुचिकर है।
- चीन का प्रतिकार: मालदीव भारत के लिए हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार करने और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बढ़ावा देने का अवसर प्रस्तुत करता है।
- आर्थिक भागीदारी: भारत मालदीव के लिए सबसे बड़े निवेशकों और पर्यटन बाजारों में से एक है, जहाँ महत्वपूर्ण व्यापार और बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ चल रही हैं।
- रक्षा और सुरक्षा सहयोग: 1988 से, रक्षा और सुरक्षा भारत और मालदीव के बीच सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है।
- रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए 2016 में रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।
- अनुमान बताते हैं कि मालदीव का लगभग 70 प्रतिशत रक्षा प्रशिक्षण भारत द्वारा किया जाता है - या तो द्वीपों पर या भारत की विशिष्ट सैन्य अकादमियों में।

मालदीव के लिए भारत का महत्व

- आवश्यक वस्तुएँ: भारत मालदीव को उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें जैसे चावल, मसाले, फल, सब्ज़ियाँ, मुर्गी पालन, दवाएँ और जीवन रक्षक दवाएँ मुहैया कराता है।
- शिक्षा: हर साल मालदीव के छात्र भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने आते हैं।

- आर्थिक निर्भरता: 2022 में भारत और मालदीव के बीच कुल 50 करोड़ रुपये के व्यापार में से 49 करोड़ रुपये भारत द्वारा मालदीव को निर्यात किए गए। भारत 2022 में मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा।
- आपदा राहत सहायता: जब 2004 में सुनामी ने द्वीपों पर हमला किया, तो भारत ने सबसे पहले मदद भेजी।
- 2014 में माले में पीने के पानी का संकट था क्योंकि प्रमुख विलवणीकरण संयंत्र टूट गया था, भारत ने रातों-रात द्वीपों तक पीने का पानी पहुँचाया।
- कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने द्वीप देश के लिए आवश्यक दवाएँ, मास्क, दस्ताने, पीपीई किट और टीके भेजे।

संबंधों में चुनौतियाँ

- मालदीव में घरेलू उथल-पुथल: हाल ही में राजनीतिक उथल-पुथल और सरकार में बदलावों ने अनिश्चितता पैदा की है और दीर्घकालिक सहयोग परियोजनाओं को जटिल बना दिया है।
- चीनी प्रभाव: बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और ऋण-जाल कूटनीति में निवेश के सबूत के रूप में मालदीव में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति को इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाता है।
- सैन्य महत्वाकांक्षाएँ: मालदीव के सक्रिय समर्थन से हिंद महासागर में चीनी नौसेना का विस्तार और संभावित सैन्य महत्वाकांक्षाओं ने भारत के लिए चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- व्यापार असंतुलन: भारत और मालदीव के बीच महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन असंतोष और व्यापार साझेदारी में विविधता लाने की माँग को जन्म दे सकता है।

निष्कर्ष

- यह यात्रा भारत के समुद्री पड़ोसी मालदीव के महत्व को दर्शाती है, जो 'पड़ोसी पहले' नीति और भारत के विज़न SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) में एक प्रमुख भागीदार है।
- मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है।

बांग्लादेश संकट और शरणार्थियों पर भारत की नीति

पाठ्यक्रम: GS2/IR/GS3/आंतरिक सुरक्षा

संदर्भ

- बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना संभवत: कुछ समय के लिए भारत में रहेंगी, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की उनकी योजना में तकनीकी बाधा आ गई है।
- पूर्व प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर होने के बाद भारत आईं।
- पूर्व प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन में शरण लेने की योजना बनाई थी, लेकिन देश के आव्रजन नियमों के अनुसार, शरण अनुरोधों पर तभी कार्रवाई की जा सकती है जब कोई व्यक्ति ब्रिटेन में हो और उसके पास वहां जाने के लिए वीजा न हो।
- दूसरी ओर, शरणार्थियों पर आधिकारिक नीति की कमी के बावजूद भारत ने उन्हें देश में रहने देने का फैसला किया है।

प्रवासन शर्तों का अवलोकन

– शरण चाहने वाला: एक व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चाहता है। गंतव्य देश में कानूनी दर्जा दिए जाने से पहले, शरणार्थियों को शरण चाहने वाला कहा जाता है।

1. सभी शरण चाहने वालों को शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया जाएगा।

- आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति: कोई व्यक्ति जिसे संघर्ष, हिंसा और आपदाओं से बचने के लिए अपने घर से भागने के लिए मजबूर किया गया है और वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राज्य की सीमा के भीतर चला गया है।

- प्रवासी: प्रवासी एक "छाता शब्द है, जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, जो एक ऐसे व्यक्ति की आम समझ को दर्शाता है जो अपने सामान्य निवास स्थान से दूर चला जाता है, चाहे वह किसी देश के भीतर हो या सीमा पार, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, और कई कारणों से"।

- शरणार्थी: 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार, शरणार्थी वे व्यक्ति होते हैं जो अपने मूल देश से बाहर रहते हैं और जिन्हें अपने मूल देश में उत्पीड़न या अपने जीवन, शारीरिक अखंडता या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे के डर से अंतरराष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता होती है।

1. शरणार्थियों को मेज़बान देश में रहने की कानूनी अनुमति है और उन्हें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कल्याण लाभों तक पहुँच हो सकती है।

भारत में शरणार्थी संकट

- अफ़गान शरणार्थी: अफ़गानिस्तान में तालिबान के फिर से उभरने के साथ ही सुरक्षा और शरण की तलाश में अफ़गान शरणार्थियों का भारत में आना शुरू हो गया है। उनमें से कई सिख और हिंदू हैं जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं।
- रोहिंग्या संकट: म्यांमार के रखाइन राज्य में जातीय हिंसा और उत्पीड़न के कारण म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों ने भारत में शरण मांगी है।
- भारत उनकी स्थिति से जूझ रहा है, सरकार उनके निर्वासन पर कड़ा रुख अपना रही है।
- तिब्बती शरणार्थी: तिब्बती लोग 1959 में चीनी शासन के खिलाफ तिब्बती विद्रोह के बाद से भारत में रह रहे हैं।
- उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया गया है और वे मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में बस्तियों में रहते हैं।
- श्रीलंका: श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के मामले में, उनमें से कई तमिलनाडु में शिविरों में हैं। राज्य सरकार उन्हें भत्ता देती है और उन्हें नौकरी की तलाश करने और उनके बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति देती है।
- 2009 में श्रीलंका के गृह युद्ध की समाप्ति के बाद, भारत ने स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन की विधि के माध्यम से वापसी को प्रोत्साहित किया है, अगर घर पर स्थिति सुरक्षित है।

शरणार्थियों पर भारत की नीति

- भारत ने अतीत में शरणार्थियों का स्वागत किया है, जिसमें लगभग 300,000 लोगों को शरणार्थी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसमें तिब्बती, बांग्लादेश से आए चकमा और अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि से आए शरणार्थी शामिल हैं।
- लेकिन भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन या शरणार्थी की स्थिति से संबंधित 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। न ही भारत के पास शरणार्थी नीति या शरणार्थी कानून है।
- कारण: इसने भारत को शरणार्थियों के सवाल पर अपने विकल्प खुले रखने की अनुमति दी है।
- सरकार शरणार्थियों के किसी भी समूह को अवैध अप्रवासी घोषित कर सकती है - जैसा कि यूएनएचसीआर सत्यापन के बावजूद रोहिंग्या के साथ हुआ है - और विदेशी अधिनियम या भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत उनके साथ अतिचारी के रूप में व्यवहार करने का निर्णय ले सकती है।
- सभी विदेशी अनिर्दिष्ट नागरिकों पर विदेशी अधिनियम, 1946, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार शासन किया जाता है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध अप्रवासी माना जाता है।

शरणार्थियों पर भारत की नीति के कारण

- संसाधनों पर दबाव: शरणार्थियों की मेजबानी करने से भोजन, पानी, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे संसाधनों पर दबाव पड़ता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ बुनियादी ढाँचा पहले से ही कमज़ोर है।
- सामाजिक सामंजस्य: शरणार्थियों की बड़ी संख्या सामाजिक सामंजस्य को प्रभावित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से मेजबान समुदायों के साथ तनाव पैदा हो सकता है, खासकर जब संसाधनों को दुर्लभ माना जाता है।
- सुरक्षा चिंताएँ: शरणार्थियों की आमद से संबंधित सुरक्षा चिंताएँ हैं, जिसमें चरमपंथी तत्वों की संभावित घुसपैठ या छिद्रपूर्ण सीमाओं के पार आंदोलनों की निगरानी में चुनौतियाँ शामिल हैं।
- राजनयिक संबंध: शरणार्थियों की मेज़बानी पड़ोसी देशों या मूल देशों के साथ राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है, खासकर अगर भू-राजनीतिक तनाव या विवाद शामिल हों।
- आर्थिक प्रभाव: शरणार्थी कम-कुशल नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे स्थानीय नौकरी बाजार प्रभावित होता है, जबकि उद्यमिता या श्रम के माध्यम से अर्थव्यवस्था में उनके संभावित योगदान को पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है।

आगे की राह

- भारत शरणार्थी संकट के प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की दिशा में काम कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि शरणार्थियों को क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देते हुए उनकी ज़रूरत के अनुसार सुरक्षा और सहायता मिले।
- शरणार्थी स्थिति निर्धारण: शरणार्थी स्थिति निर्धारित करने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ स्थापित करें और तदनुसार कानूनी सुरक्षा प्रदान करें।
- अधिकारों तक पहुँच: सुनिश्चित करें कि शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार जैसे बुनियादी अधिकारों तक पहुँच हो।
- क्षेत्रीय सहयोग: शरणार्थियों के प्रवाह को प्रबंधित करने और ज़िम्मेदारियों को साझा करने के लिए पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करें।
- द्विपक्षीय समझौते: शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी या पुनर्वास की सुविधा के लिए राजनयिक संबंधों को मज़बूत करें।
- सशक्तिकरण पहल: शरणार्थियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने वाली पहलों का समर्थन करें, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण और भाषा शिक्षा।
- संघर्ष समाधान: राजनयिक प्रयासों और शांति निर्माण पहलों के समर्थन के माध्यम से विस्थापन के मूल कारणों को संबोधित करें।

भारत-श्रीलंका मछुआरा मुद्दा

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के पंबन से 32 मछुआरों को अवैध शिकार के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया।

पृष्ठभूमि

- पाक खाड़ी में कच्चातीवु द्वीप के आसपास मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद कई वर्षों से भारत और श्रीलंका के बीच तनाव का स्रोत रहा है।
- 1974 के भारत-लंका समुद्री समझौते के अनुसार, भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार से परामर्श किए बिना कच्चातीवु द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया।
- इस समझौते ने भारतीय मछुआरों को "आराम करने, घोंसलों को सुखाने और वार्षिक सेंट एंथोनी उत्सव के लिए कच्चातीवु तक पहुँचने" की अनुमति दी, लेकिन इसने पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया।

क्या है मुद्दा?

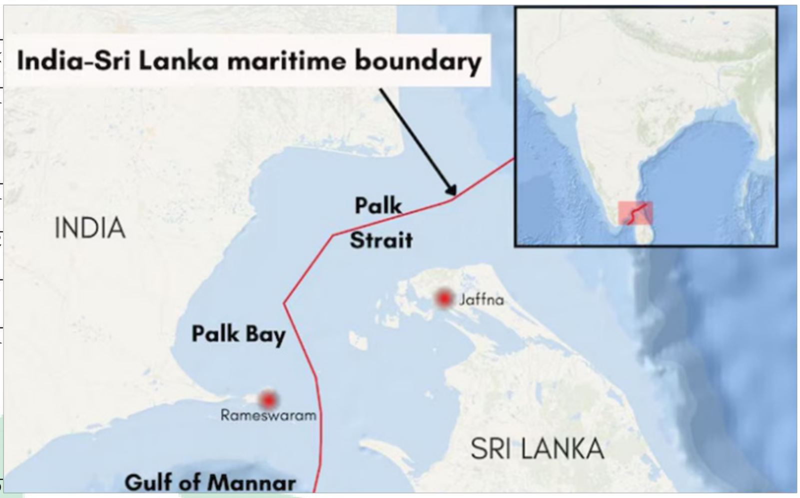

- IMBL का जन्म 1974 और 1976 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते से हुआ था।
- हालाँकि, भारतीय मछुआरे अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) को पार कर रहे हैं और कभी-कभी उन्हें श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है या दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों का सामना करना पड़ता है।

भारतीय मछुआरे सीमा क्यों पार करते हैं?

- तमिलनाडु के मछुआरों का दावा है कि वे और उनके पूर्वज सदियों और पीढ़ियों से आईएमबीएल से परे पानी में मछली पकड़ते रहे हैं।
- आईएमबीएल के भारतीय हिस्से में मछली के भंडार में कमी भी इस तरह के अतिक्रमण के पीछे मुख्य प्रेरणाओं में से एक है।

श्रीलंका की चिंताएँ

- श्रीलंका का दावा है कि भारतीय अतिक्रमण अक्सर सुनियोजित होता है। वे अपने जलक्षेत्र में भारतीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने को "अवैध शिकार" के रूप में वर्गीकृत करते हैं और कहते हैं कि यह अभ्यास दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
- भारतीय तट पर ट्रॉलरों का प्रसार: ट्रॉलर अत्यधिक शोषक मछली पकड़ने वाले जालों वाली मशीनीकृत नावें हैं, जबकि श्रीलंकाई तट पर अधिकांश गरीब मछुआरे पारंपरिक मछली पकड़ने के तरीकों का उपयोग करते हैं।

आगे की राह

- भारत और श्रीलंका के बीच चल रहा मत्स्य विवाद एक जटिल मुद्दा है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
- पाक जलडमरूमध्य में भारतीय मछुआरों के मानवाधिकार उल्लंघन सहित सभी हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण इस मुद्दे को हल करने के लिए आवश्यक है।
- उपग्रह इमेजरी और एल्गोरिदम जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाकर, मछली पकड़ने वाले जहाजों को वास्तविक समय में, दूरदराज के क्षेत्रों में भी सटीक रूप से पहचाना जा सकता है।
- यह अधिकारियों को मछली पकड़ने के पैटर्न को समझने और क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संगठन; भारत के हित

संदर्भ

- हाल ही में, G4 देशों ने कहा है कि सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में अक्षम है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)

- यह संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।

वर्तमान संरचना

- UNSC में वर्तमान में पाँच स्थायी सदस्य (P5) हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

1. इन P5 सदस्यों के पास वीटो पावर है, जिससे वे किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकते हैं।

- इसके अतिरिक्त, दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए दस गैर-स्थायी सदस्य हैं।
- 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश कभी भी सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं रहे हैं।

UNSC चुनाव

- प्रत्येक वर्ष महासभा दो साल के कार्यकाल के लिए पाँच गैर-स्थायी सदस्यों (कुल 10 में से) का चुनाव करती है।
- 10 गैर-स्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर इस प्रकार वितरित की जाती हैं:

1. अफ्रीकी और एशियाई राज्यों के लिए पाँच।
2. पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए एक।
3. लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों के लिए दो;
4. पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए दो

G4 राष्ट्र

- इनमें ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल हैं, ये चार देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की बोली का समर्थन करते हैं।
- जी7 के विपरीत, जहां आम बात अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक राजनीतिक उद्देश्य हैं, जी4 का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य सीटें हासिल करना है।
- इन चारों देशों में से प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से परिषद के निर्वाचित गैर-स्थायी सदस्यों में शामिल है।

सुधार की आवश्यकता

- प्रतिनिधित्व मायने रखता है: G4 देशों ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद में पर्याप्त भौगोलिक प्रतिनिधित्व की कमी इसकी विफलताओं के लिए जिम्मेदार है।
- विशेष रूप से, उन्होंने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के गैर-प्रतिनिधित्व के साथ-साथ यूएनएससी की स्थायी श्रेणी में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कम प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला।
- वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए परिषद के लिए इस ऐतिहासिक असंतुलन को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
- असंतुलन और तात्कालिकता: भारत के प्रभारी और संयुक्त राष्ट्र में उप स्थायी प्रतिनिधि ने बताया कि हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करने में यूएनएससी की सीमाओं को उजागर किया है।
- 1945 की वास्तविकताएँ, जब परिषद की स्थापना हुई थी, आज के भू-राजनीतिक परिदृश्य के साथ मेल नहीं खातीं।
- G4 राष्ट्रों का दृढ़ विश्वास है कि परिषद के किसी भी सुधार में प्रतिनिधित्व की कमी को दूर किया जाना चाहिए, विशेष रूप से स्थायी श्रेणी में। ऐसा न करने से मौजूदा असंतुलन और बढ़ जाएगा।

भारत का रुख

- भारत ने लगातार UNSC सुधार की वकालत की है। उसका मानना है कि एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में, वह परिषद में एक स्थायी सीट का हकदार है।
- यह समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर देता है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए।
- भारत सही रूप से इस बात पर जोर देता है कि UNSC सुधार एक सामूहिक प्रयास है, यह कहते हुए कि यह केवल एक शक्तिशाली राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है; सभी UN सदस्यों को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

प्रस्तावित सुधार

- G4 ने परिषद की सदस्यता का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा ताकि इसमें अधिक स्थायी और अस्थायी सदस्य शामिल हो सकें।
- अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी UNSC को आकार देने में अफ्रीका की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- सार्थक सुधारों के बिना, परिषद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में अक्षम हो सकती है।

चुनौतियाँ और अनिच्छा

- यूएनएससी में सुधार करना आसान प्रक्रिया नहीं है। विभिन्न देशों के पास आगे बढ़ने के तरीके पर अलग-अलग विचार हैं। कुछ राष्ट्र आमतौर पर सुधार करते हैं।
- कॉफी क्लब: यह एक अनौपचारिक समूह है जिसमें 40 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश मध्यम आकार के देश हैं जो बड़ी क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा स्थायी सीटें हथियाने का विरोध करते हैं, पिछले छह वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।
- हालाँकि, भारत बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है।

अंतर-सरकारी वार्ता (IGN)

- यह UNSC सुधार पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। दुर्भाग्य से, प्रगति धीमी रही है।
- भारत ने कुछ देशों द्वारा IGN के उपयोग को "धुआँधार" के रूप में बताया है, जो सुधार की दिशा में पर्याप्त प्रगति को रोकता है।

भारत की तैयारी

- UNSC के वर्तमान गैर-स्थायी सदस्य के रूप में, भारत दिसंबर में अपना दो साल का कार्यकाल पूरा करेगा।
- भारत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ लेने के लिए तैयार है, लेकिन वैश्विक दक्षिण द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना भी चाहता है।

7 पीआईबी

भारत में जनजातीय शिक्षा: समस्याएँ, नीतियाँ और परिप्रेक्ष्य

पाठ्यक्रम: GS1/ समाज, GS2/ शासन

संदर्भ

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत ने नई दिल्ली में 'भारत में जनजातीय शिक्षा: समस्याएँ, नीतियाँ और परिप्रेक्ष्य' पर एक खुली चर्चा आयोजित की।

भारत में जनजातीय शिक्षा की स्थिति

- 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की हिस्सेदारी 8.6% है।
- 1961 में जनजाति की साक्षरता दर 8.53% थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 58.96% हो गई।

भारत में जनजातीय शिक्षा में चुनौतियाँ

- भाषा संबंधी बाधाएँ: जनजातीय बच्चे आमतौर पर घर पर अपनी मूल भाषा बोलते हैं, जो अक्सर स्कूलों में शिक्षा का माध्यम नहीं होती।
- भाषा संबंधी इस अंतर के कारण उन्हें पाठों को समझना मुश्किल हो जाता है, जिससे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन खराब होता है और पढ़ाई छोड़ने की दर बढ़ जाती है।
- समय से पहले पढ़ाई छोड़ देना: आदिवासी छात्रों में पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।
- गरीबी: कई आदिवासी परिवारों में वित्तीय अस्थिरता के कारण बच्चों को मजदूरी के माध्यम से घर की आय में योगदान करना पड़ता है, जिससे शिक्षा के लिए बहुत कम अवसर बचते हैं।
- शिक्षकों की अनुपस्थिति: दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में, शिक्षकों की अनुपस्थिति एक आम समस्या है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को काफी हद तक बाधित करती है।
- खराब स्कूल बुनियादी ढांचा: आदिवासी क्षेत्रों में कई स्कूल अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से ग्रस्त हैं, जिसमें कक्षाएँ, शौचालय और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी शामिल है।
- शिक्षक-छात्र अनुपात: आदिवासी स्कूलों में अक्सर शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त होती है, जिससे कक्षाएँ भीड़भाड़ वाली हो जाती हैं और व्यक्तिगत छात्रों की ज़रूरतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।

सरकारी नीतियाँ

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): यह वर्ष 1997-98 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य आवासीय विद्यालयों के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों (कक्षा 6वीं से 12वीं) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
- आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए योजना: जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए योजना कुछ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सभी लड़कियों के आश्रम विद्यालयों और लड़कों के आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इन विद्यालयों के संचालन और रखरखाव के लिए राज्य जिम्मेदार हैं।
- राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना: यह योजना पीएचडी और पोस्टडॉक्टोरल अध्ययन के लिए विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए 20 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- आवेदन राष्ट्रीय विदेशी पोर्टल पर ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं।
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम करने वाले एसटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आगे की राह

- अनुभवजन्य डेटा की तत्काल आवश्यकता है, इन समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट शैक्षिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने और उनका समाधान करने के लिए विश्वविद्यालयों में आदिवासी-केंद्रित शोध की आवश्यकता है;
- नामांकन दरों में सुधार के लिए सामुदायिक सहभागिता और आउटरीच बढ़ाना महत्वपूर्ण है, जबकि विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में पीने के पानी, स्वच्छता और पर्याप्त छात्रावास आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना आवश्यक है;
- शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आवश्यक हैं ताकि उन्हें आदिवासी संस्कृतियों और भाषाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके, जिससे बेहतर संचार और समझ की सुविधा मिल सके;
- प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं को शामिल करना आदिवासी छात्रों के लिए समझ को आसान बनाने और समग्र सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

- आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में आदिवासी प्रतिनिधित्व में सुधार करने की भी आवश्यकता है।
- एकीकृत पेंशन योजना पाठ्यक्रम: जीएस 2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप संदर्भ
- हाल ही में, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को बदलकर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बारे में

- यह टी. वी. सोमनाथन समिति (2023) की सिफारिशों पर आधारित है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
- UPS पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) दोनों के लाभों को समाहित करने का प्रस्ताव करता है।
- यह भारत में सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका लक्ष्य सभी पात्र कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ पेंशन प्रणाली प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य लचीलापन और विकल्प बनाए रखते हुए सरकारी कर्मचारियों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की मुख्य विशेषताएं

- गारंटीकृत पेंशन: UPS के तहत, पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त उनके औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन का आश्वासन दिया जाता है।
- 10 से 25 वर्षों के बीच की सेवा अवधि के लिए, पेंशन आनुपातिक होगी।
- न्यूनतम योग्यता सेवा: 25 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा वाले कर्मचारियों को पूर्ण सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
- किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उनके परिवार को कर्मचारी की मृत्यु से पहले की पेंशन के 60% के बराबर पेंशन मिलेगी।
- सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपये की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यह सेवानिवृत्त लोगों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करता है।
- यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन देने का वादा करता है, जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी कर ली है।
- इसकी गणना सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन के आधे के रूप में की जाती है।
- मुद्रास्फीति सूचकांक: यूपीएस सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक लागू करता है।
- सेवा कर्मचारियों के समान, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित महंगाई राहत के रूप में।
- एकमुश्त भुगतान: ग्रेच्युटी के अलावा, मासिक वेतन का 1/10वां हिस्सा + सेवा के प्रत्येक छह महीने पूरे होने पर महंगाई भत्ता।
- वित्तीय योगदान: यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान देना जारी रखेंगे।
- सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा।
- यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना न करना पड़े।

UPS और NPS के बीच विकल्प

- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के बीच चयन करने का विकल्प है।
- यूपीएस के विपरीत, एनपीएस बाजार से जुड़ा हुआ है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) से समानताएं

- यूपीएस लाभों के मामले में पुरानी पेंशन योजना के समान है। हालांकि, यह अपने वित्तपोषण तंत्र में काफी भिन्न है।
- ओपीएस के विपरीत, जो एक पे-एज-यू-गो कार्यक्रम था, यूपीएस को हर साल बजट से पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाता है और इसमें समाहित किया जाता है। यह दृष्टिकोण भविष्य की पीढ़ियों को पेंशन भुगतान का बोझ उठाने से रोकता है।

NPS ग्राहकों के लिए विकल्प

- वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कर्मचारियों के पास यूपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प है।
- 2004 में शुरू की गई एनपीएस एक परिभाषित योगदान योजना है, जहां कर्मचारी अपने योगदान के आधार पर सेवानिवृत्ति कोष जमा करते हैं।
- यूपीएस उन लोगों के लिए एक विकल्प प्रदान करता है जो अधिक सुनिश्चित पेंशन चाहते हैं।

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान सूर्य के धब्बों के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा

पाठ्यक्रम: GS 3 / अंतरिक्ष

समाचार में

- शोधकर्ताओं ने कोडाईकनाल टॉवर टनल टेलीस्कोप से डेटा का उपयोग करके सौर वायुमंडल की विभिन्न परतों पर चुंबकीय क्षेत्र की जांच की।

अध्ययन के बारे में

- IIA के दृष्टिकोण में विभिन्न वायुमंडलीय ऊंचाइयों पर सौर चुंबकीय क्षेत्र की जांच करना शामिल है, जो मौलिक सौर प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक आवश्यक प्रयास है।
- सौर वायुमंडल चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ी विभिन्न परतों से बना है।
- ये चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक परतों से बाहरी परतों तक ऊर्जा और द्रव्यमान को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा का मुख्य चालक है।
- डेटा संग्रह: शोधकर्ता विभिन्न सौर वायुमंडल ऊंचाइयों पर चुंबकीय क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए हाइड्रोजन-अल्फा और कैल्शियम II 8662 Å वर्णक्रमीय रेखाओं का उपयोग करते हैं।

निष्कर्ष:

- रेखा स्थानीय तापमान में उतार-चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील है, जिससे यह क्रोमोस्फेरिक चुंबकीय क्षेत्र की जांच करने के लिए प्रभावी है, खासकर अचानक तापमान परिवर्तन वाले सक्रिय क्षेत्रों में।

प्रभाव

- IIA के शोध से प्राप्त निष्कर्षों में सौर भौतिकी की हमारी समझ को बदलने की क्षमता है।
- सौर चुंबकीय क्षेत्रों की जटिलताओं को संबोधित करके, संस्थान सौर ऊर्जा हस्तांतरण और सौर पवन गतिशीलता के बारे में लंबे समय से चले आ रहे सवालों को हल करने के व्यापक प्रयासों में योगदान देता है।
- यह शोध कोरोनल हीटिंग समस्या से निपटने और सौर पवन को चलाने वाले तंत्रों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

भविष्य का दृष्टिकोण

- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ खगोल भौतिकी में अभूतपूर्व खोजों का मार्ग प्रशस्त करते हुए सौर अनुसंधान में अग्रणी बना हुआ है।
- भविष्य के अध्ययन संभवतः इन प्रगति पर आधारित होंगे, जो सूर्य के व्यवहार और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभावों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करेंगे।

क्या आप जानते हैं?

– कोडाईकनाल सौर वेधशाला (KoSO) 1909 में एवरशेड प्रभाव की खोज के लिए जानी जाती है।
– इसका संचालन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IA) द्वारा किया जाता है, और यह तमिलनाडु के कोडाईकनाल में स्थित है।
– कोडाईकनाल टॉवर टनल टेलीस्कोप में एक परिष्कृत 3-दर्पण कोलोस्टेट प्रणाली है।
– इस सेटअप में एक प्राथमिक दर्पण (M1) शामिल है जो सूर्य को ट्रैक करता है, एक द्वितीयक दर्पण (M2) जो सूर्य के प्रकाश को नीचे की ओर पुनर्निर्देशित करता है, और एक तृतीयक दर्पण (M3) जो किरण को क्षैतिज रूप से संरेखित करता है।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार

GS: विविध

समाचार में

- भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार (एनजीए) प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार (NGA) के बारे में

- यह भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, जिसे वर्ष 1966 में भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था।
- वर्ष 2009 से पहले, इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार कहा जाता था।
- इन पुरस्कारों का उद्देश्य भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों यानी खनिज खोज और अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी और खनिज लाभकारीकरण, मौलिक / अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करना है।
- भूविज्ञान के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला भारत का कोई भी नागरिक पुरस्कार के लिए पात्र है।
- खान मंत्रालय हर साल तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है:
  - आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार
  - राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार
  - राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार

भारत में कृषि परिवर्तन के लिए अंतरिक्ष-संचालित समाधान

पाठ्यक्रम: GS3/कृषि

संदर्भ

- कृषि और किसान कल्याण विभाग ने भारत के कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर एक सम्मेलन आयोजित किया।
- सम्मेलन में कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया।

कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली

- कृषि-DSS भारतीय कृषि के लिए डिज़ाइन किया गया अपनी तरह का पहला भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म है। यह हाल ही में बजट में घोषित कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का हिस्सा है।
- यह प्लेटफ़ॉर्म उपग्रह चित्रों, मौसम की जानकारी, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी सहित व्यापक डेटा तक सहज पहुँच प्रदान करता है, जिसे किसी भी समय कहीं से भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।

कृषि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

- मौसम पूर्वानुमान: उपग्रह सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए डेटा प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए बुवाई, सिंचाई और कटाई जैसी अपनी गतिविधियों की योजना बनाने में मदद मिलती है।
- जल संसाधन प्रबंधन: उपग्रह डेटा का उपयोग जल निकायों की निगरानी और जल संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सिंचाई का अनुकूलन हो और पानी का संरक्षण हो।
- मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म: कई सरकारी और निजी पहल मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को वास्तविक समय की सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करती हैं।
- उदाहरण: किसान सुविधा मोबाइल एप्लिकेशन किसानों को महत्वपूर्ण मापदंडों जैसे मौसम; बाजार मूल्य; पौध संरक्षण; कृषि-सलाह; चरम मौसम अलर्ट आदि पर जानकारी के प्रसार की सुविधा के लिए।
- फसल उपज का पूर्वानुमान: उपग्रह डेटा का उपयोग फसल की पैदावार का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है, जिससे बाजार की योजना बनाने और मूल्य निर्धारण रणनीतियों में मदद मिलती है।
- किसान [अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भू-सूचनाओं का उपयोग करके फसल बीमा] परियोजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसमें इष्टतम फसल कटाई प्रयोग योजना और उपज अनुमान में सुधार के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग की परिकल्पना की गई थी।

अन्य पहल

- फसल (अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि-आधारित अवलोकनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान): यह परियोजना उपग्रह डेटा का उपयोग करके फसल उत्पादन का पूर्वानुमान प्रदान करती है।
- भुवन: यह प्लेटफ़ॉर्म फसल बीमा और भूमि उपयोग योजना सहित कृषि का समर्थन करने के लिए उपग्रह इमेजरी और सेवाएँ प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): यह फसल बीमा योजना फसल क्षति का आकलन करने और दावों को तेज़ी से और अधिक सटीक रूप से संसाधित करने के लिए उपग्रह डेटा का लाभ उठाती है।

भारत में कृषि क्षेत्र

- भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है और यह भारत की लगभग 55% आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है।
– यह फल, सब्ज़ियाँ, चाय, मछली पालन, गन्ना, गेहूँ, चावल, कपास और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
भारत जैविक खेती में 2.66 मिलियन हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल के साथ विश्व स्तर पर पाँचवें स्थान पर है।

कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि-DSS)

पाठ्यक्रम: GS 3/कृषि

समाचार में

- कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि-DSS) शुरू की

कृषि-DSS

- यह कृषि के लिए एक भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म है।
- यह उपग्रह चित्रों, मौसम डेटा, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी तक पहुँच प्रदान करता है।
- इसमें फ़सल मानचित्रण, सूखे की निगरानी, फ़सल मौसम निगरानी, फ़ील्ड पार्सल विभाजन, मृदा सूचना और ज़मीनी सच्चाई डेटा के लिए मॉड्यूल शामिल हैं।

- कार्यात्मक क्षमताएँ: फ़सल पैटर्न का विश्लेषण करती हैं और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करती हैं।
- सूखे के संकेतकों पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती हैं।
- फसलों पर मौसम के प्रभाव को ट्रैक करता है।
- फसल की उपयुक्तता और संरक्षण के लिए व्यापक मृदा डेटा प्रदान करता है।
- उद्देश्य: किसानों को सशक्त बनाना, नीतियों को सूचित करना और कृषि नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना।
- किसान-केंद्रित समाधानों और प्रारंभिक आपदा चेतावनियों के विकास का समर्थन करता है।

ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP)

पाठ्यक्रम: GS3/इंफ्रास्ट्रक्चर

संदर्भ

- केंद्रीय बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्री ने नई दिल्ली में ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का शुभारंभ किया।

ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP)

- GTTP को भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में संचालित पारंपरिक ईंधन-आधारित हार्बर टग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और उन्हें स्वच्छ और अधिक टिकाऊ वैकल्पिक ईंधन द्वारा संचालित ग्रीन टग से बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- GTTP के चरण 1 के तहत चार प्रमुख बंदरगाह- जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण और वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी - कम से कम दो ग्रीन टग खरीदेंगी या किराए पर लेंगी।
- जीटीटीपी का लक्ष्य 2030 तक सभी टगों में से कम से कम 50% को ग्रीन टग में बदलना और सभी प्रमुख बंदरगाहों पर ग्रीन टग का संचालन करना है।

फ्लडवॉच इंडिया 2.0

पाठ्यक्रम: जीएस2/ गवर्नेंस

संदर्भ

- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा विकसित 'फ्लडवॉच इंडिया' मोबाइल एप्लिकेशन का संस्करण 2.0 लॉन्च किया।
- एप्लिकेशन का पहला संस्करण 2023 में लॉन्च किया गया था।

के बारे में

- 'फ्लडवॉच इंडिया' का उद्देश्य देश में बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी और 7 दिनों तक के बाढ़ पूर्वानुमानों को वास्तविक समय के आधार पर जनता तक पहुँचाने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना है।
- ऐप सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है।
- ऐप का संस्करण 2.0 अतिरिक्त 392 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर बाढ़ के पूर्वानुमानों की जानकारी प्रदान करता है, जिससे स्टेशनों की कुल संख्या 592 हो जाती है।
- पहले के संस्करण में 200 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशनों पर जानकारी प्रदान की गई थी।

बायोफोर्टिफाइड फसलें

पाठ्यक्रम: GS3/कृषि

संदर्भ

- हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने भारत कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और बायोफोर्टिफाइड किस्में जारी कीं।

बायोफोर्टिफाइड फसलों के बारे में

- यह पारंपरिक प्रजनन या आनुवंशिक संशोधन के माध्यम से फसलों की पोषक सामग्री को बढ़ाने की प्रक्रिया और कृषि दृष्टिकोण है।
- इसका उद्देश्य ऐसी फसलों को विकसित करना और उनका प्रसार करना है जो स्वाभाविक रूप से आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर हों, जिनमें विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों का उच्च स्तर हो।
- ये फसलें कुपोषण शमन, कमजोर आबादी को लक्षित करने और जलवायु लचीलापन आदि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारत के बायोफोर्टिफाइड प्रयास

- भारत बायोफोर्टिफाइड पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तहत, 2014 से कई जैव-सशक्त फसल किस्में विकसित की गई हैं।

- हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं।
- खेत की फसलों में, बाजरा, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य संभावित फसलों सहित विभिन्न अनाज के बीज जारी किए गए।
- बागवानी फसलों में, फलों, सब्जियों की फसलों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जारी की गई।

क्या आप जानते हैं?

- खेत की फसलें: इनमें चावल, गेहूं, मक्का, मोती बाजरा, छोटे बाजरा, दाल, चना और बहुत कुछ की जैव-सशक्त किस्में शामिल हैं। ये फसलें कई भारतीयों के लिए आवश्यक खाद्यान्न हैं।

- बागवानी फसलें: भारत ने शकरकंद, ऐमारैंथस, रतालू और आलू जैसी जैव-सशक्त बागवानी फसलों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। ये पोषक तत्वों और स्वादों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करते हैं।

विश्व शेर दिवस

पाठ्यक्रम: GS 3/पर्यावरण

समाचार में

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शेर दिवस के अवसर पर शेर संरक्षण और सुरक्षा कार्य में शामिल सभी लोगों की सराहना की।

विश्व शेर दिवस:

- बिग कैट रेस्क्यू द्वारा शुरू किया गया जो बड़ी बिल्लियों को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त अभयारण्य है।
- यह 10 अगस्त को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य शेरों और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका सम्मान करना है।

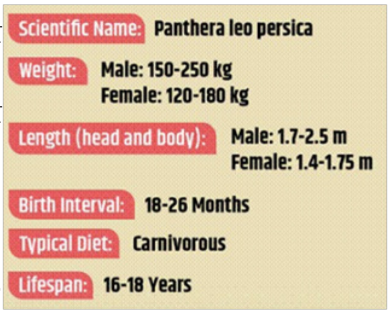

शेर के बारे में

- एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों से थोड़े छोटे होते हैं।
- एशियाई शेर केवल गिर वन में पाए जाते हैं, जिनकी जनसंख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई है।
- IUCN रेड लिस्ट स्थिति: लुप्तप्राय

शेरों का महत्व

- पारिस्थितिकी: शीर्ष शिकारी जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं।
- शाकाहारी आबादी को नियंत्रित करते हैं, जंगल और चरागाह के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, और शिकार आबादी के भीतर बीमारी फैलने से रोकते हैं।
- सांस्कृतिक महत्व: शेर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और मुद्रा पर शक्ति का प्रतीक है।

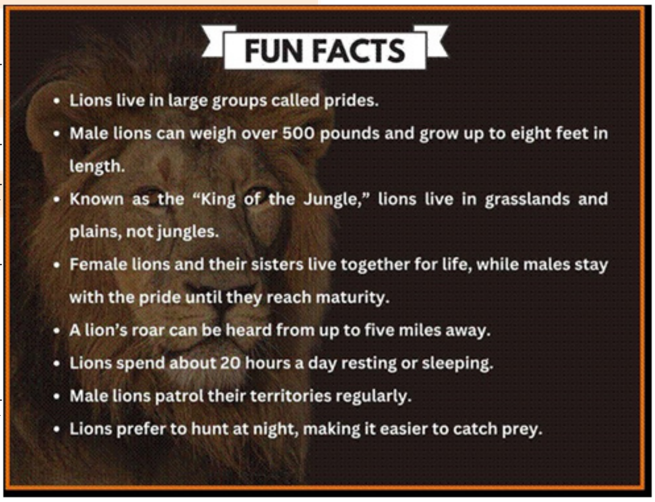

खतरे

- शेरों को आवास के नुकसान, मानव-वन्यजीव संघर्ष और अवैध शिकार से खतरा है।

संरक्षण प्रयास

- प्रोजेक्ट लायन: 15 अगस्त, 2020 को लॉन्च किया गया।
- इसका उद्देश्य एशियाई शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए है।
- इसमें आवास सुधार, प्रौद्योगिकी के साथ निगरानी और मानव-वन्यजीव संघर्षों को संबोधित करना शामिल है।
- गुजरात वन विभाग जनसंख्या की गणना करता है और शेरों के स्वास्थ्य की निगरानी करता है।
- अग्नि प्रबंधन, बाढ़ की तैयारी और निरंतर निगरानी के लिए उपायों को लागू करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस (IBCA): अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया।
- बिग कैट संरक्षण के लिए 97 रेंज देशों के बीच वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है।
- ज्ञान साझा करने और संसाधन आवंटन की सुविधा प्रदान करता है।
- जीआईएस-आधारित वास्तविक समय निगरानी वास्तविक समय विश्लेषण और प्रबंधन प्रदान करती है।

उदार शक्ति अभ्यास

पाठ्यक्रम: GS3/ रक्षा

संदर्भ

- भारतीय वायु सेना (IAF) की टुकड़ी अभ्यास उदार शक्ति 2024 में सफलतापूर्वक भाग लेने के बाद भारत लौट आई।

इसके बारे में

- संयुक्त वायु अभ्यास मलेशिया के कुआंतन में रॉयल मलेशियाई वायु सेना (RMAF) के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- अभ्यास का प्राथमिक फोकस परिचालन दक्षता को मजबूत करना और दोनों वायु सेनाओं की तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना था।

नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत पूरी की गई परियोजनाएँ

पाठ्यक्रम: जीएस 3/संरक्षण

समाचार में

- भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत चार प्रमुख परियोजनाओं को पूरा और चालू कर दिया है।

परियोजनाओं के बारे में

- स्थान: परियोजनाएँ बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।
- परियोजनाओं की कुल लागत 920 करोड़ रुपये है।
- मुंगेर (बिहार): 175 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क और 30 एमएलडी एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) विकसित किया जाएगा।
- मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश): नौ नालों को रोकता है और छह मौजूदा संरचनाओं का पुनर्वास करता है। सीवेज उपचार क्षमता को 31 एमएलडी तक बढ़ाता है।
- गाजीपुर (उत्तर प्रदेश): इसमें 1.3 किमी का इंटरसेप्शन और डायवर्सन (आई एंड डी) नेटवर्क और 21 एमएलडी एसटीपी शामिल है।
- बरेली (उत्तर प्रदेश): 15 नालों को रोकता है और डायवर्ट करता है।
- 63 एमएलडी की संयुक्त क्षमता वाले तीन एसटीपी का निर्माण करता है।
- इसका उद्देश्य रामगंगा नदी और उसके बाद गंगा में पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- हाइब्रिड एन्युटी पीपीपी (एचएएम) मॉडल पर आधारित इन परियोजनाओं को एडवांस्ड सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर तकनीक के आधार पर डिजाइन किया गया है और ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा निर्धारित कड़े मानकों को पूरा करती हैं।

नमामि गंगे मिशन के बारे में

- यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में स्वीकृत किया गया था, जिसका बजट परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करना, उसका संरक्षण और कायाकल्प करना है।
- प्रारंभिक चरण की सफलता के साथ, सरकार ने अब नमामि गंगे मिशन 2.0 की शुरुआत की है, जो नदी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक महत्वाकांक्षी और व्यापक प्रयास है।

★ Main pillars of the Namami Gange Programme are:-

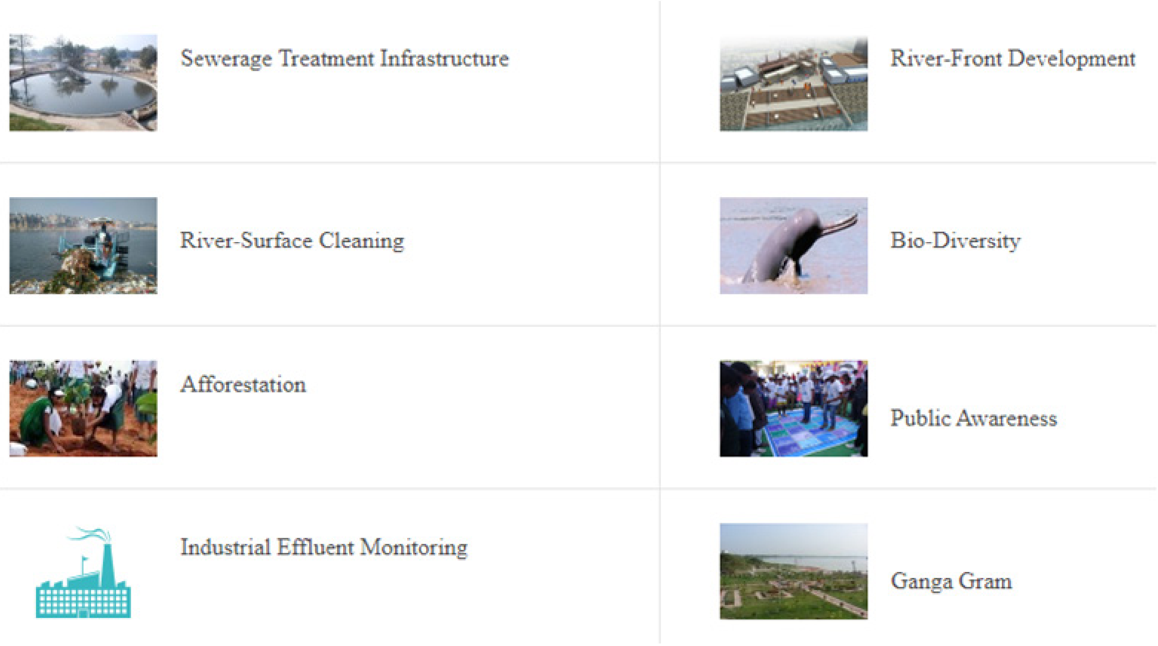

उद्देश्य

- प्रदूषण निवारण: इसका उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकियों और सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के माध्यम से खुले नालों से अपशिष्ट जल को रोकना, मोड़ना और उसका उपचार करना है।
- 200 से अधिक सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से कई पहले ही पूरी हो चुकी हैं और चालू हैं।
- रिवरफ्रंट विकास: पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए घाटों और श्मशान घाटों के निर्माण और आधुनिकीकरण सहित रिवरफ्रंट के सौंदर्य और कार्यात्मक पहलुओं को बढ़ाना।
- जैव विविधता संरक्षण: नदी की जैव विविधता को बहाल करने और संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जलीय प्रजातियों की बहाली योजनाओं का विकास और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना शामिल है।
- जन जागरूकता: स्थायी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए मिशन में स्थानीय समुदायों, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना।
- अपशिष्ट निगरानी: औद्योगिक अपशिष्टों की सख्त निगरानी और विनियमन यह सुनिश्चित करने के लिए कि उद्योग पर्यावरण मानकों का अनुपालन करते हैं और नदी को प्रदूषित नहीं करते हैं।

चुनौतियाँ

- वित्तपोषण संबंधी मुद्दे: महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद, मिशन के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगातार और पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।
- तकनीकी और बुनियादी ढाँचे संबंधी मुद्दे: अपशिष्ट जल उपचार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाना और उनका विस्तार करना बुनियादी ढाँचे की सीमाओं और निरंतर रखरखाव की आवश्यकता के कारण बाधित हो सकता है।
- सामुदायिक सहभागिता: यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय समुदाय, शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएँ सक्रिय रूप से शामिल रहें और पहलों का स्वामित्व लें, एक सतत चुनौती है।
- औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण: उद्योगों के बीच पर्यावरण मानकों का अनुपालन लागू करना विशेष रूप से उच्च औद्योगिक गतिविधि वाले क्षेत्रों में कठिन हो सकता है।
- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: नदी की जैव विविधता को बहाल करने और संरक्षित करने के लिए एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है।

सुझाव और आगे की राह

- नमामि गंगे मिशन 2.0 नदी के कायाकल्प के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक आयामों को एकीकृत करता है।
- चुनौतियों का समाधान करके और उपलब्धियों पर निर्माण करके, मिशन का उद्देश्य गंगा को उसके प्राचीन गौरव को बहाल करना है, यह सुनिश्चित करना कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए लाखों भारतीयों के लिए जीवन रेखा बनी रहे।
- फिर भी एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी नवाचार, सामुदायिक सहभागिता, सख्त नियामक उपाय और सभी हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय शामिल हो। इन मुद्दों से सीधे निपटने के ज़रिए, नमामि गंगे मिशन 2.0 गंगा नदी को पुनर्जीवित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

भारत छोड़ो आंदोलन

पाठ्यक्रम: GS1/भारत का इतिहास

संदर्भ

- हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में

- 1942 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत ब्रिटिश साम्राज्य के एक घटक के रूप में अपनी स्थिति के कारण संघर्ष में शामिल हो गया।
- कांग्रेस कार्य समिति ने ब्रिटेन की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में, युद्ध की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन जोर देकर कहा कि भारत परामर्श के बिना इसका हिस्सा नहीं बन सकता।
- वायसराय के बाद के बयान में 1935 के भारत सरकार अधिनियम में युद्ध के बाद संशोधन का वादा किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे अपर्याप्त माना - कांग्रेस द्वारा मांगी गई “रोटी” के बजाय यह मात्र “पत्थर” था।

भारत छोड़ो आंदोलन कैसे शुरू हुआ?

- अगस्त प्रस्ताव: अगस्त 1942 में, वायसराय ने भारतीयों को शांत करने के प्रयास में "अगस्त प्रस्ताव" जारी किया। हालाँकि, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और बढ़ गया।
- गांधी का आह्वान: वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में गांधी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की अपनी योजना का खुलासा किया।
- सत्याग्रह सत्य और अहिंसक प्रतिरोध का हथियार था, जिसने एक बार फिर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के साधन के रूप में लोकप्रियता हासिल की।

- करो या मरो: 8 अगस्त, 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधीजी ने अपना प्रसिद्ध आह्वान "करो या मरो" किया।
- अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत से "अंग्रेजों की व्यवस्थित वापसी" की मांग की। भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म हुआ।
- जन विरोध: लाखों भारतीयों ने देश भर में हड़तालों, प्रदर्शनों और सविनय अवज्ञा में भाग लिया। आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
- दमन और बलिदान: अंग्रेजों ने क्रूर दमन के साथ जवाब दिया। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और प्रदर्शनकारियों को हिंसा का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, आम लोग दृढ़ रहे और स्वतंत्रता के लिए अपार बलिदान दिए।
- विरासत: भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीयों की अटूट भावना और औपनिवेशिक बंधनों से मुक्त होने के उनके दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया।
- यद्यपि इसे दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता के मार्ग पर एक अमिट छाप छोड़ी।

भूतापीय ऊर्जा की खोज

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण/ऊर्जा क्षेत्र

संदर्भ

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने विभिन्न मान्यता प्राप्त भूतापीय क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा की खोज की है, जिसमें विभिन्न भूतापीय क्षेत्रों में तापमान, निर्वहन और पानी की गुणवत्ता/रसायन विज्ञान पर डेटा का संग्रह शामिल है।

मुख्य विशेषताएं

- GSI ने पूरे भारत में 381 तापीय रूप से विषम क्षेत्रों का अध्ययन किया है और 'भारत का भूतापीय एटलस, 2022' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।
- क्षमता: देश में लगभग 10,600 मेगावाट भूतापीय ऊर्जा की क्षमता का अनुमान लगाया गया है।
- परियोजनाएँ: सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) ने तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के मनुगुरु क्षेत्र में 20 किलोवाट का पायलट भूतापीय बिजली संयंत्र चालू किया है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) एक कुशल और लागत प्रभावी तरीके से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण को विकसित करने के लिए "नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (RE-RTD)" को लागू कर रहा है।
- MNRE भूतापीय ऊर्जा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के तहत सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को 100% तक और उद्योग, स्टार्ट-अप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और विनिर्माण इकाइयों को 70% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- भारत में भूतापीय ऊर्जा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/देशों के साथ सहयोग में शामिल हैं: -
- भारत और आइसलैंड के बीच 2007 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में, दोनों पक्षों ने भूतापीय ऊर्जा को सहयोग के क्षेत्र के रूप में पहचाना है।
- भारत ने 2019 में सऊदी अरब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भूतापीय ऊर्जा को सहयोग के क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।
- भारत और अमेरिका के बीच 2023 में लॉन्च किए जाने वाले अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी एक्शन प्लेटफ़ॉर्म (RETAP) के तहत, भूतापीय ऊर्जा को एक फ़ोकस क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।

भूतापीय ऊर्जा

- भूतापीय ऊर्जा एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है जो पृथ्वी के भीतर संग्रहीत ऊष्मा से आती है।
- यह ऊष्मा रेडियोधर्मी पदार्थों के प्राकृतिक क्षय और ग्रह के निर्माण से बची हुई ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है।

भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके:

- भूतापीय ऊर्जा संयंत्र: ये बिजली जनरेटर से जुड़े टर्बाइनों को चलाने के लिए पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म पानी के जलाशयों से भाप का उपयोग करते हैं। इसके तीन मुख्य प्रकार हैं:
- शुष्क भाप संयंत्र: टर्बाइनों को चालू करने के लिए सीधे भूतापीय जलाशय से भाप का उपयोग करें।
- फ्लैश स्टीम प्लांट: भाप बनाने के लिए उच्च दबाव वाले गर्म पानी को कम दबाव वाले टैंकों में खींचें।
- बाइनरी साइकिल प्लांट: भूतापीय गर्म पानी से गर्मी को कम क्वथनांक वाले दूसरे तरल में स्थानांतरित करें, जो वाष्पीकृत होकर टर्बाइन को चलाता है।
- भूतापीय ऊष्मा पंप: ये सिस्टम इमारतों को गर्म और ठंडा करने के लिए पृथ्वी के स्थिर तापमान का उपयोग करते हैं। सर्दियों में, वे जमीन से गर्मी इमारतों में लाते हैं, और गर्मियों में, वे इमारतों से गर्मी वापस जमीन में स्थानांतरित करते हैं।
- प्रत्यक्ष उपयोग अनुप्रयोग: भूतापीय ऊर्जा का उपयोग इमारतों को गर्म करने, ग्रीनहाउस में पौधे उगाने, फसलों को सुखाने और यहाँ तक कि कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी सीधे किया जा सकता है।
- भूतापीय जिला हीटिंग: कुछ क्षेत्रों में, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग पाइपों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे समुदायों या जिलों को हीटिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है।

- कमियाँ: इसके कुछ पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं जैसे भूमि का धंसना और प्रेरित भूकंपीयता (मानव गतिविधि से उत्पन्न भूकंप) की संभावना।
- भूतापीय संसाधन अक्सर स्थान-विशिष्ट होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे महत्वपूर्ण भूतापीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावी होते हैं, जैसे कि आइसलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्से (जैसे कैलिफोर्निया और नेवादा) और प्रशांत रिंग ऑफ फायर।

महत्व:

- नवीकरणीय और टिकाऊ: भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि पृथ्वी से गर्मी लगातार भर जाती है।
- जीवाश्म ईंधनों के विपरीत, जो सीमित हैं, भूतापीय ऊर्जा शक्ति और तापन का एक सुसंगत और विश्वसनीय स्रोत प्रदान कर सकती है।
- कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: भूतापीय ऊर्जा प्रणालियाँ जीवाश्म ईंधन की तुलना में ग्रीनहाउस गैसों के बहुत कम स्तर का उत्पादन करती हैं।
- यह इसे एक स्वच्छ विकल्प बनाता है जो जलवायु परिवर्तन को कम करने और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है।
- विविध अनुप्रयोग: बिजली उत्पादन से परे, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष हीटिंग अनुप्रयोगों, शीतलन और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। यह बहुमुखी प्रतिभा एक बहुउद्देशीय ऊर्जा स्रोत के रूप में इसके मूल्य को बढ़ाती है।
- कम परिचालन लागत: एक बार भूतापीय बिजली संयंत्र या हीट पंप प्रणाली स्थापित हो जाने के बाद, अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में परिचालन और रखरखाव लागत अपेक्षाकृत कम होती है। इससे दीर्घकालिक ऊर्जा लागत कम हो सकती है।
- कम पानी का उपयोग: भूतापीय बिजली संयंत्र आम तौर पर पारंपरिक बिजली संयंत्रों की तुलना में कम पानी का उपयोग करते हैं, जो विशेष रूप से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में फायदेमंद है।

बॉयलर बिल, 2024

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

संदर्भ

- बॉयलर बिल, 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया। बॉयलर बिल, 2024 बॉयलर अधिनियम, 1923 को निरस्त करता है।
- बॉयलर अधिनियम, 1923, संविधान-पूर्व अधिनियम, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है।
- इसे वर्ष 2007 में भारतीय बॉयलर (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण प्राधिकरणों द्वारा निरीक्षण और प्रमाणन शुरू किया गया था।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- बॉयलर अधिनियम, 1923 में अलग-अलग स्थानों पर मौजूद समान प्रावधानों को अधिनियम की बेहतर समझ के लिए छह अध्यायों में एक साथ रखा गया है।
- बॉयलर और बॉयलर से निपटने वाले कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सात अपराधों में से, चार प्रमुख अपराधों में, जिनके परिणामस्वरूप जान और संपत्ति का नुकसान हो सकता है, आपराधिक दंड बरकरार रखा गया है।
- अन्य अपराधों के लिए राजकोषीय दंड का प्रावधान किया जा रहा है।
- इसके अलावा, सभी गैर-आपराधिक अपराधों के लिए 'जुर्माना' को 'दंड' में बदल दिया गया है, जिसे पहले की तरह अदालतों के बजाय कार्यकारी तंत्र के माध्यम से लगाया जाएगा।
- प्रस्तावित विधेयक सुरक्षा को बढ़ाएगा क्योंकि बॉयलर के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बॉयलर की मरम्मत योग्य और सक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाने के लिए विधेयक में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।

विक्रम साराभाई

पाठ्यक्रम: जीएस 3/विज्ञान और तकनीक

खबरों में

- डॉ. विक्रम साराभाई की जयंती हर साल 12 अगस्त को मनाई जाती है।

पृष्ठभूमि:

- विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त, 1919 को अहमदाबाद में प्रगतिशील उद्योगपतियों के एक संपन्न परिवार में हुआ था।
- कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने के बाद 1947 में भारत लौट आए।
- 11 नवंबर, 1947 को 28 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) की स्थापना की।
- योगदान: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं।
- राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दृष्टि से 1960 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की औपचारिक स्थापना 15 अगस्त, 1969 को हुई।
- भारतीय उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए परियोजना की शुरुआत की।
- पहला भारतीय उपग्रह, आर्यभट्ट, 1975 में रूसी कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था।

- भारत के परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी जहांगीर भाभा के साथ काम किया, भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया।
- पुरस्कार और सम्मान: शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (1962)।
- पद्म भूषण (1966)।
- पद्म विभूषण (मरणोपरांत, 1972)।
- तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) का नाम उनकी स्मृति में रखा गया है।
- चंद्रमा पर डॉ. साराभाई क्रेटर का नाम 1974 में उनके सम्मान में रखा गया था।
- प्रतिष्ठित पद: परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष (1966)।
- भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भौतिकी अनुभाग के अध्यक्ष (1962)।
- वेरीना में I.A.E.A. के आम सम्मेलन के अध्यक्ष (1970)।
- 'परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग' पर चौथे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उपाध्यक्ष (1971)।
- मृत्यु: 30 दिसंबर, 1971 को कोवलम, तिरुवनंतपुरम, केरल में निधन हो गया।
- विरासत: इसरो ने डॉ. साराभाई के दृष्टिकोण को अपनाना जारी रखा है, जो सामाजिक लाभ के उद्देश्य से अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है।

सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक नेता बनने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक नेता बनने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
- एक समय था जब भारत मोबाइल फोन आयात करता था, लेकिन अब भारत ने देश में एक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है और एक बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है।
- कई वैश्विक कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं, जिससे देश सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है।
- राज्य सरकारों को इन निवेशों को आकर्षित करने में प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है, जिसके लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो सुशासन और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें।

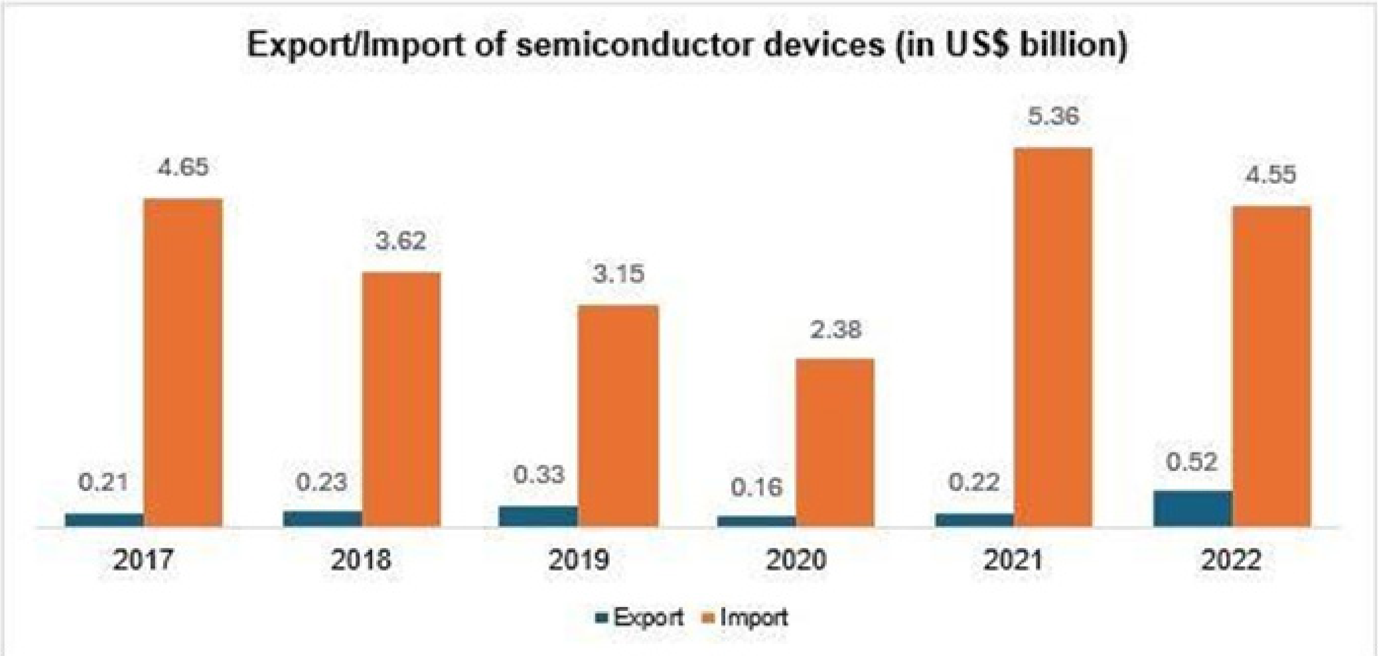

भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग

- 2022 में, भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार का मूल्य 26.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2032 तक 26.3% की सीएजीआर से बढ़कर 271.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
- सेमीकंडक्टर उपकरणों में डायोड, ट्रांजिस्टर और फोटोवोल्टिक सेल शामिल हैं, जिन्हें मॉड्यूल या पैनल में असेंबल किया जाता है या नहीं, लाइट-एमिटिंग डायोड (एलईडी) और माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल।

भारत के पक्ष में कारक

- कुशल कार्यबल: भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) स्नातकों की रिकॉर्ड संख्या के साथ दुनिया में सबसे आगे है, जो सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन, अनुसंधान और विकास में आवश्यक कुशल कार्यबल प्रदान करता है।

- लागत लाभ: भारत कम श्रम लागत, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और उभरते पारिस्थितिकी तंत्र के कारण सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए पर्याप्त लागत लाभ प्रदान करता है।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण: भारत इस उद्योग स्थानांतरण के बीच बैक-एंड असेंबली और परीक्षण संचालन के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है, जिसमें भविष्य के फ्रंट-एंड विनिर्माण की संभावना है।
- नीतिगत समर्थन: महामारी के बाद वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में आई अधिकता के बाद भारत सरकार ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया और वैश्विक सेमी सप्लाई चेन में भारत को चीन के विकल्प के रूप में पेश करने के लिए नीतिगत समर्थन के माध्यम से बहुत इरादा दिखाया।

सरकारी पहल

- भारत सेमीकंडक्टर मिशन: यह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक समर्पित प्रभाग के रूप में कार्य करता है।
- इसका मुख्य लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन में भारत को एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का पोषण करना है।

Semiconductor Fab	• Offers fiscal support of up to 50% of the project cost to approved applicants. • Attract substantial investments for the establishment of semiconductor wafer fabrication facilities in India.
Display Fab	• Offers fiscal support of up to 50% of the project cost to approved applicants. • Focus on increasing display fabrication facilities in India.
Compound Semiconductors	• Fiscal support of 50% of the capex to facilities involved in compound semiconductor, silicon photonics, sensor and discrete semiconductor fabrication and semiconductor packaging. • Focus on establishing semiconductor wafer fabrication facilities in India
Design Linked Incentive (DLI)	• Offers product design-linked incentives of up to 50% of eligible expenditure and product deployment-linked incentives ranging from 6% to 4% on net sales over a five-year period.

ISM के तहत, कई योजनाएँ हैं:

- सरकार भारत में विनिर्माण सेटअप के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
- सेमीकंडक्टर फैब योजना के तहत, सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए समान स्तर पर परियोजना लागत का 50% राजकोषीय समर्थन।
- डिस्प्ले फैब योजना के तहत, समान स्तर के आधार पर परियोजना लागत का 50% राजकोषीय समर्थन।
- कंपाउंड सेमीकंडक्टर योजना के तहत, समान आधार पर पूंजीगत व्यय का 50% राजकोषीय समर्थन, जिसमें असतत सेमीकंडक्टर फ़ैब्स के लिए समर्थन शामिल है।
- फरवरी 2024 में, सरकार ने तीन सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना को मंज़ूरी दी, जिनमें से दो गुजरात में और एक असम में है।

आगे की राह

- भारत अपने सेमीकंडक्टर उद्योग में सुविचारित पहलों के साथ-साथ गणना की गई साझेदारी के आगमन के साथ तेजी से वृद्धि देखने के लिए तैयार है।
- यूरोपीय आयोग और जापान के माध्यम से, भारत सरकार का समझौता ज्ञापन वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- निरंतर प्रयासों और सक्रिय रुख के साथ, भारत एक अग्रणी सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की राह पर है, जो तकनीकी उन्नति और आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दे रहा है।

जैव-अर्थव्यवस्था संचालित औद्योगिक क्रांति

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'ग्लोबल बायो इंडिया 2024 के चौथे संस्करण' के समारोह में कहा कि अगली औद्योगिक क्रांति जैव-अर्थव्यवस्था संचालित होगी।

बायोइकोनॉमी क्या है?

- बायोइकोनॉमी एक स्थायी आर्थिक प्रणाली के ढांचे के भीतर सभी आर्थिक क्षेत्रों में उत्पाद, प्रक्रियाएँ और सेवाएँ प्रदान करने के लिए जैविक संसाधनों का ज्ञान-आधारित उत्पादन और उपयोग है।
- इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खाद्य उत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी और जैव ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

भारत में बायोइकोनॉमी के उप-क्षेत्र हैं;

- बायोफार्मा या बायोमेडिकल: इसमें फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस और लैब में उगाए गए ऑर्गेनोइड जैसे चिकित्सा उत्पादों और सेवाओं का विकास और उत्पादन शामिल है।
- बायोएग्री: इसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों और जानवरों, सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों और जैव-आधारित उत्पादों का विकास और उत्पादन शामिल है। उदाहरण: बीटी कॉटन
- जैव-औद्योगिक: इसमें एंजाइम, जैव-संश्लेषण मार्ग और पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव-आधारित रसायनों और उत्पादों का विकास और उत्पादन शामिल है।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था

- भारत की जैव-अर्थव्यवस्था पिछले दशक में 13 गुना बढ़ी है, 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन से अधिक हो गई है, और 2030 तक $300 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
- वैश्विक नवाचार सूचकांक में, भारत 2015 में 81वें स्थान से चढ़कर 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर पहुँच गया है।
- जैव-विनिर्माण के मामले में भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरे और वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान पर है।
- जैव-प्रौद्योगिकी, एक उभरता हुआ क्षेत्र, ने पिछले 10 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपये का मूल्यांकन प्राप्त किया है।
- 2022 में, बायोइकोनॉमी भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) $3.47 ट्रिलियन का 4% हिस्सा होगी और इसमें 2 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं।

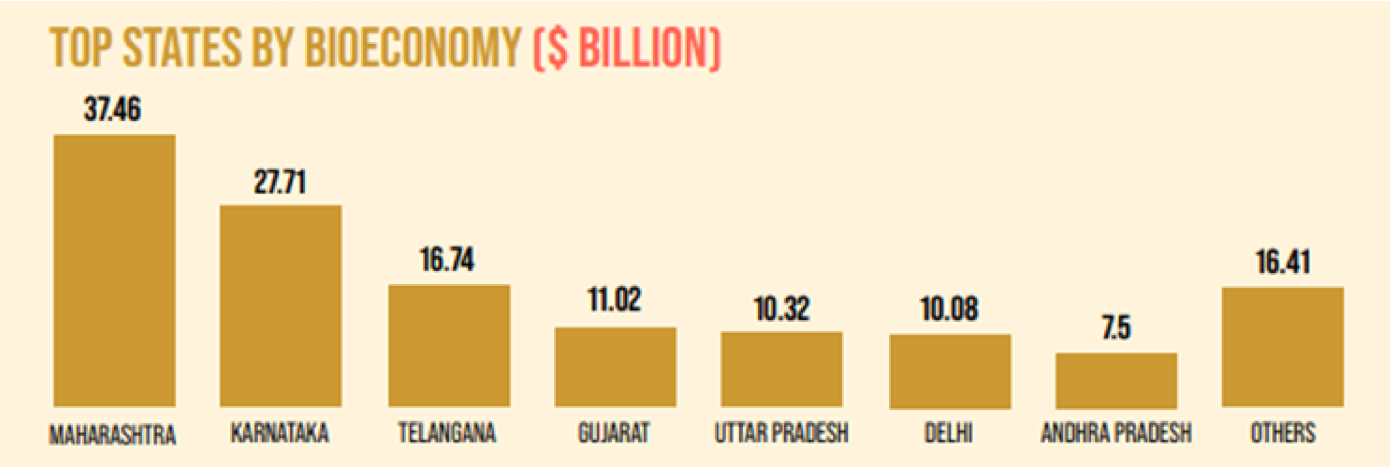

सरकारी पहल

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) का उद्देश्य उभरते जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों को रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए मजबूत और सशक्त बनाना है।
- भारत सरकार (जीओआई) की नीतिगत पहल जैसे स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी और जैव-विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है।
- ड्राफ्ट आरएंडडी पॉलिसी 2021, पीएलआई योजनाएं और क्लिनिकल ट्रायल नियमों जैसी अनुकूल सरकारी नीतियों ने भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' बनने के लिए प्रेरित किया है।
- एफडीआई नीति: ग्रीनफील्ड फार्मा के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। साथ ही ब्राउनफील्ड फार्मा के लिए सरकारी मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।
- 74% तक एफडीआई स्वचालित मार्ग के तहत है और 74% से अधिक सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत है।

भारत की जैव अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियाँ

- वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारत की जैव अर्थव्यवस्था को यूएसए, ईयू और चीन जैसे देशों में अधिक स्थापित जैव अर्थव्यवस्थाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिनके पास अधिक उन्नत बुनियादी ढाँचा, वित्त पोषण और आरएंडडी क्षमताएँ हैं।

- बौद्धिक संपदा (आईपी) संरक्षण: जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बौद्धिक संपदा की रक्षा करना चुनौतीपूर्ण है, जिससे नवाचार की चोरी और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन की कमी की चिंताएँ पैदा होती हैं।
- बुनियादी ढाँचे की कमी: जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों के अनुसंधान, विकास और व्यावसायीकरण के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा।
- ब्रेन ड्रेन: प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और शोधकर्ता विदेशों में बेहतर अवसरों के लिए भारत छोड़ देते हैं, जिससे देश की नवाचार की क्षमता कम हो जाती है।

आगे की राह

- अनुदान, कर प्रोत्साहन और उद्यम पूंजी समर्थन के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देना।
- विशेषज्ञता का लाभ उठाने, संसाधनों को साझा करने और नई प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने के लिए वैश्विक अनुसंधान सहयोग में शामिल होना।
- नवाचार क्लस्टर/पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, जहाँ शिक्षा, उद्योग और सरकारी संस्थाएँ जैव अर्थव्यवस्था पहलों पर निकटता से सहयोग कर सकें।

समापन टिप्पणी

- भारत को एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें एक संपन्न जैव आर्थिक परिदृश्य के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधारशिला हो।
- जनसांख्यिकीय लाभांश को जब्त करना और STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) प्रतिभा का दोहन आर्थिक विकास और वैश्विक नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है।

'पीएम-सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना' के तहत 'मॉडल सोलर विलेज'

पाठ्यक्रम: GS2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप; जीएस3/नवीकरणीय ऊर्जा

संदर्भ

- हाल ही में, पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 'मॉडल सोलर विलेज' के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

मॉडल सोलर विलेज के बारे में

- एक मॉडल सोलर विलेज, एक योजना घटक, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करना है, जिसका लक्ष्य सौर ऊर्जा को अपनाना और ग्रामीण समुदायों को उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना है।
- इस घटक के लिए कुल 800 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसमें प्रत्येक चयनित मॉडल सोलर विलेज के लिए 1 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
- एक मॉडल सोलर विलेज 5,000 (या विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,000) से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव होना चाहिए।
- इन मॉडल गांवों में, परिवार अपनी छतों पर सौर पैनल लगाएंगे। ये पैनल सूर्य की रोशनी को बिजली में बदल देते हैं, जिसका इस्तेमाल रोशनी, उपकरणों और अन्य ऊर्जा जरूरतों के लिए किया जा सकता है।

लाभ

- ऊर्जा स्वतंत्रता: अपनी खुद की बिजली पैदा करके, परिवार पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम कर देते हैं। इससे न केवल पैसे की बचत होती है, बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में भी योगदान मिलता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: सौर ऊर्जा स्वच्छ और हरित है। इसे अपनाकर, गांव अपने कार्बन पदचिह्न को कम करते हैं और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करते हैं।
- आर्थिक सशक्तीकरण: कम बिजली बिल का मतलब है परिवारों के लिए अधिक डिस्पोजेबल आय। इसके अतिरिक्त, अधिशेष ऊर्जा बिक्री एक अतिरिक्त राजस्व धारा प्रदान कर सकती है।
- यह अनुमान है कि इस योजना से विनिर्माण, रसद, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के बारे में

- इसका उद्देश्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है, जो सतत विकास और लोगों की भलाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इसका उद्देश्य सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है।
- सब्सिडी सौर पैनलों की लागत का 40% तक कवर करेगी। शेष लागत इच्छुक उपभोक्ता को वहन करनी होगी।
- केंद्र 2 किलोवाट (किलोवाट) सिस्टम स्थापित करने की लागत का 60% और 2-3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 40% वित्तपोषित करेगा।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024

पाठ्यक्रम: GS2/ शिक्षा

संदर्भ

- शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024 की घोषणा की।

भारत रैंकिंग 2024 की मुख्य विशेषताएँ

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने लगातार छठे वर्ष समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, और इंजीनियरिंग में लगातार 9वें वर्ष।
- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु लगातार नौवें वर्ष विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष पर है। यह लगातार चौथे वर्ष अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा।
- आईआईएम अहमदाबाद ने लगातार पांचवें साल अपना पहला स्थान बरकरार रखते हुए प्रबंधन विषय में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने लगातार सातवें साल मेडिकल में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- हिंदू कॉलेज ने पहली बार कॉलेजों में प्रथम स्थान हासिल किया, जिसने मिरांडा हाउस को पीछे छोड़ दिया, जिसने लगातार सात वर्षों तक अपना पहला स्थान बरकरार रखा था।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)

- NIRF को भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों को रैंक करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था।
- NIRF में मापदंडों की पाँच व्यापक श्रेणियाँ पहचानी गई हैं;
  - शिक्षण, सीखना और संसाधन
  - अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास
  - स्नातक परिणाम
  - आउटरीच और समावेशिता
  - धारणा
- इन पाँच मापदंडों में से प्रत्येक में 2 से 5 उप-पैरामीटर हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) की रैंकिंग के लिए कुल 18 मापदंडों का उपयोग किया जाता है।
- प्रत्येक पैरामीटर और उप-पैरामीटर को आवंटित वेटेज के आधार पर समग्र स्कोर की गणना की जाती है।

लिम्फेटिक फाइलेरियासिस

पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य

संदर्भ

- सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए द्विवार्षिक राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन (MDA) अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है।
- अभियान का लक्ष्य बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 63 स्थानिक जिले हैं और निवारक दवाओं का घर-घर जाकर प्रशासन प्रदान किया जाएगा।
- इसके साथ ही, उन्मूलन प्रयासों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करने के लिए 'लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन पर संशोधित दिशानिर्देश' का अनावरण किया गया।

लिम्फेटिक फाइलेरियासिस

- इसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस (हाथीपांव) के रूप में जाना जाता है, यह फाइलेरिया कृमियों के रूप में जाने जाने वाले परजीवी कृमियों के कारण होने वाली एक गंभीर दुर्बल करने वाली बीमारी है।
- यह गंदे/प्रदूषित पानी में पनपने वाले क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है।
- संक्रमण आमतौर पर बचपन में होता है, जिससे लसीका तंत्र को छिपी हुई क्षति होती है, जिसके लक्षण (लिम्फोएडेमा, एलिफेंटियासिस और अंडकोषीय सूजन/हाइड्रोसील) दिखाई देते हैं, जो बाद में जीवन में होते हैं और स्थायी विकलांगता का कारण बन सकते हैं।
- यह एक प्राथमिकता वाली बीमारी है, जिसे 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- भारत में, एलएफ के बोझ का 90% हिस्सा 8 राज्यों - बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा योगदान दिया जाता है।
- वर्तमान में इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- भारत में, CPI ने हाल ही में सुर्खियाँ बटोरीं, क्योंकि यह जुलाई में लगभग पाँच साल के निचले स्तर 3.54% पर आ गई।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) को समझना

- यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, जो समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की दर को मापता है।
- यह इस बात को प्रभावित करता है कि हम किराने का सामान खरीद रहे हैं, किराया दे रहे हैं या अपने बजट की योजना बना रहे हैं।
- जब CPI बढ़ता है, तो यह हमारी क्रय शक्ति को कम करता है, जिससे रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ें और भी महंगी हो जाती हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- यह उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में समय के साथ होने वाले बदलावों को मापता है जिन्हें परिवार उपभोग के उद्देश्य से खरीदते हैं।

- CPI का व्यापक रूप से मुद्रास्फीति के व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और मूल्य स्थिरता की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में, और राष्ट्रीय खातों में अपस्फीतिकारक के रूप में।

- CPI का उपयोग कीमतों में वृद्धि के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को अनुक्रमित करने के लिए किया जाता है।

– केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), MoSPI ने जनवरी, 2015 के महीने के लिए सूचकांक जारी होने से CPI के आधार वर्ष को 2010 से संशोधित कर 2012 कर दिया है।

QCI सुराज्य मान्यता और रैंकिंग रूपरेखा

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

- भारतीय गुणवत्ता परिषद ने प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए QCI सुराज्य मान्यता और रैंकिंग रूपरेखा शुरू की है।
- इस रूपरेखा को चार स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है: शिक्षा (शिक्षा), स्वास्थ्य (स्वास्थ्य), समृद्धि (समृद्धि), और सुशासन (शासन)।
- सुराज्य मान्यता इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्यों और संगठनों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को स्वीकार करती है।
- शिक्षा रैंकिंग में, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मान्यता, मूल्यांकन और रेटिंग के साथ सबसे आगे है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली भी प्रमुख स्थान पर है।
- स्वास्थ्य श्रेणी में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मिजोरम और मणिपुर आयुष्मान आरोग्य योजना (एनएबीएच) में पूर्ण प्रमाणन के साथ सबसे आगे हैं।
- समृद्धि श्रेणी में गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान सबसे अधिक संख्या के साथ सबसे आगे हैं।
- भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई): यह एक प्रमुख संस्था है जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना है।
- 1997 में स्थापित, यह भारत सरकार के तत्वावधान में एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है।

8 अर्थव्यवस्था

जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (CAF)

पाठ्यक्रम: जीएस3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना में राज्य सरकार के साथ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम की सभी परियोजनाओं के लिए एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी के गठन का प्रावधान है।
- इस योजना के तहत लगभग 15000 मेगावाट की संचयी जल विद्युत क्षमता का समर्थन किया जाएगा।
- इस योजना का परिव्यय 4136 करोड़ रुपये है जिसे वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक लागू किया जाएगा।
- इस योजना को विद्युत मंत्रालय के कुल परिव्यय से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।

महत्व

- जलविद्युत विकास में राज्य सरकारों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा और जोखिम तथा जिम्मेदारियों को अधिक न्यायसंगत तरीके से साझा किया जाएगा।
- राज्य सरकारों के हितधारक बनने से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा स्थानीय कानून एवं व्यवस्था जैसे मुद्दे कम हो जाएंगे।
- जलविद्युत परियोजनाओं का विकास 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) को साकार करने में भी योगदान देगा और ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण में मदद करेगा, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड की लचीलापन, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी।

अन्य पहल

- जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसे अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए, भारत सरकार ने 2019 में निम्नलिखित उपायों को मंजूरी दी;
- बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा स्रोत घोषित करना,
- पनबिजली खरीद दायित्व (एचपीओ),
- टैरिफ में वृद्धि के माध्यम से टैरिफ युक्तिकरण उपाय,
- भंडारण एचईपी में बाढ़ नियंत्रण के लिए बजटीय सहायता और
- सक्षम बुनियादी ढांचे की लागत के लिए बजटीय सहायता, यानी सड़कों और पुलों का निर्माण।

भुगतान पासकी सेवा

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- हाल ही में, मास्टरकार्ड ने अपनी तकनीक-प्रेमी आबादी और जीवंत ई-कॉमर्स परिदृश्य को पहचानते हुए भुगतान पासकी सेवा के वैश्विक लॉन्च के लिए भारत को चुना।

पासकी के बारे में

- ये आपके सभी उपकरणों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों - जैसे चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट या स्वाइप पैटर्न - का लाभ उठाकर पारंपरिक पासवर्ड की जगह लेते हैं।
- यह फोन के बायोमेट्रिक्स (जैसे फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक) को मजबूत एन्क्रिप्शन के साथ जोड़ता है।
- अक्टूबर 2023 में, Google ने दुनिया भर में पासकी को अपना डिफ़ॉल्ट लॉगिन तरीका घोषित किया।
- मिशिगन राज्य ने अपनी वेबसाइट पर पासकी लागू की, जिसके परिणामस्वरूप सिर्फ एक महीने में पासवर्ड रीसेट से संबंधित 1,300 कम कॉल आए।

पासकी कैसे काम करती है?

- कुंजी निर्माण: जब कोई व्यक्ति किसी खाते में साइन इन करता है, तो उसका डिवाइस कुंजियों की एक जोड़ी बनाता है - एक वेबसाइट के साथ साझा की जाती है और एक आपके डिवाइस पर निजी होती है।
- यह गतिशील जोड़ी पासवर्ड की परेशानी के बिना सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करती है।

पासकी क्यों?

- पासवर्ड थकान: कई पासवर्ड, जिनमें से प्रत्येक के लिए अपरकेस अक्षरों, लोअरकेस अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों के एक अद्वितीय संयोजन की आवश्यकता होती है।
- डेटा उल्लंघन: अकेले 2023 में, 353 मिलियन अमेरिकी उल्लंघनों से प्रभावित हुए। 2024 की पहली छमाही में, एक बिलियन से अधिक लोगों का डेटा चोरी हो गया।

द्वितीयक बाजार व्यापार के लिए UPI ब्लॉक तंत्र सुविधा

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने द्वितीयक बाजार व्यापार के लिए अनिवार्य एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) ब्लॉक तंत्र सुविधा का प्रस्ताव दिया है।

UPI ब्लॉक तंत्र क्या है?

- UPI ब्लॉक तंत्र, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (ASBA) सुविधा के समान है जो अवरुद्ध राशियों के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है।
- प्राथमिक बाजार में, यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक का पैसा केवल तभी स्थानांतरित हो जब आवंटन पूरा हो जाए।
- अब, SEBI इस अवधारणा को द्वितीयक बाजार तक विस्तारित करना चाहता है।
- SEBI एक विकल्प भी तलाश रहा है: "3-इन-1 ट्रेडिंग खाता सुविधा"। यह संभावित रूप से अनिवार्य ASBA जैसी सुविधा की जगह ले सकता है।
- यह एक बचत बैंक खाते, एक डीमैट खाते (प्रतिभूतियों को रखने के लिए) और एक ट्रेडिंग खाते को जोड़ता है।

UPI ब्लॉक तंत्र क्यों?

- यूपीआई को सेकेंडरी मार्केट के साथ एकीकृत करके, ग्राहक सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए विशेष रूप से अपने बैंक खातों में फंड ब्लॉक कर सकते हैं।
- इन फंड को ट्रेडिंग सदस्य को पहले से ट्रांसफर करने के बजाय, वे ज़रूरत पड़ने तक सुरक्षित रूप से ब्लॉक रहते हैं।
- यह नकद संपार्श्विक की सुरक्षा को बढ़ाता है।

ये योग्य स्टॉक ब्रोकर (QSB) कौन हैं?

- QSB ऐसे ट्रेडिंग सदस्य हैं जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें उनके संचालन का आकार और पैमाना, सक्रिय ग्राहकों की संख्या, ग्राहकों द्वारा रखी गई कुल संपत्ति, दिन के अंत में मार्जिन और ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे कारक शामिल हैं।
- QSB के रूप में नामित होने से ज़िम्मेदारियाँ और दायित्व बढ़ जाते हैं।

सेबी के बारे में

- इसे भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया था, और वर्ष 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत।

कार्य

- प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और उसे विनियमित करना और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

- यह एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भाग लेने वाले बैंक का) में जोड़ती है, जिसमें कई बैंकिंग सुविधाएँ, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान एक ही हुड में समाहित हो जाते हैं।
- इसे 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया था।
- UPI में भागीदार: भुगतानकर्ता भुगतान सेवा प्रदाता (PSP), आदाता PSP, प्रेषक बैंक, लाभार्थी बैंक, NPCI, बैंक खाताधारक और व्यापारी।

ग्रीन शूट्स

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- मारुति सुजुकी के अनुसार अक्टूबर तक ऑटो बाजार में ग्रीन शूट्स देखने को मिलेंगे।
- "ग्रीन शूट्स" एक ऐसा शब्द है जो आम तौर पर आर्थिक मंदी से उबरने के संकेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- यह वाक्यांश पौधों में दिखने वाले हरे शूट्स से निकला है जो स्वास्थ्य और विकास का प्रतीक है।
- इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल ब्रिटेन के चांसलर नॉर्मन लैमोंट ने 1991 में यूनाइटेड किंगडम में आर्थिक मंदी के दौरान आर्थिक विकास को संदर्भित करने के लिए किया था।

वित्तीय क्षेत्र में FPI द्वारा 23,000 करोड़ रुपये निकाले गए

पाठ्यक्रम:जीएस3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों के अनुसार, 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच वित्तीय सेवा क्षेत्र में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा 23,000 करोड़ रुपये की निकासी देखी गई।

लगभग

- वित्तीय क्षेत्र में एफपीआई द्वारा की गई बिकवाली मुख्य रूप से ऋण वृद्धि की तुलना में जमा वृद्धि में कमी की चिंताओं के कारण थी, जो बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती है।
- ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, पूंजीगत सामान, निर्माण सामग्री, तेल, गैस और उपभोज्य ईंधन और सेवाएँ अन्य क्षेत्र थे जहाँ FPI ने इस अवधि में पैसा निकाला।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)

- एफपीआई में दूसरे देश में निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियाँ और अन्य वित्तीय संपत्तियाँ शामिल हैं।
- यह निवेशक को कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होता है।
- FPI होल्डिंग्स में स्टॉक, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADRs), ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (GDRs), बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) शामिल हो सकते हैं।
- यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से अलग है, जो किसी विदेशी कंपनी या परियोजना में किसी अन्य देश के निवेशक, कंपनी या सरकार द्वारा किया गया स्वामित्व हिस्सा है।

भारत का LNG आयात बढ़ा

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- ऊर्जा खुफिया फर्म वोर्टेक्सा के अनुसार, मई-जुलाई 2024 में भारत का मासिक तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयात चार साल के रिकॉर्ड पर पहुंच गया, जो औसतन 2.57 मिलियन टन (MT) था।
- LNG का मतलब तरलीकृत प्राकृतिक गैस है।
- यह प्राकृतिक गैस है जिसे तरल रूप में बदलने के लिए लगभग -260°F (-162°C) तक ठंडा किया जाता है।
- LNG मुख्य रूप से मीथेन (CH_4) से बना होता है, लेकिन इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन की थोड़ी मात्रा हो सकती है।
- इसका उपयोग पारंपरिक प्राकृतिक गैस की तरह ही हीटिंग, बिजली उत्पादन और वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है।

सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन केंद्रीय बैंकरों में स्थान दिया गया है।
- ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने अपने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में, दुनिया भर के 100 देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों के नामों की घोषणा की।
- मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास लक्ष्य, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सफलता के लिए उन्हें "A+" से "F" पैमाने पर शीर्ष ग्रेड प्राप्त हुए।
- 'A' उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है, जबकि 'F' पूर्ण विफलता को दर्शाता है।
- डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन, भारत के शक्तिकांत दास और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को केंद्रीय बैंकरों की 'A+' श्रेणी में स्थान दिया गया है।

वार्षिक केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड के बारे में

- यह उन बैंक नेताओं को सम्मानित करता है जिनकी रणनीतियों ने मौलिकता, रचनात्मकता और दृढ़ता के माध्यम से अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया।
- यह 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और लगभग 100 देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों को रैंक करता है।

हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि उसने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।
- हथकरघा से तात्पर्य हाथ से संचालित करघे का उपयोग करके कपड़ा बुनने की प्रक्रिया से है।

हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ

- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी): वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए एनएचडीपी तैयार किया गया है।
- यह योजना हथकरघा के एकीकृत और समग्र विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करती है।
- यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस): यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) को आंशिक संशोधन के साथ और इसका नाम बदलकर कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) कर दिया गया है, जिसे 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है।
- पात्र हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण यार्न और उनके मिश्रण उपलब्ध कराना।
- हथकरघा बुनकरों के लिए व्यापक कल्याण योजना: यह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और एकीकृत महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) के घटकों के तहत हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों को जीवन, दुर्घटना और विकलांगता बीमा कवरेज प्रदान कर रही है।
- बुनकर मुद्रा योजना: इस योजना के तहत, हथकरघा बुनकरों को 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है।
- शहरी हाट: शिल्पकारों/बुनकरों को पर्याप्त प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएँ प्रदान करने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए ये बड़े शहरों/महानगरों में स्थापित किए जाते हैं।
- डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन (डीटीयू): इस योजना का उद्देश्य विदेशी बाजारों के लिए अभिनव डिजाइन और प्रोटोटाइप उत्पादों के विकास, लुप्तप्राय शिल्प के पुनरुद्धार और विरासत के संरक्षण आदि के माध्यम से कारीगरों के कौशल को उन्नत करना है।

प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति

पाठ्यक्रम: जीएस 3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की है।
- कार्यक्रम और नीति को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) के नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- वर्तमान में, देश में 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साठ से अधिक आरवीएसएफ और 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पचहत्तर एटीएस संचालित हैं।
- बेड़े के आधुनिकीकरण और सर्कुलर इकोनॉमी के महत्व को पहचानते हुए, कई वाणिज्यिक और यात्री वाहन निर्माताओं ने जमा प्रमाणपत्र (स्क्रैपेज सर्टिफिकेट) के बदले सीमित अवधि के लिए छूट देने पर सहमति जताई है।
- वाणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन निर्माताओं ने क्रमशः दो साल और एक साल की सीमित अवधि के लिए छूट देने की इच्छा दिखाई है।

वाहन स्क्रैपिंग नीति के लाभ

- नई कारों की मांग में वृद्धि: पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने से नए वाहनों की मांग बढ़ेगी। 51 लाख से अधिक हल्के मोटर वाहन (निजी और वाणिज्यिक) 20 साल से अधिक पुराने हैं।
- रोजगार वृद्धि: स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करने और वाहनों की बिक्री में वृद्धि से विनिर्माण, सेवाओं और रीसाइक्लिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा।
- बेहतर वायु गुणवत्ता: अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने से वायु प्रदूषण कम होगा और वायु गुणवत्ता बेहतर होगी।
- स्क्रैप के लिए सर्वोत्तम मूल्य: वाहन मालिकों को टायर जैसे काम करने योग्य भागों के लिए कार स्क्रैपिंग के लिए सर्वोत्तम मूल्य मिलेगा। रीसाइक्लिंग उद्योग भी अधिक सक्रिय होगा, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी।
- बेहतर ईंधन दक्षता: नए वाहन आम तौर पर अधिक ईंधन कुशल होते हैं, जिससे ईंधन की खपत में बचत होती है और जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता कम होती है।

चुनौतियाँ

- वित्तीय बोझ: पुराने वाहनों के मालिक, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोग, प्रोत्साहन के बावजूद अपने वाहनों को बदलना वित्तीय रूप से बोझिल पाते हैं।

- अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियाँ: लाखों वाहनों को स्क्रैप करने से उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रबंधन में चुनौतियाँ आती हैं, जिसमें बैटरी, तेल और इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे खतरनाक पदार्थ शामिल हैं।
- बाजार में व्यवधान: स्क्रैप किए गए वाहनों की अचानक आमद और नए वाहनों की मांग ऑटोमोटिव बाजार में व्यवधान पैदा कर सकती है, जिससे कीमतों और मांग पर अप्रत्याशित रूप से असर पड़ सकता है।

आगे की राह

- योजना की क्षमता को पूरी तरह से समझने के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्क्रैपिंग केंद्र वाहन मालिकों के लिए आसानी से सुलभ हों, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।
- नीति के प्रभाव की नियमित समीक्षा करने और तकनीकी प्रगति तथा बदलती पर्यावरणीय आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक समायोजन करने के लिए एक तंत्र भी स्थापित करें।
- असंगठित क्षेत्र के छोटे व्यवसायों और श्रमिकों को सहायता प्रदान करें जो नीति से प्रभावित हो सकते हैं। इसमें पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम, वित्तीय सहायता या नए ऑटोमोटिव पारिस्थितिकी तंत्र में संक्रमण के अवसर शामिल हो सकते हैं।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अंतरिक्ष क्षेत्र का योगदान

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने पिछले दशक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 24 बिलियन डॉलर (₹20,000 करोड़) का प्रत्यक्ष योगदान दिया है।

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को दशकों से लगातार निवेश का लाभ मिला है, पिछले दशक में 13 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है।
- यह दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (वित्त पोषण के मामले में) है।
- हाल ही में घोषित 2024-25 के केंद्रीय बजट में, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष से संबंधित पहलों का समर्थन करने के लिए ₹13,042.75 करोड़ आवंटित किए।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अंतरिक्ष क्षेत्र का योगदान

- इस क्षेत्र ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 96,000 नौकरियों का समर्थन किया है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र द्वारा उत्पादित प्रत्येक डॉलर के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर $2.54 का गुणक प्रभाव पड़ा और भारत का अंतरिक्ष बल देश के व्यापक औद्योगिक कार्यबल की तुलना में 2.5 गुना अधिक उत्पादक था।
- भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में विविधता आ रही है और अब इसमें 200 स्टार्ट-अप सहित 700 कंपनियां हैं और 2023 में राजस्व बढ़कर 6.3 बिलियन डॉलर हो गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 1.5% है।
- उपग्रह संचार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 54% योगदान दिया, उसके बाद नेविगेशन (26%) और प्रक्षेपण (11%) का स्थान रहा।
- अंतरिक्ष क्षेत्र द्वारा समर्थित मुख्य उद्योग दूरसंचार (25%), सूचना प्रौद्योगिकी (10%) और प्रशासनिक सेवाएँ (7%) थे।

अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

- संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रवेश मार्ग इस प्रकार हैं:
- स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक: उपग्रह-विनिर्माण और संचालन, उपग्रह डेटा उत्पाद और ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट।
- स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक: लॉन्च वाहन और संबंधित सिस्टम या सबसिस्टम, अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए स्पेसपोर्ट का निर्माण।
- स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक: उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों/उप-प्रणालियों का विनिर्माण।

अंतरिक्ष क्षेत्र की संभावनाएँ

- निर्यात क्षमता और निवेश: वर्तमान में, अंतरिक्ष से संबंधित सेवाओं में भारत का निर्यात बाजार हिस्सा ₹2,400 करोड़ (लगभग $0.3 बिलियन) है। इसे बढ़ाकर ₹88,000 करोड़ ($11 बिलियन) करने का लक्ष्य है।
- अंतरिक्ष पर्यटन का उदय: 2023 में, अंतरिक्ष पर्यटन बाजार का मूल्य $848.28 मिलियन था।
- 2032 तक इसके बढ़कर $27,861.99 मिलियन होने की उम्मीद है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चुनौतियाँ

- प्रतिस्पर्धा और वैश्विक बाजार हिस्सेदारी: वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के 8% के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: जबकि निजी क्षेत्र ने रुचि दिखाई है, अधिक पर्याप्त निवेश और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
- प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार: पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों, लघु उपग्रहों और उन्नत प्रणोदन प्रणालियों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने के लिए पर्याप्त निवेश और अनुसंधान की आवश्यकता होती है।

- विनियामक ढांचा और लाइसेंसिंग: लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं, निर्यात नियंत्रण और अनुपालन को नेविगेट करना जटिल हो सकता है।
- बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ: ऐसे बुनियादी ढाँचे को विकसित करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पूंजी की आवश्यकता होती है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख सुधार

- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: इसने इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे संगठनों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ निर्धारित कीं।
- इसका उद्देश्य अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है।
- एसआईए द्वारा रणनीतिक प्रस्ताव: अंतरिक्ष उद्योग संघ - भारत (एसआईए-इंडिया) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने पूर्व-बजट ज्ञापन में भारत के अंतरिक्ष बजट में पर्याप्त वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।
- इसका उद्देश्य भारत के विस्तारित अंतरिक्ष कार्यक्रम का समर्थन करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना और देश को गतिशील वैश्विक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है।

आगे की राह

- भारत का लक्ष्य 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) को चालू करना और 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना है।
- निजी संस्थाएँ अब रॉकेट और उपग्रहों के अनुसंधान, विनिर्माण और निर्माण के महत्वपूर्ण पहलुओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जो नवाचार के एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रही हैं। इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने की उम्मीद है।
- इससे कंपनियाँ देश के भीतर अपनी विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित कर सकेंगी, जिससे सरकार की 'मेक इन इंडिया (MII)' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को बढ़ावा मिलेगा।

बांग्लादेश में अशांति के कारण भारत में इंजीनियरिंग शिपमेंट प्रभावित

पाठ्यक्रम: GS2/IR GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (EEPC) के अनुसार, पड़ोसी देश में हाल ही में हुई अशांति के कारण बांग्लादेश को भारत के इंजीनियरिंग सामान निर्यात को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है।

भारत का इंजीनियरिंग निर्यात प्रदर्शन

- कुल सकल घरेलू उत्पाद का 3% हिस्सा होने के कारण, भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण रीढ़ है।
- इंजीनियरिंग क्षेत्र भारत के कुल निर्यात में 24% की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और कुल विनिर्माण निर्यात में लगभग 40% का योगदान देता है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में इंजीनियरिंग निर्यात में 2.13% की वृद्धि हुई और यह 109.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जो कि व्यापारिक निर्यात प्रवृत्ति के विपरीत है जिसमें 3.11% की गिरावट आई है।
- कमजोर वैश्विक व्यापार प्रवृत्तियों, घटती मांग, विदेशी मुद्रा संकट और भू-राजनीतिक संघर्षों को देखते हुए इसने अच्छा प्रदर्शन किया।
- आज, कुल इंजीनियरिंग निर्यात में से, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का अनुपात 1956-57 में 34% से घटकर 2023-24 में 9% हो गया है, जबकि पूंजीगत वस्तुओं का अनुपात 1956-57 में 12% से बढ़कर 2023-24 में 60% हो गया है।

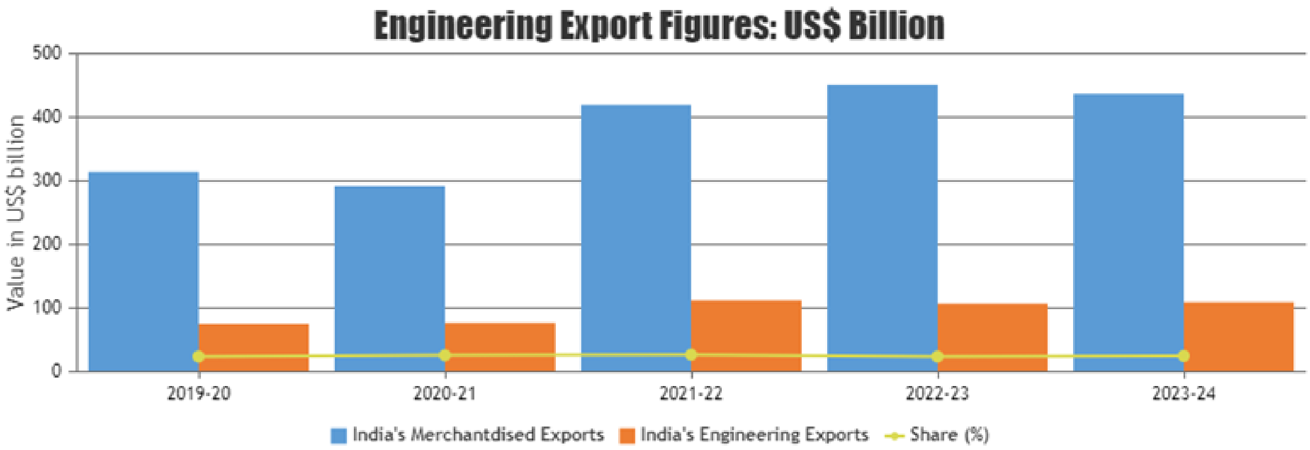

निर्यात गंतव्य

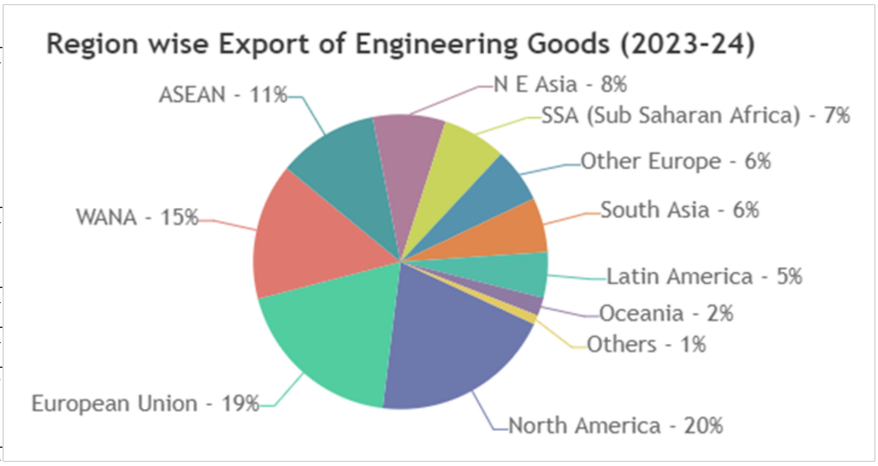

- भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात करता है: आसियान, उत्तर-पूर्व एशिया, अफ्रीका, यूरोपीय संघ, उत्तरी अमेरिका, सीआईएस, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, आदि।
- भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने जनवरी 2024 में लगातार दूसरे महीने 4.20% की वृद्धि के साथ अपनी साल-दर-साल वृद्धि जारी रखी, जिसका श्रेय लोहा और इस्पात, विमान, अंतरिक्ष यान और पुर्जे, तांबा और तांबे के उत्पादों और इलेक्ट्रिक मशीनरी के बढ़े हुए शिपमेंट को दिया गया।
- इसके अतिरिक्त, दक्षिण एशिया, यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका से बढ़ी मांग ने भी इस वृद्धि में योगदान दिया।

बांग्लादेश में हाल ही में हुई उथल-पुथल के बाद चिंताएँ

- निर्यात में गिरावट: वर्ष के पहले चार महीनों में, बांग्लादेश को भारत के इंजीनियरिंग सामान निर्यात में 9% की गिरावट आई।
- इसने उस उद्योग के लिए चिंताएँ बढ़ा दी हैं जो भारत के व्यापारिक निर्यात का एक चौथाई हिस्सा है।
- आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान: बांग्लादेश में चल रही अशांति ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच माल का सुचारू प्रवाह प्रभावित हुआ है।
- परिणामस्वरूप, भारतीय निर्यातकों को अपने बांग्लादेशी समकक्षों को इंजीनियरिंग उत्पाद भेजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
- राजस्व घाटा और अनिश्चितता: इस स्थिति ने भारतीय निर्यातकों के लिए राजस्व घाटे का खतरा बढ़ा दिया है। इंजीनियरिंग सामान भारत के निर्यात पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए किसी भी व्यवधान के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
- विशिष्ट निर्यात श्रेणियाँ: अप्रैल और जुलाई के बीच भारत से इंजीनियरिंग वस्तुओं के कुल निर्यात में 4.2% की वृद्धि हुई, जबकि लोहा और इस्पात के निर्यात में 31.6% की तीव्र गिरावट आई।
- इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के कई शीर्ष निर्यात बाज़ारों- जिनमें इटली, कोरिया, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं- ने इस अवधि के दौरान भारतीय वस्तुओं के लिए कम रुचि दिखाई।
- ऑफसेटिंग कारक: बांग्लादेश को निर्यात में गिरावट के बावजूद, अन्य जगहों पर सकारात्मक रुझान देखे गए। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को निर्यात में लगभग 44% की वृद्धि देखी गई, और सऊदी अरब को शिपमेंट में 33% की वृद्धि हुई।
- इन दोनों देशों ने कुल मिलाकर 4.4 बिलियन डॉलर मूल्य के भारतीय इंजीनियरिंग सामान आयात किए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए गए 6.1 बिलियन डॉलर के बाद दूसरे स्थान पर है।
- वैश्विक प्रभाव: बांग्लादेश में अशांति ने न केवल भारतीय निर्यातकों को प्रभावित किया है, बल्कि दुनिया भर के निर्यातकों को भी काफी नुकसान पहुँचाया है।
- हिंसा और विरोध प्रदर्शनों ने आयात को बाधित किया, जिससे सीमाओं के पार व्यवसायों के लिए चुनौतियाँ पैदा हुई।

सरकारी पहल

- 2019 में, सरकार ने अगले पाँच वर्षों में बुनियादी ढाँचे के विकास में 100 लाख करोड़ रुपये (1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश की घोषणा की।
- अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में, सरकार ने परिवहन बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये (133 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित करके बुनियादी ढाँचा क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा दिया।
- भारत सरकार ने निर्यातकों को प्रोत्साहित करने और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से राजस्व बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की हैं, जैसे कि शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) योजना, निर्यात उत्कृष्टता के शहर (टीईई), बाज़ार पहुँच पहल (एमएआई), आदि।
- कच्चे माल के आयात को आसान बनाने के लिए शुल्क छूट, अग्रिम प्राधिकरण, शुल्क-मुक्त आयात, सेवा कर पर छूट आदि जैसी योजनाएँ लागू की गई हैं।
- भारत ने घरेलू इंजीनियरिंग सामान निर्माण फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मकता को समर्थन देने और बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि 'मेक इन इंडिया' पहल, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना, उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई योजना, फेम इंडिया II योजना, पूंजीगत सामान योजना, उद्योग 4.0।

निष्कर्ष

- बांग्लादेश में हाल ही में हुई उथल-पुथल का भारत के इंजीनियरिंग निर्यात पर ठोस प्रभाव पड़ा है, जिससे दोनों देशों के बीच स्थिर व्यापार संबंधों के महत्व पर बल मिलता है। जैसे-जैसे स्थिति विकसित होती है, निर्यातकों को आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानों को कम करने के लिए अनुकूलन और तरीके खोजने की आवश्यकता होगी।

क्या आप जानते हैं?

- भारत जून 2014 में वाशिंगटन समझौते का स्थायी सदस्य बन गया, और अब 17 देशों के एक विशेष समूह का हिस्सा है जो वाशिंगटन समझौते के स्थायी हस्ताक्षरकर्ता हैं, जो इंजीनियरिंग अध्ययन और इंजीनियरों की गतिशीलता पर एक विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय समझौता है।

वित्तीय बाजारों में स्व-नियामक संगठनों की मान्यता के लिए रूपरेखा

पाठ्यक्रम: GS 3/ अर्थव्यवस्था

समाचार में

- भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने और नीति निर्माण के लिए एक परामर्श मंच प्रदान करने में मदद करने के लिए वित्तीय बाजारों में स्व-नियामक संगठनों की मान्यता के लिए एक रूपरेखा जारी की।

RBI के ढांचे में उल्लिखित प्रमुख विनियम:

- RBI ढांचा वित्तीय बाजार खंडों जैसे कि फिनटेक फर्मों और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (NBFC) की देखरेख के लिए SRO को मान्यता देने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- आवेदन प्रक्रिया: आवेदन ईमेल के माध्यम से या मुंबई में RBI के वित्तीय बाजार विनियमन विभाग को प्रस्तुत किए जा सकते हैं
- पात्रता मानदंड: गैर-लाभकारी: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी इकाई होनी चाहिए, जिसकी न्यूनतम निवल संपत्ति ₹10 करोड़ और पर्याप्त बुनियादी ढाँचा हो।
- स्वैच्छिक सदस्यता: सदस्यता स्वैच्छिक होनी चाहिए।
- प्रतिनिधित्व: विभिन्न क्षेत्रों की संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि वर्तमान प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए दो साल का रोडमैप प्रदान किया जाना चाहिए।
- निदेशक: आर्थिक अपराधों सहित अपराधों के लिए पिछले दोषसिद्धि के बिना सक्षम, निष्पक्ष और प्रतिष्ठित निदेशक होने चाहिए।
- RBI यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है कि SRO का कामकाज सार्वजनिक हित में हो।

स्व-नियामक संगठनों के बारे में

- स्व-नियामक संगठन वे संस्थाएँ हैं जो उद्योगों द्वारा स्वयं अपने सदस्यों के आचरण को विनियमित करने और उनकी देखरेख करने के लिए बनाई जाती हैं। सरकारी नियामक निकायों के विपरीत, जिन्हें विधायी या कार्यकारी कार्यों द्वारा स्थापित किया जाता है।
- एसआरओ उद्योग के हितधारकों द्वारा बनाए जाते हैं और अक्सर उद्योग द्वारा विकसित नियमों और दिशानिर्देशों के ढांचे के तहत काम करते हैं।

प्राथमिक उद्देश्य:

- एसआरओ ऐसे मानकों और प्रथाओं को विकसित और लागू करते हैं जिनका सदस्यों को पालन करना चाहिए, जिससे उद्योग के भीतर स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
- वे सदस्यों के बीच कदाचार और अनैतिक व्यवहार को रोकने के लिए नैतिक दिशानिर्देश और आचार संहिता निर्धारित करने में मदद करते हैं।
- एसआरओ अक्सर सदस्यों के बीच या सदस्यों और उनके ग्राहकों के बीच विवादों को हल करने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, इस प्रकार निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं।
- वे सदस्यों को उद्योग के विकास, नियामक परिवर्तनों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में सूचित रहने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करते हैं।

चुनौतियाँ

- जबकि एसआरओ उद्योग के स्व-नियमन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
- सदस्यों के बीच लगातार अनुपालन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों में।
- एसआरओ को बड़े निगमों और छोटे व्यवसायों सहित विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करना चाहिए, जिससे कभी-कभी संघर्ष हो सकता है।
- एसआरओ की प्रभावशीलता इस बात से प्रभावित हो सकती है कि वे किस हद तक विनियामक निगरानी के अधीन हैं। स्व-नियमन और बाहरी विनियमन के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

- भारत में एसआरओ अपने विनियामक ढांचे को बढ़ाने, बेहतर अनुपालन के लिए नई तकनीकों को अपनाने और पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना रखते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करके, एसआरओ विभिन्न उद्योगों में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने और उच्च मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रख सकते हैं।
- जैसे-जैसे उद्योग विकसित होते हैं, एसआरओ को आधुनिक स्व-नियमन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए अनुकूलन और नवाचार करने की आवश्यकता होगी।

भारत में ई-कॉमर्स: चिंता का विषय?

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय व्यापार मंत्री ने भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र पर बहस छेड़ दी, इसकी तेजी से हो रही वृद्धि का जश्न मनाने के बजाय, उन्होंने चिंता व्यक्त की।

भारत में ई-कॉमर्स बाजार की स्थिति के बारे में

- भारत, अपनी तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार के साथ, अपने खुदरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव के कगार पर है।
- वर्तमान में, भारत में ई-कॉमर्स बाजार का मूल्य $70 बिलियन है, जो देश के समग्र खुदरा बाजार का लगभग 7% है। इसके $325 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है, और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था $800 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।
- भारत में ऑनलाइन शॉपर्स की संख्या 2019 और 2026 के बीच ग्रामीण भारत में 22% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ बढ़कर 88 मिलियन और शहरी भारत में 15% बढ़कर 263 मिलियन होने का अनुमान है।
- उम्मीद है कि एक से दो साल में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपर बेस के रूप में आगे निकल जाएगा।

ई-कॉमर्स के उदय को बढ़ावा देने वाले कारक

- भारत वर्तमान में 900 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार रखता है।
- 2030 तक, इसके ऑनलाइन खुदरा उद्योग में तीसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है।
- यह वृद्धि इंटरनेट की बढ़ती पहुंच से प्रेरित है, 2025 तक लगभग 87% भारतीय घरों में इंटरनेट कनेक्शन होने की उम्मीद है।
- मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस की अवधि में 2019 की तुलना में 21% की वृद्धि देखी गई है।
- 2.5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले भारतीय उपभोक्ता 2030 तक भारत के 300 बिलियन डॉलर के ई-कॉमर्स बाज़ार में लगभग आधी वृद्धि के लिए ज़िम्मेदार होंगे।
- भारत में ई-कॉमर्स की वृद्धि कुशल लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क की उन्नति से हुई है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी सरकारी पहलों ने अंतिम-मील डिलीवरी को सुव्यवस्थित किया है, जिससे लॉजिस्टिकल दक्षता और लागत-प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं को अपने घर से या चलते-फिरते खरीदारी करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे समय और प्रयास दोनों की बचत होती है। उदाहरण के लिए, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे खाद्य वितरण प्लेटफ़ॉर्म इस सुविधा के कारण अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गए हैं।
- इन्वेस्ट इंडिया ने ई-कॉमर्स लेन-देन में शामिल परिवारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की भविष्यवाणी की है, जो 2022 में 60-70 मिलियन से बढ़कर 2030 तक 120-130 मिलियन हो जाएगी।

भारत में ई-कॉमर्स बाजार से जुड़ी चुनौतियाँ

- प्लेटफ़ॉर्म तटस्थता और निष्पक्षता: प्लेटफ़ॉर्म तटस्थता की कमी, अनुचित प्लेटफ़ॉर्म-टू-बिजनेस अनुबंध शर्तें, ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्लेटफ़ॉर्म और विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं के बीच विशेष अनुबंध, प्लेटफ़ॉर्म मूल्य समता प्रतिबंध और भारी छूट के बारे में चिंताएँ हैं।
- कराधान: घाटे को आगे ले जाने के प्रावधानों को व्यवसाय पुनर्गठन के लिए अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, और कर नियमों को रोकने के लिए अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है।
- लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) का समावेशन: एसएमई को अक्सर ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेना चुनौतीपूर्ण लगता है, क्योंकि विभिन्न प्लेटफार्मों के लिए अलग-अलग बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, प्रत्येक प्लेटफॉर्म के अलग-अलग नियम और शर्तें होती हैं, तथा इनसे जुड़ी लागतें होती हैं।
- डिजिटल बुनियादी ढांचा और इंटरनेट पैठ: डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती सुचारू और निर्बाध ऑनलाइन लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण है।
- डिजिटल बुनियादी ढांचे में कोई भी व्यवधान लेनदेन विफलताओं का कारण बन सकता है, जिससे ई-कॉमर्स में उपभोक्ताओं का भरोसा और विश्वास प्रभावित होता है।
- जबकि भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है, अभी भी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसकी इंटरनेट तक पहुँच नहीं है।
- विनियामक चुनौतियाँ: भारत में ई-कॉमर्स व्यवसायों को डेटा सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, कराधान और अन्य कानूनी और विनियामक अनुपालन से संबंधित मुद्दों सहित विनियामक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।

चुनौतियों पर काबू पाने के लिए संबंधित पहल

- नीति समर्थन: B2B ई-कॉमर्स में 100% FDI की अनुमति है।
- ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM): इसने सरकारी खरीद को सुगम बनाया है, जिससे GMV में 4 लाख करोड़ रुपये का प्रभावशाली आंकड़ा पार हो गया है।

- डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC): इसका उद्देश्य एमएसएमई को डिजिटल कॉमर्स में आगे बढ़ने और ई-कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने के लिए समान अवसर प्रदान करना है।
- अन्य प्रमुख पहलों में डिजिटल इंडिया (भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना), स्किल इंडिया (लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करना), स्टार्टअप इंडिया (देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना), मेक इन इंडिया (कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना), इनोवेशन फंड (देश में उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से), और भारतनेट (ग्रामीण ब्रॉडबैंड पैठ बढ़ाने के लिए) आदि शामिल हैं।

आगे की राह (नीतिगत बदलाव: संतुलन बनाना)

- सख्त नियम: सरकार ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के लिए सख्त नियमों पर विचार कर रही है। हालांकि विकास शानदार है, लेकिन यह दूसरों की भलाई की कीमत पर नहीं आना चाहिए। विकास को उपभोक्ता सुरक्षा के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।
- निष्पक्ष खेल और पारदर्शिता: केंद्रीय व्यापार मंत्री चाहते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और प्रौद्योगिकी फले-फूले, लेकिन ईमानदारी और पारदर्शिता पर जोर देते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के व्यवसायों को समान नियमों का पालन करना चाहिए।
- यह उस मधुर बिंदु को खोजने के बारे में है जहां प्रगति हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक ताने-बाने से समझौता नहीं करती है।

निष्कर्ष

- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास, बढ़ती इंटरनेट पहुंच और बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वर्ग के उदय के साथ, भारत को 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ईकॉमर्स बाजार बनने के लिए प्रेरित करेगा।
- यह व्यवसायों और निवेशकों दोनों के लिए एक जबरदस्त अवसर प्रस्तुत करता है, जिससे भारत दुनिया में ईकॉमर्स के लिए सबसे आकर्षक बाजारों में से एक बन जाता है।

भारत को करीब 8 मिलियन नई नौकरियाँ सृजित करने की आवश्यकता है

पाठ्यक्रम: GS 3/अर्थव्यवस्था

खबरों में

- हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अनुमान लगाया कि भारत को आने वाले दशक में हर साल करीब 8 मिलियन नई नौकरियाँ सृजित करने की आवश्यकता है।

स्थिति

- जीडीपी वृद्धि दर की बात करें तो भारत सबसे उज्ज्वल स्थानों में से एक रहा है।
- भारत अपनी विकास संख्याओं के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
- इस वित्तीय वर्ष के लिए 7% की वृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है, और यह वैश्विक विकास में लगभग 17% का योगदान देता है

मुख्य चुनौतियाँ

- मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति स्थिर हो रही है, लेकिन प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों से बचने के लिए अभी भी सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता है।
- भू-राजनीतिक तनाव: संघर्ष, विशेष रूप से मध्य पूर्व में, तेल जैसी वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।
- राजनीतिक अनिश्चितता: इस वर्ष वैश्विक स्तर पर कई चुनाव नीति अनिश्चितता ला सकते हैं जो विकास को प्रभावित कर सकते हैं।
- मध्यम अवधि की वृद्धि: अनुमानित वैश्विक वृद्धि दर ऐतिहासिक औसत की तुलना में कमज़ोर है, जिसके लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
- डॉलर का प्रभुत्व अमेरिकी संस्थानों, खुले पूंजी बाज़ारों और नेटवर्क प्रभावों की मज़बूती के कारण है।

रोज़गार पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रभाव

- लगभग 25% भारतीय कर्मचारी AI के संपर्क में हैं, जिसका विभिन्न क्षेत्रों पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है।
- AI कौशल की कमी को दूर करने, सार्वजनिक वित्त में सुधार करने और शैक्षिक विधियों को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- लेकिन कॉल सेंटर जैसे कुछ क्षेत्रों में AI के कारण मानव श्रम की मांग कम हो सकती है।

संबंधित कदम

- मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर करके और विश्वसनीयता में सुधार करके लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण आम तौर पर वैश्विक स्तर पर सफल रहा है।
- भारत का अनुभव: 2015 में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने के बाद से, भारत में मुद्रास्फीति अधिक स्थिर रही है, हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- भारत मजबूत जीडीपी वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जो वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

सुझाव और आगे की राह

- कॉर्पोरेट निवेश और लचीले श्रम बाजारों को प्रोत्साहित करने से व्यापक विकास और रोजगार सृजन में मदद मिल सकती है।
- व्यापार करने में आसानी में सुधार और व्यापार प्रतिबंधों को कम करना महत्वपूर्ण है।
- दीर्घकालिक विकास के लिए शिक्षा, कौशल और कृषि में उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना आवश्यक है।
- व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता तथा मुद्रा परिवर्तनीयता में सुधार से देशों को लाभ होता है, भले ही उनकी मुद्रा प्रमुख हो या न हो।
- निरंतर सुधारों के साथ, भारत अपनी वृद्धि को बनाए रख सकता है और संभवतः बढ़ा भी सकता है, लेकिन रोजगार सृजन महत्वपूर्ण है।
- भारत को 2030 तक 60 से 148 मिलियन नई नौकरियाँ सृजित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में व्यापक आधार पर विकास की आवश्यकता है।

युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2024

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने "युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2024 (युवाओं के लिए GET)" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है।
- यह रिपोर्ट ILO के GET for Youth के प्रकाशन की 20वीं वर्षगांठ का प्रतिनिधित्व करती है।
- यह GET for Youth इक्कीसवीं सदी की शुरुआत से अब तक की उपलब्धियों पर नज़र डालता है, साथ ही यह भी देखता है कि संकटों और अनिश्चितताओं से भरे युग में युवा रोजगार के लिए क्या हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में

- यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसकी स्थापना 1919 में वर्सेल्स की संधि के हिस्से के रूप में हुई थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था, और यह 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी बन गई।
- इसके 187 सदस्य देश हैं।
- यह श्रम मानक निर्धारित करता है, नीतियाँ विकसित करता है और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करता है।
- यह एकमात्र त्रिपक्षीय यू.एन. एजेंसी है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- प्रमुख रिपोर्ट: विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण (WESO), वैश्विक वेतन रिपोर्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, युवाओं के लिए विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण, विश्व कार्य रिपोर्ट।

प्रमुख हाइलाइट्स

- कोविड 19 के बाद लचीली आर्थिक वृद्धि ने 15-24 आयु वर्ग के युवाओं के लिए वैश्विक श्रम बाजार के दृष्टिकोण में सुधार किया है।
- 2023 में युवा बेरोज़गारी दर 13 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 15 साल के निचले स्तर पर है और 2019 में महामारी से पहले की दर 13.8 प्रतिशत से कम है।
- इस साल और अगले साल इसमें और गिरावट आने की उम्मीद है और यह 12.8 प्रतिशत हो जाएगी।
- उच्च बेरोज़गारी दर: अरब देशों, पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, 2019 की तुलना में 2023 में युवा बेरोज़गारी दर अधिक थी।
- NEET युवा: रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि जो युवा रोज़गार, शिक्षा या प्रशिक्षण (NEET) में नहीं हैं, उनकी संख्या 'चिंताजनक' है, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर 20.4 प्रतिशत है, जिसमें तीन में से दो युवा NEET महिलाएँ हैं।
- रोज़गार प्राप्त युवाओं की चिंताएँ: अच्छी नौकरियाँ पाने में प्रगति की कमी, वैश्विक स्तर पर आधे से अधिक युवा कर्मचारी अनौपचारिक रोज़गार में हैं।
- उच्च आय वाले देशों में सुरक्षित वेतन वाली नौकरी में काम करने वाले युवा वयस्कों की हिस्सेदारी काफी अधिक है (2023 में 76%), लेकिन उन देशों में अस्थायी काम की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।
- शिक्षित युवाओं की आपूर्ति से मेल खाने के लिए उच्च कौशल वाली नौकरियों की आपूर्ति, विशेष रूप से मध्यम आय वाले देशों में, पर्याप्त नहीं रही है।
- कम आय वाले देशों में, 25 से 29 वर्ष की आयु के पाँच में से केवल एक युवा वयस्क ही सुरक्षित वेतन वाली नौकरी पाने में कामयाब होता है।
- सेवा क्षेत्र: 2008 से, सेवाओं ने दुनिया भर में युवाओं के सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में पदभार संभाला है। सेवाओं द्वारा युवा रोजगार का हिस्सा बढ़कर 45.9 प्रतिशत हो गया।
- सेवाओं के भीतर, तीन समेकित उप-क्षेत्र क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि के दो तिहाई के लिए जिम्मेदार रहे हैं: थोक और खुदरा व्यापार; आवास और खाद्य सेवाएँ; और अन्य व्यावसायिक सेवाएँ।
- कृषि क्षेत्र: कृषि द्वारा युवा रोजगार का हिस्सा 2021 तक घटकर 30.5 प्रतिशत रह गया।

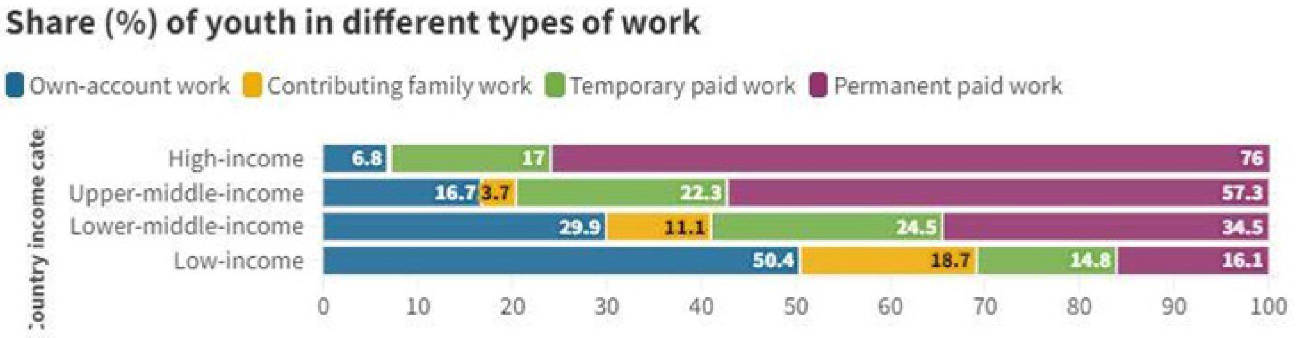

- उद्योग क्षेत्र: उद्योग क्षेत्र के भीतर, विनिर्माण ने 2001 और 2021 के बीच युवा नौकरियों के घटते हिस्से के लिए जिम्मेदार है, जबकि निर्माण ने विशेष रूप से युवा पुरुषों के लिए अधिक प्रमुख भूमिका निभाई है।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, 2023 में युवा बेरोजगारी दर 13.9% थी और यह संकट के वर्षों से पूरी तरह से उबरने को दर्शाती है और संकट-पूर्व वर्षों की दर से नीचे गिर गई।
- 2025 तक, इस क्षेत्र में युवा बेरोजगारी दर में 13.7% की गिरावट जारी रहने की उम्मीद है।
- दक्षिण एशिया में रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण दरों में शामिल नहीं होने वाले युवाओं में लिंग अंतर दुनिया के किसी भी अन्य उप-क्षेत्र की तुलना में अधिक था
- इस क्षेत्र की युवा NEET दर 20.5% (2023 में 20.4% से) तक बहुत मामूली रूप से बढ़ने की उम्मीद है।
- सहस्राब्दी की शुरुआत से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अस्थायी नौकरियों में काम करने वाले युवा वयस्कों की हिस्सेदारी पाँच में से एक से बढ़कर चार में से एक हो गई है।
- 2021 तक, दक्षिण एशिया के केवल उपक्षेत्र में ही कृषि क्षेत्र युवाओं के सबसे बड़े नियोक्ता (35%) के रूप में था।

निष्कर्ष

- रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि युवा लोगों के लिए अवसर अत्यधिक असमान हैं; कई युवा महिलाएँ, सीमित वित्तीय साधन वाले युवा या किसी अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि से आने वाले युवा अभी भी संघर्ष कर रहे हैं।
- शिक्षा और सभ्य नौकरियों के समान अवसरों के बिना, लाखों युवा बेहतर भविष्य के लिए अपने अवसरों से चूक रहे हैं।

भारत में हीरा क्षेत्र

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- भारत में हीरा उद्योग बड़े पैमाने पर नौकरी छूटने, वेतन में कमी और काम के बारे में अनिश्चितता का सामना कर रहा है, जो कच्चे हीरे को काटने और चमकाने और उन्हें कई देशों में निर्यात करने वाली हज़ारों फ़ैक्टरियों में लगभग सात लाख श्रमिकों को रोज़गार देता है।

हीरे के भंडारों का भौगोलिक वितरण

- हीरे बहुमूल्य रत्न हैं, जो लाखों वर्षों में पृथ्वी की सतह के भीतर बनते हैं, तथा सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
- भारत में हीरे की मौजूदगी प्रागैतिहासिक काल से है, और देश में कई हीरे वाले क्षेत्र हैं।
- दक्षिण भारतीय क्षेत्र (आंध्र प्रदेश): इस क्षेत्र में अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर और कुरनूल जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में हीरे के महत्वपूर्ण भंडार और निष्कर्षण गतिविधियाँ हैं।
- मध्य भारतीय क्षेत्र (मध्य प्रदेश - पन्ना बेल्ट): मध्य प्रदेश, विशेष रूप से पन्ना बेल्ट, अपने हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
- पन्ना में हीरे के खनन का एक लंबा इतिहास है और यह भारत के रत्न उद्योग में योगदान देता रहा है।
- गुजरात: गुजरात में हीरा क्षेत्र चमक रहा है।
- सूरत, जिसे अक्सर 'हीरे का शहर' कहा जाता है, लगभग आठ लाख (800,000) कच्चे हीरे संसाधित करता है, जो इसे हीरे की पॉलिशिंग के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाता है। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स ने उद्योग को और बढ़ावा दिया है।
- ₹2 लाख करोड़ (लगभग $27 बिलियन) के अनुमानित वार्षिक कारोबार के साथ, यह बोर्स अतिरिक्त 1.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार है।

कट और पॉलिश किए गए हीरों में भारत का प्रभुत्व

- निर्यात: तैयार हीरों का भारतीय निर्यात सालाना 23 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है।
- रोजगार: हीरा क्षेत्र भारत में लगभग 1 मिलियन लोगों को सीधे रोजगार देता है।
- इसके अतिरिक्त, यह अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न संबंधित उद्योगों में लगभग 5 मिलियन नौकरियों का समर्थन करता है।
- वैश्विक नेतृत्व: भारत दुनिया भर में आभूषणों में इस्तेमाल होने वाले 90% से अधिक हीरों को संसाधित करता है। भारतीय कारीगर कुशलता से कच्चे पत्थरों को बेहतरीन रत्नों में बदल देते हैं जो दुनिया भर में उंगलियों, गर्दन और कानों को सुशोभित करते हैं।

प्रमुख चिंताएँ

- निर्यात में कमी: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात से मांग में कमी के कारण 2023-24 में भारत का कट और पॉलिश किया हुआ हीरा निर्यात एक साल पहले की तुलना में 27.5% गिरकर 15.97 बिलियन डॉलर रह गया।
- निर्यात में गिरावट के कारण दुनिया की सबसे बड़ी हीरा पॉलिशर को वित्तीय वर्ष 2023-24 में कच्चे हीरों के आयात में एक साल पहले की तुलना में 18% की कमी करके 14.27 बिलियन डॉलर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- बड़े पैमाने पर नौकरी छूटना और वेतन में कटौती: सूरत की हीरा फैक्ट्रियों में लगभग सात लाख श्रमिकों को रोजगार मिला है, लेकिन अब अनिश्चितता का माहौल है।
- वैश्विक कारक भूमिका में: चूंकि सूरत से पॉलिश किए गए 95% हीरे निर्यात किए जाते हैं, इसलिए वैश्विक कारक उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
- भू-राजनीतिक तनाव, जैसे कि रूस-यूक्रेन संघर्ष और इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दों ने दुनिया भर में हीरे की मांग को बाधित किया है। ये संघर्ष आपूर्ति श्रृंखला में व्याप्त हैं, जिसका असर सूरत की फैक्ट्रियों पर पड़ रहा है।
- इन्वेंट्री की समस्या और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान: सूरत की फैक्ट्रियों में पर्याप्त इन्वेंट्री बची हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कच्चे हीरे के प्रमुख आपूर्तिकर्ता रूस को प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
- आपूर्ति और मांग के बीच का नाजुक संतुलन बिगड़ गया है।
- मंदी का असर: 2022 में, सूरत के हीरा उद्योग ने लगभग ₹2,25,000 करोड़ का कारोबार किया। अफसोस, यह आंकड़ा आज घटकर लगभग ₹1,50,000 करोड़ रह गया है।
- मंदी लगातार जारी है, जिसने उस शहर पर छाया डाल दी है जो कभी हीरे की चमक से चमकता था।

अन्य कारक

- बाजार की गतिशीलता: वैश्विक मांग और कच्चे हीरे की कीमतों में उतार-चढ़ाव राजस्व को प्रभावित करते हैं।
- तकनीकी बदलाव: प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों का उदय और उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकताएँ अनुकूलन की आवश्यकता है।
- स्थिरता: पर्यावरण और नैतिक विचारों के साथ विकास को संतुलित करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

भारत में कोयला क्षेत्र और चिंताएँ

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कोयला आयात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.7 प्रतिशत बढ़कर 75.26 मिलियन टन (MT) हो गया।
- समुद्री कीमतों में निरंतर नरमी और गर्मी के मौसम में मांग में वृद्धि की उम्मीद के कारण कोयला आयात की मात्रा में वृद्धि हुई।

भारत में कोयला क्षेत्र

- कोयला भंडार: भारत में महत्वपूर्ण कोयला भंडार है, और यह दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादकों में से एक है।
- भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे मध्य राज्यों में स्थित हैं।
- कोयला उत्पादन: भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है।
- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है और दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक है।
- कोयला खपत: मई 2024 के दौरान कोयला उत्पादन में उछाल, 83.91 मिलियन टन तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय 10.15% वृद्धि दर्शाता है।
- यह उछाल ऊर्जा और विनिर्माण उद्योगों की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए क्षेत्र की क्षमता को उजागर करता है।
- आयात और निर्यात: एक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक होने के बावजूद, भारत बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए कोयले का आयात भी कर रहा है।
- यह परिवहन चुनौतियों और कुछ उद्योगों के लिए विशिष्ट प्रकार के कोयले की आवश्यकता जैसे मुद्दों के कारण है।

चुनौतियाँ

- पर्यावरणीय प्रभाव: कोयला क्षेत्र को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वायु प्रदूषण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों पर कोयला खनन का प्रभाव शामिल है।
- बुनियादी ढाँचा: यह क्षेत्र रेलवे और बंदरगाहों सहित कोयला परिवहन के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे से जूझ रहा है, जिससे अकुशलता और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याएँ पैदा हो रही हैं।
- विनियामक और नीतिगत मुद्दे: यह क्षेत्र जटिल विनियमों और नीतियों के अधीन है जो इसके संचालन और विकास को प्रभावित करते हैं।
- इस क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी और पारदर्शिता में सुधार के प्रयास शामिल हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण

- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक है, जिसकी स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है। कोयला अभी भी भारत की 55% बिजली आपूर्ति प्रदान करता है।
- लक्ष्य: भारत ने 2030 तक अपनी बिजली की 50% मांग को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य घोषित किया है।

चुनौतियाँ:

- प्राकृतिक कारकों पर निर्भरता: सौर और पवन जैसे ऊर्जा स्रोत परिवर्तनशील हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश, हवा और पानी की उपलब्धता जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं।
- स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारत को बैटरी भंडारण में भारी निवेश करना होगा।
- जलविद्युत परियोजनाओं में चिंताएँ: हिमालयी क्षेत्र में कई जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं या योजना के चरणों में हैं।
- लेकिन वे आलोचना के घेरे में आ गए हैं क्योंकि परियोजनाओं ने पारिस्थितिक क्षति का कारण बना है और क्षेत्र में जल संसाधनों पर संभावित संघर्षों के बारे में चिंताएँ पैदा की हैं।
- परमाणु ऊर्जा: परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की मदद से ऊर्जा उत्पन्न करने की देश की योजनाएँ वास्तव में शुरू नहीं हुई हैं।
- 2022-23 के दौरान, संयंत्रों ने भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 2.8% उत्पादन किया।
- बुनियादी ढाँचा विकास: अक्षय ऊर्जा में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता है।
- इस बुनियादी ढांचे के विकास की गति और पैमाने भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश के लिए एक चुनौती हो सकती है।
- ग्रिड एकीकरण: मौजूदा बिजली ग्रिड में अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करना एक जटिल कार्य है।
- ग्रिड लचीला होना चाहिए और आपूर्ति में उतार-चढ़ाव को संभालने में सक्षम होना चाहिए।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM): इसे 2010 में लॉन्च किया गया था, इसने ग्रिड से जुड़े और ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित सौर क्षमता स्थापना के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
- हरित ऊर्जा गलियारे: हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना राष्ट्रीय ग्रिड में अक्षय ऊर्जा के एकीकरण की सुविधा के लिए ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर केंद्रित है।
- अक्षय खरीद दायित्व (RPO): इसके लिए बिजली वितरण कंपनियों और बड़े बिजली उपभोक्ताओं को अपनी बिजली का एक निश्चित प्रतिशत अक्षय स्रोतों से खरीदना पड़ता है, जिससे अक्षय ऊर्जा की मांग को बढ़ावा मिलता है।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम): इसमें सौर पंपों की स्थापना, मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण और बंजर या परती भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना शामिल है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए): भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर संसाधन समृद्ध देशों के गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

पाठ्यक्रम: जीएस 3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- हाल ही में, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसमें प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के लिए मौजूदा एक से चार तक का विकल्प बढ़ाने की मांग की गई थी।

विधेयक पेश करने का औचित्य

- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की शुरूआत 2023-24 के बजट भाषण के दौरान की गई घोषणा के बाद की गई है, जिसमें शासन को मजबूत करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण सहित बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों को सुविधाजनक बनाने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और 1980 सहित कई कानूनों में संशोधन करना चाहता है।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य शासन को बढ़ाना, निवेशक सुरक्षा को मजबूत करना और समग्र बैंकिंग प्रथाओं में सुधार करना है।

प्रस्तावित संशोधन

- प्रत्येक बैंक खाते में नामांकित व्यक्ति: वर्तमान में, प्रत्येक बैंक खाते में केवल एक ही नामांकित व्यक्ति हो सकता है। हालाँकि, प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य इस सीमा को बढ़ाकर प्रति खाता चार नामांकित व्यक्ति करना है।
- यह खाताधारकों को अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान करता है।
- 'पर्याप्त ब्याज' को फिर से परिभाषित करना: विधेयक बैंक निदेशक पदों के लिए 'पर्याप्त ब्याज' की अवधारणा को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करता है। 5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा को काफी हद तक बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाएगा।

- यह लगभग छह दशकों से चली आ रही सीमा में लंबे समय से लंबित समायोजन को दर्शाता है।
- वैधानिक लेखा परीक्षकों के वेतन में लचीलापन (बैंकों के लिए स्वायत्तता): विधेयक का उद्देश्य बैंकों को वैधानिक लेखा परीक्षकों के वेतन का निर्धारण करने में अधिक लचीलापन प्रदान करना है।
- यह बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और पारदर्शिता बनाए रखने में मजबूत लेखा परीक्षा प्रथाओं के महत्व को पहचानता है।
- सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 किसी बैंक के निदेशक (इसके अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) को लगातार आठ वर्षों से अधिक समय तक पद पर बने रहने से रोकता है।
- 2024 का विधेयक सहकारी बैंकों के लिए इस अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रयास करता है।
- रिपोर्टिंग तिथियाँ: विधेयक विनियामक अनुपालन के लिए रिपोर्टिंग तिथियों में बदलाव का प्रस्ताव करता है। वर्तमान अनुसूची (प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार) के बजाय, नई रिपोर्टिंग तिथियाँ हर महीने की 15वीं और आखिरी तारीख होंगी।
- व्यापक सुधार: ये परिवर्तन बैंक प्रशासन और निवेशक सुरक्षा में सुधार के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं।
- संशोधन बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और 1980 को भी प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष

- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भारत के बैंकिंग ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- नामांकित विकल्पों को बढ़ाकर, पर्याप्त ब्याज को फिर से परिभाषित करके और बैंकों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करके, विधेयक का उद्देश्य अधिक मजबूत और निवेशक-अनुकूल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

स्वच्छ पौधा कार्यक्रम

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था, कृषि

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ पौधा कार्यक्रम (CPP) को मंजूरी दे दी है।
- इसका उद्देश्य देश भर में फलों की फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना है।

स्वच्छ पौधा कार्यक्रम (CPP) के बारे में

- CPP को उच्च गुणवत्ता वाली, वायरस-मुक्त रोपण सामग्री तक पहुँच प्रदान करके बागवानी में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह कार्यक्रम किसानों से लेकर उपभोक्ताओं तक विभिन्न हितधारकों को अनेक लाभ प्रदान करेगा तथा वैश्विक फल बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।
- स्वच्छ पौध केंद्र (CPC): पूरे भारत में नौ उन्नत CPC स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट फलों के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- ये केंद्र ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाओं सहित आधुनिक नैदानिक और उपचारात्मक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे।
- विनियामक उपाय: बीज अधिनियम 1966 के तहत एक मजबूत प्रमाणन प्रणाली लागू की जाएगी, जो रोपण सामग्री के उत्पादन और बिक्री में जवाबदेही और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करेगी।
- उन्नत अवसंरचना: स्वच्छ रोपण सामग्री के कुशल गुणन की सुविधा के लिए बड़े पैमाने की नर्सरियों को अवसंरचना विकसित करने के लिए समर्थन प्राप्त होगा।
- बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन के साथ एकीकरण: CPP बागवानी के एकीकृत विकास के लिए चल रहे मिशन (MIDH) का पूरक है।
- यह बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- MIDH में फलों, सब्जियों, जड़ और कंद वाली फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, बांस और कोको सहित कई तरह की फसलें शामिल हैं।
- कार्यान्वयन: इस कार्यक्रम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

मुख्य लाभ

- फसल की पैदावार में वृद्धि: वायरस मुक्त, बेहतर रोपण सामग्री प्रदान करके, CPP का उद्देश्य फसल की पैदावार को बढ़ावा देना है।
- आय के अवसर में वृद्धि: उच्च गुणवत्ता वाली उपज से किसानों को बेहतर बाजार मूल्य और आय प्राप्त होगी।
- प्रचार: सुव्यवस्थित प्रमाणन प्रक्रिया और बुनियादी ढाँचा समर्थन नर्सरियों को कुशलतापूर्वक स्वच्छ रोपण सामग्री का उत्पादन करने में मदद करेगा।
- स्थिरता: बेहतर सुविधाएँ नर्सरी क्षेत्र में विकास और स्थिरता को बढ़ावा देंगी।
- बेहतर उत्पादन: यह पहल सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को ऐसे फल मिलें जो न केवल वायरस-मुक्त हों, बल्कि स्वाद, रूप और पोषण मूल्य में भी बेहतर हों।
- वैश्विक बाजार को मजबूत बनाना: उच्च गुणवत्ता वाले, रोग-मुक्त फलों के साथ, भारत एक अग्रणी वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ाएगा, जिससे बाजार के अवसरों का विस्तार होगा और अंतर्राष्ट्रीय फल व्यापार में इसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी।

भारत में बागवानी क्षेत्र

- बागवानी फल, सब्जियां, फूल और सजावटी पौधों की खेती का विज्ञान और कला है।
- भारतीय बागवानी क्षेत्र कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA) में लगभग 33% का योगदान देता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- भारत वर्तमान में लगभग 320.48 मिलियन टन बागवानी उत्पाद का उत्पादन कर रहा है, जो खाद्यान्न उत्पादन से आगे निकल गया है, वह भी बहुत कम क्षेत्र से।
- खाद्यान्न की उत्पादकता की तुलना में बागवानी फसलों की उत्पादकता बहुत अधिक है।
- वर्तमान में, भारत दुनिया में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- केला, नींबू और नींबू, पपीता, भिंडी जैसी कई फसलों के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है।
- भारत का लाभ फलों और सब्जियों का कम लागत वाला उत्पादक होने में निहित है, क्योंकि इसके लिए अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ, श्रम की उपलब्धता और कम इनपुट लागत जैसे कई कारक जिम्मेदार हैं।
- परिणामस्वरूप, देश में कुल बागवानी उत्पादन में फलों और सब्जियों का योगदान लगभग 90% है।

क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- बुनियादी ढांचे की कमी: फसल कटाई के बाद की देखभाल, भंडारण और परिवहन के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों का काफी नुकसान होता है।
- जल प्रबंधन: बागवानी में पानी की बहुत जरूरत होती है, और पानी की कमी या अकुशल जल प्रबंधन प्रथाओं से फसल की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- कीट और रोग प्रबंधन: कीट और रोग बागवानी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, और कीटनाशकों के दुरुपयोग से पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं।
- बाजार संपर्क: सीमित बाजार संपर्क और मूल्य में उतार-चढ़ाव किसानों की आय को प्रभावित करते हैं और बागवानी उत्पादन में निवेश को हतोत्साहित करते हैं।
- जलवायु परिवर्तन: अप्रत्याशित वर्षा और तापमान में उतार-चढ़ाव सहित अनियमित मौसम पैटर्न, बागवानी उत्पादन के लिए चुनौतियां पेश करते हैं और अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
- गुणवत्ता मानक और प्रमाणन: गुणवत्ता मानकों को पूरा करना और निर्यात बाजारों के लिए प्रमाणन प्राप्त करना छोटे पैमाने के बागवानी उत्पादकों के लिए चुनौतीपूर्ण है।

बागवानी योजनाएँ और पहल

- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM): 2005 में शुरू की गई NHM एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
- यह बागवानी उत्पादन को बढ़ाने, पोषण सुरक्षा में सुधार करने और किसानों को आय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
- PMFBY के तहत बागवानी के लिए बढ़ा हुआ समर्थन: PMFBY दिशानिर्देशों के तहत, किसानों के लिए प्रीमियम योगदान खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% तक सीमित है।
- बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (HCDP): HCDP को भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और बागवानी क्लस्टरों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- कार्यक्रम का लक्ष्य फोकस फसलों के निर्यात में वृद्धि करना है और वैश्विक बाजार में भारतीय बागवानी उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है।
- फसल कटाई के बाद अवसंरचना विकास योजना: यह योजना बागवानी क्षेत्र में फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करती है।
- यह पैक हाउस, पकने वाले कक्ष, कोल्ड स्टोरेज इकाइयों और प्रसंस्करण सुविधाओं जैसी आधुनिक फसल कटाई के बाद की सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है।
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH): यह इन क्षेत्रों की अनूठी कृषि-जलवायु स्थितियों को ध्यान में रखता है और उन फसलों को बढ़ावा देता है जो इन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं, जिसका उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार करना और टिकाऊ बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष

- स्वच्छ पौधा कार्यक्रम (CPP) एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में खड़ा है जो भारत के बागवानी क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से ऊपर उठाने के लिए तैयार है।
- फलों के उत्पादन की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करके और देश की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाकर, CPP फलों के व्यापार में एक वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है।
- इसके अलावा, इसका समावेशी दृष्टिकोण, जो संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है और महिला किसानों को सक्रिय रूप से शामिल करता है, इस क्षेत्र के भीतर व्यापक-आधारित विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम के समर्पण को उजागर करता है।

RBI ने कर भुगतान के लिए UPI लेनदेन सीमा बढ़ाई

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) के माध्यम से कर भुगतान के लिए लेनदेन सीमा बढ़ाकर डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मुख्य बिंदु

- बढ़ी हुई सीमा: कर भुगतान के लिए UPI लेनदेन सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य करदाताओं के लिए UPI का उपयोग करके अपने बकाया का निपटान करना आसान बनाना है।
- प्रत्यायोजित भुगतान सुविधा: बढ़ी हुई सीमा के अलावा, RBI ने UPI उपयोगकर्ताओं के लिए "प्रत्यायोजित भुगतान" नामक एक नई सुविधा का प्रस्ताव दिया है।
- यह एक प्राथमिक उपयोगकर्ता (मान लीजिए, एक खाताधारक) को किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) को प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते से एक निर्दिष्ट सीमा तक UPI लेनदेन करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देता है।
- अनिवार्य रूप से, इसका मतलब है कि माता-पिता अपने बच्चों को दैनिक खर्चों के लिए अपने खातों तक सीमित पहुँच प्रदान कर सकते हैं, भले ही बच्चों के पास अपना बैंक खाता या स्मार्टफ़ोन न हो।
- पिछले परिवर्तन: यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले साल दिसंबर में, RBI ने विशेष रूप से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित भुगतानों के लिए UPI लेनदेन की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI)

- यह एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भाग लेने वाले बैंक का) में जोड़ती है, कई बैंकिंग सुविधाओं, सहज फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतानों को एक ही हुड में मिला देती है।

– इसे 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया था।

- UPI में भागीदार: भुगतानकर्ता भुगतान सेवा प्रदाता (PSP), आदाता PSP, प्रेषक बैंक, लाभार्थी बैंक, NPCI, बैंक खाताधारक और व्यापारी।

Google के विरुद्ध अविश्वास शिकायत

पाठ्यक्रम: GS2/शासन/GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- एक भारतीय स्टार्ट-अप लॉबी समूह ने ऑनलाइन विज्ञापन बाज़ार में Google की कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के विरुद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में शिकायत दर्ज कराई है।

के बारे में

- अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) ने कहा कि प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर गूगल का प्रभुत्व और अपने अधिकांश राजस्व के लिए विज्ञापन पर निर्भरता प्रतिस्पर्धा में बाधा डालती है और भारतीय व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
- यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब भारत वर्तमान में एक विस्तृत डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर चर्चा कर रहा है, जिससे बड़ी तकनीकी कंपनियों की ओर से पूर्व-अनुपालन में वृद्धि देखी जा सकती है।

पृष्ठभूमि

- इस वर्ष मार्च में, डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति (सीडीसीएल) ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें भारत में डिजिटल बाजारों में एंटी-स्टीयरिंग, सेल्फ-प्रेफरेंसिंग, टाईइंग और बंडलिंग जैसी डिजिटल उद्यमों की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित किया गया।
- समिति ने रिपोर्ट में एक डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का प्रस्ताव रखा था, जिसमें इन प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूर्व-नियमन का प्रावधान किया गया था।

मुख्य बिंदु

- पूर्वानुमानित विनियमन: यह एक दूरदर्शी, निवारक और अनुमानात्मक कानून (पूर्व-पूर्व रूपरेखा) का प्रस्ताव करता है जो अविश्वास के मुद्दों से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसानों का पूर्वानुमान लगाता है और पूर्व-निर्धारित निषिद्ध क्षेत्रों को निर्धारित करता है।
- वर्तमान में, भारत प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत एक पूर्व-पश्चात अविश्वास रूपरेखा का पालन करता है।
- कानून की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक यह रही है कि बाजार में दुरुपयोग की घटनाओं के बाद विनियमन में देरी होती है - जब तक अपराधी कंपनी को दंडित किया जाता है, तब तक बाजार की गतिशीलता छोटे प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए बदल जाती है।
- महत्वपूर्ण संस्थाएँ: विधेयक में प्रस्ताव है कि सर्च इंजन और सोशल मीडिया साइट्स जैसी कुछ "मुख्य डिजिटल सेवाओं" के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को विभिन्न मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों जैसे टर्नओवर, उपयोगकर्ता आधार, बाजार प्रभाव आदि के आधार पर कंपनियों को "व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम (SSDE)" के रूप में नामित करना चाहिए।

- जो संस्थाएँ इन मापदंडों के अंतर्गत नहीं आती हैं, उन्हें अभी भी SSDE के रूप में नामित किया जा सकता है, यदि CCI का मानना है कि किसी दी गई मुख्य डिजिटल सेवा में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है।
- जिन संस्थाओं को SSDE के रूप में नामित किया गया है, उन्हें स्व-वरीयता, एंटी-स्टीयरिंग और तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों को प्रतिबंधित करने जैसी प्रथाओं में संलग्न होने से प्रतिबंधित किया गया है।
- यदि वे इन आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर उनके वैश्विक टर्नओवर का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- एसोसिएट डिजिटल उद्यम: एक प्रमुख प्रौद्योगिकी समूह की एक कंपनी द्वारा एकत्र किए गए डेटा की भूमिका को समझते हुए, अन्य समूह कंपनियों को लाभ पहुँचाने में, विधेयक एसोसिएट डिजिटल उद्यमों (ADE) को नामित करने का प्रस्ताव करता है।
- यदि किसी समूह की इकाई को सहयोगी इकाई माना जाता है, तो मुख्य कंपनी द्वारा दी जाने वाली मुख्य डिजिटल सेवा के साथ उनकी भागीदारी के स्तर के आधार पर उनके पास एसएसडीई के समान दायित्व होंगे।
- प्रावधानों का प्रवर्तन: मसौदा विधेयक 2002 अधिनियम के तहत नियुक्त महानिदेशक को सीसीआई द्वारा निर्देशित होने पर किसी भी उल्लंघन की जांच करने का अधिकार देता है।

विधेयक की आवश्यकता

- बड़ी तकनीकी कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में संलग्न होने का इतिहास दिखाया है, और इसे संबोधित करने के लिए एक अनुमानित ढांचा बेहतर काम करेगा।
- पिछले साल, एंड्रॉइड इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के लिए सीसीआई ने Google पर 1.337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
- यह भी चिंता है कि पिछले एक दशक में, अधिकांश नवाचार मुट्ठी भर बड़ी तकनीकी कंपनियों, जिनमें से अधिकांश अमेरिका की हैं, के अस्तबल तक ही सीमित रहे हैं।
- अधिकारियों का मानना है कि इसका एक बड़ा कारण इस क्षेत्र में नए प्रवेशकों के लिए उच्च बाजार बाधाएं हैं - ऑनलाइन बाजार में।

मसौदा विधेयक की आलोचना

- अनुपालन बोझ: बड़ी टेक कंपनियों के लिए, सख्त निर्देशात्मक मानदंडों के साथ एक पूर्व-पूर्व रूपरेखा महत्वपूर्ण अनुपालन बोझ का कारण बन सकती है, और नवाचार और अनुसंधान से ध्यान हटा सकती है।
- परिणामस्वरूप, टेक दिग्गज मौजूदा प्रतिस्पर्धा कानून को पूर्व-पूर्व रूपरेखा की ओर बढ़ने के बजाय मजबूत करने का आह्वान कर रहे हैं।
- संस्थाओं की व्यापक परिभाषा: कंपनियों को व्यापक परिभाषा के बारे में भी चिंतित माना जाता है - मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों - कि एक महत्वपूर्ण मंच कौन हो सकता है।
- यूरोपीय संघ के डीएमए के विपरीत जो विशेष रूप से 'गेटकीपर' संस्थाओं का नाम देता है, भारत के मसौदा कानून में उस निर्णय को सीसीआई के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
- कंपनियों का मानना है कि इससे मनमाने ढंग से निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जो संभावित रूप से स्टार्ट-अप को भी प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष

- पूर्व-पूर्व व्यवस्था व्यवसायों को सटीक रूप से बताती है कि उन्हें कैसे व्यवहार करना है, या क्या करना है।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम की वर्तमान पूर्व-पश्चात व्यवस्था के तहत, कंपनियों को केवल यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बाजार में उनका आचरण प्रतिस्पर्धा-विरोधी न हो।
- डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के तहत प्रस्तावित एक ओवरलैपिंग पूर्व-पश्चात व्यवस्था तकनीकी कंपनियों को समानांतर कानून का अनुपालन करने और अतिरिक्त अनुपालन के लिए उपाय करने के लिए बाध्य करेगी।

स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पर बहस

पाठ्यक्रम: जीएस3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- भारत में विपक्षी दल जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- जीएसटी ने 2017 से सेवा कर और उपकर जैसे सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली।
- चूंकि जीएसटी में सेवा कर भी शामिल है, जो बीमा उद्योग पर लागू होता है, इसके लागू होने से प्रीमियम राशि में वृद्धि हुई है।
- स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी 18% निर्धारित है।
- जीएसटी से पहले, जीवन बीमा प्रीमियम पर 15% सेवा कर लगता था, जिसमें मूल सेवा कर, स्वच्छ भारत उपकर और कृषि कल्याण उपकर शामिल थे।
- 15% से 18% तक की वृद्धि ने अंतिम उपभोक्ता (पॉलिसीधारकों) को प्रभावित किया, क्योंकि उनकी प्रीमियम राशि बढ़ गई।

कर लगाने के पक्ष में तर्क

- जीएसटी सभी बीमा पॉलिसियों पर लागू होता है, क्योंकि बीमा एक सेवा है, और पॉलिसीधारक अपने बीमा प्रीमियम पर कर का भुगतान करते हैं।
- बीमा पॉलिसियाँ आयकर की गणना करते समय कुछ कटौती की अनुमति देती हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी और 80डी के तहत कर-बचत कटौती, विशेष रूप से जीवन बीमा प्रीमियम पर उपलब्ध है।
- धारा 80सी के तहत, ग्राहक कुल बीमा प्रीमियम पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकता है, जिसमें उन पर लागू जीएसटी भी शामिल है।

प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने का तर्क

- भारत में बीमा पर जीएसटी दुनिया में सबसे अधिक है और "2047 तक सभी के लिए बीमा" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थिति को संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसका समर्थन वित्त पर स्थायी समिति ने अपनी 66वीं रिपोर्ट में किया था।
- इस रिपोर्ट में बीमा उत्पादों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और टर्म बीमा पर जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की गई थी।
- जीएसटी की उच्च दर के परिणामस्वरूप उच्च प्रीमियम का बोझ होता है, जो बीमा पॉलिसियाँ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है।
- बीमा को और अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से समिति ने सिफारिश की है कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुदरा पॉलिसियों और माइक्रोइंश्योरेंस पॉलिसि यों (पीएमजेएवाई के तहत निर्धारित सीमा तक, वर्तमान में 5 लाख रुपये) और टर्म पॉलिसियों पर लागू जीएसटी दरों को कम किया जा सकता है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

- जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है।
- जीएसटी प्रणाली एक दोहरी संरचना का पालन करती है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समवर्ती रूप से लगाया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात पर एक एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाया जाता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है, लेकिन गंतव्य राज्य को आवंटित किया जाता है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गई है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं।
- जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिशें करती है, जिनमें शामिल हैं:

1. जीएसटी के अंतर्गत आने वाले कर, उपकर और अधिभार
2. जीएसटी के अधीन या उससे छूट प्राप्त होने वाली वस्तुएं और सेवाएं
3. मॉडल जीएसटी कानून, लेवी के सिद्धांत और आईजीएसटी का आवंटन
4. कर दरें, सीमा, विशेष प्रावधान और जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला

- विवाद समाधान: परिषद जीएसटी से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करती है।
- केंद्र के पास कुल मतदान शक्ति का एक तिहाई है, जबकि राज्यों के पास सामूहिक रूप से दो तिहाई है।

येन कैरी ट्रेड

पाठ्यक्रम: GS 3/अर्थव्यवस्था

समाचार में

- कम दरों ने वैश्विक निवेशकों को सस्ते में येन उधार लेने और बेहतर रिटर्न के लिए अन्य देशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।

येन कैरी ट्रेड के बारे में

- निवेशक कम ब्याज दरों वाले देश से पैसा उधार लेते हैं और इसे उच्च ब्याज दरों वाले देशों में निवेश करते हैं।
- उदाहरण: कम दरों पर (जापान से) येन उधार लेना और ब्राज़ील, मैक्सिको या भारत जैसे देशों में निवेश करना जहाँ दरें अधिक हैं।
- बैंक ऑफ़ जापान की नीति: 2011 और 2016 के बीच, जापान की ब्याज दरें शून्य पर थीं, और 2016 से, जापान में आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए वे और भी कम (-0.10%) हो गई हैं।
- मार्च के मध्य से जुलाई तक, बैंक ऑफ़ जापान ने दरों को -0.10% से बढ़ाकर 0.25% कर दिया।
- जापानी ब्याज दरों में वृद्धि के कारण येन मजबूत हुआ।
- प्रभाव: जिन निवेशकों ने येन उधार लिया था और अन्य मुद्राओं में निवेश किया था, उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां बेचना शुरू कर दिया।
- येन अमेरिकी डॉलर, ब्राजीलियाई रियल, भारतीय रुपया और मैक्सिकन पेसो जैसी अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ।

जैव-अर्थव्यवस्था संचालित औद्योगिक क्रांति

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'ग्लोबल बायो इंडिया 2024 के चौथे संस्करण' के समारोह में कहा कि अगली औद्योगिक क्रांति जैव-अर्थव्यवस्था संचालित होगी।

जैव-अर्थव्यवस्था क्या है?

- जैव-अर्थव्यवस्था एक स्थायी आर्थिक प्रणाली के ढांचे के भीतर सभी आर्थिक क्षेत्रों में उत्पाद, प्रक्रियाएँ और सेवाएँ प्रदान करने के लिए जैविक संसाधनों का ज्ञान-आधारित उत्पादन और उपयोग है।
- इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खाद्य उत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी और जैव ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

भारत में जैव-अर्थव्यवस्था के उप-क्षेत्र हैं;

- बायोफार्मा या बायोमेडिकल: इसमें चिकित्सा उत्पादों और सेवाओं का विकास और उत्पादन शामिल है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और प्रयोगशाला में विकसित ऑर्गेनोइड्स।
- बायोएग्री: इसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों और जानवरों, सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों और जैव-आधारित उत्पादों का विकास और उत्पादन शामिल है। उदाहरण: बीटी कॉटन
- बायोइंडस्ट्रियल: इसमें एंजाइम, बायोसिंथेटिक रूट और रीकॉम्बीनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग करके जैव-आधारित रसायनों और उत्पादों का विकास और उत्पादन शामिल है।

भारत की जैव अर्थव्यवस्था

- भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले दशक में 13 गुना बढ़ी है, 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन से अधिक हो गई है, और 2030 तक $300 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, भारत 2015 में 81वें स्थान से चढ़कर 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर पहुँच गया है।
- जैव विनिर्माण के मामले में भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरे और वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान पर है।
- बायोटेक्नोलॉजी, एक उभरता हुआ क्षेत्र, पिछले 10 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपये का मूल्यांकन प्राप्त कर चुका है।
- 2022 में, बायोइकोनॉमी भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) $3.47 ट्रिलियन का 4% हिस्सा होगा और इसमें 2 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं।

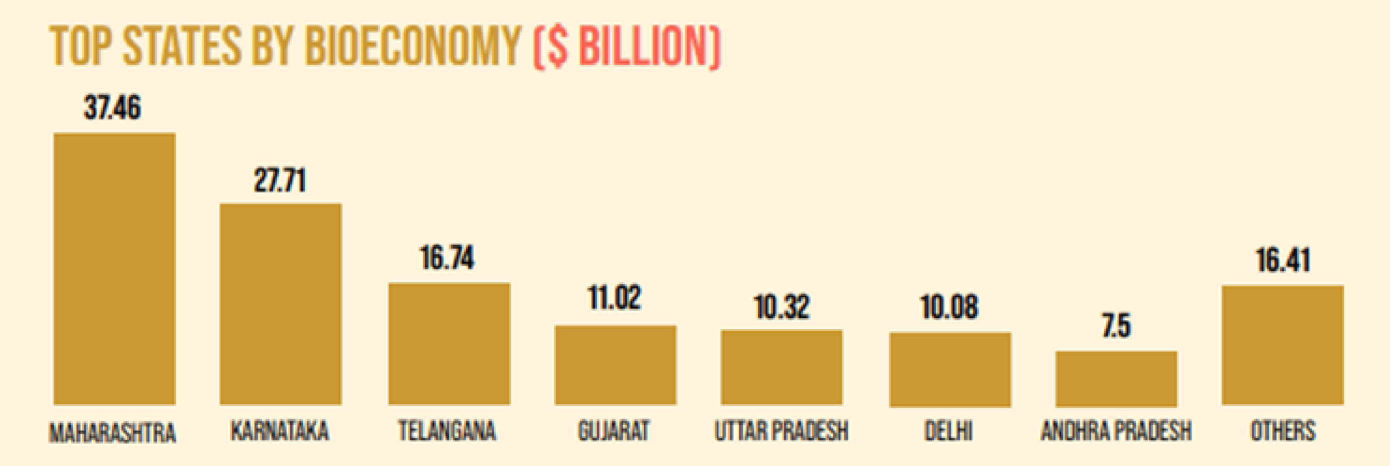

सरकारी पहल

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) का उद्देश्य उभरते जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों को रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए मजबूत और सशक्त बनाना है।
- स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों जैसी भारत सरकार (जीओआई) की नीतिगत पहलों का उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी और जैव-विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है।
- ड्राफ्ट आरएंडडी पॉलिसी 2021, पीएलआई योजनाएं और क्लिनिकल परीक्षण नियमों जैसी अनुकूल सरकारी नीतियों ने भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' बनने के लिए प्रेरित किया है।
- एफडीआई नीति: ग्रीनफील्ड फार्मा के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। साथ ही ब्राउनफील्ड फार्मा के लिए सरकारी मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।
- 74% तक एफडीआई स्वचालित मार्ग के तहत है और 74% से अधिक सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत है।

भारत की जैव अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियाँ

- वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारत की जैव अर्थव्यवस्था को अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों में अधिक स्थापित जैव अर्थव्यवस्थाओं

से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिनके पास अधिक उन्नत बुनियादी ढाँचा, वित्तपोषण और अनुसंधान एवं विकास क्षमताएँ हैं।

- बौद्धिक संपदा (आईपी) संरक्षण: जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बौद्धिक संपदा की रक्षा करना चुनौतीपूर्ण है, जिससे नवाचार चोरी और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन की कमी की चिंताएँ पैदा होती हैं।
- बुनियादी ढाँचे की कमी: जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों के अनुसंधान, विकास और व्यावसायीकरण के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा।
- प्रतिभा पलायन: प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और शोधकर्ता विदेशों में बेहतर अवसरों के लिए भारत छोड़ देते हैं, जिससे देश की नवाचार क्षमता कम हो जाती है।

आगे की राह

- अनुदान, कर प्रोत्साहन और उद्यम पूंजी समर्थन के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देना।
- विशेषज्ञता का लाभ उठाने, संसाधनों को साझा करने और नई प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने के लिए वैश्विक अनुसंधान सहयोग में शामिल होना।
- नवाचार क्लस्टर/पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, जहाँ शिक्षा, उद्योग और सरकारी संस्थाएँ जैव अर्थव्यवस्था पहलों पर निकटता से सहयोग कर सकें।

उपसंहार टिप्पणी

- भारत को एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें एक संपन्न जैव आर्थिक परिदृश्य के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधारशिला हो।
- जनसांख्यिकीय लाभांश को जब्त करना और STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) प्रतिभा का दोहन आर्थिक विकास और वैश्विक नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है।

सेबी प्रमुख पर हिंडनबर्ग द्वारा नवीनतम खुलासा

पाठ्यक्रम:जीएस 3/अर्थव्यवस्था

खबरों में

- हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी अध्यक्ष, माधबी पुरी बुच पर अडानी समूह की चल रही जांच में हितों के टकराव और कथित पक्षपात का आरोप लगाया है।

आरोप

- आरोपों में दावा किया गया है कि सेबी अध्यक्ष और उनके पति धवल बुच ने कर पनाहगाह बरमूडा और मॉरीशस में अपतटीय निधियों में हिस्सेदारी छिपाई थी।
- 2013 में, सुश्री बुच ने भारत और सिंगापुर में एक परामर्श फर्म, अगोरा पार्टनर्स की स्थापना की।
- यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सेबी अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक बाद 16 मार्च, 2022 तक अगोरा पार्टनर्स की सिंगापुर इकाई में अपनी 100% हिस्सेदारी हस्तांतरित नहीं की, जो सेबी की संहिता का उल्लंघन है जो अन्य लाभदायक पदों या गतिविधियों को रखने पर रोक लगाती है।
- रियल एस्टेट या फंड मैनेजमेंट में अनुभव की कमी के बावजूद, धवल बुच को 2019 में ब्लैकस्टोन में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया था।

विकास

- सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कुछ आरोपों की जांच पूरी करने और हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
- सेबी ने दो में से एक जांच पूरी कर ली है और दूसरी पूरी होने वाली है, जबकि एसआईटी या सीबीआई जैसी बाहरी जांच की आवश्यकता को खारिज कर दिया है।
- सेबी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बजाय अपनी विश्वसनीयता को कम करने के हिंडनबर्ग के प्रयासों की आलोचना की है, और जांच के संबंध में अपनी चल रही और नियोजित कार्रवाइयों को रेखांकित किया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में नैतिकता संहिता

- नैतिक आचरण के मानक ऐसे मामलों में भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं जहां कर्मचारी या उनके करीबी रिश्तेदारों का वित्तीय हित होता है।
- पूरक मानक जांच के तहत कंपनियों की प्रतिभूतियों में व्यापार, शॉर्ट सेलिंग और अन्य विशिष्ट लेनदेन को प्रतिबंधित करते हैं।
– व्यक्तिगत ट्रेडिंग अनुपालन प्रणाली (पीटीसीएस) को प्रतिभूति लेनदेन और होल्डिंग्स की वार्षिक रिपोर्टिंग के लिए पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों को सभी प्रतिभूति होल्डिंग्स की रिपोर्ट करनी चाहिए और लेनदेन के लिए पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

यूनाइटेड किंगडम में नैतिकता संहिता:

– प्रकटीकरण आवश्यकताएँ: कर्मचारियों को अपने हितों के टकराव के खुलासे को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए और औपचारिक रूप से प्रमाणित करना चाहिए।
– रिपोर्टिंग: कर्मचारियों को सूचीबद्ध कंपनियों, प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय संबंधों में होल्डिंग्स का खुलासा करना चाहिए जिन्हें हितों का टकराव माना जा सकता है।

सेबी का 'बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव पर कोड'

- हितों के टकराव की परिभाषा: किसी भी व्यक्तिगत हित या जुड़ाव को संदर्भित करता है जो बोर्ड के सदस्य के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि किसी स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा माना जाता है।
- होल्डिंग्स का खुलासा: सदस्यों को पदभार ग्रहण करने के 15 दिनों के भीतर अपनी और अपने परिवार की होल्डिंग्स का खुलासा करना चाहिए और इस खुलासे को सालाना अपडेट करना चाहिए।
- महत्वपूर्ण लेन-देन: 5,000 से अधिक शेयरों या 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य के लेन-देन का खुलासा 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी: सदस्य गैर-सार्वजनिक, मूल्य-संवेदनशील जानकारी के आधार पर व्यापार नहीं कर सकते।
- सदस्य अन्य लाभदायक पदों पर नहीं रह सकते या ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते जो वित्तीय लाभ या पेशेवर शुल्क लाती हों।
- सदस्य विनियमित संस्थाओं से 1,000 रुपये से अधिक के उपहार स्वीकार नहीं कर सकते; ऐसे उपहारों को सेबी के सामान्य सेवा विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए।
- सदस्यों को किसी भी पिछले या वर्तमान पद, रोजगार, प्रत्ययी पदों, विनियमित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण संबंधों और मानद पदों का खुलासा करना चाहिए।

हितों के टकराव को प्रबंधित करने के तरीके:

- एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, सेबी बोर्ड के सदस्यों को "यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि हितों के किसी भी टकराव से बोर्ड का कोई निर्णय प्रभावित न हो" और "अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए विनियमित संस्थाओं या ऐसी संस्थाओं के किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी व्यक्तिगत या पेशेवर संबंध का शोषण न करें"।
- यह प्रकटीकरण और अस्वीकृति की एक प्रणाली द्वारा किया जाना है।
- प्रकटीकरण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।
- जिन सदस्यों के बीच मतभेद हैं, उन्हें मामले से निपटने से खुद को अलग कर लेना चाहिए।
- यदि अनिश्चित हैं, तो उन्हें अध्यक्ष से या यदि अध्यक्ष के बीच मतभेद हैं, तो बोर्ड से निर्णय लेना चाहिए।
- यदि मतभेद की पुष्टि हो जाती है, तो सदस्य को संबंधित मामलों में भाग लेने से बचना चाहिए।
- प्रकटीकरण जानकारी गोपनीय है। हालाँकि, जनता मतभेदों के साक्ष्य बोर्ड सचिव को प्रस्तुत कर सकती है, जिन्हें फिर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- भारत में, CPI ने हाल ही में सुर्खियाँ बटोरीं, क्योंकि जुलाई में यह लगभग पाँच साल के निचले स्तर 3.54% पर आ गई।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) को समझना

- यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जो समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की दर को मापता है।
- यह प्रभावित करता है कि हम किराने का सामान खरीद रहे हैं, किराया दे रहे हैं या अपने बजट की योजना बना रहे हैं।
- जब CPI बढ़ता है, तो यह हमारी क्रय शक्ति को कम करता है, जिससे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएँ अधिक महंगी हो जाती हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- यह उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापता है जिन्हें परिवार उपभोग के उद्देश्य से खरीदते हैं।
- CPI का व्यापक रूप से मुद्रास्फीति के एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और मूल्य स्थिरता की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में, और राष्ट्रीय खातों में अपस्फीतिकारक के रूप में।
- CPI का उपयोग कीमतों में वृद्धि के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को अनुक्रमित करने के लिए किया जाता है।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO), MoSPI ने जनवरी, 2015 के महीने के लिए सूचकांक जारी करने से CPI के आधार वर्ष को 2010 से 2012 तक संशोधित किया है।

बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 'स्वच्छ पौधा कार्यक्रम'

पाठ्यक्रम: GS 3/अर्थव्यवस्था

खबरों में

- कैबिनेट ने 1,766 करोड़ रुपये के बजट के साथ स्वच्छ पौधा कार्यक्रम (CPP) को मंजूरी दी।

स्वच्छ पौधा कार्यक्रम' के बारे में

- यह बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (MIDH) का हिस्सा है।
- फरवरी 2023 में वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी।
- इसका उद्देश्य बागवानी में उत्कृष्टता और स्थिरता के लिए नए मानक स्थापित करना है।
- इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

घटक:

- स्वच्छ पौध केंद्र (CPC): स्वच्छ रोपण सामग्री विकसित करने और उपलब्ध कराने के लिए।
- उन्नत निदान और वायरस मुक्त रोपण सामग्री के लिए पूरे भारत में नौ अत्याधुनिक CPC स्थापित किए जाएंगे
- प्रमाणन और कानूनी ढांचा: गुणवत्ता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए।
- जवाबदेही और पता लगाने की क्षमता के लिए बीज अधिनियम 1966 के तहत एक मजबूत प्रमाणन प्रणाली का कार्यान्वयन।
- उन्नत बुनियादी ढाँचा: कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए।
- स्वच्छ रोपण सामग्री के कुशल गुणन के लिए बुनियादी ढाँचा विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर नर्सरियों का समर्थन।
- लाभ: इसका उद्देश्य भारत में फलों की फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना है।
- वायरस मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुँच प्रदान करता है।
- फसल की पैदावार और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।
- वैश्विक निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है, बाजार के अवसरों का विस्तार करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिस्सेदारी बढ़ाता है।
- मिशन लाइफ और वन हेल्थ पहलों का समर्थन करता है।

भारत में बागवानी क्षेत्र का अवलोकन

- यह कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों के साथ, भारत फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और औषधीय पौधों सहित बागवानी फसलों की एक विस्तृत विविधता की खेती के लिए उपयुक्त है।
- 2023-24 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 352.23 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2022-23 (अंतिम अनुमान) की तुलना में लगभग 32.51 लाख टन (0.91%) कम है।
- 2023-24 (अंतिम अनुमान) में फलों, शहद, फूलों, बागानों की फसलों, मसालों और सुगंधित एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है, जबकि सब्जियों में कमी आएगी।
- वैश्विक नेतृत्व: भारत आम, केला, अमरूद, पपीता, चीकू, अनार, नींबू और आंवला सहित कई फलों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है।
- भारत वैश्विक स्तर पर फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- मसालों, नारियल और काजू के उत्पादन में अग्रणी है।

महत्व

- यह खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधन सहित विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, जिससे पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा होते हैं
- यह पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करके, ग्रामीण रोजगार प्रदान करके, कृषि गतिविधियों में विविधता लाकर और किसानों की आय बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- बागवानी क्षेत्र भारत के कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 28% का योगदान देता है

चुनौतियाँ

- बुनियादी ढाँचा: अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाओं के कारण फसल कटाई के बाद काफी नुकसान होता है।
- बाजार तक पहुँच: किसानों को अक्सर बाजार तक पहुँचने और अपनी उपज के लिए उचित मूल्य पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- जलवायु परिवर्तन: अनियमित मौसम पैटर्न और जलवायु परिवर्तन बागवानी उत्पादन के लिए खतरा पैदा करते हैं।

सरकारी पहल

- बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH): इसका उद्देश्य क्षेत्र, उत्पादन और कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाकर बागवानी का समग्र विकास करना है।
- MIDH एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2014-15 से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY): राज्य सरकारों की बागवानी विकास परियोजनाओं को भी RKVY के तहत समर्थन दिया जाता है।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन के शुभारंभ से उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- प्रौद्योगिकी संवर्धन, विस्तार और कटाई के बाद प्रबंधन के माध्यम से बागवानी के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया
- बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए बागवानी क्लस्टरों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत में बागवानी क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने और आजीविका में सुधार करने की अपार संभावनाएं हैं।
- सहायक सरकारी नीतियों, तकनीकी नवाचारों और संधारणीय प्रथाओं पर ध्यान देने के साथ, यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए तैयार है।
- आधुनिक तकनीकों जैसे कि सटीक खेती, संरक्षित खेती और ड्रिप सिंचाई को अपनाने की आवश्यकता है ताकि उत्पादकता और संधारणीयता को बढ़ाया जा सके।

CCS UPSC

9 योजना सितम्बर 2024

अध्याय 1- सेलुलर जेल- प्रतिरोध की गाथा

सेलुलर जेल का इतिहास

- सेलुलर जेल, जिसे अक्सर "काला पानी" (काला पानी) कहा जाता है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
- इस कुख्यात जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत 1906 में पूरा हुआ।
- जेल का निर्माण मुख्य रूप से राजनीतिक कैदियों और क्रांतिकारियों को निर्वासित करने और दंडित करने के लिए किया गया था, जिन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था।
- सेलुलर जेल की स्थापना 1857 के सिपाही विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम थी, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, जिसने अंग्रेजों को असंतोष से निपटने के लिए और अधिक कड़े उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया।

सेलुलर जेल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- स्थान: सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीपसमूह है, जिसे रणनीतिक रूप से इसकी दूरस्थता के लिए चुना गया था, जिससे भागना लगभग असंभव हो गया था।
- वास्तुकला: जेल के डिजाइन में एक केंद्रीय वॉचटावर से निकलने वाले सात पंख हैं, जो मकड़ी के जाले जैसा दिखता है। इस अनूठी वास्तुकला का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी दो कैदी एक-दूसरे के साथ संवाद न कर सकें, इस प्रकार उनके बीच किसी भी तरह के विद्रोह या एकजुटता को रोका जा सके।
- निर्माण समयरेखा: जेल का आधिकारिक तौर पर 1906 में उद्घाटन किया गया था और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक इसका संचालन किया गया था। अपने संचालन के वर्षों के दौरान, यह औपनिवेशिक शासन की अमानवीयता का प्रतीक बन गया।
- बंद: 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, जेल को बंद कर दिया गया था, और 1969 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, जिससे इसका इतिहास और महत्व संरक्षित हो गया। इस साइट को आगंतुकों को औपनिवेशिक काल के दौरान किए गए अत्याचारों और इसकी दीवारों के भीतर पीड़ित लोगों की वीरता के बारे में शिक्षित करने के लिए विकसित किया गया है।
- वास्तुकला: इसे ब्रिटिश वास्तुकार जे. ए. एच. डब्ल्यू. मैकफर्सन ने 'पेंसिल्वेनिया सिस्टम या अलग सिस्टम' सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया था, जिसके तहत प्रत्येक कैदी को अन्य कैदियों से पूरी तरह अलग रखने के लिए अलग-अलग कारावास की आवश्यकता होती थी, जिसमें एक ही या अलग-अलग विंग में कैदियों के बीच कोई संचार संभव नहीं था।
- प्रत्येक सेल को एकांत कारावास के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसका माप लगभग 4.5 मीटर गुणा 2.7 मीटर था।
- वे मोटी दीवारों और छोटी खिड़कियों से सुसज्जित थे, जिससे प्रकाश और हवा सीमित हो जाती थी, जिससे कैदियों के लिए घुटन भरा माहौल बन जाता था।

- इस डिजाइन का उद्देश्य कैदियों के बीच किसी भी तरह के संचार या एकजुटता को रोकना था।
- केंद्रीय वॉचटावर, जो जेल विंग से ऊपर उठता है, को रणनीतिक रूप से सभी कैदियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए गार्ड को अनुमति देने के लिए रखा गया था। इस वास्तुशिल्प विशेषता ने जेल की दमनकारी प्रकृति पर जोर दिया, जिससे कैदियों में डर पैदा हुआ।

सेलुलर जेल से जुड़े स्वतंत्रता सेनानी

- विनायक दामोदर सावरकर: विनायक दामोदर सावरकर, एक प्रमुख क्रांतिकारी, कवि और राजनीतिज्ञ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। अपनी बहादुरी के लिए उन्हें 'वीर' के रूप में जाना जाता है, उन्हें 1911 में अंडमान की सेलुलर जेल में दो आजीवन कारावास (50 वर्ष) की सजा सुनाई गई थी, जिसमें मॉर्ले-मिंटो सुधारों (भारतीय परिषद अधिनियम 1909) का विरोध करने सहित उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी थी। सावरकर को "हिंदुत्व" की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद उन्हें अंततः 1924 में रिहा कर दिया गया।
- बटुकेश्वर दत्त: उन्हें बी.के. दत्त के नाम से भी जाना जाता था, वे एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर 1929 में केंद्रीय विधान सभा बम विस्फोट में भाग लिया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में निर्वासित कर दिया गया। दत्त का निधन 20 जुलाई 1965 को 54 वर्ष की आयु में हुआ।
- फ़ज़ल-ए-हक़ खैराबादी: उन्हें 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद हिंसा भड़काने के आरोप में 30 जनवरी 1859 को गिरफ़्तार किया गया था। उन्हें हत्या को बढ़ावा देने और 'जिहाद' का नेतृत्व करने का दोषी पाया गया और अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उनकी संपत्ति भी ब्रिटिश अधिकारियों ने ज़ब्त कर ली थी।
- बरिंद्र कुमार घोष: वे 30 अप्रैल 1908 को क्रांतिकारी खुदीराम और प्रफुल्ल द्वारा किंग्सफ़ोर्ड की हत्या के प्रयास के बाद अलीपुर बम कांड में शामिल थे, उन्हें उनके भाई अरबिंदो घोष के साथ गिरफ़्तार किया गया था। शुरुआत में मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बारिन की सज़ा घटाकर आजीवन कारावास कर दी गई और उन्हें 1909 में अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया।
- सुशील दासगुप्ता: वे बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल के सदस्य थे, 1929 के पुटिया मेल डकैती मामले में शामिल थे। मेदिनीपुर जेल से भागने के बाद, उन्हें अंततः पकड़ लिया गया और सेलुलर जेल भेज दिया गया। उनके साथियों, सचिन कर गुप्ता और दिनेश मजूमदार को भी कारावास का सामना करना पड़ा, जिसमें दिनेश को फांसी दी गई।
- 29 दिसंबर, 1943 को अंडमान द्वीप समूह का राजनीतिक नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया गया। बोस ने पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया और भारतीय राष्ट्रीय सेना का तिरंगा झंडा फहराया।

अध्याय 2- जम्बू द्वीप उद्घोषणा

- जम्बूद्वीप उद्घोषणा, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ दक्षिण भारतीय विद्रोह के दौरान 1801 में मारुथु भाइयों द्वारा की गई घोषणा को संदर्भित करती है।
- यह उद्घोषणा अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान थी, उनकी दमनकारी नीतियों की आलोचना करती थी और भारतीय शासकों और लोगों से औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह करती थी।
- जम्बू द्वीप एक प्राचीन शब्द है जिसका भारतीय परंपरा में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अर्थ है। हिंदू, बौद्ध और जैन ब्रह्मांड विज्ञान में इसका उल्लेख अक्सर एक बड़े महाद्वीप या द्वीप के रूप में किया जाता है, कभी-कभी पूरे ज्ञात विश्व या अधिक विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को संदर्भित करता है। "जम्बू द्वीप" नाम जम्बू वृक्ष से लिया गया है, एक पौराणिक वृक्ष जो इस भूभाग पर उगता है।

औपनिवेशिक प्रतिरोध:

- 1801 में जम्बू द्वीप की उद्घोषणा, मारुथु भाइयों (पेरिया मरुधु और चिन्ना मरुधु) के नेतृत्व में, तमिलनाडु के शिवगंगई के वास्तविक शासक थे।
- वे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करने के लिए सबसे पहले संगठित प्रयासों में से एक थे। उन्हें ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ पहली घोषणा जारी करने का श्रेय दिया जाता है, यहाँ तक कि 1806 के वेल्लोर विद्रोह और 1857 के सिपाही विद्रोह जैसे अधिक प्रसिद्ध विद्रोहों से भी पहले।

मरुथु बंधुओं की पृष्ठभूमि और उदय

- अंग्रेज शुरू में व्यापार की आड़ में भारत आए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने बेहतर हथियारों और विभाजनकारी रणनीति का इस्तेमाल किया।
- आर्कोट के नवाब मोहम्मद अली ने कर संग्रह और शासन के अधिकार उन्हें सौंपकर ब्रिटिश प्रभुत्व को और बढ़ा दिया, जिससे स्थानीय आबादी में व्यापक दरिद्रता और अधीनता पैदा हो गई।
- मारुथु भाई, पेरिया मारुथु (बड़े) और चिन्ना मारुथु (छोटे), मोक्का पलानीसामी थेवर और उनकी पत्नी पोनाथा के घर पैदा हुए, जो शिवगंगई के दूसरे राजा मुथुवदगनाथ थेवर की सेवा करते थे।
- युद्ध और तोपखाने में प्रशिक्षित, भाई राजा के करीबी सहयोगी बन गए। हालाँकि, उनके जीवन में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब अंग्रेजों ने असफल वार्ता के बाद, रात के हमले में राजा और रानी को मार डाला।
- मारुथु भाई पहली रानी, वेदनाचियार के साथ गोपाल नायक द्वारा शासित पड़ोसी राज्य विरुपाक्षी में भाग गए। सात साल बाद, वे शिवगंगई लौट आए, जहाँ पेरिया मारुथु ने सेना के कमांडर और चिन्ना मारुथु ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।

Maruthu brothers

1801 की घोषणा

- मारुथु भाइयों ने अन्य दक्षिणी भारतीय राजाओं से समर्थन प्राप्त कर, जो वैचारिक रूप से ब्रिटिश शासन के विरोधी थे, 1801 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया।
- उन्होंने एक घोषणा जारी की जो पूरे क्षेत्र में प्रतिरोध के लिए एक नारा बन गई। घोषणा में भारतीय राज्यों पर धोखे से कब्ज़ा करने और भारतीयों के साथ क्रूर व्यवहार करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की गई, जिन्हें वे हीन समझते थे।
- घोषणा में भारतीय जातियों के बीच एकता की कमी की भी आलोचना की गई, जिसने अंग्रेजों को देश पर हावी होने का मौका दिया।
- यह घोषणा एक "अखिल भारतीय अवधारणा" से प्रेरित थी, अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध का आह्वान करने वाली पहली घोषणाओं में से एक थी।
- मारुथु भाइयों ने अपने जीवन और अपने राज्य के लिए जोखिम के बावजूद तमिलनाडु में श्री रंगम मंदिर और रॉक फोर्ट की दीवारों पर भी सार्वजनिक रूप से घोषणा प्रदर्शित की।

ब्रिटिश प्रतिक्रिया और मारुथु भाइयों का निष्पादन

- मारुथु भाइयों की अवज्ञा से क्रोधित होकर, अंग्रेजों ने उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया।
- 24 अक्टूबर, 1801 को, मारुथु भाइयों को उनके लगभग 500 समर्थकों के साथ पकड़ लिया गया और उन्हें मार दिया गया।
- अंग्रेजों ने बिना उचित कानूनी प्रक्रियाओं के इन निष्पादनों को अंजाम दिया, जिसे राजयण ने "विसंगत और अनियमित" कार्रवाई बताया। अंग्रेजों ने मारुथु परिवार के पुरुष सदस्यों को मारकर भविष्य के किसी भी खतरे को खत्म करने की कोशिश की, केवल पेरिया मारुथु के एक बेटे, दोराईसामी को छोड़ दिया, जिसे मलेशिया में निर्वासित कर दिया गया था।

दक्षिण भारतीय विद्रोह की विरासत

- मारुथु बंधुओं के नेतृत्व में 1801 का दक्षिण भारतीय विद्रोह भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासन के लिए सबसे शुरुआती और सबसे संगठित चुनौतियों में से एक के रूप में एक अद्वितीय स्थान रखता है।
- विद्रोह ने सामूहिक प्रतिरोध की क्षमता और औपनिवेशिक उत्पीड़न के सामने भारतीयों के बीच एकता के महत्व को उजागर किया।
- हालाँकि विद्रोह को अंततः कुचल दिया गया था, लेकिन मारुथु बंधुओं के साहस और बलिदान ने बाद में स्वतंत्रता के लिए अधिक व्यापक आंदोलनों के अग्रदूत के रूप में काम किया।

अध्याय 3- पूर्वोत्तर भारत से स्वतंत्रता संग्राम की अनकही कहानियाँ

- भोगेश्वरी फुकनानी (1885-1942): असम की एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने आठ बच्चों की माँ होने के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने असम के बरहमपुर में कांग्रेस कार्यालय को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार दी और 20 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका अंतिम बलिदान हो गया।
- यू तिरोट सिंह: खासी जनजाति के एक नेता, तिरोट सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में अपने लोगों का नेतृत्व किया जब उन्होंने अपने वादों को पूरा किए बिना खासी हिल्स के माध्यम से एक सड़क बनाने का प्रयास किया। हथियार के मामले में आगे निकलने के बावजूद, वह ढाका में कब्जा करने और कैद करने से पहले चार साल तक बहादुरी से लड़ता रहा, जहां वह मर गया।
- शूरवीर पसालथा खुआंगचेरा: मिजोरम में एक महान व्यक्ति, पसालथा खुआंगचेरा 1890 में ब्रिटिश आक्रमण का विरोध करने वाले पहले मिजो नेता थे। उन्होंने लुशाई पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और युद्ध में मारे गए। उनकी बहादुरी एक प्रेरणा बनी हुई है, हालांकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कम मान्यता मिली है।
- रानी गाइदिन्ल्यू: नागा समुदाय की एक प्रमुख महिला नेता, उन्होंने 16 साल की उम्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। उन्हें पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, बाद में उन्हें भारत की स्वतंत्रता के बाद रिहा कर दिया गया। रानी गाइदिन्ल्यू ने अपने लोगों के उत्थान के लिए काम करना जारी रखा और उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
- कनकलता बरुआ (1924-1942): असम की 17 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी कनकलता को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास करते समय ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार दी थी।
- मोजे रीबा: अरुणाचल प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी, रीबा 15 अगस्त, 1947 को दीपा गाँव में भारतीय तिरंगा फहराने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले पर्चे बांटने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
- गोमधर कोंवर: वे असम से स्वतंत्रता के संघर्ष में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 1915 में जन्मे, वे 1940 के दशक के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोंवर को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी बहादुरी के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जहाँ उन्होंने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और गंभीर दमन का सामना किया। भारत सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को मान्यता देते हुए, उनके नाम पर विभिन्न संस्थानों का नाम रखकर उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया।
- मूंगरी: पहली महिला शहीद: उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली महिला शहीदों में से एक माना जाता है। उनकी सक्रियता 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई, जहाँ उन्होंने ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ़ विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। मूंगरी का अंतिम बलिदान दमनकारी नीतियों के खिलाफ़ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ, जहाँ उन्होंने अपनी जान गंवा दी। भारत सरकार ने उनके सम्मान में नामित विभिन्न स्मारकों और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से उनके योगदान को स्वीकार किया है।
- धेकियाजुली नरसंहार: 1942 में धेकियाजुली नरसंहार ने असम के इतिहास में एक दुखद अध्याय को चिह्नित किया, जहाँ ब्रिटिश सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ चलाईं। शहीदों में एक छोटा लड़का भी था, जिसे भारत का सबसे कम उम्र का शहीद माना गया। उनका नाम इतिहास में अंकित है, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खोई गई मासूमियत का प्रतीक है। पीड़ितों को सम्मानित करने के लिए स्मारक कार्यक्रम और स्मारक स्थापित किए गए हैं, जो उनके बलिदान के लिए सरकार की मान्यता को दर्शाते हैं।
- अरुणाचल प्रदेश के बोम सिंगफो: वे अरुणाचल प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने स्थानीय जनजातियों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न जनजातियों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट करने के उनके प्रयासों ने इस क्षेत्र में भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी। भारत सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को संरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों के माध्यम से उनके योगदान को मान्यता दी है।
- मणिपुर के थंगल जनरल: उन्हें थंगल सरदार के नाम से भी जाना जाता है, वे प्रथम एंग्लो-मणिपुर युद्ध (1891) के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ मणिपुरी प्रतिरोध में एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध रणनीति का नेतृत्व किया और मणिपुरी लोगों के लिए प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। मणिपुर में उनकी विरासत का जश्न मनाया जाता है, जिसमें कई संस्थाएँ और कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद करते हैं।
- मेघालय की का फान नोंग्लाइट: वे मेघालय के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थीं। उन्होंने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और अपनी निडर भावना के लिए जानी जाती थीं। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को राज्य सरकार ने मान्यता दी है, तथा उनकी विरासत को समर्पित स्मारक और शैक्षिक कार्यक्रम बनाए हैं।
- मिजोरम से रोपुइलियानी: वे मिजोरम के एक उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थानीय समुदायों को संगठित करने में शामिल थे तथा स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरकार ने देश के इतिहास में उनके योगदान को उजागर करते हुए विभिन्न स्मरणोत्सवों और शैक्षिक पहलों के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया है।
- त्रिपुरा से सचिंद्र लाल सिंह: वे त्रिपुरा के एक प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा स्वतंत्रता हासिल करने के उद्देश्य से विभिन्न आंदोलनों में शामिल थे। भारत सरकार ने स्मारकों और शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से उनके योगदान को स्वीकार किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी विरासत संरक्षित रहे।

अध्याय 4- स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय भाषाओं का योगदान

- साहित्य ने लंबे समय से संचार और अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य किया है, और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान, यह राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया।
- बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गजों द्वारा व्यक्त राष्ट्रवादी साहित्य ने न केवल लोगों की पीड़ा को प्रतिबिंबित किया, बल्कि स्वतंत्रता के लिए सामूहिक तड़प को भी प्रेरित किया।

ऐतिहासिक संदर्भ

- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्यवादी विस्तार प्लासी (1757) और बक्सर (1764) जैसी निर्णायक लड़ाइयों के साथ शुरू हुआ, जिसने विशाल क्षेत्रों में औपनिवेशिक शासन स्थापित किया।
- 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने विद्रोह की एक श्रृंखला को प्रज्वलित किया जिसने मुक्ति की इच्छा को बढ़ावा दिया।
- भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, जिसे सबसे पहले 1576 में गोवा में स्थापित किया गया था, ने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- पहला भारतीय समाचार पत्र, द बंगाल गजट, 1780 में सामने आया, जिसने शिक्षित युवाओं के लिए अपनी देशभक्ति की भावनाओं को व्यक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया।
- बाल गंगाधर तिलक जैसी उल्लेखनीय हस्तियों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने के लिए केसरी जैसे समाचार पत्रों का उपयोग किया, अपनी साहसिक अभिव्यक्तियों के लिए उन्हें कारावास का सामना करना पड़ा।

भाषा की शक्ति

- राष्ट्रवादी साहित्य ने भाषाई बाधाओं को पार किया, स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके जनता के साथ प्रतिध्वनित किया।
- अंग्रेजों ने स्थानीय भाषा के साहित्य से उत्पन्न खतरे को पहचाना, जिसके कारण 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बना, जिसका उद्देश्य असहमति को दबाना था। हालाँकि, इस अधिनियम को 1881 में निरस्त कर दिया गया, जिससे साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना का पुनरुत्थान हुआ।
- राजा राम मोहन राय, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने बंगाली में संवाद कौमुदी प्रकाशित की, जिससे भारतीयों में एकता की भावना बढ़ी।

प्रभावशाली साहित्यिक हस्तियाँ

- बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय: संन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित उनके उपन्यास आनंदमठ (1882) में प्रतिष्ठित गीत "वंदे मातरम" शामिल है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक नारा बन गया। उनकी रचना देवी चौधरानी (1884) ने महिलाओं को संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
- भारतेंदु हरिश्चंद्र: आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अपने नाटकों और कविताओं के माध्यम से हिंदी राष्ट्रवाद के बीज बोए। उनकी रचनाओं ने स्वतंत्रता की वकालत करते हुए सामाजिक मुद्दों को उजागर किया।
- रवींद्रनाथ टैगोर: नोबेल पुरस्कार विजेता, टैगोर के साहित्यिक योगदान में गोरा (1909) और घरे बैरे (1916) जैसे उपन्यास शामिल हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद और आंतरिक संघर्ष के विषयों की खोज करते हैं। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान, "जन गण मन" भी लिखा।
- बाल गंगाधर तिलक: अपने समाचार पत्रों, मराठा और केसरी के माध्यम से, तिलक स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज़ बन गए, जिन्होंने भारतीय जनता की आकांक्षाओं को व्यक्त किया।

क्रांतिकारी साहित्य

- उस समय की क्रांतिकारी भावना को विभिन्न साहित्यिक रूपों में अभिव्यक्ति मिली। अनुशीलन जैसे संगठनों ने ऐसे समाचार पत्र प्रकाशित किए, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ़ जनता की भावनाओं को जगाया।
- विनायक दामोदर सावरकर के द इंडियन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस (1909) ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के लिए पहले युद्ध के रूप में फिर से परिभाषित किया, जिससे संघर्ष पर राष्ट्रीय ध्यान गया।
- हिंदुस्तान ग़दर और सर्कुलर-ए-आज़ादी जैसे प्रकाशनों के साथ विदेशों से उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं को आवाज़ देने के साथ, भारतीय प्रवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

साहित्य के माध्यम से सामाजिक टिप्पणी

- साहित्य ने सामाजिक बुराइयों को भी संबोधित किया, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सुधार का आह्वान किया।
- मुल्क राज आनंद की अछूत (1935) और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पत्थर दबी (1926) जैसी कृतियों ने सामाजिक न्याय और समानता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- एम.के. गांधी के लेखन, जिसमें हिंद स्वराज (1938) भी शामिल है, ने स्वतंत्रता की लड़ाई में स्वशासन और नैतिक अखंडता के महत्व पर जोर दिया।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रता युग की भाषा और साहित्य ने स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने न केवल व्यक्तियों को संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, बल्कि विभिन्न समूहों के बीच एक सामूहिक पहचान को भी बढ़ावा दिया। इन साहित्यिक योगदानों की विरासत समकालीन भारत में गूंजती रहती है, जो हमें राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में शब्दों की शक्ति की याद दिलाती है। अपने भावपूर्ण आख्यानों और मार्मिक विषयों के माध्यम से, इन लेखकों ने आशा और लचीलेपन की एक लौ जलाई, जिसने अंततः भारत की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

अध्याय 5- बंगाल में भारतीय स्वतंत्रता के लिए युवा चेतना

- 1905 और 1930 के बीच की अवधि में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर क्रांतिकारी विचार और जोश का उभार देखा गया।
- जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें युवा शिक्षित, भावुक और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध थे।

राष्ट्रीय जागृति:

- युवा बंगाल आंदोलन भारत की राष्ट्रीय जागृति और स्वतंत्रता की इच्छा के लिए उत्प्रेरक के रूप में उभरा।
- स्वतंत्रता, स्वशासन और सांस्कृतिक गौरव के विचारों का प्रसार करके, इन युवा क्रांतिकारियों ने भारतीयों में स्वतंत्रता की चेतना पैदा की।
- उनका प्रभाव बंगाल से आगे तक फैला, पूरे देश में गूंज उठा

बंगाल का विभाजन (1905):

- 1905 में, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने धार्मिक और सांप्रदायिक लाइनों के साथ बंगाल को विभाजित किया।
- इस निर्णय से व्यापक असंतोष और अराजकता का सामना करना पड़ा, खासकर युवाओं में।
- विभाजन को बंगाली समुदाय की स्वदेशी सांस्कृतिक पहचान को दबाने के प्रयास के रूप में देखा गया।

युवाओं की भूमिका:

- युवाओं, जिन्हें अक्सर "डेरोज़ियन" के रूप में संदर्भित किया जाता है, ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने पश्चिमी ज्ञानोदय प्रथाओं और विचारों को अपनाया, जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके कट्टरपंथी रवैये को बढ़ावा दिया।
- विभाजन से प्रेरित 1905 का स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया।
- पहली बार, ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें युवा सबसे आगे थे।

स्वदेशी आंदोलन:

- स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य बंगाल विभाजन के विभाजनकारी प्रभावों का मुकाबला करना था।
- इसने भारतीयों को ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।
- इस आंदोलन ने लोगों को प्रेरित किया, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया।
- युवाओं ने विरोध, प्रदर्शनों और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लिया।

बंगाल में आंदोलन के प्रमुख नेता:

- राजा राम मोहन राय:
- अक्सर "भारतीय पुनर्जागरण के जनक" के रूप में जाने जाने वाले राजा राम मोहन राय युवा बंगाल आंदोलन के दौरान एक प्रमुख व्यक्ति थे।
- उन्होंने सामाजिक सुधारों का समर्थन किया, महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और प्रतिगामी प्रथाओं को मिटाने के लिए अथक प्रयास किया।
- शिक्षा, तर्कवाद और सती (विधवाओं के बलिदान की प्रथा) के उन्मूलन पर उनके जोर ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर:

- विद्यासागर एक बहुश्रुत थे - एक विद्वान, सुधारक और शिक्षक।
- उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का जोरदार समर्थन किया और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
- बंगाली साहित्य में उनका योगदान, विशेष रूप से बंगाली लिपि को सरल और आधुनिक बनाने के उनके प्रयास, महत्वपूर्ण थे।

बंकिम चंद्र चटर्जी:

- बंकिम चंद्र, एक विपुल लेखक और कवि, ने अपने साहित्यिक कार्यों में राष्ट्रवादी उत्साह का संचार किया।
- उनके उपन्यास "आनंदमठ" ने हमें प्रतिष्ठित गीत "वंदे मातरम" दिया, जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नारा बन गया।
- बंकिम चंद्र के लेखन ने पीढ़ियों को प्रेरित किया, उन्हें औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ उठने का आग्रह किया।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस:

- नेताजी की उग्र देशभक्ति और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पौराणिक है।
- उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का नेतृत्व किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों से समर्थन मांगा।
- उनका नारा "तुम मुझे खून दो, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा" युवाओं के साथ गहराई से जुड़ा था।

रवींद्रनाथ टैगोर:

- कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का उपयोग राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए किया।
- उनकी रचना "जन गण मन", जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बन गया, देश के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है।

अरबिंदो घोष:

- अरबिंदो घोष न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक आध्यात्मिक विचारक भी थे।
- उनके लेखन में राजनीतिक संघर्ष के साथ-साथ आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- उनके दार्शनिक योगदान ने राष्ट्र की चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता की उत्कट इच्छा से प्रेरित बंगाल के युवाओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आकार देने में एक अपरिहार्य भूमिका निभाई। उनकी चेतना, प्रतिबद्धता और अटूट भावना ने अंततः स्वतंत्रता की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

CCS UPSC

CENTER FOR

CIVIL SERVICES

DEDICATED TO UPSC CSE